ISSN 0973-3914

रिसर्च जरनल ऑफ सोशल एण्ड लाइफ साइन्सेस

Peer- Reviewed Research Journal
UGC Journal No. (Old) 40942
Impact Factor 5.125 (IIFS)
Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals
Directory © ProQuest, U.S.A. Title Id: 715205

Centre for Research Studies
REWA (M.P.)

2022

www.researchjournal.in

अंक 37 हिन्दी संस्करण वर्ष - 19 जुलाई-दिसम्बर 2022

आई. एस. एस. एन. 0973-3914

रिसर्च जरनल ऑफ सोशल एण्ड लाइफ साइन्सेस

Peer-Reviewed Research Journal
UGC Journal No. (Old) 40942
Impact Factor 5.125 (IIFS)
Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, ProQuest
U.S.A. Title Id : 715205

अंक-37 हिन्दी संस्करण वर्ष-19 जुलाई - दिसम्बर 2022

डॉ. अखिलेश शुक्ल
ऑनरेरी सम्पादक
प्राध्यापक, समाजशास्त्र एवं समाजकार्य विभाग
उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान, नैक 'ए' ग्रेड
शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)
प्रतिष्ठित भारतेन्दु हरिश्चन्द्र एवार्ड तथा पं. गोविन्द वल्लभ पंत एवार्ड से सम्मानित
akhileshtrscollege@gmail.com

डॉ. संध्या शुक्ल
प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, राजनीति विज्ञान विभाग
उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान, नैक 'ए' ग्रेड
शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)
drsandhyatrs@gmail.com

डॉ. गायत्री शुक्ल
अतिरिक्त निदेशक, सेन्टर फॉर रिसर्च स्टडीज, रीवा
shuklagayatri@gmail.com

डॉ. आर. एन. शर्मा
सेवानिवृत्त आचार्य, उच्च शिक्षा, रीवा
rnsharmanehru@gmail.com

सेन्टर फॉर रिसर्च स्टडीज, रीवा
की मुख्य शोध पत्रिका
म.प्र. सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1973 के अंतर्गत पंजीकृत
पंजीयन क्रमांक 1802, सन् 1997

विषय विशेषज्ञ/परामर्श मण्डल

1. डॉ. अरविंद जोशी, सेवानिवृत आचार्य, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी
arvindvns@outlook.com
2. डॉ. रामशंकर, कुलपति, पं. शम्भूनाथ शुक्ल विश्वविद्यालय, शहडोल
rs_dubey@yahoo.com
3. डॉ. डी. एस. राजपूत, आचार्य, डॉक्टर हरीसिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर
drdiwakarrajeut@rediffmail.com
4. डॉ. बी. के. सिंह, आचार्य, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी
imdrbrajesh.kv@gmail.com
5. डॉ. अंजली श्रीवास्तव, सेवानिवृत आचार्य, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा
anjali_apsu@rediffmail.com
6. डॉ. बी. पी. बडोला, सेवानिवृत्त आचार्य, कांगड़ा हिमाचंल प्रदेश
bpbadola@gmail.com
7. डॉ. आभा सक्सेना, सह प्राध्यापक, अग्रसेन कन्या स्वशासी महाविद्यालय वाराणसी
drabhasaxena7@gmail.com
8. डॉ. प्रज्ञा मिश्रा, आचार्य, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट
pragyamishramgcgv@gmail.com
9. डॉ. आशीष सक्सेना, आचार्य, इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद उत्तर प्रदेश।
ashish.ju@gmail.com
10. डॉ. ज्योति उपाध्याय, आचार्य, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन मध्य प्रदेश
drjyotiupadhyay11@gmail.com
11. डॉ. प्रमिला पुनिया, सह प्राध्यापक, इतिहास, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर राजस्थान
pramilapoonia@rediffmail.com
12. डॉ. मृदुल जोशी, आचार्य, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार
dr_mriduljoshi@yahoo.com
13. डॉ. शैलजा दुबे, प्राध्यापक, शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय भोपाल
shailjadubey70@yahho.in
14. डॉ. प्रमिला श्रीवास्तव, आचार्य, शासकीय कला महाविद्यालय कोटा राजस्थान
dr21pramila@gmail.com
15. डॉ. जयशंकर शाही, आचार्य, अलवर राजस्थान
jayshankarshahi@gmail.com
16. डॉ.एन. पी. त्रिपाठी , सेवानिवृत्त आचार्य, रीवा मध्य प्रदेश
17. डॉ. राजेश भट्ट, एच. एन. बी. केंद्रीय विश्वविद्यालय, श्रीनगर गढ़वाल, उत्तराखंड
rajeshbhatt11@gmail.com

Guide Lines

- **General:** English and Hindi Editions of Research Journal are published separately. Hence Research Papers can be sent in Hindi or English.
- **Manuscript of research paper:** It must be original and typed in double space on the one side of paper (A-4) and have a sufficient margin. Script should be checked before submission as there is no provision of sending proof. It must include Abstract,Keywords, Introduction, Methods, Analysis, Results and References. Hindi manuscripts must be in Devlys 010 or Kruti Dev 010 font, font size 14 and in double spacing. All the manuscripts should be in two copies and in Email also. Manuscripts should be in Microsoft word program. Authors are solely responsible for the factual accuracy of their contribution.
- **References :** References must be listed cited inside the paper and alphabetically in the order- Surname, Name, Year in bracket, Title, Name of book, Publisher, Place and Page number in the end of research paper as under- Shukla Akhilesh (2018) Criminology, Gayatri Publications, Rewa : Page 12.
- **Review System:** Every research paper will be reviewed by two members of peer review committee. The criteria used for acceptance of research papers are contemporary relevance, contribution to knowledge, clear and logical analysis, fairly good English or Hindi and sound methodology of research papers. The Editor reserves the right to reject any manuscript as unsuitable in topic, style or form without requesting external review.

लेखकों से निवेदन-

- रिसर्च जरनल ऑफ सोशल एण्ड लाइफ साइंसेज (ISSN-0973-3914) सेन्टर फॉर रिसर्च स्टडीज की मुख्य शोध पत्रिका है, जो मानव संसाधन मंत्रालय तथा पंजीयक समाचार पत्र एवं पत्रिका, भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा पंजीकृत हैं।
- शोध पत्रिका उलरिच इन्टरनेशनल पीरियाडिकल्स डाइरेक्ट्री प्रोक्वेस्ट, संयुक्त राज्य अमेरिका से इंडेक्स्ड और लिस्टेड हैं।
- शोध पत्रिका का अंग्रेजी एवं हिन्दी संस्करण अलग-अलग प्रकाशित होता है।
- रिसर्च जरनल ऑफ सोशल एण्ड लाइफ साइंसेस का प्रकाशन प्रतिवर्ष जून एवं दिसंबर में किया जाता है।
- रिसर्च जरनल ऑफ सोशल एण्ड लाइफ साइंसेस को इम्पैक्ट फैक्टर एवं आई.एस.एस.एन प्राप्त हैं। शोध पत्रिका Peer-Reviewed हैं।
- शोध पत्रिका के नवीनतम अंक में प्रकाशित शोध पत्रों को हमारी वेबसाइट www.researchjournal.in (Current Issue) में देखा जा सकता है तथा डाउनलोड किया जा सकता है।
- शोध पत्रिका का प्रिंट एडीशन सदस्यों को अलग से डाक द्वारा भेजा जाता है।
- शोध पत्र में शीर्षक, नाम, पद, पदस्थापना का विवरण, पत्र व्यवहार का पता तथा दूरभाष क्रमांक,
- मोबाइल नं., ई-मेल एड्रेस अवश्य दिया जाये।
- शोध पत्र के प्रारम्भ में कम से कम 50-100 शब्दों का सारांश दिया जाये।
- मुख्य शब्द सारांश के नीचे टाइप कराया जाये।

- शोध पत्र में शोध पद्धति तथा शोध में प्राप्त तथ्यों का विश्लेषण किया जाना चाहिए।
- शोध पत्र में निष्कर्ष और अंत में संदर्भ ग्रंथ सूची दी जाये। संदर्भ ग्रंथों का विवरण पूरा दिया जाये। लेखक का नाम, वर्ष, पुस्तक का नाम, प्रकाशक का विवरण, प्रकाशक का स्थान और पृष्ठ संख्या आदि का विवरण दिया जाना चाहिए।
- शोध पत्र माईक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल में टाइप किया हुआ होना चाहिए। (नोट- पेज मेकर की फाइल, पी.डी.एफ. फाइल, स्कैन मैटर आदि में कदापि शोध पत्र न भेजें) शोध पत्र हिन्दी लिपि में कृतिदेव या देवलिस फांट 010 (फॉन्ट साइज 14, स्पेस डबल, मार्जिन ए-4 साईज के कागज में चारो तरफ 1 इंच) में भेजा जाना चाहिए।
- शोध पत्र के साथ यह घोषणा अवश्य संलग्न करें कि शोध पत्र मौलिक है तथा इसे कहीं अन्यत्र प्रकाशनार्थ प्रेषित नहीं किया गया है।

सर्वप्रथम शोध पत्र ई-मेल द्वारा भेजें-

researchjournal97@gmail.com,
researchjournal.journal@gmail.com

शोध पत्र की स्वीकृति की सूचना सम्पादकीय कार्यालय द्वारा लेखक को ई-मेल एवं दूरभाष द्वारा प्रदान की जाती है।

© सेन्टर फॉर रिसर्च स्टडीज

एक अंक रुपये 500.00

-सदस्यता शुल्क -		
अवधि	व्यक्तिगत सदस्यता	संस्थागत सदस्यता
वर्ष एक	2000-00	2500-00
वर्ष दो	2500-00	4000-00

सदस्यता शुल्क की राशि गायत्री पब्लिकेशन्स के स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, ब्रांच-रीवा सिटी (आईएफएस कोड 0004667 MICR Code 486002003) के खाता क्रमांक 30016445112 में जमा की जाय।

प्रकाशक: गायत्री पब्लिकेशन्स
रीवा- 486001 (म.प्र.)

मुद्रक: ग्लोरी ऑफसेट
नागपुर

संपादकीय कार्यालय

186/1, विन्ध्य विहार कॉलोनी
लिटिल बैम्बीनोज स्कूल कैम्पस
रीवा- 486001 (म.प्र.)
दूरभाष- 7974781746
E-mail- researchjournal97@gmail.com, researchjournal.journal@gmail.com
www.researchjournal.in

रिसर्च जरनल में प्रस्तुत किये गये विचार और तथ्य लेखकों के हैं, जिनके विषय में सेन्टर फॉर रिसर्च स्टडीज, सम्पादक मण्डल, प्रकाशक तथा मुद्रक उत्तरदायी नहीं हैं। रिसर्च जरनल के सम्पादन एवं प्रकाशन में पूर्ण सावधानी रखी गई है, किन्तु किसी त्रुटि के लिए सेन्टर फॉर रिसर्च स्टडीज, सम्पादक मण्डल, प्रकाशक तथा मुद्रक उत्तरदायी नहीं है। सम्पादन का कार्य अव्यावसायिक और ऑनरेरी है। सभी विवादों का न्यायालय क्षेत्र, रीवा जिला रीवा (म.प्र.) रहेगा।

सम्पादकीय

समाज की मूलभूत और सबसे महत्वपूर्ण इकाई प्रारंभ से परिवार ही रहा है। देश के सशक्तिकरण एवं विकास के लिए सबसे पहले परिवार जैसी बुनियादी संस्थाओं के नैतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक आयामों पर हमें ध्यान देना अति आवश्यक है। समाज के विकास के लिए परिवार का संतुलित विकास अति महत्वपूर्ण है। अत: हमें यदि देश का संपूर्ण एवं संतुलित विकास करना है तो हमें परिवार नामक बुनियादी संस्था पर सबसे ज्यादा जोर देने की आवश्यकता है। आवश्यकता इस बात की है कि हम परिवार में पुत्र और पुत्री के बीच कोई भी भेदभाव ना करें और यह हम अपने पुत्रों को आवश्यक रूप से समझाएं और उनके क्रियाकलापों में शामिल भी करवाएं। आज भी पुरानी मान्यता के जो लोग हैं, उनका यह मानना है कि औरत को कोई आजादी नहीं मिल सकती, वह अकेले कहीं नहीं जा सकती हैं, वह अकेले कहीं घूम-फिर नहीं सकती हैं, लेकिन इन मूल्यों को आज का युवा मानने से इनकार करता है।

कुछ लोग यह भी कहते हैं कि मकान में जो महत्वपूर्ण स्थान दीवालों का का होता है, समाज में वही महत्व लड़कों की शिक्षा का है। लेकिन घर बनता कैसे है? घर के आधार में कौन हैं? घर के आधार में हमारी पुत्रियां हैं, हमारी लड़कियां हैं, अर्थात उनका संबंध जड़ से है। समाज में अगर हमारी जड़ ही कमजोर हो गई तो हमारा घर या मकान बिल्कुल मजबूत नहीं हो सकता है। इस सामाजिक संदर्भ को यथार्थ में समझने की आवश्यकता है।

पक्षपात की हद तो तब हो जाती है जब छोटे छोटे कार्यों में हमें भेदभाव दिखता है। कुछ लोगों ख्याल है कि लड़की पराया धन होती है, उसे कौन सी नौकरी करनी है। इसलिए कुछ मां-बाप लड़के और लड़की में भेदभाव करते हैं और यह भेदभाव हमारे व्यवहार में खिलाने-पिलाने में पहनाने-उढ़ाने में भी कहीं ना कहीं दिखाई देता है। यह सरासर अन्याय है। ईश्वर ने लड़के और लड़कियों को एक जैसा मस्तिष्क दिया है और आज लड़कियां बेहतर परिणाम लाकर यह सिद्ध भी कर रही है।

लड़कियां तो मां-बाप के घर कुछ ही दिन रहती है, इसलिए हमारा यह कर्तव्य है कि हम उनके शिक्षा-दीक्षा, पालन-पोषण पर गहराई से ध्यान दें, तभी हम एक सशक्त समाज की संकल्पना को पूरा कर सकते हैं। ईश्वर ने हमें हमारे बच्चों का ट्रस्टी बनाया है इसलिए हमारा यह कर्तव्य है कि हम पूरे न्याय के साथ सभी सदस्यों के साथ समान व्यवहार करें क्योंकि लड़के और लड़कियों दोनों में एक जैसी शक्ति है, एक ही आत्मा है। अत: हमें उन्हें विकास का समान अवसर दिया जाना चाहिए।

महिला सशक्तिकरण का मूलभूत उद्देश्य महिलाओं का विकास और उनमें आत्मविश्वास का संचार करना हैं। महिला सशक्तिकरण समाज के संपूर्ण विकास के लिए महत्वपूर्ण है। महिलाओं का सशक्तिकरण सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक प्रघटना है, क्योंकि वे रचनाकार होती हैं। अगर आप उन्हें सशक्त करें, उन्हें शक्तिशाली बनाएं, प्रोत्साहित करें, यह समाज के लिए बेहतर है। महिला और पुरूष सृष्टि निर्माण और मानव समाज के आधार हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक है। ये जीवन रूपी रथ के ऐसे पहिये हैं

जिनसे जीवन–यात्रा सुचारू रूप से संचालित होती है। परिवार और समाज में स्थायित्व के लिए दोनों की ही भूमिका समान रूप से महत्वपूर्ण रही हैं। किसी समाज में परिवर्तन और विकास का आधार पुरूषों और महिलाओं के पारस्परिक मेल–जोल, कदम से कदम मिलाकर चलने और दोनों की समान गतिशीलता पर ही निर्भर है। किसी भी एक पक्ष के पिछड़ने पर सामाजिक जीवन में अराजक स्थिति निर्मित होती है। मानव जाति का इतिहास इसका साक्षी हैं कि जहाँ महिलाओं की उपेक्षा की गई है, वहाँ समाज का विकास अवरूद्ध हुआ है। सृष्टि की रचना, बच्चों की शिक्षा, परिवार की परवरिश के रूप में महिला की भूमिका पुरूष से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होने से समाज रचना में उसकी स्थिति केन्द्रीय हो जाती है। अतः स्त्रियों की उन्नति के बिना मानव जाति और समाज का उत्थान नहीं हो सकता। जहाँ तक भारत का संबंध हैं "यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता" अर्थात् जहाँ महिलाओं की पूजा होती है। वहां देवताओं का वास होता है। इस आदर्श के साथ कोई भी भारतीय स्त्री पश्चिमी स्त्री की तुलना में गौरव का अनुभव कर सकती हैं। विद्या का आदर्श सरस्वती में,धन का आदर्श लक्ष्मी में, पराक्रम का आदर्श दुर्गा में, पवित्रता का आदर्श गंगा में, यहाँ तक कि सृष्टि सृजन का आदर्श जगद् जननी के रूप में हमें केवल भारत में ही देखने को मिलता हैं।

(डॉ. अखिलेश शुक्ल)
प्रधान सम्पादक

अनुक्रमणिका

01 वीर सावरकरः भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक अविस्मरणीय चरित्र 09

अरुण श्रीवास्तव

02 भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उत्तराखंड की महिलाओं का योगदान 15

राजेश चन्द्र पालीवाल

03 डॉ. लोहिया का सांस्कृतिक चिन्तनः रामायण मेला योजना के विशेष सन्दर्भ में 20

सुधा गुप्ता

04 महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना का समाजशास्त्रीय अध्ययन (आगरा जिले के पिनाहट विकासखण्ड के विशेष संदर्भ में) 25

भूरी सिंह, अतुल कुमार

05 भारतीय जीवन में शिवोपासना का धार्मिक महत्व 30

अशुतोष शुक्ल

06 महात्मा गाँधी : महिला विकास के प्रति दृष्टिकोण 39

सीमा श्रीवास्तव

07 महिला नेतृत्व के साामाजिक एवं आर्थिक पहलुओं का विश्लेषण (रीवा जिले की पंचायतों के विशेष संदर्भ में एक सर्वेक्षणात्मक अध्ययन) 44

कोमल पांडे, अखिलेश शुक्ल

08 महिला अपराधिता पुनर्वास एवं जेल व्यवस्था 53

गजानन मिश्र

09 घरेलू हिंसाः वर्तमान समय की गहन समस्या व समाधान 60

अलका रानी

10 भारतीय अर्थव्यवस्था और वर्तमान आर्थिक चुनौतियाँः एक विश्लेषण 66

बिन्ध्याचल साह

11 नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020ः सम्भावनाएँ एवं चुनौतियाँ 78

सिद्धार्थ मिश्र

12 वैश्वीकरण का सामाजिक- आर्थिक प्रभाव 82

अजय सिंह गहरवार, अवनीश सिंह, महानन्द द्विवेदी

13 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग क्षेत्र में स्टार्टअप योजना 92

संगीता कुँभारे

14 स्टार्ट अप योजना एवं पिछड़े वर्ग की महिलाओं का सशक्तिकरण:एक समाजशास्त्रीय अध्ययन 101

कृष्ण कुमार पटेल, एस.एम.मिश्रा

15 सतना जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की समस्या एवं समाधान 108

गायत्री देवी, आर. पी. गुप्ता

16 मध्यप्रदेश में कृषि विकास की संभावनाएं एवं चुनौतियां 115

सुनीता सोलंकी

17 पर्यावरण एवं मानव स्वास्थ्य (नईगढ़ी–पिपराही के संदर्भ में) 121

वंदना मिश्रा

18	शहडोल संभाग में पर्यटन विकास का पारिस्थितिकी पर प्रभाव **बी. पी. सिंह, सविता पटेल**	127
19	समाज और संस्कृति की विकास यात्रा (भारतीय संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में) **दिव्या मिश्रा**	133
20	शिव ब्रात है? **अशुतोष शुक्ल**	137
21	श्रीमद्भगवद्गीता में मोक्ष योग **प्रत्यूष वत्सला द्विवेदी**	143
22	जैवविविधता और मानवीय क्रियाकलाप (पश्चिमी घाट के विशेष संदर्भ में) **सुनील बाबू विश्वकर्मा, आकृति खरे**	147
23	पराबैंगनी किरणें ओजोन परत को किस तरह प्रभावित करती हैं **मंजरी अवस्थी**	152
24	भारतीय संस्कृति में स्वदेशी खेलो की प्रासंगिकता का महत्व **ममता**	156
25	भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निहित भावों का विश्लेषणात्मक अध्ययन **पुरूषोत्तम कुमार साहू, अविनाश कुमार लाल**	166
26	लिंग भेदभाव का महिलाओं के विकास के अवसरों पर पड़ने वाले प्रभाव का समाजशास्त्रीय अध्ययन (सतना जिले के विशेष संदर्भ में) **राधा मिश्रा , अमर जीत सिंह, अजय आर. चौर**	171
27	महिला एवं बाल विकास योजनाओं का ग्रामीण महिलाओं की पारिवारिक स्थिति पर प्रभाव (जिला सतना के विशेष संदर्भ में) **विमलेश द्विवेदी, अखिलेश शुक्ल**	179
28	लैंगिक असमानता के कारण एवं समाधान का समाजशास्त्रीय अध्ययन **राधा मिश्रा, अमर जीत सिंह, अजय आर. चौर**	188
29	महिला नेतृत्व एवं ग्रामीण विकास (सीधी जिले की त्रिस्तरीय पंचायतों के विशेष संदर्भ में) **शिखा पाण्डेय, अखिलेश शुक्ल**	194
30	बाल मानवाधिकार एवं भारत के समक्ष चुनौतियां **जगदीश प्रसाद, सर्वोत्तम कुमार**	198
31	भारत में रोजगार की प्रवृत्तियाँ : महिलाओं के विशेष संदर्भ में **कुमुद श्रीवास्तव**	203
32	पंचायतीराज अधिनियम का प्रभाव महिला नेतृत्व एवं सामाजिक जागरुकता (सीधी जिले की त्रिस्तरीय पंचायतों के विशेष संदर्भ में) **शिखा पाण्डेय, अखिलेश शुक्ल**	210
33	अंतर्राष्ट्रीय विधि के अन्तर्गत बच्चों के शिक्षा के अधिकार: भारत के संदर्भ में **जगदीश प्रसाद, सर्वोत्तम कुमार**	117
34	सल्तनकालीन महोबा **महेन्द्र मणि द्विवेदी, रानू चौरसिया**	223

UGC Journal No. (Old) 40942,
Peer- Reviewed Research Journal
Impact Factor 5.125 (IIFS) ISSN 0973-3914
Vol.- 37, Hindi Edition, Year-19, July- Dec. 2022

वीर सावरकरः भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक अविस्मरणीय चरित्र

• अरुण श्रीवास्तव

सारांश- महान स्वांतन्त्रता सेनानी वीर विनायक दामोदर सावरकर भारतीय स्वाधीनता संग्राम के ध्वज के ऐसे वाहक थे जिनके जीवन चरित्र का समग्रता से अध्ययन करने वाला कोई भी व्यक्ति उनके राष्ट्रनिष्ठ होने पर कदापि प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता। स्वतंत्रता के बाद से शिक्षा जगत, इतिहास लेखन व नवीन राष्ट्रीय धरोहरों के निर्माण में कुछ चेहरों को छोड़ दिया जाए तो एक लंबी सूची हमें ऐसे राष्ट्रीय स्तर के विशिष्ट किरदारों के इर्द-गिर्द मिलती है जो मुख्य रूप से तत्कालीन कांग्रेस के प्रमुख नेता, समर्थक या इस संगठन अनुकूल रहे हों। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में कांग्रेस की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता और किसी भी निष्कपट अकादमिक विद्वान को ऐसी दुस्साहस भी नहीं करनी चाहिए किन्तु षड्यन्त्र पूर्वक ढंग से नेपथ्य में पड़े हुए हुए महान देशभक्तों से समाज को अवगत करानें का मूल दायित्व भी अकादमिक जगत के विद्वानों का ही है। भारत में लंबे समय से सामाजिक, राजनैतिक व शैक्षणिक जगत में एक खास विचारधारा का दबदबा रहा है। जिसका दुष्परिणाम यह हुआ कि देश के स्वतंत्रता के लिए स्वयं को पूर्ण रूप से खपा देने वाले वीरों को व उनके कार्यों को कुछ लोगों द्वाराकुतर्क के सहारे संदेह की दृष्टि से देखने का प्रयास किया जा रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ एक ऐसे वीर सेनानी की चर्चा कर रहे हैं जिनके जीवनकाल के प्रत्येक छण का भारत की स्वांतन्त्रता, संपन्नता व श्रेष्ठता के इतर व्यक्तिगत कोई लक्ष्य नहीं रहा। उनका व्यक्तित्व समाजसेवक, उत्कृष्ठ वक्ता, लेखक, इतिहासकार और विचारक जैसे तमाम रचनात्मक गुणों से पटा पड़ा है। वीर सावरकर जैसे विराट व्यक्तित्व के विस्तृत और व्यापक जीवन के सभी पहलुओं का चर्चा करना यहाँ सहज रूप से संभव नहीं है। हम यहाँ भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में वीर सावरकर जी के योगदान की चर्चा करेंगे।

मुख्य शब्द - स्वाधीनता संग्राम, वाहक, जीवन चरित्र, राष्ट्रनिष्ठ, राष्ट्रीय धरोहर

प्रस्तावना- उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि पर दृष्टिपात करने पर ही सावरकर के चरित्र पर लगाए जा रहे आरोप निराधार प्रतीत होने लगते है की केवल वीर सावरकर ही नहीं अपितु उनके परिवार के अन्य सदस्य भी भारत की स्वाधीनता के लिए समर्पित थे।

• परास्नातक समाजशास्त्र, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय

सन 1899 में सोलह वर्षीय विनायक सावरकर व उनके भाई गणेश सावरकर नें नासिक में मित्र मेला नामक संगठन की नींव रखी जिसका उद्देश्य भारत को पूर्ण राजनैतिक स्वतंत्रता प्रदान करना व युवाओं के भीतर स्वराज का अलख जगाना था। नासिक के सभी सार्वजनिक व राजनैतिक सभाओं में मित्र मेला का दबदबा होने लगा असर यह था की धार्मिक अवसर भी राजनैतिक अवसरों में बदलनें लगे जिससे अंग्रेजी अधिकारियों की नींद हराम होने लगी। जनवरी 1901 में जब इंग्लंड की महारानी विक्टोरिया का देहांत हुआ और उनके स्थान पर किंग एडवर्ड सप्तम की ताजपोशी होने जा रही थी तो अंग्रेजों द्वारा पूरे भारत में शोक सभाओं का आयोजन किया जाने लगा। मित्र मेल के सप्ताहिक बैठक में भी इस शोक सभा को लेकर चर्चाएँ हुई जिसमें यह तय हुआ की अंग्रेज अधिकारियों के संदेह दृष्टि से बचने के लिए मित्र मेल को भी इस शोक सभा व ताजपोशी कार्यक्रम में सहयोग करना चाहियें जिसका मुखर विरोध करते हुए सावरकर ने कहा की "राजा हो या रानी वे किसके राजा रानी हैं। वे हमारे शत्रु देश के राजा रानी हैं, हम उनके मरने पर शोक सभाएँ करें और ताजपोशी पर प्रसन्नता मनाएँ, ऐसा करना दासता की वित्ती का परिचायक होगा।" मित्र मेला द्वारा भारी संख्या में कवि, वक्ता, प्रचारक, देशभक्त व बलिदानी लोग तैयार किए जाने लगे जो आगे चलकर स्वतंत्रता के राष्ट्र यज्ञ में आहूत हो गए। यहाँ यह जानना भी आवश्यक है कि इन सब गतिविधियों के दौरान सावरकर मेट्रिक की कक्षा में पढ़ाई करते थे।

सावरकरः लेखक व वक्ता- सावरकर अपने लेख व भाषण की कुशलता से किसी को भी प्रभावित कर लेते थे। यही कारण रहा की बंबई से प्रकाशित होने वाली मराठी सप्ताहिक पत्रिका 'बिहारी' में सावरकर ने जब लिखना शुरू किया तो आगे चल कर वह एक प्रकार से अभिनव भारत का मुखपत्र ही बन गया दूसरी ओर बंगाल में युगांतर पत्रिका की लोकप्रियता भी अपने चरम पे थी। अब सावरकर की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई थी की उन्हें सभाओं में बोलने के लिए आमंत्रित किया जाने लगा। उनके व्यवहार कुशलता की चर्चा करते हुए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (ताशकंद समूह) के संस्थापक एम. टी. एस. आचार्य ने लिखा कि "उस व्यक्ति में ऐसी मोहिनी थी कि वी वी एस अय्यर और लाला हरदयाल जैसे व्यक्ति मात्र एक बार हाथ मिलाने पर ही न केवल उनके होकर रह गए बल्कि जो उन्होंने कहा उसे कर गुजरने के लिए सनद्ध भी हो गए।" वीर सावरकर का एक सबसे महत्वपूर्ण कार्य जिसने भारत के सुप्त चेतना को जागृत कर राष्ट्र के स्वतंत्रता संग्राम में नया अलख जगा दिया था। भारतीयों के भीतर भारतीयता का बोध कराने में एक अतिमहत्वपूर्ण कारक उनकी पुस्तक 1857 का स्वातंत्र्य संग्राम का ही परिणाम था की ब्रिटिश संसद में चर्चिल के प्रश्नों का उत्तर देते हुए एटली स्वीकार करते हैं कि, "ब्रिटिश सरकार इन तथ्यों के आधार पे भारत को शक्ति हस्थानतारित कर रही है कि...

- भारतीय मूल के सैनिक अब ब्रिटिश सरकार के प्रति ईमानदार नहीं है।
- ब्रिटिश सरकार बड़े पैमाने पर ब्रिटिश मूल के सैनिकों के खर्चे का वहन नहीं कर सकती"।

इससे स्पष्ट है की भारत बोध का असर यह रहा की अंग्रेजी हुकूमत की नसें

ढीली पड़ने लगी और देश में स्वाधीनता का प्रचंड अलख जगने लगा था। सावरकर द्वारा ब्रिटिश म्यूजियम लाइब्रेरी और इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी में किए गए 1857 संबंधी दस्तावेजों के गहन शोध व लेखों, रेकार्डों के पुनर्परीक्षण का ही परिणाम था की जो अब तक 1857 का सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता था उसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम करार दिया गया।

उनके कुशल रणनीतिकार होने का ठोस प्रमाण इस घटना से मिलता है की जब उनकी पुस्तक 1857 का स्वातंत्र्य समर को अंग्रेज सरकार ने छपने से पहले ही प्रतिबंधित कर दी तब इस पुस्तक के पांडुलिपि के संरक्षण व प्रकाशन का कार्य बहुत कठिन प्रतीत होने लगा, ब्रिटिश व फ्रांस सरकार के गुप्तचर अपने-अपने देशों में इसके पांडुलिपियों की खोज कर रहे थे लेकिन वीर सावरकर ने अपने कुशाग्र बुद्धि से दोनों सरकारों के आँख में धूल झोंककर इस ऐतिहासिक पुस्तक के पांडुलिपि को प्रकाशित होने के लिए हॉलेन्ड भेज दिया। सावरकर केवल देशोन्नमुखी होकर तथ्यपरक इतिहास ही नहीं लिख रहे थे बल्कि उसका संरक्षण भी कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर इस पुस्तक का फ्रेंच अनुवाद मैडम कामा व एम पी टी आचार्य ने किया जिसका प्राक्कथन फ्रेंच क्रांतिकारी व पत्रकार ई पेरिऑन ने लिखा था।

श्याम जी कृष्ण वर्मा जो स्वयं एक महान क्रांतिकारी थे उनकी भूमिका सावरकर के जीवन में अति महत्वपूर्ण रही वे लंदन में इंडिया हाउस का संचालन कर रहे थे। इंडिया हाउस लंदन में देशभक्त भारतीयों के लिए शरणस्थली का कम करता था अंग्रेज गुप्तचर उसे 'हाउस ऑफ मिस्ट्री' कहते थे। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने वहीं 'इंडिया होमरुल सोसाइटी' की स्थापना की थी व भारतीय देशभक्त छात्रों के लिए लंदन में पढ़ाई हेतु छात्रवृत्ति की घोषणा की, किन्तु शर्त यह थी की कोई भी पढ़-लिख कर अंग्रेज सरकार की नौकरी नहीं करेगा। सावरकर जी ने इस छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करते हुए पत्र लिखा "किसी भी देश की धड़कन उसकी स्वतंत्रता होती है और अपने देश की स्वतंत्रता ही मेरे रोम-रोम में बसी है। मैंने बचपन से लेकर आज तक बस इसी के स्वप्न देखें हैं और प्रत्येक छड़ इसी का चिंतन किया है। सावरकर जी के इस पत्र की सिफारिश स्वयं बाल गंगाधर तिलक ने की जो सावरकर के रचनात्मक व क्रांतिकारी गतिविधियों से प्रभावित थे।

भारत को स्वाधीनता का रसपान कराने को बेताब युवा सावरकर लदन में सुस्थापित होतें ही क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय हो गए और उन्होंने फ्री इंडिया सोसाइटी का गठन किया जो पुणे के अभिनव भारत; के अनुरूप थी फ्री इंडिया सोसाइटी की एक वर्ष में ही तूती बोलने लगी साथ ही साथ युवा क्रांतिकारियों के बीच सावरकर की एक आदर्श छवि बनने लगी। लंदन में इंडिया हाउस में रहते हुए सावरकर का भाई परमानन्द, लाल हरदयाल, सेनापति बापट, एम टी एस आचार्य जैसे अनेक देशभक्तों से परिचय हुआ।

सावरकर व ढींगरा: कर्जन वाइली का वध- ऐसे ही महान देशभक्त मदनलाल ढींगरा जो सावरकर के व्यक्तित्व से अत्यंत प्रभावित थे जब उनसे लंदन में मिले तो देश के लिए कुछ कर गुजरने की अपने उत्कट आकांक्षा को सावरकर के सामने प्रस्तुत किया।

सावरकर जी ने भी ढींगरा के सामर्थ्य का परीक्षण करके उनको अंग्रेजों के बीच घुलने-मिलने का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य सौंपा जिसमें ढींगरा ने सफलता हासिल की और वे कर्जन वाइली के निकट होते गए कालांतर में अंग्रेज शासन के अत्याचारों का बदला लेने का वेग मदनलाल ढींगरा के मन में तीव्र होता गया।

1909 में इम्पीरीअल इंस्टिटच्यूट के जहांगीर हाल में दादभाई नैरोजी के संस्था नैशनल इंडियन एसोसिएशन का वार्षिकोत्सव था जिसमें उनके भारतीय व अंग्रेज मित्र भी आए थे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कर्जन वाइली भी अपने पत्नी के साथ आए थे। ढींगरा न केवल उस कार्यक्रम में घुसने में सफल रहे बल्कि अत्याचारी अंग्रेज अधिकारी को गोलियों से भून डाला। अगले दिन मदनलाल ढींगरा के कृत्य की निंदा करने के लिए ककस्टन हॉल में एक सभा आयोजित की गई जिसमें मनचेरजी भावनगरी, आगा ख़ा, सुरेन्द्र नाथ बनर्जी, विपिन चंद्र पाल आदि व्यक्ति उपस्थित थे। मदनलाल ढींगरा के विरुद्ध सभी के निन्दा भाषण समाप्त होने के बाद जैसे ही आगा ख़ा उठकर कहते हैं, 'यह सभा सर्वसम्मति से मदनलाल ढींगरा की निंदा करती है।' वहाँ ललकार के साथ एक आवाज उठी कि 'नहीं सर्वसम्मति से नहीं' वहाँ उपस्थित लोग सावरकर से काफी नाराज हुए कुछ ने उनके ऊपर प्रहार किया तो वे कुर्सी पे चढ़ के कहने लगे "यह सब होने पर भी मैं यह कहता रहूँगा की मैं इस निन्दा प्रस्ताव के विरुद्ध हूँ। जब तक मेरे रक्त की एक भी बूंद मेरे शरीर के भीतर रहेगी मैं इस बात को दोहराता रहूँगा।" वहीं श्याम जी कृष्ण वर्मा सावरकर के राष्ट्रभक्ति व नेतृत्व क्षमता से इतने प्रभावित हुए की पेरिस जाने से पूर्व अपने संस्था इंडिया होम रूल को फ्री इंडिया सोसाइटी से संबद्ध कर इंडिया हाउस का सारा काम उन्हें सौप दिया।

सावरकर व देशभक्त मुसलमान- सावरकर के हिन्दुत्व की व्याख्या विस्तृत व विराट है और उसकी संक्षिप्त में चर्चा करना उचित नहीं लेकिन वीर सावरकर व उनके हिन्दुत्व के विचार पर अतिवादी होने का आरोप तथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग मढ़ता आया है। ऐसा दुष्प्रचार किया गया जैसे सावरकर के शब्दकोश में मुसलमान शब्द कहीं ठहरता ही नहीं। 1938 में 'द मराठा' में अपने लेख में आचार्य लिखते हैं कि "सावरकर का हिन्दुत्व धार्मिक के अपेक्षा राजनैतिक अधिक था। यही कारण रहा की हिन्दुत्व व मराठा पर उनके स्पष्ट विचारों से अवगत देशभक्त मुसलमान भी उनको अपना मानते थे। वीर सावरकर भी भारत को स्वतंत्र कराने के लिए सभी वर्गों को साथ में लेकर चलना चाहते थे। यदि ऐसा न होता तो वे आसफ आली को अभिनव भारत सोसाइटी से क्यों जोड़ते" अशोक कौशिक की पुस्तक 'युग पुरुष वीर सावरकर' में भी इस बात का उल्लेख मिलता है कि सावरकर जी ने लंदन में रहते हुए सिकंदर हयात ख़ान व मिर्जा अब्बास के हाथों भारत में स्वाधीनता के लिए संघर्ष कर रहे सक्रिय क्रांतिकारियों के लिए हथियार भिजवाए।

सावरकरः समरसता व अस्पृश्यता उन्मूलन में भूमिका- वीर सावरकर यह भली भाँति समझते थे की केवल राजनैतिक रूप से स्वतंत्रत भारत सम्पन्नता व श्रेष्ठता को प्राप्त नहीं कर सकता। उनकी दूर दृष्टि ने यह आकलन कर लिया था कि ऊँच-नीच, जात-पात, छुआछूत जैसी सामाजिक बुराइयों के रहते भारत को सांस्कृतिक व राजनैतिक रूप से एकीकृत करना संभव नहीं है और इन बुराइयों के रहते स्वांतन्त्रता का

लक्ष्य केवल दीवा स्वप्न बन कर रह जाएगा। उनकी दृष्टि में यह भारतीय समाज सात बेड़ियों में जकड़ा हुआ था - स्पर्श बंदी, रोटी बंदी, बेटी बंदी, व्यवसाय बंदी, सिंधु बंदी, वेदोक्त बंदी, शुद्धि बंदी। ये वो सामाजिक बुराइयाँ थीं जिसने कालांतर में इन्हीं मुद्दों पर भारतीय राजनीति में कई नेताओं को जन्म दिया जिसमें बाबा साहब अंबेडकर प्रमुख हैं उन्होंने अपना जीवन छुआछूत व समाजिक समानता लाने के लिया जिया जिसे वीर सावरकर भारतीय स्वतंत्रता के लिए अत्यंत आवश्यक तत्व मानते थे।

1928 में शिवभांगी में विट्ठल मंदिर में दलितों के प्रवेश पर वीर सावरकर का ऐतिहासिक भाषण हुआ। 1930 में पतितपावन मंदिर में शिवु भंगी के द्वारा गायत्री मंत्र का पाठ करके गणेश जी के प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। 1931 में पतितपावन मंदिर का उद्घाटन स्वयं शंकराचार्य श्री कूर्तकोटी जी ने किया उनका पद्यपूजा दलित नेता श्री राज भोज ने किया। उस वक्त वीर सावरकर ने घोषणा करी की इस मंदिर में समस्त हिंदुओं को पूजा का अधिकार है और पुजारी पद पर गैर ब्राम्हण की नियुक्ति होगी। यह सकारात्मक घटनाक्रम वीर सावरकर के आंतरिक सुचिता, दूर–ष्टि व सामाजिक समानता व समरसता के अतुलनीय प्रयास को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। इससे यह भी पता चलता है की सावरकर धाराओं के साथ बहने वाले व्यक्तित्व का नाम नहीं है उनका व्यक्तित्व चुनौतियों को चुन के उसके परिणाम तक पहुँचें बिना रुकने वालों में से नहीं हैं।

यहाँ वीर सावरकर के माफीनामा पर भी चर्चा करना आवश्यक है। जिसकों लेकर मूढ़ व्यक्तित्व के लोगों ने उनके विराट व्यक्तित्व पर लगातार कीचड़ उछाला है। जब हम सावरकर के जीवन चरित्र का समग्रता से अध्ययन करते हैं तो उनके तीव्र बुद्धि, नेतृत्व क्षमता और निडर व्यक्तिव का बोध होता है। सावरकर ने तीन बार माफी माँगी लेकिन बाहर आने के बाद वे भोग-विलास में लिप्त न होकर स्वयं को रणनीतिक तौर पर मजबूत करते हुए पुनः स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़ते हैं। सावरकर मानते थे की जेल में सड़ते रहने से बेहतर है किसी तरह बाहर निकलकर फिर से स्वाधीनता की लड़ाई लड़ी जाए। इस विषय को समझने के लिए हम 2016 में घटित गौरवपूर्ण सर्जिकल स्ट्राइक घटना का आधार ले सकते हैं। सर्वविदित है कि 2016 में भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों पर सफलतापूर्वक सर्जिकल स्ट्राइक की और फिर सुरक्षित अपने वतन लौट आए तो क्या अपनी वीरता सिद्ध करने के लिए उन जवानों को वहीं अपने प्राणों की आहुति दे देनी चाहिए थी? नहीं। यह युद्ध कुशलता नहीं कही जा सकेगी। इस प्रकार की अनेक रणनीतिक कुशलता वीर सावरकर के व्यक्तित्व में कूट-कूट के भरी थी, इसीलिए तो सभी भारतीय उन्हें 'वीर' के नाम से आज तक याद कर रहे हैं। उनके वीरता व देशभक्ति का सम्मान करते हुए कांग्रेस पार्टी की तत्कालीन सबसे प्रमुख नेता व भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1970 में सावरकर को महान देशभक्त बताते हुए डाक टिकट जारी किया था। ऐसे देशभक्त के व्यक्तित्व पर कीचड़ उछालने वालों से यह भी पूछा जाना चाहिए की वीर सावरकर के जीवन काल का कौन सा हिस्सा उन्होंने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए जिया? आचार्य रजनीश शुक्ल दैनिक जागरण के अपने एक लेख में ठीक लिखते हैं, "अक्सर लोग पूछते हैं सावरकर का गाँधी की हत्या से क्या संबंध था? वे यह भूल जाते हैं कि न्याय व्यवस्था ने उन्हें गाँधी के हत्या में शामिल होने के आरोप से मुक्त किया था।

डपसंहार- भारत अंग्रेजों के गुलामी से तो 1947 में ही मुक्त हो गया था किन्तु लंबे समय के मानसिक गुलामी ने भारत के 'स्व' को भारत के लोगों से दूर कर दिया था किन्तु पिछले एक दशक से भारत के लोगों में आत्म चेतना का अप्रतिम विकास देखने को मिला है, जिसकी वजह से हमारे राष्ट्र नायकों के चरित्र को धूमिल करने वाली ताकते हतोत्साहित नजर आ रहीं हैं किन्तु वे राष्ट्रीय धरोहरों पर अधिक आक्रामक भी।

भारत के इतिहास में वीर सावरकर के कर्म व प्रतिभा की छाप इतनी गहरी प्रतीत होती है की उनके व्यक्तित्व पे प्रश्न उठाने वालों का चरित्र स्वत: संदिग्धता के घेरे में आ जाती है। जबभी भारत का इतिहास भारतीय दृष्टिकोण से अपने वीरता की कहानी सुनाएगी तो उसमें भारत को अपना सर्वस्व समर्पित करने वाले वीर सावरकर के अदम्य साहस, बुद्धिमत्ता, पराक्रम, नेतृत्व क्षमता व राष्ट्रभक्ति का उल्लेख सहज ही हो उठेगा व इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस वीरगाथा से वर्तमान व आने वाली पीढ़ियाँ सदैव प्रेरणा लेती रहेंगी। देश के स्वतंत्रता के लिए किए गए उनके त्याग व समपर्ण का गान भारत का जन-गण-मन इसी प्रकारगाता रहेगा।

संदर्भ ग्रन्थ सूची-

1. वीर सावरकर, धन्जय कोर , पोपुलर प्रकाशन, आईएसबीएन 97-88-179916-6-67
2. द मराठा पत्रिका, अंक 19 मई 1938
3. अमर सेनानी सावरकर, सहीव कुमार गोयल, हिन्दी साहित्य सदन, 2007
4. सावरकर विचार दर्शन, विनायक दामोदर सावरकर, लोकहित प्रकाशन, लखनऊ

UGC Journal No. (Old) 40942,
Peer- Reviewed Research Journal
Impact Factor 5.125 (IIFS) ISSN 0973-3914
Vol.- 37, Hindi Edition, Year-19, July - Dec. 2022

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उत्तराखंड की महिलाओं का योगदान

• राजेश चन्द्र पालीवाल

सारांश- 1930 में नमक सत्याग्रह व पेशावर कांड की घटनाओं ने पहाड़ी की महिलाओं को सामूहिक रूप से ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आंदोलन के लिए प्रेरित किया। 5 मई 1930 को अल्मोड़ा के नंदा देवी मंदिर परिसर में पुरुष आंदोलनकारियों के साथ बड़ी संख्या में महिलाओं ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन किया। जिसमें महिलाओं का नेतृत्व भागुली देवी, कुथी देवी ने किया था। 25 मई 1930 को अल्मोड़ा नगर पालिका में राष्ट्रीय ध्वज फहराने को रोकने के लिए ब्रिटिश सरकार ने गोरखा सैनिकों को तैनात किया और आंदोलनकारियों पर हमले किए। उस समय बिशनी देवी शाह, दुर्गा देवी पंत, तुलसी देवी रावत, भक्ति देवी त्रिवेदी समेत कई महिलाओं ने राष्ट्रीय आंदोलन को व्यापक बनाने के लिए संगठन खड़ा किया। उत्तराखंड राज्य का अपना अलग ही इतहास हैं यहाँ कि नारियों ने कठिन चुनोतियों के बाबजूद सफलता का परचम लहराया हैं। कोई भी आन्दोलन उत्तराखंड में चला हो महिलाएं सबसे पहले सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध, अपने अधिकारों के लिए हमेशा लड़ी। देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ न्योछावर करने वाले गुमनाम नायकों का जब जिक्र होगा, तो बिशनी देवी साह को जरूर याद किया जाएगा। अल्मोड़ा की रहने वालीं बिशनी देवी उत्तराखंड की पहली महिला स्वतंत्रता सेनानी थीं। आजादी की लड़ाई में जेल जाने वालीं वह पहली महिला भी थीं। कुमाऊं के अल्मोड़ा में पहली बार बिशनी देवी ने ही तिरंगा फहराया था। स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास को देखा जाए तो उत्तराखंड की नारियों ने इस आंदोलन में अहम भूमिका निभाई है।

मुख्य शब्द - आजादी, शासन, स्वतंत्रता संग्राम, संघर्ष, उत्तराखंड, महिला, परिषद

उत्तराखंड की महिलाओं ने चुनौतियों का मुकाबला कर जन आंदोलनों को मुकाम तक पहुंचाया। बात चाहे स्वतंत्रता आंदोलन की हो या राज्य गठन के आंदोलन की। महिलाओं ने अपने संघर्ष से इन आंदोलन को कामयाबी दिलाई है। इसके अलावा प्रदेश में पेड़ की कटाई को रोकने के लिए चिपको आंदोलन और नशे बढ़ती प्रवृत्ति के खिलाफ भी महिलाओं ने आवाज को बुलंद किया। उत्तराखंडी महिलाएं अपने सीमित दायरे और सामाजिक रूढ़िवादिता के बावजूद हर समस्या के समाधान के लिए लड़ाई लड़ने में अग्रिम पंक्ति में रही हैं।

• प्राचार्य, हर्ष विद्या मंदिर पी.जी.कॉलेज, रायसी (हरिद्वार)

वर्तमान राज्य उत्तराखण्ड जिस भौगोलिक क्षेत्र पर विस्तृत है उस इलाके में ब्रिटिश शासन का इतिहास उन्नीसवीं सदी के दूसरे दशक से लेकर भारत की आजादी तक का है। उत्तराखण्ड में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन 1815 में हुआ। इससे पहले यहाँ नेपाली गोरखों का शासन था। यह भी माना जाता है कि गोरखा शासकों द्वारा इस इलाके के लोगों पर किये गये अत्याचारों को देखकर ही अंग्रेजों का ध्यान इस ओर गया।[1] हालाँकि अंग्रेजों और नेपाली गुरखाओं के बीच लड़े गये गोरखा युद्ध के अन्य कारण भी थे।

अल्मोड़ा में 27 अप्रैल 1815 को गोरखा प्रतिनिधि बमशाह और लेफ्टिनेंट कर्नल गार्डनर के बीच हुई एक संधि के बाद नेपाली शासक ने इस क्षेत्र से हट जाने को स्वीकारा और इस क्षेत्र पर ईस्ट इण्डिया कंपनी का अधिकार हो गया।[2] अंग्रेजों का इस क्षेत्र पर पूर्ण अधिकार 4 अप्रैल 1816 को सुगौली की सन्धि के बाद इस पूरे क्षेत्र पर हो गया और नेपाल की सीमा काली नदी घोषित हुई।[3] अंग्रेजों ने पूरे इलाके को अपने शासन में न रख अप्रैल 1815 में ही गढ़वाल के पूर्वो हिस्से और कुमायूँ के क्षेत्र पर अपना अधिकार रखा और पश्चिमी हिस्सा सुदर्शन शाह, जो गोरखों के शासन से पहले गढ़वाल के राजा थे, को सौंप दिया जो अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के पश्चिम में पड़ता था।[4]

इस प्रकार गढ़वाल दो हिस्सों में बंट गया, पूर्वी हिस्सा जो कुमाऊँ के साथ ब्रिटिश भारत का हिस्सा बन गया 'ब्रिटिश गढ़वाल' कहलाया और पश्चिमी हिस्सा राजा सुदर्शनशाह के शासन में इसकी राजधानी टिहरी के नाम पर टिहरी गढ़वाल कहलाने लगा। टिहरी को राजा सुदर्शन शाह द्वारा नयी राजधानी बनाया गया था क्योंकि पुरानी राजधानी श्रीनगर अब ब्रिटिश गढ़वाल में आती थी।[5] ब्रिटिश गढ़वाल को बाद में 1840 में यहाँ पौड़ी में असिस्टेंट-कमिशनर की नियुक्ति के बाद इस क्षेत्र को पौड़ी-गढ़वाल भी कहा जाने लगा, जबकि इससे पहले यह नैनीताल स्थित कुमाऊँ कमिश्नरी के अंतर्गत आता था। दूसरी ओर कुमाऊँ क्षेत्र के पुराने शासक चंद राजा को यह अधिकार नहीं मिला और यह ब्रिटिश भारत का हिस्सा बन गया और ब्रिटिश चीफ-कमीशनशिप के अंतर्गत शासित होने लगा, जिसकी राजधानी (कमिश्नरी) नैनीताल में स्थित थी। भारत की आजादी तक टिहरी रजवाड़ा और ब्रिटिश शासन के अधीन रहा यह क्षेत्र आजादी के बाद उत्तर प्रदेश राज्य में मिला दिया गया।

1856 से 1884 तक पौड़ी-गढवाल और कुमाऊँ क्षेत्र हेनरी रैमजे के शासन में रहा तथा यह युग ब्रिटिश सत्ता के शक्तिशाली होने के काल के रूप में पहचाना गया। जो भी प्रभाव यहाँ भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के पड़े उन्हें कमिश्नर हेनरी रैमजे ने कठोरता से समाप्त कर दिया। इस दौरान कुमाऊँ के काली क्षेत्र (पूर्वो) में कालू मेहरा द्वारा गुप्त संगठन बनाये जाने और विद्रोह की तैयारियों के प्रमाण मिलते हैं और कालू मेहरा को उत्तराखण्ड का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी माना जाता है। हालाँकि कुछ विद्वान यह मानते हैं कि कालू मेहरा और उसके साठी अवध के विद्रोहियों के सम्पर्क में अवश्य थे किन्तु वे अंग्रेज़ों और अवध के बागियों दोनों से गुप्त रूप से मिले रहकर जिसकी जीत हो उसके साथ जाने की मंशा रखते थे। यह भी तर्क दिया जाता है कि वे केवल आर्थिक लाभ के लिये दोनों पक्षों से सम्पर्क में थे और स्वतंत्रता से उनका कुछ लेना देना नहीं था।[6]

कुमाऊँ कमिश्नरी के मैदानी क्षेत्र अवश्य इस दौरान गदर से प्रभावित रहे जो कमिश्नर रैमजे के लिये चिंता का विषय बने। जुलाई 1857 में बकरीद के मौके पर रामपुर में विद्रोह भड़कने और उससे नैनीताल के प्रभावित होने की आशंका से रैमजे ने ब्रिटिश औरतों और बच्चों को नैनीताल से हटा कर अल्मोड़ा भेज दिया था, हालाँकि रामपुर के नवाब अंग्रेज़ों के सहयोगी थे। नैनीताल पर कब्जा करने का प्रथम प्रयास सितंबर 1857 में हुआ और 17 सितम्बर 1857 की एक घटना में मैदानी भाग में स्थित हल्द्वानी शहर पर विद्रोहियों ने कब्ज़ा भी कर लिया था जिसे बाद में अंग्रेजों ने वापस हासिल कर लिया। इस आक्रमण का नेतृत्व काला खान नामक विद्रोही कर रहा था।

इस प्रकार भारत के प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष के बहुत उल्लेखनीय प्रभाव इस क्षेत्र में नहीं देखने को मिलते और कुल मिलाकर कमिश्नर रैमजे का शासनकाल शान्तिपूर्ण शासन का काल माना जाता है। इसी दौरान सरकार के अनुरूप समाचारों का प्रस्तुतीकरण करने के लिये 1868 में समय विनोद तथा 1871 में अल्मोड़ा अखबार की शुरूआत हुयी। 1905 में बंगाल के विभाजन के बाद अल्मोड़ा के नंदा देवी नामक स्थान पर विरोध सभा हुयी। इसी वर्ष कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में उत्तराखंड से हरगोविन्द पंत, मुकुन्दीलाल, गोविन्द बल्लभ पंत, बदरी दत्त पाण्डे आदि युवक भी सम्मिलित हुये। 1906 में हरिराम त्रिपाठी ने वन्देमातरम् जिसका उच्चारण ही तब देशद्रोह माना जाता था, उसका कुमाऊँनी अनुवाद किया। भारतीय स्वतंत्रता आंन्दोलन की एक इकाई के रुप में उत्तराखंड में स्वाधीनता संग्राम के दौरान 1913 के कांग्रेस अधिवेशन में उत्तराखंड के ज्यादा प्रतिनिधि सम्मिलित हुये। इसी वर्ष उत्तराखंड के अनुसूचित जातियों के उत्थान के लिये गठित टम्टा सुधारिणी सभा का रूपान्तरण एक व्यापक शिल्पकार महासभा के रूप में हुआ। 1916 के सितम्बर माह में हरगोविन्द पंत, गोविन्दबल्लभ पंत, बद्रीदत्त पाण्डे, इन्द्रलाल साह, मोहनसिंह दड़मवाल, चन्द्रलाल साह, प्रेमबल्लभ पाण्डे, भोलादत पाण्डे, लक्ष्मीदत्त शास्त्री आदि उत्साही युवकों के द्वारा कुमाऊँ परिषद की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य तत्कालीन उत्तराखण्ड की सामाजिक तथा आर्थिक सम्स्याओं का समाधान खोजना था। 1926 तक इस संगठन ने उत्तराखण्ड में स्थानीय सामान्य सुधारों की दिशा के अतिरिक्त निश्चित राजनैतिक उद्देश्य के रूप में संगठनात्मक गतिविधियां संपादित कीं। 1923 तथा 1926 के प्रान्तीय काउन्सिल के चुनाव में गोविन्दबल्लभ पंत हरगोविन्द पंत मुकुन्दी लाल तथा बद्रीदत्त पाण्डे ने प्रतिपक्षियों को बुरी तरह पराजित किया।

1926 में कुमाऊँ परिषद का कांग्रेस में विलीनीकरण कर दिया गया। 1927 में साइमन कमीशन की घोषणा के तत्काल बाद इसके विरोध में स्वर उठने लगे और जब 1928 में कमीशन देश में आया तो इसके विरोध में 29 नवम्बर 1928 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 16 व्यक्तियों की एक टोली ने विरोध किया जिस पर घुड़सवार पुलिस ने निर्ममता पूर्वक डंडो से प्रहार किया। जवाहरलाल नेहरू को बचाने के लिये गोविन्दबल्लभ पंत पर हुये लाठी के प्रहार के शारीरिक दुष्परिणाम स्वरूप वे बहुत दिनों तक कमर सीधी न कर सके थे। (संदर्भ: नेहरू एन आटोबाइग्राफी)।

उत्तराखंड की महिलाओं ने चुनौतियों का मुकाबला कर जन आंदोलनों को मुकाम तक पहुंचाया। बात चाहे स्वतंत्रता आंदोलन की हो या राज्य गठन के आंदोलन

की। महिलाओं ने अपने संघर्ष से इन आंदोलन को कामयाबी दिलाई है। इसके अलावा प्रदेश में पेड़ को कटाने को रोकने के लिए चिपको आंदोलन और नशे बढ़ती प्रवृत्ति के खिलाफ भी महिलाओं ने आवाज को बुलंद किया। उत्तराखंडी महिलाएं अपने सीमित दायरे और सामाजिक रूढ़िवादिता के बावजूद हर समस्या के समाधान के लिए लड़ाई लड़ने में अग्रिम पंक्ति में रही हैं। उन्होंने अपने आंचल को हमेशा ही इंकलाबी परचम बना दिया। स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास को देखा जाए तो उत्तराखंड की नारियों ने इस आंदोलन में अहम भूमिका निभाई है। 1930 में नमक सत्याग्रह व पेशावर कांड की घटनाओं ने पहाड़ी की महिलाओं को सामूहिक रूप से ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आंदोलन के लिए प्रेरित किया। 5 मई 1930 को अल्मोड़ा के नंदा देवी मंदिर परिसर में पुरुष आंदोलनकारियों के साथ बड़ी संख्या में महिलाओं ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन किया। जिसमें महिलाओं का नेतृत्व भागुली देवी, कुथी देवी ने किया था। 25 मई 1930 को अल्मोड़ा नगर पालिका में राष्ट्रीय ध्वज फहराने को रोकने के लिए ब्रिटिश सरकार ने गोरखा सैनिकों को तैनात किया और आंदोलनकारियों पर हमले किए। उस समय बिशनी देवी शाह, दुर्गा देवी पंत, तुलसी देवी रावत, भक्ति देवी त्रिवेदी समेत कई महिलाओं ने राष्ट्रीय आंदोलन को व्यापक बनाने के लिए संगठन खड़ा किया। अल्मोड़ा में आंदोलनकारी महिला कुंती देवी वर्मा, मंगला देवी, भागीरथी देवी, जीवंती देवी व रेवती देवी को मदद देने के लिए स्वयं बद्री दत्त पांडे, देवी दत्त पंत ने साथ दिया। उनकी वीरता ने पूरे पहाड़ को प्रोत्साहित किया और महिलाओं ने झंडारोहण करने में सफलता मिली।

देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ न्योछावर करने वाले गुमनाम नायकों का जब जिक्र होगा, तो बिशनी देवी साह को जरूर याद किया जाएगा। अल्मोड़ा की रहने वालीं बिशनी देवी उत्तराखंड की पहली महिला स्वतंत्रता सेनानी थीं। आजादी की लड़ाई में जेल जाने वालीं वह पहली महिला भी थीं। कुमाऊं के अल्मोड़ा में पहली बार बिशनी देवी ने ही तिरंगा फहराया था। आजादी की लड़ाई में वह जेल भी गईं। 73 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई थी।[7] उत्तराखंड राज्य आंदोलन में महिलाओं की अहम भूमिका रही है। 1994 में उत्तराखंड की महिलाओं ने अलग राज्य की मांग को लेकर सड़कों पर उतर कर आंदोलन किया। उत्तराखंड को अलग राज्य का दर्जा दिलाने में जितना योगदान यहां के पुरुष वर्ग ने दिया उससे कई गुना अधिक योगदान यहां की महिलाओं ने दिया। इस आंदोलन के दौरान घटित मुजफ्फरनगर कांड महिलाओं की सक्रिय भागीदारी की याद दिलाता है। इस आंदोलन के दौरान आंदोलनकारी महिलाएं हंसा धनाई एवं बेलमती चौहान शहीद हो गई थीं। वह सन 1994 का वर्ष ही था जिसने उत्तराखंड की मातृशक्ति को घर-बार चूल्हा-चौका छोड़ हाथों में दराती लिए सड़कों पर उतार दिया था। आंदोलन में स्व. कौशल्या डबराल समेत सुशीला बलूनी, द्वारिका बिष्ट, कमलापंत, धनेश्वरी देवी, निर्मला बिष्ट, जगदंबा रतूड़ी, शकुंतला गुसाई, स्व. शकुंतला मैठानी, कलावती जोशी, यशोदा रावत, उषा नेगी, विमला कोठियाल विमला नौटियाल समेत तमाम उत्तराखंड की महिलाओं के संघर्ष से राज्य गठन का सपना साकार हुआ है।[8] जब उत्तराखंड में सड़कें नहीं थी पानी, बिजली, स्वास्थ्य सुविधा नहीं थी तब भी वो अपने सीमित संसाधनों से लगातार अपने हक के लिए लड़ती रही हैं और उन्होंने इसी संघर्ष से अपने अधिकारों को

प्राप्त भी किया हैं। उत्तराखंड की महिलाओं ने अपने अधिकारों की लड़ाई स्वयं लड़ी और खुद को साबित किया हैं कि वे हर सामाजिक बुराई के खिलाफ लड़ने में सक्षम हैं और अपने श्रम के द्वारा उसने हर वो जीत हासिल की हैं जो विकास के लिए देश के लिए राज्य के लिए जरूरी थी उत्तराखंड की वीर महिलाओं को नमन।

संदर्भ ग्रन्थ सूची-

1. भसीन, अनीस. भारत के राज्य. प्रभात प्रकाशन. पृ. 47-48. मूल से 5 मार्च 2016 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 6 जून 2015.
2. "History of Uttaranchal"- मूल से 4 मार्च 2016 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 6 जून 2015.
3. "Notes on Nepal"- मूल से 4 मार्च 2016 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 6 जून 2015.
4. Robert Montgomery Martin] History of the Possessions of the Honourable East India Company] Volume 1] pg- 107
5. Tehri – History Archived 2008&09&23 at the Wayback Machine New Tehri Official website-
6. मित्तल, अरुण कुमार. British Administration in Kumaon Himalayas: A Historical Study] 1815&1947- पृ. 17-18. मूल से 4 मार्च 2016 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 6 जून 2015.
7. https:@@hindi-news18com@news@uttarakhand@almora& bishni &devi&sah&uttarakhand&first&woman&freedom &fighter&3812981-html
8. https:@@www-amarujala com@dehradun@uttarakhand&election&2022 &women&from&mountain&always&active&in&many&movements

UGC Journal No. (Old) 40942,
Peer- Reviewed Research Journal
Impact Factor 5.125 (IIFS) ISSN 0973-3914
Vol.- 37, Hindi Edition, Year-19, July - Dec. 2022

डॉ. लोहिया का सांस्कृतिक चिन्तनः रामायण मेला योजना के विशेष सन्दर्भ में

• सुधा गुप्ता

सारांश- डॉ. राम मनोहर लोहिया एक राजनीतिक विचारक होने के साथ-साथ एक प्रबुद्ध सांस्कृतिक चिन्तक भी थे। एक सांस्कृतिक चिंतक के रूप में भारत के प्रसिद्ध तीर्थ चित्रकूट में रामायण मेले के अन्तर्राष्ट्रीय महोत्सव की मौलिक एवं विराट परिकल्पना उनकी अमर उपलब्धि है। रामायण मेले के माध्यम से वे समस्त एशिया को सांस्कृतिक एवं भावनात्मक सूत्र में बांधकर मानवीय मूल्यों का प्रसार करना चाहते थे। भले ही वे अनीश्वरवादी कहे जाते थे लेकिन वास्तव में वे बहुत बड़े आस्तिक थे। शिव में उनकी आस्था थी क्योंकि उन्होंने जगत के कल्याण हेतु स्वयं विषपान किया था। श्रीराम से उनकी पूर्ण घनिष्ठता थी। गांधी जी की तरह वे भी यह जानते थे कि भारत जैसे देश में जहां संस्कृति एवं धर्म की जड़ें बहुत गहरी है, वहाँ धर्म एवं संस्कृति को छोड़कर केवल राजनीति की बात करना असंगत है। उनकी दृष्टि में राजनीति एवं धर्म एक ही सिक्के के दो पहलू है। धर्म का कार्य है अच्छाई की स्थापना करना एवं राजनीति का कार्य बुराई से लड़ना है। रामायण मेले के आयोजन के माध्यम से वे सम्पूर्ण भारत एवं विश्व को एकता के सूत्र में बांधना चाहते थे। भले ही उनका यह स्वप्न पूरा नहीं हो सका परन्तु उनके निधन के बाद उनके अनुयायियों ने रामायण मेले का आयोजन किया।डॉ. लोहिया में सांस्कृतिक चेतना बहुत गहरी एवं विस्तृत थी। उनकी पकड़ एक कवि की और उनका चिन्तन एक दार्शनिक था। और उनका व्यवहार एक वैज्ञानिक का था। उनकी राजनीतिक संचेतना संस्कृति विमुख नहीं थी। डॉ. लोहिया को देश के सामाजिक सांस्कृतिक बोध की गहन एवं व्यापक समझ थी। गांधी जी की भांति वे भी यह अच्छी तरह समझते थे कि भारतीय जनजीवन की चेतना की जड़ें एक सुदीर्घ परम्परा, समृद्ध संस्कृति एवं सुविचारित धर्म की मिट्टी में दृढ़ता के साथ जमी हुई है।

मुख्य शब्द - सांस्कृतिक चिन्तक, परिकल्पना, भावनात्मक, मानवीय मूल्य

एक राजनीतिक विचारक होने के साथ ही डॉ. राम मनोहर लोहिया एक सांस्कृतिक चिन्तक भी थे। सांस्कृतिक चिन्तक के रूप में रामायण मेला की परिकल्पना उनकी अमर उपलब्धि है। रामायण मेला के द्वारा वे समस्त एंाया को सांस्कृतिक एवं

• प्राध्यापक (राजनीतिशास्त्र), महारानी लक्ष्मीबाई कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, शासकीय स्वशासी उत्कृष्ट महाविद्यालय, ग्वालियर, म.प्र.)

भावनात्मक एकता के सूत्र में बांधकर मानवता के व्यापक वृत्तों का निर्माण करना चाहते थे। वे सीमाबद्ध लघु मानव को मुक्त एवं विराट मानव के रूप में ढालने का प्रयास करने वाले महान भारतीय चिन्तक थे।[1] डॉ. लोहिया सार्त्र की तरह अनीश्वर वादी थे एवं मंदिर और मूर्ति में विश्वास नहीं रखते थे। वे इन्हें केवल ढकोसला मानते थे। उनकी दृष्टि में अपनेपन की अनुभूति का होना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यदि हम गहराई से लोहिया के आध्यात्मिक जीवन से संबंधित विचारों का अध्ययन करें तो स्पष्ट होता है कि वस्तुतः डॉ. लोहिया बहुत बड़े आस्तिक थे। उनकी शिव में गहन आस्था थी क्योंकि वे स्वयं विष पीकर दूसरों को सुख देने वाले थे। वे श्रीराम को भारत की संस्कृति का आधार मानते थे। उनसे तो वे इतनी घनिष्ठता स्थापित कर चुके थे कि उनको अनेक बार अपने में साकार कर लिया करते थे और उसमें इतना मशगूल हो जाते थे कि श्रीराम से उनकी तनिक भी दूरी शेष नहीं रहती । वे कहा करते थे हे भारत माता ! हमें शिव का मस्तिक दो, कृष्ण का ह्रदय और राम का कर्म और वचन दो । हमें असीम मस्तिष्क और उन्मुक्त ह्रदय के साथ-साथ जीवन की मर्यादा से रचो ।[2]

डॉ. लोहिया को जब भी अपने व्यस्त कार्यक्रम में से अवकाश मिला वे गाँव एवं तीर्थ की ओर एकाकी चल दिए। भारत की चप्पा-चप्पा भूमि का उन्होंने स्पर्श किया था और उसकी धूलि को माथे से लगाकर अपने को गौरवान्वित किया था। भारत के तीर्थों, गाँवों, नदियों, प्रपातों आदि के प्रति उनमें विशेष लगाव था और गहरी श्रद्धा थी। सारनाथ, रामेश्वरम्, महाबलीपुरम,कोणार्क, अजन्ता, एलोरा आदि से वे बहुत प्रभावित थे। वहां की वास्तुकला, मूर्तिकला, प्राचीन संस्कृति आदि के बारे में उनका ज्ञान अत्यन्त सूक्ष्म एवं व्यापक था। डॉ. लोहिया में सांस्कृतिक चेतना बहुत गहरी एवं विस्तृत थी। उनकी पकड़ एक कवि की और उनका चिन्तन एक दार्शनिक था। और उनका व्यवहार एक वैज्ञानिक का था। उनकी राजनीतिक संचेतना संस्कृति विमुख नहीं थी।[3]

डॉ. राममनोहर लोहिया ने विश्व व्याप्त समस्त रामकथा साहित्य के 'रामायण' की ओर रामकथा संबंधी सम्मेलन को मेले की संज्ञा देकर चित्रकूट में रामायण मेला आयोजित करने का संकल्प किया था । उन्होंने 1960 में अपने चित्रकूट निवास के समय अन्तर्राष्ट्रीय रामायण मेला को आयोजित करने का स्वप्न देखा था। यद्यपि उनका यह स्वप्न पूरा नहीं हो सका था। कुछ कारणोंवश उन्होंने स्वयं 1961में रामायण मेला के आयोजन को स्थगित करने की घोषणा की थी।

वास्तव में डॉ. लोहिया की रामायण मेला की योजना संप्रदायवाद और राष्ट्रवाद की संकीर्णता और सीमाबद्धता के विरूद्ध चलाए जाने वाले अभियानों की श्रंखला की पहली कड़ी थी। उनकी मानव मुक्ति की अन्य योजनाएँ थीं। रंगभेद से मुक्ति, वर्णभेद से मुक्ति, नारी की मुक्ति, जातिभेद से मुक्ति, युद्ध से मुक्ति। इन परिकल्पनाओं के पीछे लोहिया का उद्देश्य मानव को स्वायत्त निर्भय एवं सुखी बनाना था। रामकथा इस लक्ष्य की पूर्ति का सर्वोत्तम एवं कालसिद्ध साधन है।[4]

डॉ. लोहिया को देश के सामाजिक सांस्कृतिक बोध की गहन एवं व्यापक समझ थी। गांधी जी की भांति वे भी यह अच्छी तरह समझते थे कि भारतीय जनजीवन की चेतना की जड़ें एक सुदीर्घ परम्परा, समृद्ध संस्कृति एवं सुविचारित धर्म की मिट्टी में दृढ़ता के

साथ जमी हुई है। अतः ऐसे समाज के सामने धर्म एवं संस्कृति का स्पर्श किए बिना राजनीति की बात करना असंगत, अप्रभावी और अलाभकर है।[5] इसलिए डॉ. लोहिया ने राजनीति के परिप्रेक्ष्य में ही धर्म और संस्कृति का अध्ययन किया। अपने गहन अध्ययन के पश्चात् उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि मूलतः राजनीति एवं धर्म अलग-अलग नहीं, वरन् एक ही सिक्के के दो पहलू है। इस प्रकार उन्होंने सामाजिक जीवन के दोनों पक्षों को सक्रिय बनाया। उनके अनुसार "धर्म श्रेयस की उपलब्धि का प्रयत्न करता है और राजनीति बुराई से लड़नी।"[6] डॉ. लोहिया का कहना कि धर्म दीर्घकालीन राजनीति है और राजनीति अल्पकालीन धर्म। धर्म का कार्य है अच्छाई करें और उसकी स्तुति करें और राजनीति का काम है बुराई से लड़े और उसकी निन्दा करें। पर जब धर्म अच्छाई न करके स्तुति भर करता है तो वह निष्प्राण हो जाता है और जब राजनीति बुराई से नहीं लड़ती केवल निन्दाभर करती है तो वह कलही हो जाती है। इसलिए आवश्यक है कि, धर्म एवं राजनीति के मूलभूत स्वरूप को समझा जाए। धर्म और राजनीति का अविवेकी मिलन दोनों को भ्रष्ट कर देता है।[7] धर्म की निष्प्राणता दूर करने के लिए तथा राजनीति को कलही होने से बचाने के लिए डॉ. लोहिया ने दोनों के व्यावहारिक एवं समन्वित रूप को अपनाने पर जोर दिया।

डॉ. लोहिया की दृष्टि में रामायण मेले का आयोजन कुछ उद्देश्यों के लिए है जैसे 1. आनन्द 2. दृष्टि 3. रस संसार 4.हिन्दुस्तानी को बढ़ावा देना। वास्तव में डॉ. लोहिया की मान्यता यह थी कि तुलसी एवं रामायण इस देश के जनजीवन में स्थाई स्थान रखते है। रामायण उत्तर और दक्षिण की एकता का प्रमुख ग्रन्थ है और राम हिन्दुस्तान की उत्तर-दक्षिण एकता के प्रमुख देवता। राम की पूर्णता मर्यादित व्यक्तित्व में है। राम समन्वय के प्रतीक है। न्याय के लिए संघर्ष के प्रतीक है। वे जनता के प्रति नायक के विश्वास के प्रतीक है। राम आनंद सागर है। डॉ. लोहिया की दृष्टि में रामायण शांत रस का सागर है और तुलसी शांत रस की सीमा। फलतः राम, रामायण और तुलसी का महत्व हमारे सांस्कृतिक जीवन में सर्वोपरि है। रामायण मेले में इसी सांस्कृतिक विरासत का लेखा-जोखा दिया जायेगा।[8]

डॉ. लोहिया की इच्छा थी कि यह मेला अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सांस्कृतिक स्थापनाओं से परिचय कराने तथा वि'व के मानव को एक दूसरे के पास लाने के लिए आयोजित किया जाए। वे सम्पूर्ण भारत को एक स्थान पर एक होते हुए देखना चाहते थे। उनका कहना था कि मेले में कविता,भाषण, भजन, कीर्तन, नाटक आदि का आयोजन हो। तुलसी रामायण की तुलना अन्य भारतीय भाषाओं की रामायणों से की जाए। इसके लिए हिन्दी के विद्वानों के अतिरिक्त तमिल, तेलगू, कन्नड, मलयालम, उड़िया, बंगला, गुजराती, मराठी आदि समस्त भारतीय भाषाओं के रामायण के मर्मज्ञ मनीषियों को बुलाया जाए। इसके अतिरिक्त रूस, चीन, जापान, श्रीलंका, जावा, इंग्लैण्ड एवं जर्मनी आदि क्षेत्रों के विद्वानों को भी आमंत्रित किया जाए।

डॉ. लोहिया चाहते थे कि मेले में रामायण का मूल पाठ हो, इसके अतिरिक्त देशी भाषाओं में लिखित रामायणों के अतिरिक्त रूसी आदि विदेशी भाषाओं में प्राप्त रामायणों को भी सुना जाए एवं तुलसीकृत रामायणों से उनकी समीक्षा की जाए। डॉ.

लोहिया का कहना था कि गांधी जी ने 'राम राज्य' की परिकल्पना की थी। परन्तु वे इससे भी आगे जाकर 'सीता राम राज्य' की स्थापना करना चाहते थे। उनका विचार था कि यदि घर-घर में सीताराम राज्य पहुँच जाए तो स्त्री एवं पुरूष या पति-पत्नी के आपसी रिश्ते भी मधुर बनेंगे।

डॉ. लोहिया का स्पष्ट मत था कि रामायण मेले की योजना के पीछे कोई राजनीति मंशा नहीं है। रामायण मेले के आयोजन का सर्वप्रथम उद्देश्य देश की संस्कति, चेतना को विकसित करना था। इसके अतिरिक्त इस मेले के माध्यम से देश में एकता की लहर बढ़ेगी। एशियाई देशों के साथ सम्बन्ध मधुर होंगे तथा उन देशों की जनता के बीच भ्रातृत्व की भावना का विकास होगा। यद्यपि उनकी रामायण मेले की योजना की बहुत से लोगों ने आलोचना की। उन पर अनेक आक्षेप लगाए परन्तु उन्होंने अपने किसी भी भाषण में अपने आलोचकों की आलोचना नहीं की और न ही उनकी बातों का उत्तर दिया। उनके देहान्त के कुछ वर्षों बाद चित्रकूट में रामायण मेले का आयोजन भी किया गया और रामायण मेले के माध्यम से देश की संस्कृति एवं सांस्कृतिक चेतना को सामने को सामने लाने की पूरी कोशिश भी की गई है।

निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि डॉ. राममनोहर लोहिया एक राजनीतिज्ञ होने के साथ-साथ भारतीय संस्कृति से बहुत अधिक जुड़े हुए थे। वे राजनीतिक परिवर्तन की अपेक्षा सांस्कृतिक परिवर्तन को अधिक महत्व देते थे। वर्तमान के वैज्ञानिक एवं तकनीकि युग में भले ही पुराने मूल्यों, परम्पराओं एवं उपलब्धियों को नकार दिया जाता है,परन्तु प्रबुद्ध एवं दूरदर्शी डॉ. लोहिया ने रामकथा में जीवन के विकासशील तत्वों को पहचान कर उनकी महत्ता को स्वीकार किया था। इसलिए उनकी यह दृढ़ इच्छा थी कि रामायण मेला आयोजन के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक चेतना को नए संदर्भों में पुनर्जीवित किया जाए । निश्चित रूप से वे एक मानवतावादी चिन्तक थे और रामायण मेले की योजना द्वारा सम्पूर्ण देश को एकता के सूत्र में बांधकर जनमानस में सांस्कृतिक एवं मानवीय मूल्यों को नये संदर्भों में प्रतिष्ठित करना चाहते थे। उनकी प्रबुद्ध दूरदृष्टि और इस महान उद्देश्य को भले ही उस समय लोगों ने नहीं समझा परन्तु आने वाले समय में डॉ. लोहिया के महत्वपूर्ण विचार देश में बदली परिस्थितियों के अन्तर्गत नए संदर्भों में सांस्कृतिक चेतना एवं मानव मूल्यों को पुनः स्थापित करने में उपयोगी सिद्ध होंगे।

संदर्भ ग्रन्थ सूची-

1. शास्त्री, बाबूलाल गर्ग, रामायण मेला और लोहिया संस्मरण, भारती भवन प्रकाशन, कर्वी उ. प्र. 1972 पृ.01
2. भटनागर, डॉ. राजेन्द्र मोहन समग्र लोहिया, किताब घर नई दिल्ली, प्रथम संस्करण 1982 प्र. सं. 172
3. वही, पृ.सं. 172
4. शास्त्री बाबूलाल गर्ग, रामायण मेला और लोहिया संस्करण भारती भवन प्रकाशन पृ.सं. 01
5. वही, पृ.सं. 11
6. राम मनोहर लोहिया, मर्यादित उन्मुक्त और असीमित व्यक्तित्व और रामायण मेला,

हैदराबाद, राममनोहर लोहिया समता विद्यालय, न्यास 1969 पृ.28
7. भटनागर, डॉ.राजेन्द्र मोहन, समग्र लोहिया, पृ.सं. 173
8. वही, पृ.सं. 174

UGC Journal No. (Old) 40942,
Peer- Reviewed Research Journal
Impact Factor 5.125 (IIFS) ISSN 0973-3914
Vol.- 37, Hindi Edition, Year-19, July - Dec. 2022

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना का समाजशास्त्रीय अध्ययन (आगरा जिले के पिनाहट विकासखण्ड के विशेष संदर्भ में)

• भूरी सिंह

•• अतुल कुमार

सारांश- महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना (मनरेगा) ग्रामवासियों के उनके निवास स्थल पर रोजगार उपलब्ध कराने, उनके जीवन स्तर में सुधार लाने तथा उनको विकास की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु केन्द्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इसमें प्रत्येक राज्य की सरकार महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण अधिनियम के अनुरूप एक योजना तैयार करती है। जिसके माध्यम से प्रत्येक ग्रामवासी परिवार को रोजगार की गारण्टी एवं प्रतिष्ठापूर्ण जीवन जीने के अधिकार को साकार करने का प्रयास किया जाता है। अन्य योजनाओं से यदि इसकी तुलना की जाये तो मनरेगा वास्तव में जनता द्वारा जनता के लिए और जनता की योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य हर हाथ को काम और हर काम को दाम है। यह योजना ग्रामवासियों को रोजगार प्राप्त करने में सहायक हुई है तथा इस योजना के कारण ग्रामवासियों को सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

मुख्य शब्द - मनरेगा, ग्रामवासी, परिवार, रोजगार

प्रस्तावना- भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ की कृषि मानसून पर निर्भर है। इसलिए अतिवृष्टि या अल्पवृष्टि के कारण यहाँ पर बेरोजगारी की समस्या विकराल रूप में विद्यमान है तथा जिस अनुपात में जनसंख्या वृद्धि हो रही है, उस अनुपात में कृषि एवं कृषि आधारित कार्यों पर ग्रामवासियों को रोजगार उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। अतः ग्रामवासियों को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक अत्यंत महत्वपूर्ण योजना महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना (मनरेगा) जम्मू कश्मीर को छोड़कर सम्पूर्ण भारत वर्ष में फरवरी 2006 में लागू की गयी। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के प्रत्येक परिवार को कम से कम 100 दिन का शारीरिक श्रम युक्त रोजगार की

• **शोध छात्र, समाजशास्त्र विभाग, आदर्श कृष्ण महाविद्यालय, शिकोहाबाद, डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा**

•• **एसोसिएट प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, समाजशास्त्र विभाग, आदर्श कृष्ण महाविद्यालय, शिकोहाबाद डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा**

गारण्टी दी जाती है। यह पहली ऐसी योजना है, जिसमें गारण्टी युक्त रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। यह उल्लेखनीय है, कि 5 सितम्बर 2005 को पारित और 2 फरवरी 2006 को लागू इस योजना को गाँधी जयंती (2 अक्टूबर 2009) के अवसर पर अब मनरेगा 'महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना' के नाम से जाना जाता है। वर्तमान समय में यह योजना देश के अन्य क्षेत्रों के साथ ही साथ उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा जिले के पिनाहट विकासखण्ड में भी लागू है। किन्तु इस क्षेत्र विशेष के ग्रामीण समाज पर इस योजना के प्रभाव का समाजशास्त्र की दृष्टिकोण से मूल्यांकन आदि पर्यन्त नहीं किया गया। शोधार्थी समाजशास्त्र का विद्यार्थी है, तथा इस क्षेत्र विशेष से जुड़ा है। यही कारण है कि महात्मा गाँधी राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी योजना का समाजशास्त्रीय अध्ययन करने का निश्चय किया।

अध्ययन के उद्देश्य- हमारे देश में महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2 सितम्बर 2005 को अस्तित्व में आया। जो फरवरी 2006 से देश तथा प्रदेश के साथ ही आगरा जिले में भी लागू है। शोधार्थी का मुख्य उद्देश्य आगरा जिले के पिनाहट विकासखण्ड में महात्मा गाँधी ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना का समाज पर प्रभाव की वास्तविक स्थिति का अध्ययन करना है तथा इसकी उपादेयता एवं वास्तविकता को प्रकट कर इसके उद्देश्य पूर्ति में इस शोध अध्ययन के माध्यम से अपनी सहभागिता प्रदान करना भी है। इस शोध अध्ययन के निम्नलिखित महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं –

1. शोध क्षेत्र में मनरेगा के प्रभाव से रोजगार प्राप्ति की वास्तविक स्थिति ज्ञात करना।
2. शोध क्षेत्र में मनरेगा के परिणाम स्वरूप समाज पर पड़ने वाले प्रभाव की वास्तविक स्थिति ज्ञान करना।

शोध विधियाँ एवं शोध उपकरण- इस शोध अध्ययन में उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा जिले के पिनाहट विकासखण्ड के ग्रामीणों से महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना का उनके सामाजिक–आर्थिक जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव की जानकारी हेतु तथ्यों का संकलन किया गया है। जिसमें से महत्वपूर्ण शोध उपकरण के रूप में साक्षात्कार अनुसूची एवं अवलोकन प्रविधि का प्रयोग किया गया है। अपने अध्ययन हेतु शोधार्थी ने पिनाहट विकासखण्ड की कुल ग्रामीण जनसंख्या में से 200 लोगों को न्यादर्श में चयनित किया है। शोधार्थी द्वारा सभी न्यादर्शों का चयन पिनाहट विकासखण्ड की भौतिक एवं सामाजिक संरचना को ध्यान में रखते हुए दैव निदर्शन विधि से किया गया है। शोधार्थी द्वारा शोध उपकरणों के माध्यम से संकलित प्रदत्तों का सारणीयन, विश्लेषण एवं व्याख्या की गयी। जो इस प्रकार है –

तालिका क्रमांक 01
शोध क्षेत्र में विभिन्न आयु समूहों के लोगों
पर मनरेगा के प्रभाव से रोजगार प्राप्ति की वास्तविक स्थिति

क्र.सं.	आयु वर्ग	न्यादर्श	मनरेगा योजना के तहत रोजगार			
			रोजगार मिला		रोजगार नहीं मिला	
			आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	18 वर्ष से अधिक	50	38.00	76.00	12.00	24.00
2.	25 वर्ष से 35 वर्ष तक	50	40.00	80.00	10.00	20.00
3.	35 वर्ष से 55 वर्ष तक	50	36.00	72.00	14.00	28.00
4.	55 वर्ष से अधिक	50	26.00	52.00	24.00	4800
	योग	200	140	70.00	60	30.00

उपरोक्त तालिका क्रमांक 01 के विश्लेषण एवं व्याख्या से यह स्पष्ट होता है कि शोध क्षेत्र पिनाहट विकासखण्ड के न्यादर्श में चयनित विभिन्न आयु वर्ग के कुल 200 ग्रामीणों में से 140 ग्रामीणों को महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के तहत रोजगार नहीं मिल पाया है। इससे यह तथ्योद्घाटन होता है कि शोध क्षेत्र पिनाहट विकासखण्ड में विभिन्न आयु वर्ग के 70.00 प्रतिशत ग्रामीण लोगों को महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के महत रोजगार मिला है। जबकि 30.00 प्रतिशत ग्रामीण लोगों को महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के तहत रोजगार नहीं मिल पाया है।

तालिका क्रमांक 02
शोध क्षेत्र में लिंग के आधार पर
मनरेगा के प्रभाव से रोजगार प्राप्ति की वास्तविक स्थिति

क्र.सं.	लिंग	न्यादर्श	मनरेगा योजना के तहत रोजगार			
			रोजगार मिला		रोजगार नहीं मिला	
			आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	पुरूष	100	76	76.00	24	24.00
2.	महिला	100	64	64.00	36	36.00
	योग	200	140	70.00	60	30.00

उपरोक्त तालिका क्रमांक 02 के विश्लेषण एवं व्याख्या से यह स्पष्ट होता है कि शोध क्षेत्र पिनाहट विकासखण्ड के न्यादर्श में चयनित कुल 100 ग्रामीण पुरूषों में से 76 पुरूषों को मनरेगा योजना के तहत रोजगार मिला है जबकि 24 पुरूषों को इस योजना के तहत रोजगार नहीं मिल पाया है। इसी प्रकार से न्यादर्श में चयनित कुल 100 महिलाओं में से 64 महिलाओं को मनरेगा योजना के तहत रोजगार मिला है, जबकि 36 महिलाओं को इस योजना के तहत रोजगार नहीं मिल पाया है। इससे यह तथ्योद्घाटन होता है, कि शोध क्षेत्र पिनाहट विकासखण्ड में 76.00 प्रतिशत ग्रामीण पुरूषों को महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के तहत रोजगार मिला है, जबकि 24.00 प्रतिशत पुरूषों को इस योजना के तहत रोजगार नहीं मिल पाया है। इसी प्रकार से शोध क्षेत्र की 64.00 प्रतिशत ग्रामीण महिलाओं को महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के तहत रोजगार मिला है। जबकि 36.00 प्रतिशत महिलाओं को इस योजना के महत रोजगार नहीं मिल पाया है।

तालिका क्रमांक - 3
शोध क्षेत्र में मनरेगा के परिणाम
स्वरूप समाज पर पड़ने वाले प्रभाव की वास्तविक स्थिति

क्र.सं.	वर्ग	न्यादर्श	मनरेगा के परिणाम स्वरूप समाज पर प्रभाव			
			सकारात्मक प्रभाव पड़ा है		कोई प्रभाव नहीं पड़ा है	
			आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	सामान्य वर्ग	50	14	28.00	36	72.00
2.	पिछड़ा वर्ग	50	34	68.00	16	32.00
3.	अनुसूचित वर्ग	50	43	86.00	07	14.00
4.	अन्य	50	37	74.00	26	52.00
	योग	200	128	64.00	72	36.00

उपरोक्त तालिका क्रमांक 03 के विश्लेषण एवं व्याख्या से यह स्पष्ट होता है कि शोध क्षेत्र पिनाहट विकासखण्ड के विभिन्न वर्गों के न्यादर्श में चयनित कुल 200 ग्रामीणों में से 128 ग्रामीणों का यह मानना है, कि महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के परिणामस्वरूव समाज पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। जबकि 72 ग्रामीणों का यह मानना है कि महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के परिणामस्वरूप समाज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। इससेयह तथ्योद्घाटन होता है कि शोध क्षेत्र पिनाहट विकासखण्ड के 64.00 प्रतिशत ग्रामीणों का यह मानना है कि महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी के परिणामस्वरूप समाज में सकारात्मक प्रभाव पड़ा है जबकि शोध क्षेत्र के 36.00 प्रतिशत ग्रामीण यह मानते हैं कि महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजन के परिणामस्वरूप समाज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

निष्कर्ष- इस प्रकार शोध क्षेत्र पिनाहट विकास खण्ड में विभिनन आयु वर्ग के 70.00 प्रतिशत ग्रामीण लोगों को महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के तहत रोजगार मिला है। इसमें 76.00 प्रतिशत पुरूषों एवं 64.00 प्रतिशत महिलाओं को ही इस योजना के तहत रोजगार मिल पाया है (तालिका संख्या-1) जबकि 30.00 प्रतिशत ग्रामीण लोगों को महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के तहत रोजगार नहीं मिल पाया है जिसमें 24.00 प्रतिशत पुरूष एवं 36.00 प्रतिशत महिलाएँ हैं (तालिका संख्या-2) इसी प्रकार से शोध क्षेत्र के 64.00 प्रतिशत ग्रामीण यह मानते हैं कि महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के परिणामस्वरूप समाज पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। जबकि शोध क्षेत्र के 36.00 प्रतिशत ग्रामीण का यह मानना है कि महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के परिणामस्वरूप समाज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। (तालिका संख्या-3)

संदर्भ ग्रन्थ सूची-

- शर्मा, महेश (2008) महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम
- सिंह, विक्रम (2014) भारत के ग्रामीण विकास में मनरेगा का योगदान एवं चुनौतियाँ, राधाकमल मुखर्जी चिन्तन परम्परा निर्गमन। जनवरी-जून 2014, अंक 16 (1), पृ.सं. -167-170
- पाल, चन्द्र एवं कुमार, धर्मेन्द्र (2018) मनरेगा योजना प्रभावों एवं उपलब्धियों का एक

विश्लेषणात्मक अध्ययन, रिसर्च गुरू, ऑनलाइन जर्नल ऑफ मल्टीडिसीप्लीनरी सब्जेक्ट, 10 (16), पृ.सं.-41-48

- बग्गा, जी0डी0एस0 एवं वैष्णव, आकाश (2017) मनरेगाप रोजगारोन्मुखी योजना का मूल्यात्मक अध्ययन (राजनांद गाँव जिले के विशेष संदर्भ में) इंडियन जर्नल ऑफ एप्लाइड रिसर्च, 7 (5), पृ.सं.-383-385
- कुशवाहा, हरिनन्दन एवं देवी, भारती (2018) मनरेगा योजना एवं निर्धनता : उत्तर प्रदेश के एक गाँव का समाजशास्त्रीय अध्ययन, शोध मंथन, पृ.सं.-100-111
- शर्मा, धर्मराज (2019) भारत निर्माण एवं मनरेगा, रावत पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली
- प्रकाश, हरि, दिनेश के0एन0 एवं शर्मा, सुचित्रा (2019) मनरेगा का छत्तीसगढ़ ग्रामीण समाज के सामाजिक-आर्थिक जीवन प्रभाव, 16 (6), पृ0सं0-848-850

UGC Journal No. (Old) 40942,
Peer- Reviewed Research Journal
Impact Factor 5.125 (IIFS) ISSN 0973-3914
Vol.- 37, Hindi Edition, Year-19, July - Dec. 2022

भारतीय जीवन में शिवोपासना का धार्मिक महत्व

• अशुतोष शुक्ल

सारांश-कथायें किसी भी देश, जाति व समाज की समाजिक व्यवस्था, उन्नति, सम्बृद्धता एवं बौद्धिकता की जहा गाथा है। वही सस्कृति की वाहिका भी है। भारतीय पौराणिक देव कथायें इसका साक्षात निदर्शन है। इन कथाओं के माध्यम से उपास्य के अनुसार उपासना के विविध रूप दष्टिगोचर होते है। भारतीय चिन्तन समस्त सृष्टि को एक ईश्वर की कृति मानता हुआ, सब में ईश्वर के रूप का भी दर्शन करता है। एक ओर अपने उपास्य को असीम, अनाम, अगोचर, अरूप तथा निर्गुण, निराकार मानता है। वही भक्त की इच्छा के अनुरूप वही सगुण, साकार एवं नाम रूप वाला होता भी देखता है। इसी आधार पर उपासना का स्वरूप निर्धारित होता है। शिव साक्षात ब्रह्म है। के ही श्रष्टा, पालक व सर्हता के रूप में अपने को विषाक्त कर सृष्टि पालन और संहार करते है। उनके सभी कार्यो में शिव तत्व का दर्शन होता है। यही शिव उपासना का धार्मिक स्वरूप है। यहा इसी का सिंहावलोकन है।

मुख्य शब्द - शिवोपासना, समाजिक व्यवस्था, उन्नति, सम्बृद्धता, बौद्धिकता

प्रस्तावना- शिवकथाओं के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि भारतीय चिन्तन किस प्रकार क्रमिक विकास करता हुआ स्थूल से सुक्ष्म एवं लघु से विराट की ओर बढ़ रहा है। चिन्तन के अनुरूप उपासना के भी, उपाश्य, के अनुसार, विविध रूप देखने को मिलते है। भारतीय चिन्तन सम्पूर्ण सृष्टि को जहाॅ एक ईश्वर की कृति मानता है। वही सबमें ईश्वर के रूप का दर्शन करता है। वह अपने उपाश्य को असीम, अनन्त, अगोचर, अनाम, अरूप तथा निर्गुण, निराकार मानता है, पर अपनी इच्छा के अनुसार उसे सगुण साकार एवं नाम रूप वाला भी बनाता है। इसी आधार पर उपासना के भी दो रूप होते है उसे हम दार्शनिक और लौकिक, निर्गुण-निराकार तथा सगुण साकार अथवा धार्मिक व आध्यात्मिक भी कह सकते है। वैसे धार्मिक और आध्यात्मिक में कोई तात्विक भेद नही है दोनो एक ही है। धर्म का बड़ा व्यापक रूप है। और वह भी आध्यात्मिक का ही रूप है, पर देश काल के अनुसार लोग धर्म को अब संकुचित अर्थ में प्रयुक्त करने लगे है, इसलिए धर्म निर्पेक्ष का अर्थ ही बहुत संकुचित हो गया है। अब धर्म निर्पेक्ष का अर्थ पंथ निर्पेक्ष हो गया है, अर्थात धर्म शब्द पंथ अर्थ में सिमित हो गया है। धार्मिक शब्द का प्रयोग भी अब सम्प्रदाय विशेष एवं उपासना का धार्मिक एवं आध्यात्मिक भेद किया जाने लगा है। पर भक्त इसे समग्र रूप में ही लेता है। भक्त की दृष्टि में भगवान अनेक रूपधारी है, वही विराट के रूप में प्रकट होता है और वही कमनीय रूप में भी स्वयं को अभिव्यक्त करता है। दोनो ही उसी के रूप है। जो बट की विशालता में बट को देख पाते है पर जो नन्हे बीज

• सहायक प्राध्यापक सेठ रघुनाथ प्रसाद कॉलेज हनुमना रीवा

के रूप में बट को नही पहचान पाते उनकी दृष्टि अधूरी है। ईश्वर का निरन्तर होना भी एक सत्य है किन्तु निराकर्ता का आग्रह भी अधूरापन है। आकार विनासी प्रतीत होता है अतः सबसे सुरक्षित यही मार्ग प्रतीत होता है कि यह कह दिया जाय कि वह रूप अनाम है, पर विराट ब्रह्मण्ड में विनास कहा है? कुछ भी तो नष्ट नही होता केवल आकृति परिवर्तन होता है। साकार एक देशी होगा इसलिए सर्वव्यापक रूप में निराकार की ही स्वीकृति जिन्हे सम्भव दिखाई देती है उन्होने एक देशीयता को दोष मान लिया है। पर एक और सर्व भिना कहा है। बीज और बृक्ष में कौन बड़ा है। बट की लम्बाई चौड़ाई भले नापी जा सके पर बीज की नाप कैसे होगी उसमें निहित बृक्ष की लम्बाई चौड़ाई कौन देख सकता है। अतः सीमित या परिछिन्न दिखाई देने से कोई सचमुच लघु सिद्ध नही हो सकता। अतः ईश्वर की साकारता कोई ऐसा सिद्धान्त नही है कि जिसे डरते हुए स्वीकार किया जाय। ब्रह्म निराकार है, क्योकि आकार दृष्टिगोचर न हो तब भी वह होता है, और वह साकार भी है। वह ब्रह्म अपने संकल्प से ही संरचना विराट के रूप में करता है।

वैसे भारतीय चिन्तन या धर्म का मूल सूत्र एकेश्वरवाद ही है। एक सद् का उद्घोष करते हुए भी उसकी बहुरूपता को अस्वीकार नही करता इसलिए वह कता है कि ''एकः सदः विप्राः बहुधा वदन्ति''। एक ही सद है पर विद्वान उसका वर्णन अनेक रूप में करते है। ईश्वर के निर्गुण-निराकार रूप में उसकी अद्वितीयता का तात्विक विवेचन तो किया ही गया है पर विराट पुरूष के रूप में उसकी सर्वरूपता की ओर इंगित किया गया है। इसप्रकार सगुण-साकार या निर्गुण-निराकार तात्विक दृष्टि एक होते हुए भी व्यवहार में भिन्न देखते है। लोक में उन्ही के अनुरूप उपासना पद्धतियों में भी विविधता हैं। एक ही ईश्वर उपासक की इच्छा के अनुसार एक होता हुआ भी विभिन्न है।

विज्ञानानादघन परमात्मा के वेदों में दो रूप माने गये है। प्रकृति रहित ब्रह्म को निर्गुण ब्रह्म कहा गया है। और जिस अंश में प्रकृति और त्रिगुणमयी माया है। उस प्रकृति सहित अंश को सगुण कहा जाता है। सगुण ब्रह्म के भी दो भेद है एक निराकार और दूसरा साकार। उस निराकार ब्रह्म को ही महेश्वर, परमेश्वर आदि नामों से पुकारा जाता है। वही सर्वव्यापी निराकार सृष्टिकर्ता परमेश्वर स्वयं ब्रह्म, विष्णु, महेश इन तीनों रूपों में प्रकट होकर सृष्टि स्थिति एवं संहार करते है। इसप्रकार से विभक्ति परात्पर परब्रह्म परमात्मा को ही शिव के उपासक ''सदाशिव'' विष्णु के उपासक व शक्ति के उपासक ''महाशक्ति'' के नाम से पुकारते है। शिव के उपासक नित्य विज्ञानानन्दघन निर्गुण ब्रह्म को शदाशिव, सर्वव्यापी, निराकार सगुण ब्रह्म को महेश्वर सृष्टिकर्ता को ब्रह्म पालकर्ता को विष्णु व संहर्ता को रूद्र कहते है। इन पाचों को ही शिवरूप कहा गया है। शिव के लीला रूपों के अनुसार उनसे सम्बन्धित जैसे विभिन्न कथायें है वैसे ही उनकी आध्यात्मिक और धार्मिक उपासना भी है। यहा उन्ही पर क्रमशः विचार प्रस्तुत है।

शिवोपासना का अर्थ है शिव के समीप बैठना ''उप समीपे आसनं'', स्त्रीलिंग उपासना अर्थात अपने आप को शिव में सर्मित कर देना उपासना का चरम स्वरूप है। उपासक और उपासना दोनो के लीन हो जानेपर केवल उपास स्वरूप ही रह जाता है। जैसा की ऊपर ही संकेत किया गया है कि शिवोपासना का क्रमिक विकास हुआ है। अतः उसका क्रम हमे वैदिक काल से ही देखना होगा। वैदिक काल में शिव कथाओं या शिव

स्वरूप के विकास का व्यापक रूप उपलब्ध होता है। खासकर यजुर्वेद में शिव की सर्वव्यापक रूप में उपासना के संकेत मिलते है। वे रूद्र से शिव व महादेव हो गये है। ब्राह्मण ग्रंथों में जब कर्मकाण्ड अपनी प्रौढ़ावस्था में पहुॅच गया और उसका रूप बहुत विकट हो गया था। उस समय अधिकांश वैदिक देवों का व्यक्तित्व फीका पड़ गया था। माना विष्णु भी अपवाद थे। रूद्र पुरोहितों की जकड़ से पृथक थे। और जैसे-जैसे इनके उपासना की संख्या बढ़ती गई इनके महत्व में भी बृद्धि होती गई। वैदिक आर्यो में कुछ ऐसे प्रगतिशील विचारक थे जो कृतिम कर्मकाण्ड को आध्यात्मिक उन्नति के लिए व्यर्थ समझते थे, वे रूद्र की उपासना की ओर आकृष्ट होने लगे थे। क्योकि उत्तर वैदिक काल में रूद्र का जो महान उत्कर्ष हुआ उन्हे जो परमेश्वर का पद दिया गया उसका सायद यही रहस्य है। उस समयतक जो उपासक कर्मकाण्ड की उपयोगिता नही मानते थे ओर ब्रह्म साक्षात्कार के लिए नये साधानों तथा उपायों को ढुढ़ने एवं जीवन तथा सृष्टि विषयक उद्बुद्ध मूल प्रश्नों के उपयुक्त उत्तर खोजने में लगे थे। उनमें जैसे-जैसे समय बीतता गया श्लाघा की यह भावना बढ़ती गई। उनकी दृष्टि में इस उद्येश्य की प्राप्ति के लिए ध्यान और तपश्चर्या द्वारा योगाभ्यास, कर्मकाण्ड की अनेक-अनेक विधानों के यथावत सम्पादन की अधिक अपेक्षा, अधिक उपयोगी दिखने लगा। इसप्रकार के उपासकों का समुदाय सम्भवतः उस समय बढ़ा हो और भारतीय धार्मिक विचारधारा और आचार में आमूल परिवर्तन आया हो जिसके प्रकरण उपनिषद ग्रंथ है।

वैदिक काल तक विशुद्ध रूप से कर्मकाण्ड के देवता न रहते हुए भी ब्राह्मण ग्रंथों के समय तक रूद्र एक प्रमुख देवता बन गये जिनका अपना वास्तविक व्यक्तित्व था। कर्मकाण्ड के अन्य देवताओं की अपेक्षा अब रूद्र की अधिक उपासना होने लगी थी। वे जनसाधारण से लेकर आर्य जाति के सबसे उन्नत और प्रगतिशील वर्गो उपाश्य थे। इससे रूद्र का पद निश्चित रूप से अन्य देवताओं से ऊँचा हो गया और नाम से ही नही अपितु वास्तव में वे महादेव हो गये। देवता उनसे डरते थे अतः ''देवाधिपति'', 1. ईशान और महादेव अब उनके साधारण नाम है। ऐतरे ब्राह्मण में प्रजापति के अपराध से कुछ देवताओं के द्वारा उन्हे दण्ड देने के लिए रूद्र को ही नियुक्त किया जाता है। 2. जैमनी ब्राह्मण में यहॉ तक कहा गया है कि रूद्र सृष्टि की प्राणिमात्र के कर्मो का अवलोकन करने और धर्म के विरूद्ध आचरण करने वाले का विनास करने के उद्येश्य से की गई है। रूद्र का यह नैतिक उत्कर्ष ही था। जिनके कारण उनका पद ऊँचा हुआ और जिनके कारण अंत में रूद्र को पर्मेश्वर माना गया। इस कारण ब्राह्मण ग्रंथों के समय तक रूद्र आर्य धर्म के प्रधान देवता बन गये और उनकी उपासना प्रमुखता से होने लगी।

इस प्रकार हम देखते है कि पौराणिक शिव के स्वरूप और उपासना के बहुत से प्रमुख अंश वैदिक रूद्र के स्वरूप और उपासना से ही लिये गये है। जैसे उनके नाम आदि से ही स्पष्ट होता है। जैसे उनका शिव नाम प्रसंशा सूचक है वहा ''नीलकण्ठ'' उपाधि उनके हलाहल पान की पौराणिक कथा का बीज है। यही उपाधि यजुर्वेद में ''नीलग्रीव'' नाम से पर्णित हो गयी है। ''कपर्दि'' और 'केशिन' प्रभृति उपाधियों के कारण पौराणिक शिव के जटाधारी रूप की कल्पना हुयी। इसके अतिरिक्त रूद्र की उपासना में और विभिन्न अंशों का समावेश हुआ, जिससे पौराणिक सैवधर्म में विविध प्रकार के विश्वास

और रीति-रिवाज का प्रचलन हुआ जो अन्य किसी भी धर्म से अधिक ही हैं।
कौशीतथी-23,3 ऐतरेय 3,13,9 उपलब्ध है।

उपर्युक्त पौराणिक धार्मो, जिनका की सूत्र वैदिक साहित्य में उपलब्ध है के अतिरिक्त कुछ ऐसे भी अंश है जो प्राचीन वैदिक रूद्रोपासना में नही है। जैसे लिंग पूजा, शक्ति पूजा आदि, लिंग पूजा अपर वैदिक काल में शिवोपासना का सबसे प्रमुख अंग है। इसीप्रकार स्त्री देवता का रूद्र के साथ उल्लेख होने पर भी उसकी उपासना का कही उल्लेख नही है। जबकि अपर वैदिक काल में शक्ति अपर श्रेणी की देवता है और उन्हे महामाता जाना जाता है। शिव के साथ उपासना के अतिरिक्त उनकी स्वतंत्र भी उपासना होने लगी है।

वेदों एवं ब्राह्णों में शिवोपासना के दिग्दर्शन के बाद हमें दिखते है कि औपनिषदिक काल में रूद्र को अब सामान्य रूप से, ईश, महेश्वर, शिव और ईशान कहा जाता है। (1 श्वेतोपनिषद 3.11,4.10,11.5,14) अब वे मोक्षानवेशी योगियों के ध्यान के विषय है। साथ ही स्रष्टा, ब्रह्म व परम् आत्मा है। उपनिषद काल में रूद्र का पूर्ण उत्कर्ष हो चुका था। वे जनसाधारण के साथ आर्यो के सबसे प्रगतिशील वर्ग के आराध्य देव थे। इस रूप में उनका सम्बन्ध में दार्शनिक विचाधारा और योगाभ्यास के साथ हो गया था। जिसको उपनिषद के महर्षियों ने आध्यात्मिक उन्नति का एक मात्र साधन माना था। एक यह भी रूचिकर बात है कि उपनिषद में पहलीबार शिव को परब्रह्म माना गया है उसी मे सांख्य और सांख्य प्रकृति का पहलीबार उल्लेख हुआ है, जो शिवशक्ति की उपासना का मूल हो सकता है। उपनिषद काल में ही कर्मकाण्ड की परिपाटी के स्थान पर लोगों में नयी उपासना का प्रचार हुआ जिसका सार था एकेश्वर का ध्यान और उसमें अनन्य भक्ति।

भक्तिवाद का जन्म यद्यपि उपनिषद काल में ही हो गया था पर इसका पूर्ण प्रचार उपनिषद काल के बाद ही हुआ। गृहय सूत्रों में जहा रूद्र को दार्शनिकों के परब्रह्म का पद प्राप्त था तो दूसरी ओर जनसाधरण के सरल विश्वासों से भी उनकी उपासना का घनिष्ठ सम्बन्ध था। रूद्र के नये 'शिव' और 'शंकर' नामों का अधिक प्रचलन होता जा रहा था। रूद्र को साधारण रूपों में बृक्षों, चौराहो, पूर्ण तीर्थो और श्मशानों आदि सभी स्थलों में अकले विचरनें वाला माना गया है। जहा लोगों का अनिष्ट हो सकता है अतः इसी अनिष्ट के निवारणार्थ उनकी उपासना की जाती है। गृहय सूत्रों में सबसे महत्वपूर्ण मूर्ति पूजा पर प्रकाश डाला गया हैं जो रूद्रोंपासना की नयी प्रवृत्ति है। जिससे स्पष्ट होता है कि इस समय तक मूर्ति पूजा शिवोपासना का एक अंग बन गयी थी। बोधायन गृहय सूत्रों के काल तक रूद्र की मानवाकार मूर्तियों की प्रतिष्ठा के साथ लिंगोंपासना भी होने लगी थी। इस लिंग की मूर्ति उपासना विधि बिल्कुल नयी थी। इसका जननेद्रिय सम्बन्धी स्वरूप से कोई सम्बन्ध नही था। लिंग को केवल भगवान शिव का प्रतीक माना जाता था और उसकी उपासना फल फूल द्वारा उसी प्रकार की जाती थी जैसे मानवाकार मूर्तियों की। इससे यह स्पष्ट होता है कि रूद्र का लिंगोंपासना के साथ सम्बन्ध बहुत प्राचीन हो गया था। उसका जननेद्रिय स्वरूप से कोई सम्बन्ध नही था।

इस प्रकार हम देखते है कि उत्तर वैदिक रूद्र की उपासना में महान परिवर्तन हुए। भारतीय जनमानस में लिंगोंपासना का प्रादुरभाव हुआ जो सैवधर्म की एक अंग बन गयी,

दूसरी ओर उपनिषद ग्रंथों में रूद्र की उपासना का प्रचार नई धार्मिक और दार्शनिक विचारधाराओं के प्रवर्तक रूप में हो रहा था जो रूद्र को परमब्रह्म मानते थें। इस समय तक भक्तिवाद का विकास द्रुतगति से हो रहा था और उसमें रूद्र को जो देवाधिदेव का पद दिया जा रहा था वह भी अधिकाधिक लोगों के सामने आ रहा था। इस भक्तिवाद ने इस देश की धार्मिक विचारधारा और आचार को बिल्कुल ही पलट दिया। ब्राह्मणों के कर्मकाण्ड का धीरे-धीरे ह्रास होता गया, और उनका स्थान प्रार्थना और देवताओं के चरणों में सीधे साधे उपहार रखने की विधि ने ले लिया। अब रूद्र के मंदिर बनने लगे और उनमें रूद्र की मूर्तियों का प्रतिस्ठापन होने लगा। ये मूर्तिया मानवाकार भी और लिंगाकार भी।

अपर वैदिक काल में शिवोपासना की जानकारी प्रमुख स्त्रोत रामायण और महाभारत इन दोनों आकार ग्रंथों में सैवधर्म व शिवोपासना का पर्याप्त विस्तृत रूप दिखाई देता है। जिसमें पौराणिक शिवोपासना के प्राय: सभी रूप वर्तमान है। इनमें रूद्रोपासना की प्राचीन और अर्धलीन दोनों रूप उपलब्ध है। पर रामायण महाभारत की अपेक्षा प्राचीन रूप अधिक दिखाई देता है।

सूत्र ग्रंथो की अपेक्षा रामायण के रूद्र का स्वरूप अत्यधिक विकसित है। अब वे सामान्यत: रूद्र नही शिव है। उन्हे महादेव, महेश्वर, शंकर, त्रयंम्बक एवं अन्य पर्यायवाची नामों से जाना जाता है। भयावह रूद्र से सौम्य ''शिव'' नाम का परिवर्तन केवल नाम का ही परिवर्तन नही है। अपितु इस देवता के स्वरूप में एक महान परिवर्तन का वाह्य लक्षण है। और रूद्र को सौम्य करने की उप प्रक्रिया की सफल समाप्ति का सूचक है जो वैदिक काल में ही प्रारम्भ हो गई थी। उपनिषद कालीन नई धार्मिक और दार्शनिक विचारधारा के सम्पर्क में आकर रूद्र के स्वरूप में जो परिवर्तन आया और उसी समय प्रादुरभूत भक्तिवाद के आराध्य देव शिव बनाये गये, जिसका उद्येश्य था शिव में निष्ठा और उनकी दया तथा कृपा से मोक्ष प्राप्ति, उससे रूद्र के प्राचीन स्वरूप का भयावह अंश पीछे पड़ गया और सौम्य रूप अधिकाधिक सामने आता गया। जिस समय तक भक्तिवाद ने पूर्ण रूप से प्राचीन कर्मकाण्ड का स्थान लिया उस समय तक रूद्र को भी एक सौम्य और दयावान देवता के रूप में और सच्चे अर्थ में ''शिव'' माना जाने लगा। रामायण में रूद्र के इसी रूप का दर्शन होता है। अब रूद्र वह देवता नही जिसके प्रकोप से और भयावह बाणों से सभी डरते है। अपितु अब वे सदा मानव मात्र के कल्याण करने में लगे रहते है। (रामायण बालकाण्ड 36.9,10)

वे वरदाता है, जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता है और दयानिधि है। भक्तिवाद के उत्थान के साथ रूद्र के दार्शनिक रूप ''परमब्रह्म'' अधिकाधिक प्रचार हुआ। प्राचीन देव मण्डल का ह्रास हो गया और उसके स्थान पर ''त्रिमूर्ति'' उत्थान शुरू हुआ। त्रिदेवों में शिव ओर विष्णु का विशेष महत्व था। वैष्णव ग्रंथ होने पर भी रामायण में जहा शिव का प्रसंग आया है उनको ही श्रेष्ठ माना गया है। उन्हे देवताओं में सर्वोच्च और सर्वोत्तम तथा देवों के देव कहा गया है। अमर लोक में भी उनकी उपासना होती है। प्रत्येक महान संकट में देवतागण सहायता और परिणाम के लिए उन्हे के पास दौड़े जाते है। एक बार तो स्वयं विष्णु भी अन्य देवों के साथ उनकी शरण में गये थे। (2 रामायण के बालकाण्ड 45.23)

रामायण में शिवोपासना के लोक में प्रचलित रूप का सबसे अधिक ज्ञान होता है। शिव अब एक कल्याणकारी देवता तो माने जाते थे साथ ही रूद्र पत्नी का भी अब उनके साथ निरन्तर उल्लेख होता है। पर वह अन्य देवियों की तरह अपने पति रूप पुरूष देवता की छायामात्र ही नही थी अपितु उनका एक स्वतंत्र व्यक्तित्व था। शिव के समान भक्तिवाद के नम्र प्रभाव से अब वे भी सौम्य, कल्याणकारणी, दयावती देवी बन गयी है। अब वे देवी है तथा समस्त सृष्टि उनका सम्मान करती है।

रामायण में शिव की उपासना के विषय में एक और महत्वपूर्ण सूत्र प्राप्त होता है शिव केवल मनुष्यों और देवताओं भर के उपाश्य नही थे, बल्कि दानव, दैत्य भी उनकी उपासना करते थे। शिव की इस अद्वितीय महत्ता को लेकर उनके उपासकों ने उनका पदोत्कर्ष किया है, वही एक ऐसे देवता थे जिन्हे सारी सृष्टि - देव और दानव पूजते थे। स्वयं विष्णु भी दावा नही कर सकते थे इसी कारण शिव भक्तों ने शिव को ही देवाधिदेव परमेश्वर माना।

रामायण की अपेक्षा रूद्र और शिव के स्वरूप ओर उनकी उपासना के विषय में महाभारत से अधिक जानकारी प्राप्त होती है। महाभारत में शिवोपासना के दार्शनिक और धार्मिक (लोक-प्रचलित) दोनों रूप परिलक्षित होते है। यहा शिवोपासना के धार्मिक रूप में दार्शनिक रूप का भी पर्याप्त प्रभाव दिखता है। दार्शनिक रूप में महाभारत में शिव को परमब्रह्म माना जाता है व असीम है, अचिन्त है, विश्वस्रष्टा है और विश्व को अपने में समाये हुए है। वे परम् है और उनसे परे कुछ नही है। वे महाभूतों के एक मात्र उद्गम और एक मात्र आधार है। वे नित्य अन्यक्त और कारण है। (महाभारत के द्रोणपर्व 74.56, 61. 169,290 अनुशासन पर्व 22.158) एक होते हुए भी अनेक रूप है। वे सबमें व्याप्त है और सबके उद्गम है। वे विश्व के आदि और उन्ही में विश्व का विलय होता है। सृष्टि के प्रलयकर्ता के रूप में "काल रूद्र" कहा गया है। यह शिव का पद अपने चरमोत्कर्ष पर पहुँचा है। रामायण की तरह महाभारत में भी शिव को तय और भक्त के द्वारा ही पाया जा सकता है। वे योगियों के परम् पुरूष है। वे आत्मा का योग और समस्त तपश्वमार्य जानते है और स्वयं महायोगी है।

महाभारत में हमे स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है कि शिव के विभिन्न अनुयायियों के विभिन्न आचार विचारों के अनुसार सैवोपासना के अनेकानेक रूपों का विकास हो रहा था। उनमें प्रमुख रूप वह है जिसको शिव के दार्शनिक स्वरूप की लोक प्रचलित व्याख्या कह सकते है। शिव को ईश्वर, जगत का स्रष्टा, पालनकर्ता और संहर्ता कहा गया है। वे देवता, दानव, मानव सभी के ईश्वर है। उनकी ही प्राचीन काल से उपासना होती आयी है, हो रही है और होती रहेगी। वह असीम और अनित्य है, और देवों के लिए अधिगम्य है अब ईशान, महेश्वर, महादेव, भगवान व शिव उनके साधारण लोक प्रचलित धार्मिक नाम है। वे अन्य देवों से बड़े है। ब्रह्म-विष्णु के सहित सारे देवता उनकी शरण में आते है। ब्रह्म ओर विष्णु को शिव का ही अंश माना गया है। शिव की उपासना का सार भक्ति है। रामायण की तरह यहा भी शिव की उपासना सतत् प्राणि मात्र के कल्याणकारी भक्तानुकम्पी देवता के रूप में की गई है। इसके अतिरिक्त शिव की उपासना के लिए एक विशेष उपासना पद्धति थी जिसे "पाशुपत ब्रत" कहा जाता था। सैव

धर्म में सबसे प्रचलित रूप था। शिव-पार्वती की सहोवासना। प्रत्येक युग के मानव के लिए वे विवाहित प्रेम का आदर्श रहे है। शिव का यह स्वरूप भक्तिवाद के आराध्य का सर्वोत्तम उदाहरण है। शिव और पार्वती का मानवीकरण अधिक हो गया था। परन्तु जहा शिव के देवत्व पर अधिक जोर दिया जाता था वहा उनके मानवीय रूप को छोड़ दिया जाता था। उनकी अपौरूषेय आकृति का लक्षण उनका त्रिनेत्र होना था। अनेकोवार उन्हे सहस्त्राक्ष व अष्टादश भुज इत्यादि कहा गया है। उनका यह वर्णन वैदिक पुरूष के वर्णन के समान है। और उनकी सार्थकता और सर्वशक्तिमत्ता का प्रतीक है। शिव के गण भी उनके साथ रहते है। उन्हे भूत कहा जाता है।

रामायण और महाभारत के अध्ययन से यह स्पष्ट होता जाता है कि शिव को प्रसन्न करने का एक मात्र उपाय "सच्ची शिव भक्ति" थी। उन्हे प्रसन्न करना या उनसे वरदान पाने के लिए सच्ची भक्ति के अतिरिक्त कठोर तपस्या भी करनी पड़ती थी। जैसे उपमन्यु व अर्जुन ने की थी। अर्जुन ने तपस्या से पाशुपतास्त्र प्राप्त किया था। शिव अपनी मूर्तियों की उपासना से प्रसन्न होते थे। वे लिंग व बेर रूपों में पूजे जाते थें। ब्रह्म विष्णु एवं इन्द्र भी शिवलिंगोपासक थे। इससे स्पष्ट होता है कि महाभारत काल तक लिंगोंपासना का सैव धर्म में पूर्णरूप से समावेस हो गया था।

वेदोत्तर सैवोपासना का विकसित रूप हमे पुराणों में दिखाई देता है। यद्यपि पुराणों में शिवोपासना के विविध रूप उपलब्ध है, परन्तु उनमें प्रमुख दार्शनिक व धार्मिक (लोक-प्रचलित) रूप ही है। दार्शनिक रूप में शिव अब परम पुरूष अथवा परमब्रह्म है। केवल वही स्रष्टा है "विश्व के आदि कारण है उन्ही की महिमा का चारो वेदों में मान किया गया है" वे दार्शनिकों के ब्रह्म है, आत्मा है, सास्वत है। वे अव्यक्त भी है और जीवात्मा के रूप में व्यक्त भी है। वह एक आदि पुरूष है, आत्मतत्व है, परमसत्य है। उपनिषदों द्वारा वेदान्त में उनकी महिमा का गान किया जाता है। स्मृति, पुराण ओर आगम भी उन्ही की महिमा का गान करते है वे सर्वत्र है। सर्वस्थित है, चराचर के स्वामी है और प्राणियों में आत्मरूप में बसते है। वह एक स्वयंभू है, जो विश्व का सृजन, पालन और संहार करने के कारण, तीन रूप धारण करते है। वे विश्व में व्याप्त है और सार रूप में एक होते हुए भी अपने को अनेक रूपों में अभिव्यक्त करते है।

पुराणों में शैवधर्म के दार्शनिक उपासना के अतिरिक्त यौगिक उपासना का रूप देखने को मिलता है। आत्मसंयम और तपस्या करने वालो के ध्यान का विषय होने के कारण शिव का योग से घनिष्ठ सम्बन्ध है। उनको स्वयं "महायोगी" और योग विद्या का प्रमुख आचार माना जाता है। इस समय तक शिव की उपासना के सम्बन्ध में योगाभ्यास की विशेष विधि का विकास हो गया था, जिसे "माहेश्वर" योग कहा जाता था। इसी रूप में शिव "यती" आत्म संयमी ब्रह्चारी और उर्ध्वरेता कहे गये है।

शिव उपासना का धार्मिक या लोक प्रचलित रूप पुराणों में अधिक विस्तृतरूप में दिखाई पड़ता है। अनेक बाते जो पूर्व में बीज रूप में थी अब विकसित एवं स्पष्ट रूप से उपलब्ध है। शिव पार्वती की सहोपासना अब शैवधर्म के धार्मिक उपासना का सबसे प्रमुख रूप है। शिव का एकेश्वरवादी रूप अधिक स्पष्ट हो जाने से अब उनकी सर्वश्रेष्ठता और उनके "एकोहं द्वितीयों नास्ति" भावपर अधिक जोर दिया जाता है। उनको अब

एकेश्वर सर्वप्रभू माना जाता है और "महेश्वर" को महादेव तथा देव दोनों कहा जाता है। अब उनकी कल्पना एक कल्याणकारी देव के रूप में की जाती है। उनकी दया से भक्तजन मोक्ष प्राप्त करते है। शिव की मानवाकार (वेर) मूर्तियों की अपेक्षा लिंगाकार मूर्तियों की संख्या अधिक थी और इनकी चर्चा सभी पुराणों में खूब की गई है। वास्तव में यह लिंग शिव का एक पुनीत प्रतीक बन गया था और इसको बड़े आदर से देखा जाता था। अधिकाधिक लिंग रूप की ही पूजा की जाती थी।

वैदिक काल से लेकर पुराणों तक शिव उपासना की अध्ययन यात्रा से यह स्पष्ट हो जाता है कि उग्र रूप से शिव एवं शंकर रूप की तथा शिव का किस प्रकार विकास होता है इससे यह भी स्पष्ट होता है कि जिससे व्यक्ति को अधिक भय होता है उसमें रूष्ट होने पर अधिक क्षति एवं कष्ट की अनुभूति या प्रगति होती है उसकी वह अधिक से अधिक सेवा, उपासना या खुसामद करता है। शिव मृत्यु के देवता है, वैदिककाल में उनकी रूद्र में ख्याति भी है अतः उनसे प्राप्त होने वाले असनि या कष्ट के प्रति व्यक्ति अधिक जागरूक थे और उनकी उपासना की ओर अधिक उनमुख हुए। कोई एक वर्ग विशेष ही नही बल्कि रूद्र से सभी को भय था, मृत्यु का संत्रास भी सभी को था, अतः हर वर्ग के लोग शिव की विभिन्न रूपों में उपासना प्रारंभ किये। भक्तों के कष्ट दूर करने एवं लोक कल्याण के लिए उनका "विषपान" उनके भक्तवत्सल एवं जनरक्षक स्वरूप को अधिक उजागर करता है। लोगों के सामने अब वे संहारक न होकर रक्षक एवं पालक भी है। अतः महेश, महादेव एवं परमेश्वर है। लोक में आज भी उनकी उपासना के, जाति, वर्ग व समुदाय विशेष में विभिन्न रूप जैसा दर्शाया गया है, मिलते है, पर वे बहुमान्य व प्रशस्त नही है। अब शिव की आकृति व लिंग रूप की अधिक उपासना होती है। लोक में उनके व विष्णु में अन्तर नही किया जाता है। नाम रूप में भेद होने पर जन सामान्य मे दोनों एक ही है। दोनों की सम्मिलित उपासना शालिग्राम एवं शिवलिंग रूप में होती है। शालिग्राम के साथ पूजन में शिव का निर्माल्य भी नही माना जाता, जो दोनों देवों के तादात्म को स्थापित करता है। शालिग्राम रूप में विष्णु को भी लिंग रूप में मान्य कर विष्णु और शिव की लिंग मूर्तियों की सहोपासना दोनों के एकत्व की परिचायक है।

शैवधर्म व शिव पूजा की प्राचीनता को दृष्टि में रखकर यह मानना होगा कि शिव को लोक मंगलकारी स्वरूप अनेक धर्मो के प्रचलन, प्रसार के बाद भी आज तक अक्षुण्य बना हुआ है। विभिन्न सम्प्रदायों की प्रबलता भी इस आस्था को मिटाने में असफल रही है। अनेक शासन तंत्रों एवं धर्मानुयायियो के उत्थान पतन के वावजूद शिवोपासना कही से खण्डित नही हो सकी। यहा तक की आधुनिक भौतिकतावादी परिवेश भी इस सम्प्रदाय की आस्था को परिवर्तित करने में सफल न हो सका। यह शिव के लोक मंगलकारी रूप की विजय है। उनका लोक रक्षक स्वरूप मानवीय चेतना को भुंकृत करता रहा है। समय व काल की सीमा से परे शिव का देवत्व हिन्दू धर्मावलम्बियो के आकर्षण का केन्द्र बना हुआ है। ये पूरे देश में ही नही विश्व में भी किसी न किसी रूप में विद्यमान है। सर्वत्र शिव की व्यापकता उनकी अविच्छिन्न उपासना के कारण प्रमाणित है। भारतीय संस्कृत की विविधता ही विभिन्न धार्मिक उपासनाओं की व्योतक है। शिव सभी के उपास्य है चाहे आध्यात्मिक रूप में हो चाहे धार्मिक विभिन्न रूपों में।

संदर्भ ग्रन्थ सूची-

1. यजुर्वेद
2. शैवदर्शन
3. शिवपुराण महाभारत
4. पुराण अनुशीलन
5. रामायण बाल्मिककृत
6. रामचरित मानस

UGC Journal No. (Old) 40942,
Peer- Reviewed Research Journal
Impact Factor 5.125 (IIFS) ISSN 0973-3914
Vol.- 37, Hindi Edition, Year-19, July - Dec. 2022

महात्मा गाँधी : महिला विकास के प्रति दृष्टिकोण

• सीमा श्रीवास्तव

सारांश- हम सभी जानते है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी का महत्वूर्ण योगदान रहा है, न केवल भारत में बल्कि विश्व में उनके लाखों अनुयायी रहे है। महात्मा गांधी की सोच समय से बहुत आगे थी। यद्यपि महिला विकास वर्तमान दशक का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, किन्तु इस दिशा में महात्मा गांधी ने वर्षो पूर्व ही कार्य प्रारंभ कर दिया था। समाज में महिलाओं के विकास को लेकर उनकी स्पष्ट धारणा थी कि शिक्षित व आत्मनिर्भर हुए बिना उनका विकास संभव नहीं है। साथ ही वे समाज के आदर्श विकास में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण मानते थे। तत्कालीन भारत जो एक ओर आजादी के लिए संघर्षरत था तो दूसरी ओर समाज में अनेक कुरीतियों का बोलबाला था। इन सामाजिक कुरीतियों से महिलायें निरंतर शोषित व पीड़ित हो रही थीं। यद्यपि तत्कालीन समय में इन कुरीतियों का विरोध अनेक समाज सुधारकों द्वारा प्रारंभ किया जा चुका था किन्तु इस संदर्भ में महात्मा गांधी के दृष्टिकोण की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही।

मुख्य शब्द - आत्मबल, आत्मनिर्भरता, चेतना, शक्ति, समानता, आदर्श समाज।

प्रस्तुत शोध पत्र में तत्कालीन समय में महिलाओं के विकास के प्रति महात्मा गांधी के विचारों का विश्लेषण किया गया है।

महात्मा गांधी की महिला विकास की परिकल्पना- महात्मा गांधी एक ऐसे समाज की कल्पना करते थे जहां देश के हर नागरिक को आगे बढ़ने का अवसर मिले, जहां असमानता के लिए कोई स्थान न हो। इसी संदर्भ में स्त्री पुरूष असमानता को लेकर उनका दृष्टिकोण था कि, "महिलाओं को कमजोर समझना निंदनीय है, यह पुरूषों का महिलाओं के साथ किया गया अन्याय है।" महात्मा गांधी के अनुसार प्रथाओं और परंपराओं से परिपूर्ण भारत में महिला विकास हेतु सबसे महत्वपूर्ण कारक इस प्रकार है।
सामाजिक कुरीतियों से मुक्ति

- शिक्षा
- आत्मनिर्भरता
- समानता
- महिला सशक्तिकरण
- राजनैतिक आंदोलन में सहभागिता

• प्राध्यापक, समाजशास्त्र, शासकीय ज.शं.त्रि. स्नातकोत्तर महाविद्यालय बालाघाट

सामाजिक कुरीतियों से मुक्ति- तत्कालीन समाज में महिलाओं को अनेक कुरीतियों का सामना निरंतर करना पड़ता था जैसे- बाल विवाह, पर्दा प्रथा, विधवा विवाह निषेध इत्यादि। यद्यपि विभिन्न समाज सुधारकों द्वारा इन कुरीतियों से मुक्ति के लिए अनेक सार्थक प्रयास किये जा चुके थे और किये भी जा रहे है किन्तु इस दिशा में महात्मा गांधी द्वारा किये गये प्रयास भी बहुत महत्वूपर्ण हैं क्योंकि सामान्य जन उनका अनुगमन करता था, उनकी बातों को महत्व देता था। उनका मानना था कि, "महिलायें समाज में अस्तित्वहीन इसलिए हैं क्योंकि समाज पुरूष प्रधान है और समस्त रूढ़ियाँ व सामाजिक नियम केवल पुरूषों द्वारा बनाये गये है जो स्त्रियों के विरूद्ध हैं।" (डॉ. शर्मा, सतीश कुगार)तत्कालीन भारत में प्रचलित कुरीतियों के लिए उन्होंने प्राचीन धर्मग्रन्थों को जिम्मेदार माना है। उनके अनुसार ये धर्मग्रन्थ पुरूषों के द्वारा लिखे गये हैं और उन्होंने स्त्रियों को कठपुतली के रूप में प्रस्तुत किया है। यंग इण्डिया के एक लेख में महात्मा गांधी ने स्पष्ट लिखा है कि "स्त्रियों के अधिकारों के संबंध में मैं किसी तरह का समझौता नहीं कर सकता। मेरी राय में उन पर कोई ऐसा प्रतिबंध नहीं लगाया जाना चाहिए जो पुरूषों पर न लगाया गया हो।"(यंग इण्डिया - 17.10.1929)

महात्मा गांधी के अनुसार परंपरा के नाम पर संकीर्ण मानसिकता उचित नहीं है। यही कारण है कि अपने विभिन्न लेखों व भाषणों में उन्होंने बाल विवाह, पर्दा प्रथा, दहेज इत्यादि का विरोध किया है तो दूसरी ओर उन्होंने महिला शिक्षा व विधवाओं के पुनर्विवाह का समर्थन भी किया है। सामाजिक कुरीतियों के संदर्भ में महात्मा गांधी के विचार इस प्रकार हैं-

- "दहेज प्रथा खरीदी बिक्री का कारोबार है। कोई भी युवक जो विवाह में दहेज की शर्त रखता है, अपनी शिक्षा को कलंकित करता है।"
- "बाल विवाह के संदर्भ में महात्मा गांधी ने शारदा अधिनियम में विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष की अपेक्षा 16 या 18 वर्ष रखने का आग्रह किया था।"
- विधवा विाह के समर्थन में महात्मा गांधी का कथन था कि "यदि कोई स्त्री अपनी इच्छा से विधवा रहना चाहती है तो अलग बात है अन्यथा पुनः विवाह करने पर उसे जाति अथवा समाज से बहिष्कृत नहीं करना चाहिए।"
- देवदासी प्रथा के सदंर्भ में महात्मा गांधी का कथन था कि देवदासी कहकर हम धर्म के नाम पर ईश्वर का अपमान करते हैं।
- अन्तर्जातीय विवाह के संबंध में उनका कथन था कि "व्यक्तिगत रूप से मैं जाति से बाहर विवाह की सहमति नहीं दूँगा लेकिन मैं भारत में जातियों के कृत्रिम विभाजन पर विश्वास भी नहीं करता हूँ।"

बाल विवाह- महात्मा गांधी ने बाल विवाह को विवाह मानने से ही इंकार कर दिया। उनके अनुसार "मुझे बाल विवाह से घोर घृणा है। बाल विधवाओं को देखकर मैं काँप उठता हूँ। यह सबसे निदंनीय है कि पत्नी की मृत्यु होते ही पुरूष दूसरा विवाह कर लेता है। लड़की के विधवा होने पर उसके मात-पिता को उसका पुनर्विवाह कर अपने पाप की प्रायश्चित करना चाहिए।"(राकेश कुमार झा- गाँधी चिंतन में सर्वोदय, पृ.-124)

शिक्षा- महिला शिक्षा के संदर्भ में महात्मा गांधी का कथन था कि "स्त्रियों को उपयुक्त

शिक्षा मिलना चाहिए। उनका कार्यक्षेत्र घर के अंदर है और पुरूषों का बाहर, अतः दोनों की शिक्षा में पर्याप्त अंतर होना चाहिए। स्त्रियों को घरेलू मामलों के साथ-साथ बच्चों के पालन-पोषण और शिक्षण के बारे में ज्ञान होना चाहिए।'' स्त्री शिक्षा को लेकर महात्मा गांधी का स्पष्ट कथन था कि ''स्त्रियों को इस तरह की व्यवहारिक शिक्षा दी जानी चाहिए जो उन्हें स्वतंत्र तरीके से विचार करना सिखाये, उन्हें जात-पांत की जंजीरों से छुड़ाये और ऐसे हालात पैदा कर दे कि पुरूष उनकी शक्ति को पहचान कर उन्हें आगे बढ़ायें।'' उनके अनुसार शिक्षा से ही महिला विकास संभव है। एक शिक्षित महिला आत्मनिर्भर हो सकती है और सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन की वाहक भी बन सकती है। महात्मा गांधी के अनुसार बाल विवाह, पर्दा प्रथा, विधवाओं की स्थिति, दहेज, तलाक आदि कुरीतियों का मुख्य कारण अशिक्षा है। इन्हें दूर करने के लिए शिक्षा अति आवश्यक है।

आत्मनिर्भरता- महात्मा गांधी भारतीय समाज की परिकल्पना रामराज्य के अनुसार करते थे जो कि न्याय व समानता पर आधारित हो। उनके अनुसार यह तभी संभव होगा जब महिलाओं को अपने अधिकारों और कर्तव्यों का ज्ञान होगा और यह उन्हें आत्मनिर्भरता व शिक्षा के द्वारा ही मिल सकता है।

यद्यपि महात्मा गांधी स्त्रियों का घर से बाहर जाकर आर्थिक कार्यों का समर्थन नहीं करते थे पर वे उनकी आत्मनिर्भरता के हिमायती थे। उनका कहना था कि खाली समय में स्त्रियों को चरखा चलाना चाहिए जो कि कमाई का श्रेष्ठ साधन है। दूसरे शब्दों में वे चरखे के माध्यम से महिलाओं को स्वावलंबी बनाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने गरीब महिलाओं को चरखा चलाने का प्रशिक्षण भी दिया था। इसे महिला आत्मनिर्भरता को बढ़ाने का उनका प्रयास कहा जा सकता है। (पुष्पा जोशी-गांधी ऑन वूमेन, पृष्ठ 30-31)

समानता- महात्मा गांधी एक ऐसे समाज की कल्पना करते थे जिसकी नींव न्याय, समानता व शांति पर आधारित हो।(कृष्ण दत्त भट्ट- गांधी जीवन, सूत्र, पृ. 142) यही कारण है कि उनके विभिन्न अवसरों पर दिये गये भाषण व कथनों में स्त्री पुरूष समानता की बात सामने आती हैं। जैसे-'' स्त्रियों के अधिकारों के संबंध में मैं किसी तरह का समझौता नहीं कर सकता। मेरी राय में उन पर ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाना चाहिए जो पुरूषों पर न लगाया गया हो। समानता आवश्यक है।'' (यंग इण्डिया - 17. 10.1929)

- ''सत्य और अहिंसा की नींव पर निर्मित नवीन विश्व व्यवस्था की योजना में जितना और जैसा अधिकार पुरूष को अपने भविष्य की रचना का है। उतना और वैसा ही अधिकार स्त्री को भी अपना भविष्य तय करने का हो।
- (रचनात्मक कार्यक्रम- नवजीवन प्रकाश पृ. 32-34)
- ''हमारे समाज में सबसे अधिक हताश स्त्रियाँ ही हैं और इसी वजह से हमारा पतन भी हुआ है। स्त्री पुरूष में प्राकृतिक भिन्नता के अतिरिक्त मैं किसी भिन्नता को नहीं मानता।''(गांधी, हरिजन सेवक -21.01.1947)
- ''मेरी अपनी राय तो यह है कि, जैसे मूलतः स्त्री और पुरूष एक हैं ठीक उसी प्रकार उनकी समस्या भी मूल में एक ही होना चाहिए। दोनों में एक ही आत्मा,

एक सी भावनायें हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं।(हरिजन- 24.02.1940)

- महात्मा गांधी के उपरोक्त कथनों से स्पष्ट होता है कि वे एक ऐसे स्वस्थ समाज की कल्पना करते थे जो समानता पर आधारित हो।
- "जब तक महिलायें पुरूषों के बराबर खड़ी नहीं होगीं और अपना अधिकार नहीं जतायेगीं तब तक वे पहचान नहीं बना पायेंगी।"सेतिया सुभाष(2006), स्त्री अस्मिता के प्रश्न, कल्याणी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली, पृ. 106)

महिला सशक्तीकरण- महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से महिला सशक्तीकरण की दिशा में कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। उनके अनुसार "महिला सशक्तीकरण केवल नैतिक अनिवार्यता नहीं है बल्कि लोकतांत्रिक परंपराओं को सुदृढ़ करने तथा अन्याय व उत्पीड़न के विरूद्ध संघर्ष के लिये अनिवार्य आवश्यकता है।" (सिंह, सविता (2002) गांधी और महिला सशक्तीकरण)

28 सितंबर, रोजगार समाचार, प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली, गांधीजी के अनुसार महिलाओं को कमजोर समझना निंदनीय है यह उनके साथ अन्याय है जबकि नैतिक शक्ति में वे पुरूषों से आगे है। महिलाओं को समाज में सम्मान तभी मिलेगा जब वे अपनी शक्ति और आत्मबल को पहचानेंगी।

महिला सशक्तीकरण के पक्षधर महात्मा गांधी ने महिलाओं से जुड़ी हर कुरीति का विरोध किया। वे चाहते थे कि पुरूष स्त्रियों को अपना सहयोगी समझे। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिये उन्होंने बाल विवाह, दहेज, पर्दा प्रथा का विरोध किया तो दूसरी ओर स्त्री शिक्षा, आत्मनिर्भरता, विधवा विवाह का समर्थन का भी किया है। इसके अतिरिक्त आजादी के आंदोलन में बहुत बड़ी संख्या में महिलाओं की भागीदारी भी उनकी महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देने की कोशिशों को दर्शाती है।

प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता इला भट्ट ने अपनी पुस्तक "गांधीजी ऑन वूमेन" में लिखा है कि गांधीजी महिला संगठनों की बैठकों, आश्रमों की सभाओं, उत्सवों तथा अन्य अवसरों पर महिलाओं में आत्मविश्वास जगाने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते थे। महिलाओं ने उनके नेतृत्व में चले जनआंदोलन में सहजता से भाग लिया जिससे भारतीय महिलाओं को एक नई दिशा मिली।" (आर्य, साधना (2006) नारीवादी राजनीति-संघर्ष व मुद्दे, हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय दिल्ली विश्वविद्यालय पृ. -168)

राजनैतिक आंदोलन में सहभागिता- भारत की स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों के विरूद्ध महात्मा गांधी का संघर्ष पूरी तरह सत्याग्रह और अहिंसा पर आधारित था। उनके अनुसार अहिंसात्मक सत्याग्रह में स्त्रियों की भूमिका मुख्य है। इसके संदर्भ में उनका कथन था कि, "इस आंदोलन का सौंदर्य इसके पूरी तरह स्त्रियों द्वारा प्रारंभ करने और नियंत्रित करने में रहेगा।" (श्री रामनाथ सुमन)

महात्मा गांधी से प्रेरणा लेकर भारत की हजारों लाखों महिलाओं ने सत्याग्रह में भाग लिया। नमक कानून तोड़ने, विदेशी वस्त्रों की होली जलाने और शराब की दुकानों का विरोध करने में उनकी निर्णायक भूमिका रही। इन महिलाओं ने धैर्य, और साहस के साथ सत्याग्रह आंदोलनों में भाग लिया और जेल भी गईं। महात्मा गांधी ने भारतीय स्त्रियों

में सत्य, अहिंसा, धैर्य का विशेष गुण देखा था और इसलिए वे स्त्रियों को राजनीति में शामिल कर स्वाधीनता आंदोलन को सफल बनाना चाहते थे।महात्मा गांधी ने स्वाधीनता आंदोलन में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी के लिये अपने भाषणों के माध्यम से उन्हें प्रेरित किया। भारत की महिलाओं के प्रति महात्मा गांधी का सबसे बड़ा योगदान यह था कि उन्होंने महिलाओं की परंपरागत भूमिका को चुनौती दिये बिना भारत के राजनैतिक आंदोलन का मुख्य आधार बनाया। (मनोज सिन्हा, पृ.-125 गांधी अध्ययन)

सार रूप में कहा जाता सकता है कि महात्मा गांधी ने स्त्रियों के राजनैतिक अधिकारों की वकालत दो बिन्दुओं पर की थी-

1. स्त्रियाँ पुरूषों से किसी तरह भी कम नहीं हैं बल्कि कई मामलों में उनसे श्रेष्ठ हैं।
2. स्त्रियों के राजनीति में आने से महिला सशक्तीकरण को गति मिलेगी।

इस प्रकार हम देखते हैं कि महात्मा गांधी ने एक ओर तो स्त्रियों के प्रति समाज में व्याप्त कुरीतियों का विरोध किया है तो दूसरी ओर उनके सशक्तीकरण का मार्ग प्रशस्त किया है। बारबर साउथर्ड के अनुसार - महात्मा गांधी की नारीवादी सोच में दो तत्व हैं-

1. हर स्तर पर तथा हर मायने में स्त्री पुरूष समानता।
2. दोनों में विशिष्ट लैंगिक भिन्नता के अनुसार सामाजिक दायित्व में भिन्नता।

संदर्भ ग्रन्थ सूची-

1. आर्य, साधना (2006) नारीवादी राजनीति-संघर्ष व मुद्दे, हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय दिल्ली विश्वविद्यालय पृ. 168
2. गांधी, मोहनदास करमचंद- सत्य के प्रयोग, साक्षी प्रकाशन, दिल्ली
3. डॉ. शर्मा, सतीश कुमार- नारी पुनरूत्थान में गांधी जी के विचारों का योगदान, प्रतियोगिता दर्पण, उपकार प्रकाशन आगरा(नवंबर, 1997) पृ. 684
4. जौली, सुरजीत कौर (2007) गांधी एक अध्ययन, कॉन्सैप्ट पब्लिशिंग कंपनी, नई दिल्ली, पृ. 287
5. सेतिया सुभाष(2006), स्त्री अस्मिता के प्रश्न, कल्याणी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली, पृ. 106
6. सिंह, सविता (2002) गांधी और महिला सशक्तीकरण
7. Gandhi, M.K. "Women and Social Injustice (Ahemedabad: Navajivan Publishing House, 1958.
8. www.mkgandhi.org/articles/krishnanandela.htm

UGC Journal No. (Old) 40942,
Peer- Reviewed Research Journal
Impact Factor 5.125 (IIFS) ISSN 0973-3914
Vol.- 36, Hindi Edition, Year-19, July - Dec. 2022

महिला नेतृत्व के साामाजिक एवं आर्थिक पहलुओं का विश्लेषण (रीवा जिले की पंचायतों के विशेष संदर्भ में एक सर्वेक्षणात्मक अध्ययन)

• कोमल पांडे
•• अखिलेश शुक्ल

सारांश- **भारत में स्वतंत्रता के बाद ग्रामीण शक्ति-संरचना तथा नेतृत्व के निर्धारण में भूमिका निभाने वाले प्रमुख आधारों में व्यापक परिवर्तन हो रहे है। स्वाधीनता आन्दोलन के दौरान यह अनुभव किया गया कि सामाजिक तथा आर्थिक संबंधों को रूढ़िवादी तथा शोषण आधारित बनाने के लिये शक्ति-संरचना के परम्परागत आधार उत्तरदायी है। परिणामतः स्वतंत्रता प्राप्त होते ही नवगठित सरकार ने परम्परागत आधारों में परिवर्तन के लिये प्रयास किये। प्रथम प्रयास जनतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की दिशा में किया गया और गॉवों में पंचायतों का पुनगर्ठन किया गया। उसके बाद जमीदारी प्रथा को समाप्त करके, मध्यस्थों को हटाकर, कृषकों को सीधे राज्य के अधिकार में ला दिया गया। पंचायतीराज अधिनियम के लागू होने के बाद महिला जनप्रतिनिधियों को मिलने वाले अधिकार एवं उनके द्वारा कर्तव्यों के निर्वहन की वास्तविक जानकारी प्राप्त करना।**

मुख्य शब्द - ग्रामीण शक्ति-संरचना, नेतृत्व, शोषण, परम्परागत आधार

ग्राम पंचायतों के माध्यम से पहली बार गॉवों में शक्ति-संरचना का सूत्रपात हुआ। वयस्क मताधिकार, ग्रामीण व्यवस्था में स्त्रियों की सहभागिता, ग्राम पंचायत की कार्यवाही को लिखित आकार प्रदान करना तथा पंचायतों की राज्य प्रशासन एवं न्याय व्यवस्था से संबद्ध ऐसे अनेक महत्वपूर्ण कदम थे जिन्होंने ग्रामीण जीवन को नई दिशा प्रदान की।

ग्राम पंचायतों का पुर्नगठन, जमींदारी व्यवस्था का समापन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने से लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण को बल मिला जिससे परम्परागत ग्रामीण शक्ति-संरचना तथा नेतृत्व में मूल परिवर्तनों का प्रादुर्भाव हुआ। परिवर्तित परिस्थितियों में यह देखा गया कि नेतृत्व के नये प्रतिमान बदलते हुये

• जनभागीदारी शिक्षक, समाजशास्त्र, शासकीय कन्या महाविद्यालय सीधी (म.प्र.)
•• प्राध्यापक, समाजशास्त्र शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय रीवा मध्य प्रदेश

सामने आये है। नेतृत्व के दृष्टिकोण से यह मिला कि ग्रामीण जीवन में शक्ति के दो ही स्त्रोत प्रमुख रहे हैं – जन्म और कर्मकाण्ड आधारित श्रेष्ठता तथा समूह विशेष का संख्या–बल। आज जन्मजात श्रेष्ठता की अपेक्षा संख्या–बल का महत्व शक्ति–संरचना में तेजी से बढ़ा है। परिणामस्वरूप यह देखा गया है कि गॉवों में नेतृत्व का परम्परागत स्वरूप शिथिल पड़ने लगा है, लेकिन उच्च जातियों के प्रभाव को भी नकारा नही जा सकता, चाहे वे उच्च जातियाँ परोक्ष रूप में ही क्यों न हों। अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि नवीन ग्रामीण नेतृत्व एवं शक्ति–संरचना में राजनीतिक दलों की भूमिका प्रभावी होती जा रही है।

ग्रामीण नेतृत्व के संबंध मे वास्तविकता यह है कि उसमें बाह्य परिवर्तन तो हुये हैं किन्तु उसका आन्तरिक स्वरूप आज भी परम्परा के काफी नजदीक है। अगर उच्च जातियों का वर्चस्व पहले जातीय श्रेष्ठता के आधार पर बना हुआ था तो आज वे चुनावों के माध्यम से अपना प्रभाव बताने में सफल हो रहे है। भारतीय गॉवों में आज भी पूरी राजनीति तथा उसका ध्रुवीकरण जाति आधारित विभिन्न गुटों पर केन्द्रित है।1 अलग–अलग जातियाँ अपने संख्या बल के आधार पर साझा तथा जोड़–तोड़ की राजनीति के माध्यम से नेतृत्व में अपनी मजबूत स्थिति बनाने में लगी हैं। उक्त परिस्थिति में ग्रामीण शक्ति–संरचना के अंतर्गत ऐसे प्रच्छन्न नेतृत्व का विकास हुआ है जो कभी एक वर्ग की शक्ति में वृद्धि करता है तो कभी दूसरे वर्ग की शक्ति को बढ़ाता है। परिणामस्वरूप ग्रामीण शक्ति संरचना में एक महत्वपूर्ण बदलाव यह देखने को मिला है कि पहले वह शक्ति–संरचना जितनी स्थिर थी वर्तमान में वह उतनी ही अस्थिर हो गई है।

भारत में लोकतंत्र के निर्माण के साथ ही राजनीतिक क्रिया–कलापों में ग्रामीणों की सहभागिता भी सुनिश्चित की गई। राजनीतिक दलों ने जनता को अपनी ओर खीचनें के लिये प्रचार–प्रसार के कार्य किये जिससे पिछले कुछ वर्षो में लोगों को अपने वोट का महत्व समझ में आने लगा है। आम चुनावों में प्रादेशिक तथा राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले सत्ता–परिवर्तन से भी लोगों में सामर्थ्य का ज्ञान प्राप्त होने मे मदद की उक्त संदर्भ में ग्राम पंचायतों की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही है। गॉव हमेशा उपेक्षा के शिकार रहे है। राजनीतिक सामर्थ्य का ज्ञान तीव्रगति से ग्रामीणों को शक्ति के लिये संघर्ष करने के लिये प्रेरित करता रहा है। महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता को संस्थागत स्वरूप प्रदान करने का श्रेय 73वें संविधान संशोधन विधेयक को जाता है। देश के इतिहास में पहली बार पंचायत व्यवस्था के प्रत्येक स्तर पर महिलाओं के लिये 33 प्रतिशत स्थान आरक्षित किये गये हैं। यही नहीं, महिलाओं के लिये यह आरक्षण पंचायत के पदाधिकारियों के पदों पर भी लागू हुआ है जिसके परिणामस्वरूप संपूर्ण देश की पंचायती राज व्यवस्था के विभिन्न पदों यथा सरपंच, प्रधान एवं जिला प्रमुख इत्यादि पर महिलायें पदासीन हुई हैं। संपूर्ण विश्व में भारत ही ऐसा देश है जहॉ शासन के निम्नतम स्तर पर महिलाओं के लिये आरक्षण का प्रावधान रखा गया है। भारत की केन्द्रीय सरकार ने 73वॉ संविधान संशोधन अधिनियम पारित कर 24 अप्रैल, 1993 से लागू कर दिया था। मध्यप्रदेश सरकार ने इस संविधान संशोधन अधिनियम के मुख्य–मुख्य प्रावधानों के परिपेक्ष्य में राज्य का नवीन पंचायती राज अधिनियम, 24 जनवरी 1994 से राज्य में लागू कर दिया। राज्य के पंचायती

राज इतिहास में पहली बार समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों यथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिये सभी स्तर पर पर्याप्त आरक्षण किया गया। पंचायती राज संस्थाओं में विकास सम्बंधी लिये जाने वाले निर्णयों में विशेषकर इन वर्गों के लोगों की सहभागिता सुनिश्चित की गई। लगातार बीस बरस के पंचायती राज ने महिलाओं के मामले में प्रारंभ में लड़खड़ाते हुए अब अपनी धार तेज भी कर ली है। पहले-पहल के पॉच वर्षो में जहॉ कुछेक महिलाएॅ उभर कर सामने आई थीं जिन्होंने पुरूष सत्ता को पूर्णतः नकारते हुए दबंगता से अपनी सत्ता संभाली थी और राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित भी हुई थी। उन्हीं आदर्शों को अपनाते हुए आज की पंचायतों में सैकड़ों महिलाएॅ सार्थक कार्य ही नहीं कर रही हैं वरन् वे अब विकास को बराबरी से समझ कर आगे बढ़ रही है।

शोध कार्य के उद्देश्य- महिला नेतृत्व के साामाजिक एवं आर्थिक पहलुओं (रीवा जिले की पंचायतों के विशेष संदर्भ में एक सर्वेक्षणात्मक अध्ययन) की वास्तविक जानकारी प्राप्त करना।

शोध परिकल्पना- पंचायतों में वर्तमान समय में शिक्षित वर्ग की महिलाओं को नेतृत्व प्रदान करने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। नेतृत्व में आज भी अधिकांश महिलाओं की आय का प्रमुख स्रोत कृषि कार्य है। पंचायतीराज व्यवस्था के तहत उभरते महिला नेतृत्व में भू-स्वामित्व नेतृत्व के लिए महत्वपूर्ण कारक नहीं रहा है। पंचायतीराज व्यवस्था के तहत पंचायतों का नेतृत्व करने वाली अधिकांश महिलाएं संयुक्त परिवार से सम्बंधित हैं।

अध्ययन पद्धति- शोधार्थी ने अपने शोध विषय साामाजिक एवं आर्थिक पहलुओं (रीवा जिले की पंचायतों के विशेष संदर्भ में एक सर्वेक्षणात्मक अध्ययन) के अध्ययन के अंतर्गत रीवा जिले के सभी नवों विकासखण्डों, रीवा, रायपुर कर्चुलियान, गंगेव, सिरमौर, मऊगंज, नईगढ़ी, हनुमना, त्योंथर एवं जवा में से प्रत्येक विकासखण्ड से 15-15 महिला पंचों कुल मिलाकर 135 महिला पंचों, 10-10 महिला सरपंचों, कुल 90 महिला सरपंचों तथा 5-5 महिला जनपद सदस्यों कुल 45 महिला जनपद सदस्यों को शोध सर्वेक्षण हेतु न्यादर्श में चयनित किया है। शोधार्थी ने सभी न्यादर्शों का चयन दैव निदर्शन विधि से किया है।

प्रस्तुत शोध में साामाजिक एवं आर्थिक पहलुओं (रीवा जिले की पंचायतों के विशेष संदर्भ में एक सर्वेक्षणात्मक अध्ययन) से संबंधित जानकारी का पता लगाने के लिए शोधार्थी ने शोध उपकरण के रूप में प्रश्नावली अनुसूची का प्रयोग किया और इसके द्वारा एकत्रित जानकारी का सारणीयन कर विश्लेषण एवं व्याख्या द्वारा वस्तुस्थिति की जानकारी प्राप्त की। शोधार्थी ने चयनित महिला जनप्रतिनिधियों से साामाजिक एवं आर्थिक पहलुओं (रीवा जिले की पंचायतों के विशेष संदर्भ में एक सर्वेक्षणात्मक अध्ययन) को जानने के लिए प्रश्न पूछा गया कि पंचायतों का नेतृत्व करने वाली महिलाओं के शैक्षिक स्तर की स्थिति क्या है? प्राप्त उत्तरों को तालिका क्रमांक 01 में दर्शाया गया है।

तालिका क्रमांक - 01
शोध क्षेत्र में पंचायतों का नेतृत्व करने वाली महिलाओं के शैक्षिक स्तर का अध्ययन

क्र.	महिला जनप्रतिनिधि	संख्या	महिला जनप्रतिनिधियों की शैक्षिक स्थिति							
			प्राथमिक शिक्षा		इण्टर तक		स्नातक एवं इससे ऊपर		अशिक्षित	
			संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1.	पंच	225	105	46.67	46	20.44	08	03.56	66	29.33
2.	सरपंच	90	46	51.11	25	27.78	05	05.56	14	15.56
3.	जनपद सदस्य	45	25	55.56	12	26.67	03	06.67	05	11.11
	योग	360	176	48.89	83	23.06	16	04.44	85	23.61

उपरोक्त तालिका क्रमांक 01 में शोध क्षेत्र रीवा जिले के न्यादर्श में चयनित महिला जनप्रतिनिधियों से साक्षात्कार के माध्यम से शोध क्षेत्र में पंचायतों का नेतृत्व करने वाली महिलाओं के शैक्षिक स्तर की जानकारी हेतु प्रदत्तों का संकलन किया गया है। उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि कुल महिला जनप्रतिनिधियों में से सबसे अधिक 48.89 प्रतिशत महिला जनप्रतिनिधि प्राथमिक स्तर तक की शिक्षा प्राप्त हैं। दूसरे स्थान पर 23.61 प्रतिशत महिला जनप्रतिनिधि अशिक्षित वर्ग से हैं। तृतीय स्थान पर 23.06 प्रतिशत महिला जनप्रतिनिधि इण्टर तक की शिक्षा प्राप्त हैं जबकि स्नातक या इससे ऊपर तक की शिक्षा प्राप्त महिला जनप्रतिनिधि 04.44 प्रतिशत हैं। तालिका क्रमांक 01 के अध्ययन से यह भी स्पष्ट होता है, कि 70.67 प्रतिशत महिला पंच शिक्षित वर्ग से है, जिनमें सबसे अधिक 46.67 प्रतिशत प्राथमिक स्तर तक की शिक्षा प्राप्त हैं, 20.44 प्रतिशत इण्टर तक की शिक्षा प्राप्त है, 03.56 प्रतिशत स्नातक या इससे ऊपर तक की शिक्षा प्राप्त है, तथा 29.33 प्रतिशत अशिक्षित वर्ग से हैं। इसी प्रकार महिला सरपंचों में 84.44 प्रतिशत शिक्षित वर्ग से है, जिनमें सबसे अधिक 51.11 प्रतिशत प्राथमिक स्तर तक की शिक्षा प्राप्त की हैं, 27.78 प्रतिशत इण्टर तक की व 05.56 प्रतिशत स्नातक या इससे ऊपर तक की शिक्षा प्राप्त हैं तथा 15.56 प्रतिशत महिला सरपंच अशिक्षित वर्ग से हैं। इसी प्रकार महिला जनपद सदस्यों में 88.89 प्रतिशत शिक्षित वर्ग से हैं, जिसमें अधिक 55.56 प्रतिशत प्राथमिक स्तर तक की शिक्षा प्राप्त है, 26.67 प्रतिशत इण्टर तक एवं 06.67 प्रतिशत स्नातक या इससे ऊपर तक की शिक्षा प्राप्त है, तथा 11.11 प्रतिशत महिला जनपद सदस्य अशिक्षित वर्ग से आती हैं। इससे स्पष्ट है, कि पंचायतों में वर्तमान समय में शिक्षित वर्ग की महिलाओं को नेतृत्व प्रदान करने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है।

ग्राफ क्रमांक-01
शोध क्षेत्र में पंचायतों का नेतृत्व
करने वाली महिलाओं के शैक्षिक स्तर की जानकारी

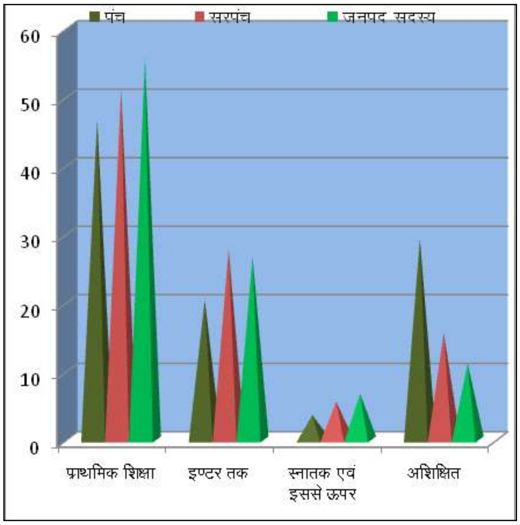

तालिका क्रमांक 02
पंचायतों का नेतृत्व करने वाली
महिलाओं के आय के स्रोतों का अध्ययन

क्र.	महिला जनप्रतिनिधि	संख्या	महिला जनप्रतिनिधियों की आय के स्रोत					
			कृषि		व्यवसाय		परिवार पर आश्रित	
			संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	पंच	225	193	85.78	07	3.11	25	11.11
2	सरपंच	90	78	86.67	06	6.67	06	6.67
3	जनपद सदस्य	45	37	82.22	04	8.89	04	08.89
	योग	360	308	85.56	17	4.72	35	9.72

उपरोक्त तालिका क्रमांक 02 में शोध क्षेत्र रीवा जिले के न्यादर्श में चयनित महिला जनप्रतिनिधियों से साक्षात्कार के माध्यम से शोध क्षेत्र में पंचायतों का नेतृत्व करने वाली महिलाओं के आय के स्रोतों की जानकारी हेतु प्रदत्तों का संकलन किया गया है।

उपरोक्त तालिका क्रमांक 02 से स्पष्ट होता है कि कुल महिला जनप्रतिनिधियों में से सबसे अधिक 85.56 प्रतिशत महिला जनप्रतिनिधियों के आय का प्रमुख स्रोत कृषि कार्य है। 9.72 प्रतिशत महिला जनप्रतिनिधि आय के लिए अपने परिवार पर आश्रित हैं तथा 4.72 प्रतिशत महिला जनप्रतिनिधियों के आय का प्रमुख स्रोत उनके पुस्तैनी व्यवसाय जैसे दुग्ध उत्पादों की बिक्री एवं दुकानदारी आदि है।

उपरोक्त तालिका क्रमांक 02 के अध्ययन से यह भी स्पष्ट होता है, कि सबसे अधिक 85.78 प्रतिशत महिला पंचों का मानना है, कि उनकी आय का प्रमुख स्रोत कृषि कार्य है, तथा आय के लिए परिवार पर आश्रित महिला पंचों की संख्या 11.11 प्रतिशत है जबकि 3.11 प्रतिशत महिला पंचों की आय का स्रोत उनका पारिवारिक व्यवसाय है। इसी

प्रकार महिला सरपंचों में अधिकांश लगभग 86.67 प्रतिशत के अनुसार उनकी आय का प्रमुख स्रोत कृषि कार्य है, जबकि 6.67 प्रतिशत महिला सरपंचों ने कहा कि उनकी आय का प्रमुख स्रोत उनका पारिवारिक व्यवसाय है तथा 6.67 प्रतिशत महिला सरपंचों ने कहा कि आय के लिये वो अपने परिवार पर ही आश्रित हैं। इसी प्रकार महिला जनपद सदस्यों में से 82.22 प्रतिशत के अनुसार उनके आय का प्रमुख स्रोत कृषि कार्य ही हैं, जबकि आय के लिए अपने परिवार पर निर्भर महिला जनपद सदस्यों की संख्या 8.89 प्रतिशत है। तथा 8.89 प्रतिशत महिला जनपद सदस्यों का मानना है, कि उनकी आय का प्रमुख स्रोत उनके परिवार का पुस्तैनी व्यवसाय है।

इससे स्पष्ट है, कि नेतृत्व में आज भी अधिकांश महिलाओं की आय का प्रमुख स्रोत कृषि कार्य है। लेकिन उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से यह भी स्पष्ट होता है, कि नेतृत्व में आज व्यवसायिक वर्ग का भी प्रतिनिधित्व देखने को मिल रहा है।

ग्राफ क्रमांक 02
पंचायतों का नेतृत्व करने
वाली महिलाओं के आय के स्रोतों की जानकारी

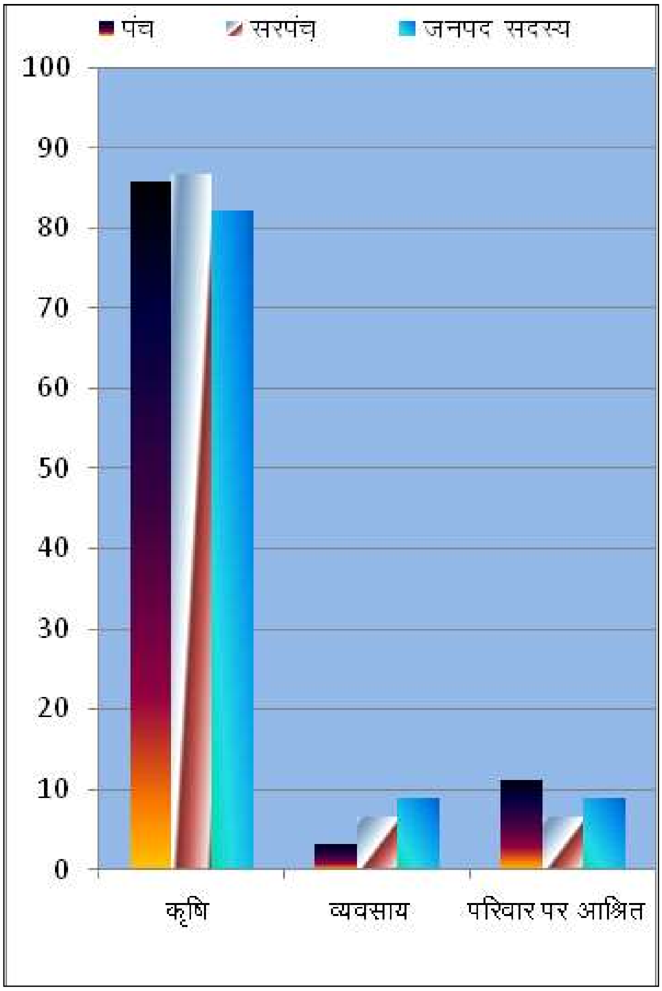

तालिका क्रमांक 03
पंचायतों का नेतृत्व करने वाली
महिलाओं के भू-स्वामित्वता का अध्ययन

क्र.	महिला जनप्रतिनिधि	संख्या	महिला जनप्रतिनिधियों के भू-स्वामित्व की स्थिति					
			अधिक भू-स्वामित्व		कम भू-स्वामित्व		भूमिहीन	
			संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	पंच	225	44	19.56	126	56.00	55	24.44
2	सरपंच	90	19	21.11	51	56.67	20	22.22
3	जनपद सदस्य	45	11	24.44	27	60.00	07	15.56
	योग	360	74	20.56	204	56.66	82	22.78

उपरोक्त तालिका क्रमांक 03 में शोध क्षेत्र रीवा जिले के न्यादर्श में चयनित महिला जनप्रतिनिधियों से साक्षात्कार के माध्यम से शोध क्षेत्र में पंचायतों का नेतृत्व करने वाली महिलाओं के भू-स्वामित्व की जानकारी हेतु प्रदत्तों का संकलन किया गया है।

उपरोक्त तालिका क्रमांक 03 से स्पष्ट होता है कि कुल महिला जनप्रतिनिधियों में से सबसे अधिक 56.66 प्रतिशत महिला जनप्रतिनिधि कम भू-स्वामित्व वर्ग के अंतर्गत आती हैं दूसरे स्थान पर 22.78 प्रतिशत महिला जनप्रतिनिधि भूमिहीन वर्ग से हैं तथा 20.56 प्रतिशत महिला जनप्रतिनिधि अधिक भू-स्वामित्व वर्ग से आती है।

उपरोक्त तालिका क्रमांक 03 के अध्ययन से यह भी स्पष्ट होता है, कि 56.00 प्रतिशत महिला पंच कम भू-स्वामित्व वर्ग से आती हैं, तथा 24.44 प्रतिशत महिला पंच भूमिहीन वर्ग से आती हैं, जबकि अधिक भू-स्वामित्व वर्ग से आने वाली महिला पंचों की संख्या 19.56 प्रतिशत हैं। इसी प्रकार महिला सरपंचों में भी अधिकतम 56.67 प्रतिशत कम भू-स्वामित्व वर्ग से आती हैं जबकि 22.22 प्रतिशत महिला सरपंच भूमिहीन वर्ग से हैं, और 21.11 प्रतिशत महिला सरपंच अधिक भू-स्वामित्व वर्ग से आती हैं। इसी प्रकार महिला जनपद सदस्यों में से 60.00 प्रतिशत कम भू-स्वामित्व वर्ग से आती हैं, तथा 24. 44 प्रतिशत महिला जनपद सदस्य अधिक भू-स्वामित्व वर्ग से तथा 15.56 प्रतिशत महिला जनपद सदस्य भूमिहीन वर्ग से आती हैं।

अतः स्पष्ट है, कि पंचायतीराज व्यवस्था के तहत उभरते महिला नेतृत्व में भू-स्वामित्व नेतृत्व के लिए महत्वपूर्ण कारक नहीं रहा है। लोकतांत्रिक मूल्यों एवं नवीन चेतना के विकसित होने के कारण कम भू-स्वामित्व एवं भूमिहीन वर्ग को भी पंचायतों में नेतृत्व में प्रतिनिधित्व प्राप्त हो रहा है। अतः भू-स्वामित्व से नेतृत्व का प्रत्यक्ष सम्बंध धीरे-धीरे क्षीण होता जा रहा हैं और उसके स्थान पर नेतृत्व के लिए वैयक्ति एवं सामाजिक गुणों की महत्ता बढ़ती जा रही है।

ग्राफ क्रमांक 03
पंचायतों का नेतृत्व करने
वाली महिलाओं के भू-स्वामित्वता की जानकारी

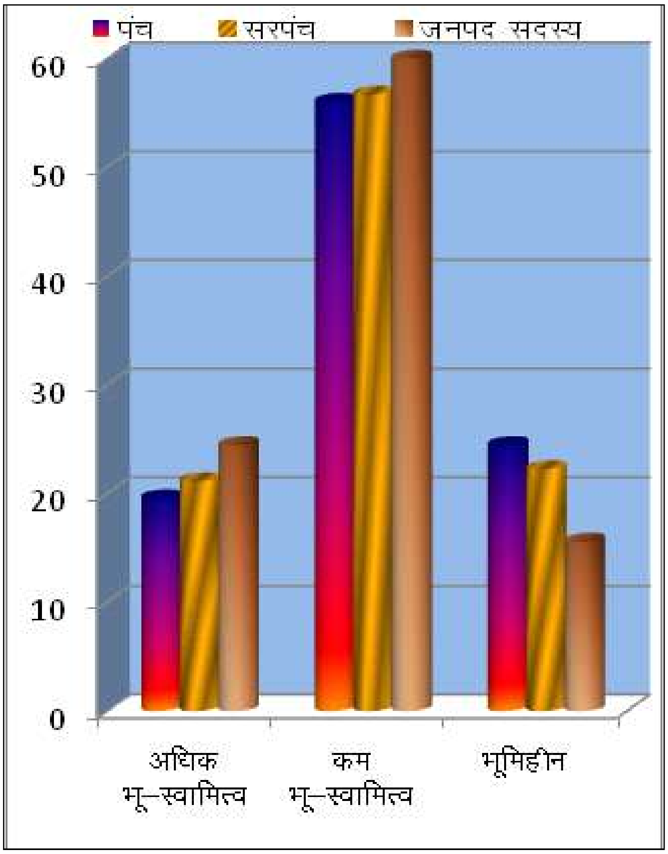

तालिका क्रमांक 04
पंचायतों का नेतृत्व करने
वाली महिलाओं के पारिवारिक संरचना का अध्ययन

उपरोक्त तालिका क्रमांक 04 में शोध क्षेत्र रीवा जिले के न्यादर्श में चयनित

क्र.	महिला जनप्रतिनिधि	संख्या	महिला जनप्रतिनिधियों की पारिवारिक संरचना			
			संयुक्त परिवार		एकाकी परिवार	
			संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
	पंच	225	162	72.00	63	28.00
	सरपंच़	90	66	73.33	24	26.67
	जनपद सदस्य	45	30	66.67	15	33.33
	योग	360	258	71.67	102	28.33

महिला जनप्रतिनिधियों से साक्षात्कार के माध्यम से शोध क्षेत्र में पंचायतों का नेतृत्व करने वाली महिलाओं के पारिवारिक संरचना की जानकारी हेतु प्रदत्तों का संकलन किया गया है।

उपरोक्त तालिका क्रमांक 04 के आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि कुल महिला जनप्रतिनिधियों में से सबसे अधिक 71.67 प्रतिशत महिला जनप्रतिनिधि संयुक्त परिवार से आती है जबकि 28.33 प्रतिशत महिला जनप्रतिनिधि एकाकी परिवार से संबंधित है।

उपरोक्त तालिका क्रमांक 04 के अध्ययन से यह भी स्पष्ट होता है, कि 72.00 प्रतिशत महिला पंच संयुक्त परिवार से आती है, जबकि 28.00 प्रतिशत महिला पंच एकाकी परिवार से संबंधित है। इसी प्रकार महिला सरपंचों में भी अधिकतम 73.33 प्रतिशत संयुक्त परिवार से आती हैं, जबकि 26.67 प्रतिशत महिला सरपंच एकाकी परिवार से संबंधित है। इसी प्रकार महिला जनपद सदस्यों में से 66.67 प्रतिशत महिला जनपद सदस्य संयुक्त परिवार से संबंधित है, तथा 33.33 प्रतिशत महिला जनपद सदस्य एकाकी परिवार से आती है।

अत: स्पष्ट है, कि पंचायतीराज व्यवस्था के तहत पंचायतों का नेतृत्व करने वाली अधिकांश महिलाएं संयुक्त परिवार से सम्बंधित हैं।

संदर्भ ग्रन्थ सूची-

1. चौधरी, डी.एस. (2001) इर्मजिंग रूरल लीडरशिप इन इंडियन स्टेट्स, मंथन पब्लिकेशन्स, नईदिल्ली
2. द्विवेदी राधेश्याम, पंचायतराज अधिनियम, 1993, सुविधा लॉ हाऊस, भोपाल
3. दुबे डॉ. रमेश (2005) भारत में लोक प्रशासन कालेज बुक डिपो, जयपुर
4. दत्त विजय (1997), पंचायती राज, सर्वसेवा संघ प्रकाशन, वाराणसी
5. घोष, भोलानाथ, (1996) रुरल लीडरशीप एण्ड डेवलपमेन्ट, मोहित पब्लिकेशंस, नईदिल्ली
6. गजेटियर (1992) रीवा जिला, गजेटियर संचालनालय, संस्कृति विभाग, म.प्र. भोपाल
7. गौड़ के.के. (1997) भारत में ग्रामीण नेतृत्व का उदीयमान स्वरूप, मानक पब्लिकेशन्स, नईदिल्ली
8. खन्ना बी. एस. (1994) पंचायत राज इन इंडिया- रूरल लोकल सेल्फ गर्वनमेन्ट, दीप एण्ड दीप पब्लिकेशन्स, नईदिल्ली
9. A.R. Desai, (1969) Rural Socilogy in India, Popular Prakashan.
10. A.S. Altekar, (1955) State and Government in Ancient India, Motilal Banarsidas, Banaras.
11. Acharya Ramesh Chandra Shastri, (2002) Bharat Main Panchayati Raj, Ajmer
12. Ajit Ray, (1975) Political Power in India-Nature and Trends, Naya Prakash Calcutta.
13. Andre Beteille, (1969) Caste, Class and Power, Oxford University Press Bombay.
14. Anisure Rahman (edited by), (1969) Class and Power, Oxford University Press Bombay.
15. Arjun Y. Darshankar, (1979) Ledership in Panchayati Raj- A study of Beed District of Maharashtra Panchsheel Prakashan, Jaipur.
16. Arun Shrivastava, (1994) Panchayati, Raj in India, RSA Publishers, Jaipur.

UGC Journal No. (Old) 40942,
Peer- Reviewed Research Journal
Impact Factor 5.125 (IIFS) ISSN 0973-3914
Vol.- 37, Hindi Edition, Year-19, July - Dec. 2022

महिला अपराधिता पुनर्वास एवं जेल व्यवस्था

• गजानन मिश्र

सारांश- वर्तमान समय में महिला अपराधों के सुधार एवं पुनर्वास में जेल व्यवस्था का स्थान महत्वपूर्ण है। महिला कैदियों की पृ्ठभूमिक से ज्ञात होता है कि अधिकांशतः अपराधितायें समाज के गरीब वंचित परिवारों से आती हैं व गरीबी के कारण अनभिज्ञता में अपराध करती हैं। निर्धनता व अपराध का रिश्ता प्रगाढ़ बन चुका है। वस्तुतः अपराध का कारण निर्धनता नहीं है बल्कि इससे उत्पन्न वे मनोवैज्ञानिक कारण जो अपराध की ओर ले जाते हैं, अतः आवश्यकता इस बात की है कि जेल में इस प्रकार के सजायाप्ता प्राप्त कैदियों के पुनर्वास हेतु आवश्यक है कि जेलों में उनकी शिक्षा पुनर्शिक्षा एवं भावात्मक पक्ष को मजबूत कर उनके नियोजन व व्यवसायिक प्रशिक्षण को प्राथमिकता दें। इस संबंध में जेल व्यवस्था इनके व्यवसायिक शिक्षण, प्रशिक्षा के लिए क्या कर रही है, इस शोध पत्र में इन्हीं बिन्दुओं पर चर्चा की जावेगी।

मुख्य शब्द - जेल, निर्धनता, नियोजन, व्यवसायिक प्रशिक्षण

महिला अपराधियों के सुधार एवं पुनर्वास में जेलों की प्राथमिक भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। वस्तुतः मनुष्य अपना सर्वांगीण जीवन पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक परिवेश में व्यतीत करता है व एक निश्चित पद से आबद्ध रहता हुआ अपनी भूमिका धार्मिक एवं संस्थानिक परिवेश में पूर्ण करता है, सामाजिक प्रस्थिति के अनुसार कुछ अपनी भूमिका में निष्पादन में सफल हो जाते हैं और कुछ असफल जीवन में कुछ क्षण ऐसे भी आते हैं जबकि मनुष्य अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है और वह विचलित हो जाता है, साथ ही वह आर्थिक सामाजिक परिवेश में व्यापक रूप से हिस्सेदारी नहीं निभा पाता है, व्यवहारतः उसे अपराधी, अपराध, पीड़ित व्यक्ति एवं संघर्षशील स्थिति से गुजरना पड़ता है। कभी-कभी उसकी मनोवैज्ञानिक स्थिति संकटपूर्ण स्थिति में उलझन खड़ी कर देती है और इससे उसके क्रियाकलाप प्रभावित होते हैं और यही परिस्थितियां उसे अपराध की ओर अग्रेषित करती हैं। भारत में महिला अपराध का प्रमुख कारण, सामाजिक आर्थिक शोषण है। प्राथमिक अभिकरणों, जैसे परिवार व समुदाय आदि के द्वारा लागू किये गये नियंत्रण की शिथिलता के कारण भी महिलाओं में आपराधिक प्रवृत्ति बढ़ी है, विशेषतः नगरों में पारिवारिक नियंत्रण में आई कमी के कारण

• प्राध्यापक, समाजशास्त्र, स्नातकोत्तर महात्मागांधी महाविद्यालय, करेली

स्त्रियां अधिक निर्वबंध हुई हैं, उनकी यह अनियंत्रित और दिशाहीन स्वतंत्रता ही अक्सर उन्हें अपराध की ओर अग्रेषित करती है। वर्तमान में सामुदायिक नियंत्रण भी शिथिल हुआ है, फलस्वरूप स्त्रियों में आपराधिक प्रवृत्ति बढ़ी है। साथ ही समाज में नैतिक मूल्यों में तेजी से हो रहे परिवर्तन भी महिला अपराध के लिए एक सीमा तक उत्तरदायी हैं। पाप-पुण्य की पुरातन धारणायें निष्प्रभावी हो गयी हैं। शील-अश्लील, सद्-असद्, नैतिक-अनैतिकता की परिभाषाऐं सभी बदल गयी हैं। सामाजिक आदर्श नियमों और उन नियमों को लागू करने वाले अभिकरणों का कृमिक विघटन होने के कारण भी महिला अपराधों की वृद्धि के लिए उत्तरदायी हैं।

अपराध और अपराधी सामाजिक संरचना के ही तत्व होते हैं, समाजशास्त्र में इन दोनों का वैयक्तिक अध्ययन करके इनकी प्रकृति कारक और प्रभाव का विश्लेषण किया जाता है। किसी भी विश्लेषणात्मक विवेचन के लिए प्रत्येक शोध को वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करने के लिए मानव व्यवहार और प्रक्रियाओं को समझना तथा किसी भी शोध में उत्तरदाताओं की सामाजिक, आपराधिक पृष्ठभूमि का महत्व अपराधियों के सुधार के अध्ययन में अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान रखता है। सामाजिक संरचना में व्यक्ति का जो स्थान होता है उसे ही बिन्दु मानकर सामाजिक जीवन की भावी दिशा, मात्रा और प्रकृति का मापन किया जाता है। साधारणतया परम्परागत समाजों से आधुनिक समाजों तक सामाजिक संस्तरण में व्यक्ति एक निश्चित पद से आबद्ध रहता है एवं अपनी भूमिका का निर्वहन करता है।

यह निर्विवाद सत्य है कि महिलाओं में शारीरिक एवं मानसिक क्षति, पीड़ा व वेदना की बदला लेने की सहज प्रवृत्ति पायी जाती है तथा इस बदला लेने की सहज प्रवृत्ति की प्रमुख प्रतिक्रिया अथवा परिणाम दण्ड है, दण्ड न केवल व्यक्तिगत प्रतिशोध की एक सहज प्रवृत्ति है, बल्कि सामूहिक चेतना के प्रतिशोध की सहज भावना की अभिव्यक्ति भी है। सामाजिक व्यवस्था को बनाये रखने के लिये अपराधियों को दण्डित करना आवश्यक है, इसके अभाव में सामाजिक नियंत्रण प्रायः असम्भव सा हो जाता है। विश्व के सभी देशों में दण्ड को अपराध बचाव के सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया जाता है। अपराध के प्रति प्रत्याशित प्रतिक्रिया दण्ड है। वास्तविक तौर पर दण्ड एक ऐसी पीड़ा है, जो किसी अपराधी को उसके कानून के उल्लंघन के लिए दिया जाता है। यह वह क्षतिपूर्ति है जो राष्ट्र या राज्य एक अपराधी सदस्य से प्राप्त करता है। दण्ड सामाजिक निंदा का कोई भी स्वरूप हो सकता है, इसमें आवश्यक नहीं कि शारीरिक पीड़ा सम्मिलित हो।

महिला अपराधियों की क्रियाशीलता एवं अपराध में उनकी सहभागिता उनके लिये दण्ड को निश्चित करती है। ऐतिहासिक युग से लेकर आधुनिक युग तक के सभी समाजों की सामाजिक व्यवस्था में सामाजिक नियंत्रण की जिन विधियों का वर्णन मिलता है वे मुख्यतः दो भागों में विभाजित है, प्रथम पुरूस्कृत करना जिससे समाज के अन्य व्यक्ति प्रोत्साहित होकर प्रशंसनीय कार्य करें, दूसरा, उन्हें सजा देना जिन्होंने सामाजिक मूल्यों, मान्यताओं तथा कानूनों का उल्लंघन करके निंदनीय कृत्य किया है, इस तरह पुरूस्कार एवं सजा मानव समाज के नियंत्रण की प्रमुख विधियां हैं। विश्व के

प्राय: सभी देशों में न्यायिक प्रणालियों के अन्तर्गत अपराधों की रोकथाम के लिये सजा का विधान है। शासन व्यवस्था का यह उत्तरदायित्व होता है कि वह राज्य में शांति एवं व्यवस्था बनाये रखे, जो व्यक्ति इसमें व्यवधान डालता है एवं राज्य शासन के नियमों का उल्लंघन करता है वह व्यक्ति अपराधी की श्रेणी में आ जाता है, शासन उसे सजा देकर दण्डित करता है।

सजा अपराध की वह प्रतिक्रिया है जो समाज या राज्य के द्वारा अपराधी के आचरण के विरूद्ध प्रदर्शित की जाती है और दण्डित व्यक्ति को जले में निरूद्ध कर आगामी जीवन ठीक रहे इस संबंध में समय -समय पर विभिन्न वैधानिक एवं नैतिक नियमों के द्वारा उसे बलवान बनाने की प्रक्रिया सम्पूर्ण की जाती है। जेलों के संबंध में आसवर्न ने कारागार को ऐसा संस्थान माना है जिसमें पत्थर की दीवारें लोहे के सीखचे तथा ताला, कुंजी एक ऐसी व्यवस्था को धारण की होती है जिसमें व्यक्ति अपने अन्दर की बुराईयों को अच्छाईयों में परिवर्तित करता है। महिला अपराधिताओं को निरूद्धता की स्थिति में किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है एवं उन्हें क्या सुविधायें प्राप्त हैं, व्यवसायिक प्रशिक्षण की क्या स्थिति है इसे निम्न बिन्दुओं में समाहित किया गया है।

शोध का उद्देश्य-

- राज्य सरकार द्वारा महिला कैदियों को दी जाने वाली सुविधाओं का अध्ययन।
- जेल विमुक्तिकरण प''चात् अपराधिताओं से जेल सुविधाओं की जानकारी।
- जेल में महिला अपराधिताओं को मेडिकल फार्माशिष्ट, प्रशिक्षक, मेटर्न एवं स्टाफ में महिला सुविधाओं का अध्ययन।

परिकल्पना-

- जेल निरूद्धता के समय महिला कैदियों को सिलाई, कढ़ाई, बुनाई एवं अन्य व्यवसायिक कार्य करवाये जाते हैं जो पुनर्वास के लिए अहम भूमिका निभाते हैं।
- क्या आव''यकता अनुसार महिला अपराधियों को विधिक सहायता प्रदान की जाती है।
- कैदियों के उपचार के लिए संयुक्त राष्ट्रसंघ के न्यूनतम मानकों के तहत् सुविधाओं का अध्ययन।

तथ्यों का संकलन एवं विश्लेषण तथा सारणीयन-

- प्रस्तुत शोध-पत्र में साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से तथ्यों को संकलित एवं वर्गीकृत कर सारणीबद्ध किया गया है।
- यह अध्ययन मूलत: प्राथमिक एवं द्वितीयक समंकों पर आधारित है।
- शोध अध्ययन के अन्तर्गत जेल विमुक्ति पश्चात् महिला अपराधियों से साक्षात्कार कर समंकों को एकत्रित किया गया है।
- शोध अध्ययन के अन्तर्गत मध्यप्रदेश सरकार की विभिन्न जेल सुविधाओं एवं रिपोर्टों को भी शामिल किया गया है।

शोध क्षेत्र- प्रस्तुत शोध अध्ययन केन्द्रीय कारागार जबलपुर से सजा विमुक्ति पश्चात् नरसिंहपुर जिले की 135 महिला अपराधिताओं के साक्षात्कार पर आधारित।

प्रस्तुत शोध अध्ययन के अन्तर्गत इतिहास के पृष्ठों का अनुशीलन करने पर पाते हैं कि अनादिकाल से ही समाज व्यवस्था में राजा और प्रजा के रूप में प्रचलित है स्थानीय शासन के आधार पर सम्पूर्ण व्यवस्था आधारित थी , रामायण के अयोध्या काण्ड में राज–काज के केन्द्रीय प्रशासन के 18 विभागों में एक विभाग के प्रमुख अधिकारियों में कारागार अधिकारी व दण्डपाल व प्रदेष्ठा यानि मुख्य न्यायाधीश का वर्णन मिलाता है।

संबंधित साहित्य का अध्ययन- बुद्धकालीन राज व्यवस्था में सेना अर्थ और न्याय शासन के मुख्य विभाग से न्यायमंत्री को विनिश्यामात्या कहा जाता था। वह अभियोगों का निर्णय करने के साथ–साथ राजा से धर्म तथा विधि से संबंधित कार्यो में परामर्श भी देता था। वह गांव संबंधी मामलों को सुलझाने, अभियोगों के निर्णय, मद्यपान, जुऑ, पशु हिंसा जैसी दूषित प्रवृत्तियों को निषिद्ध कराने का दायित्व निभाता था । मादक वस्तुओं का क्रय–विक्रय भी उसी की अनुमति से होता था।[1]

चन्द्रगुप्त के शासनकाल में चाणक्य ने मौर्य साम्राज्य की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए कौटिल्य अर्थशास्त्र की रचना की। उस समय न्याय सुव्यवस्थित था, प्रत्येक ग्राम, संघ, संग्रहण, द्रोणमुख, जनपद संधि में न्यायालय स्थापित थे, सबसे ऊपर पाटिलपुत्र में मुख्य न्यायालय था। नीचे के न्यायालयों की अपील ऊपर के न्यायालयों में होती थी, एक कंटक शोधन, जिनमें फौजदारी के अभियोग और दूसरे धर्मस्थीय जिनमें व्यवहारिक दीवानी अभियोगों का निर्धारण होता था। शुक्राचार्य के अनुसार एक ही विधा है– दण्ड नीति के बिना किसी की सुरक्षा नहीं हो सकती। अत: सभी विधाओं में प्रधान यही है, यह विधा स्वत: पूर्ण है। महाभारत और मनुस्मृति आदि ग्रन्थों में प्रजा मातृ के प्रति दण्ड का विधान किया गया है।[2]

गुप्तकालीन समाज- गुप्त साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य के समान केन्द्रित व गठित नहीं था, परन्तु इस युग में चार प्रकार के न्यायालय थे। कुल श्रेणी गण और राजकीय न्यायालय पहले तीन न्यायालय जनता और चौथा सरकारी था । फाह्यान के विवरण के अनुसार उस जमाने में अपराध कम थे, दण्ड भी कठोर नहीं दिये जाते थे। प्राणदण्ड और शारीरिक दण्ड नहीं दिये जाते थे। राज्य के विरूद्ध षड़यंत्र करने पर सिर्फ दाहिना हाथ काटा जाता था। पश्चात् मध्यकाल में न्याय और व्यवस्था का आधार कुरान था, मोहम्मद तुगलक की न्याय और दण्ड नीति कठोर थी, न्याय और दण्ड धर्म पर आधारित और पक्षपातपूर्ण थे, शेरशाह सूरी का शासन निष्पक्ष और कठोर था। दण्ड का उद्देश्य अपराधी को सुधारने की बजाय जनता के सामने अपराध और दण्ड की भानकता दर्शाकर अपराधों को रोकना था। जहंगीर की न्याय व्यवस्था सराहनीय थी, अमीर गरीब का कोई भेद–भाव नहीं था, सभी को इंसाफ मिलता था। अकबर के शासनकाल में सम्राट ही सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। शाहजहां के शासनकाल में दीवाने खास में मुकदमों की सुनवाई होती थी। औरगंजेब के समय जज औरंगजेब के निजी चैम्बरों में सुनवाई करते थे।[3]

मुगलों के बाद मराठा युग की न्याय व्यवस्था सरल और युग की मांग के अनुकूल थी, कानूनों की व्याख्या प्रथाओं, परम्पराओं और धर्म के आधार पर की जाती थी। पेशवा स्वयं ही अपराधी की सुनवाई और दण्ड देते थे। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश शासनकाल में दीवानी और फौजदारी झगड़ों के लिए अलग–अलग अदलतों की

स्थापना की गई। लार्ड विलियम वैंटिग ने कोड़े मारने पर प्रतिबंध लगा दिया। लार्ड मैकाले के प्रयासों से दण्ड प्रक्रिया संहिता बनाई गई। 1857 में जेलों का निर्माण कार्य शुरू किया गया।[4]

ब्रिटिश शासन से पहले यह कहा जा सकता है कि आधुनिक अर्थों में कोई जेल नहीं थी और न ही जेल के भीतर कोई प्रशासन व्यवस्था थी। साधारण तौर पर जेलों की बजाय अर्थदण्ड से अपराधियों को सजा दी जाती थी। कुछ किलों को जेल बना दिया जाता था। सुनिश्चित जेलों का निर्माण ब्रिटिश शासनकाल के दौरान शुरू हुआ। देश में 1894 में भारतीय कारागार अधिनियम बनाया गया उस समय भारत में 43 सिविल 75 आपराधिक और 67 मिश्रित जेल थीं। जिला मजिस्ट्रेट जेलों के प्रधिकारी होते थे।

1830 में तमिलनाडु में महिलाओं के लिए पहली प्रेसीडेंसी जेल बैल्लोर में बनाई गई और उसके बाद 1872 में मद्रास में दूसरी जेल बनाई गयी। इन महिला जेलों के निर्माण के बाद पृथक-पृथक राज्यों में अलग-अलग महिला जेलों का निर्माण किया गया। उसी श्रृंखला में मध्प्रदेश में भी केन्द्रीय कारागार जबलपुर में महिला अपराधिताओं को निरूद्ध करने की व्यवस्था की गई। क्रिमिनेल्टी एमंग्स्ट वूमेन इन इंडिया 178 में जेल में महिला अपराधियों के पुनर्विन्यास के लिए कदम उठाये गये। इनका मानना था कि अपराध जगत में महिलाओं की उपस्थिति पुरूषों की तुलना में काफी कम होती है, फिर भी इनके अपराध को नकारा नहीं जा सकता। आपका मानना था कि सफेदपोश अपराधों व लूट-पाट में महिलाओं की संख्यायें अधिकतम हैं। कम उम्र की लड़कियों में अपराधवृत्ति की दर अपेक्षाकृत 21 वर्ष से अधिक उम्र की अपराधिताओं से धीमी थी। वैवाहिक महिलायें अविवाहित महिलाओं की तुलना में अधिक शामिल थीं। घरेलू, किसान, मजदूर महिलाओं की संख्या अपराध में अधिक थी। यद्यपि महिला अपराधिताओं की संख्या वर्तमान में दिन व दिन बढ़ती जा रही है, इसके लिए विभिन्न कारक जिम्मेवार हैं, शहरीकरण, पश्चिमीकरण, अत्याधुनिकता व फैशन तथा मनोरंजन के विभिन्न साधन इन्हें अपराध की ओर घसीट रहे हैं। तत्संबंध में जेल से विमुक्त महिला अपराधियों से पूछे गये मुख्य प्रश्न तालिका में आबद्ध हैं।[5]

महिला अपराधिताओं के पुनर्वास प्रशिक्षण का विवरण

विभिन्न चर	सरकारी योजनाओं की जानकारी	जेल में पुस्तकालय की सुविधा	योग, ध्यान व विभिन्न शिक्षाओं की सुविधा	अपराध के दुष्परिणामों की जानकारी	कुल/प्रतिशत
बरमान	15 11.11	10 7.40	18 13.33	2 1.48	45 33.33
नरसिंहपुर	20 14.81	08 5.02	07 5.18	10 7.40	45 33.33
इमझिरा	15 11.11	20 14.81	9 6.66	01 0.74	45 33.33
कुल/प्रतिशत	50 37.03	38 28.14	34 25.18	13 9.62	135 99.99

स्रोतः- साक्षात्कार अनुसूची के आधार पर।

उपरोक्त तालिका इस बात को स्पष्ट करती है कि ग्राम इमझिरा व चांवरपाठा में तथा बरमान में कुल 37.03 प्रतिशत अपराधिताओं का ये मानना था कि जेल से विमुक्ति

पश्चात् सरकारी योजनाओं का लाभ उन्हें मिल रहा है जिनमें बरमान से 11.11 , नरसिंहपुर से 14.81, इमझिरा से 11.11 प्रतिशत महिलायें शामिल थी। जिनको परिवार के संचालन में अपना पर्याप्त योगदान मिल रहा है। दूसरी ओर जब उनसे यह प्रश्न पूछा गया कि जेल में पुस्तकालय की सुविधा प्राप्त थी या नहीं तत्संबंध में 20.14 प्रतिशत का ये मानना था कि हमें पुस्तकालय से कोई लाभ नहीं हुआ। क्योंकि हम बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। 9.02 प्रतिशत अपराधितायें जिनमें बरमान से 1.40, नरसिंहपुर से 7.40 एवं इमझिरा से 0.74 प्रतिशत महिलाओं का ये मानना है कि अपराध के दुष्परिणामों के संबंध में हमको बहुत ज्यादा अनुभव नहीं है जिसकी जानकारी नहीं दी गई।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि जेल में निरूद्ध महिलाओं से व्यवसयिक प्रशिक्षण, योग, ध्यान व अन्य बिन्दुओं के संबंध में विभिन्न जानकारियां दी जाती हैं जो उनके विमुक्ति पश्चात् सकारात्मक स्थिति को निर्धारित करती है। इन सबके बावजूद भी मेरा यह मानना है कि महिला कैदियों के पुनर्वास के उपाय के रूप में उनकी नकारात्मक सोच को दूर करने के लिए काउंशलिंग की आश्यकता है, ताकि वे भविष्य में अपराध ही न करें। इसलिए उन्हें सामाजिक, नैतिक, आर्थिक व भावनात्मक दृष्टि से मजबूत बनाना होगा। महिलायें कठोर श्रम व मेहनत करने की भी क्षमता रखती हैं, इसीलिए उन्हें किसी उद्योग धन्धे में लगाया जा सकता है, जिसके लिए उन्हें प्रशिक्षण दिया आवश्यक होगा।

1. पापड़ मसाला, ताजा सब्जियों व फलों आदि की बिक्री जैसे छोटे उद्योगों से वे आत्मनिर्भर बन सकती हैं।
2. शैक्षणिक संस्थायें महिला कैदियों को प्रशिक्षित करने व उनके कौशल उन्नयन के कार्यों की जिम्मेवारी ले सकती हैं।
3. महिला कैदियों को अपनी शैक्षणिक योग्यता बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाये साथ ही अनपढ़ कैदियों को कोई न कोई हुनर सिखाया जाये तथा धर्म विश्वास के अनुसार पौराणिक आख्यानों के उद्धरणों से नैतिक शिक्षा की जानकारी देते हुए उनके पति और परिवार के सदस्यों के लिए काउंसलिंग की जाये। ताकि वे रिहाई के बाद अपराधों की दुनिया में दोबारा जाने से रोकने में मदद करें।
4. ग्रामीणों को अपराधों के दुष्परिणामों की जानकारी दी जाये। कैदियों को टेलनिंग, ग्लास पेंटिंग, पाट पेंटिंग, जूट बैग मेकिंग, फिनाइल, अगरबत्ती, अचार, पापड़, चटनी आदि का प्रशिक्षण देकर सहकारी समितियां बनाकर उत्पाद बेचने के लिए प्रोत्साहित किया जाये।
5. सिद्धदोष कैदियों को स्वयं सहायता समूह बनाकर एंजियों की मदद से बैंकों से वित्तीय सहायता लेकर अपना लघु उद्योग शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाये। साथ ही स्थानीय महिला संगठन महिला कैदियों के पुनर्वास के लिए प्रयास करे तथा सरकारी व विधिक प्राधिकारी यह सुनिश्चित करे कि महिला कैदियों के मुकद्मों को ठीक से निपटाने के प्रयास किये जायें ताकि विचाराधीन कैदी लम्बे समय तक जेलों में न रहें।

6. जगह-जगह सरकार प्राईवेट परामर्श केन्द्र स्थापित करे, जहां महिलायें अपनी व्यक्तिगत समस्याओं के लिए परामर्श ले सकें। साथ ही पुनर्वास कार्यक्रमों के प्रभाव को आंकलन भी किया जाये और उन्हें सुधारने का प्रयास किया जाये।
7. समाज एक बार के अपराधी को हमेशा अपराधी समझने के अपने नजरियें में बदलाव लाये और रिहा व्यक्तियों के प्रति संवेदनशील हो। साथ ही स्वेच्छिक संगठनों व स्वेच्छिक संस्थाओं को आगे बढ़कर कैदियों की मदद करना होगी तथा पुनर्वास के उपायों में आर्थिक व सामाजिक जरूरतों दोनों को शामिल किया जाये।

अंतिम बिन्दु पर पुनर्वास उपायों का अंतिम उद्देश्य महिला कैदियों को पति परिवार व समाज में स्वीकार करना है। वे जिस घर परिवार व समाज से उठकर जेल पहुंची थी वहीं दोबारा लौटकर मुख्यधारा में शामिल होना है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची-

1. वर्मा विश्वनाथ प्रसाद, आधुनिक भारतीय राजनैतिक चिंतन , लक्ष्मीनारायण अग्रवाल, आगरा पेज-103 सन् 1988
2. सतेन्द्र, जीवन परिचय, कबीर साहित्य, नई दिल्ली प्रकाशन विभाग भारत सरकर वर्ष 2001 पेज- 10-12
3. बावेल बसंतीलाल, बौद्धिक सम्पदा कानूनी पेज 6- 168 , वर्ष -2000 सेन्ट्रल लॉ एजेंसी इलाहाबाद
4. मजूंमदार राय, चौधरी भारती का वृहद इतिहास, भाग-3, मैकमिलन इंडिया लिमिटेड दिल्ली , 1955 पृ. 92-93
5. Abrahamsen, D., Crime and the Human Mind, Columbia University Press, New York, 1944
6. Cavan , Ruth S., Criminology, Crowell, New York, 1955
7. Deb. R.,m Poice and Law Enforcement, S.C. Shankar and Sons Pvt. Ltd. Calcutta, 1985.
8. Lombroso, C., Crime, Its Causes and Remedies, Trans. by H.P. Horton, Little Brown, Boston, 1911.
9. Matza, David, Delinquency and Drift, Wiley, New York, 1964.
10. Merton, Robert K., Social structure and Anomie, American Sociological Review 3 (October), pp. 672-692 reprinted pp. 238-246 in marvin E.Wolfgang .

UGC Journal No. (Old) 40942,
Peer- Reviewed Research Journal
Impact Factor 5.125 (IIFS) ISSN 0973-3914
Vol.- 37, Hindi Edition, Year-19, July - Dec. 2022

घरेलू हिंसाः वर्तमान समय की गहन समस्या व समाधान

• अलका रानी

सारांश- घरेलू हिंसा से तात्पर्य वैवाहिक दुर्व्यवहार, अतरंग साथी हिंसा, घरेलू मारपीट या पारिवारिक हिंसा आदि से है। घरेलू हिंसा दुनिया के लगभग हर समाज में मौजूद है, जिसकी जड़ें हमारे समाज एवं परिवार में गहराई तक जम गई है। परिवार एवं समाज के संबंधों में पर्याप्त ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार,अपमान एवं विद्रोह घरेलू हिंसा के मुख्य कारण है। प्रकृति ने महिला और पुरुष की शारीरिक सरचनाएं जिस तरह की है उनमें महिला हमेशा नाजुक एवं कमजोर रही है वही हमारे देश में यह माना जाता रहा है कि पति को पत्नी पर हाथ उठाने का अधिकार शादी के बाद मिल जाता है।परिवार में हिंसा शिकार सिर्फ महिलाएं ही नहीं बल्कि वृद्ध और बच्चे भी बन जाते हैं। प्रस्तुत लेख में घरेलू हिंसा, इसके प्रकार और विशेष रूप से वर्तमान समय में महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा के बारे में चिंतन किया गया है।

मुख्य शब्द - घरेलू हिंसा,वैवाहिक दुर्व्यवहार, घरेलू मारपीट

1. भूमिका- घरेलू हिंसा से तात्पर्य वैवाहिक दुर्व्यवहार, अतरंग साथी हिंसा, घरेलू मारपीट या पारिवारिक हिंसा आदि से है। यदि कोई ऐसा व्यक्ति जिसका महिला के पारिवारिक संबंध है के द्वारा किसी महिला का शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक,मौखिक, मनोवैज्ञानिक या यौन शोषण किया जाता है तो यह घरेलू हिंसा में सम्मिलित माना जाता है। राज्य महिला आयोग के अनुसार कोई भी महिला यदि परिवार के पुरुष द्वारा की गई मारपीट या अन्य प्रताड़ना से ग्रहस्त है तो वह घरेलू हिंसा की शिकार कहलाएगी। यदि कानूनी रूप से घरेलू हिंसा की बात की जाये तो "घरेलू हिंसा के विरुद्ध महिला संरक्षण अधिनियम की धारा 2005" ने घरेलू हिंसा को निम्न प्रकार परिभाषित किया है, "प्रतिवादी का कोई बर्ताव,भूल या किसी ओर को काम करने के लिएनियुक्त करना, घरेलू हिंसा में माना जाएगा।" इसमें महिला को हानि पहुंचाना, जख्मी करना या पीड़ित व्यक्ति के स्वस्थ जीवन अंगो या हित को मानसिक या शारीरिक रूप से खतरे में डालना या ऐसा करने की नीयत रखना शामिल हैं। इसमें शारीरिक, यौनिक, मौखिक या भावनात्मक और आर्थिक शोषण भी सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त:

- दहेज या अन्य संपत्तिया मूल्यवान प्रतिभूति की अवैध मांग को पूरा करने के

• **प्रोफेसर व संकायाध्यक्ष, समाजशास्त्र विभाग, मदरहुड विश्वविद्यालय, रूडकी (हरिद्वार)**

लिए महिला या उसके रिश्तेदारों को मजबूर करने के लिए यातना देना, नुकसान पहुंचाना या जोखिम में डालना; या

- पीड़ित या उसके निकट संबंधियों पर उपरोक्त वाक्यांश; या भारत में सम्मिलित किसी आचरण के द्वारा दी गई धमकी का प्रभाव होना या
- पीड़ित को शारीरिक या मानसिक तौर पर घायल करना या नुकसान पहुंचाना। या शिकायत किया गया कोई व्यवहार या आचरण भी घरेलू हिंसा के दायरे में आता है। हालाँकि इसका निर्णय प्रत्येक मामले के तथ्य विशेष के आधार पर किया जाता है।

2. घरेलू हिंसा के विभिन्न रूप- भारत में घरेलू हिंसा के विभिन्न रूप्हैं:

2.1. महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा- किसी भी महिला को शारीरिक एवं मानसिक रूप से दुख पहुंचाना महिला के विरुद्ध घरेलू हिंसा है। इसमें महिलाओं का शोषण करना उसके साथ मारपीट करना, यौन इच्छाओं की पूर्ति के लिए उसके साथ दुर्व्यवहार करना, महिला को अपमानित करना, महिलाओं को अश्लील साहित्य व अश्लील तस्वीरों को देखने के लिए विवश करना,या उन्हें आत्महत्या की धमकी देना आदि घरेलू हिंसा के रूप ही हैं।

2.2. पुरुषों के विरुद्ध घरेलू हिंसा- महिलाएं हीघरेलू हिंसा की शिकार हुई हों ऐसा नहीं है। भारत में घरेलू हिंसा का शिकार पुरुष भी हुए हैं, और यह गंभीर विषय है कि यह स्थिति धीरे-धीरे बढ़ती जा रही है। इसका प्रमुख उदाहरण चंडीगढ़ और शिमला में सैकड़ों पुरुषों द्वारा अपनी पत्नियों और परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ घरेलू हिंसा होने के कारण सरकार से गुहार लगाना रहा है।

2.3. बच्चों के विरुद्ध घरेलू हिंसा- भारतीय समाज में महिलाओं व पुरुष के अतिरिक्त बच्चे एवं किशोर भी हिंसा के शिकार होते हैं। यदि आंकड़ों की बात की जाये तो बच्चों के साथ घरेलू हिंसा के मामलों को महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा के बाद दूसरे स्थान पर रखा गया है। हालाँकि ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों घरेलू हिंसा का अधिकतर शिकार होते हैं। इसके अलावा उच्च एवं निम्न वर्ग के परिवारों में इसके स्वरूप में भिन्नता पाई जाती है।

2.4. बुजुर्गों के विरुद्ध घरेलू हिंसा- इस प्रकार के घरेलू हिंसा में घर के बुजुर्गों के साथ परिवार के सदस्यों द्वारा किया गया दुर्व्यवहार शामिल होता है अर्थात् इस घरेलू हिंसा में हिंसा का शिकार घर की बुजुर्ग महिला या पुरुष होते हैं। भारत में इस प्रकार के घरेलू हिंसा अत्यंत संवेदनशील है जिसमें बुजुर्गों के साथ मारपीट करना उनसे अधिक घरेलू कार्यों को कराना उनकी आवश्यकताओं को पूरा न करना आदि कार्य शामिल है ।

3. घरेलू हिंसा के कारण- घरेलू हिंसा के कारणों को वर्णन निम्न प्रकार किया जा सकता है–

1. यह सर्व धारणा है कि महिलाएँ पुरुषों की अपेक्षा शारीरिक एवं भावनात्मक रूप से कमजोर होती हैं। कुछ लोगों की यह मानसिकता भी है कि वे महिलाओं के शारीरिक एवं भावनात्मक रूप से कमजोर होने के कारण उनके साथ हिंसात्मक कार्यों को आसानी से अंजाम दे देंगें, इसलिये वे महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार व हिंसात्मक कार्य करने लगते है। अत: बुरी मानसिकता होना घरेलू हिंसा होने का प्रमुख कारण है।

2. कुछ व्यक्ति महिला के चरित्र पर संदेह करते हैं जिससे उन्हें वह अनेक तरह के आरोप लगाकर प्रताड़ित करते हैं। यह भी घरेलू हिंसा होने का अन्य कारण है।
3. महिलाओं द्वारा यौन संबंधों को बनाने से इंकार करना, स्वादिष्ट खाना बनाने से इनकार, पति पत्नी के बीच में दहेज विवाद, सभी को बिना बताए घर से बाहर जाना, बच्चों की वजह से मतभेद आदि से भी पुरुष लोग घरेलू हिंसा करने लगतें हैं।
4. पतियों के निर्देशों का पालन न करना विवाह से संबंधित बातें, आय का कम होना, घरेलू कार्य में स्त्रियों का साथ ना देना, शराब या नशे का सेवन, पुरुषों का बांझपन, पति-पत्नी द्वारा एक दूसरे के परिवारों के लिए कटु वचनों का प्रयोग करना आदि कारण महिलाओं के पुरुषों के प्रति होने वाली घरेलू हिंसा के प्रमुख कारण हैं।
5. कुछ व्यक्तियों के साथ घरेलू हिंसा होने का कारण उनका अपने माता-पिता पर पैसा खर्च करना अपने माता-पिता को भावनात्मक रूप से पीड़ित करना व उनसे दूर होने के लिए उन्हें प्रताड़ित करना शामिल हैं। साथ ही उनके साथ मारपीट करना भी इसी श्रेणी में आता है।
6. इसके अतिरिक्त महिलाओं में घरेलू हिंसा का कारण उनके द्वारा ससुराल के सदस्यों की देखभाल न करना, महिलाओं में बांझपन एवं वैवाहिक संबंधो में लिप्त रहना सभी घरेलू हिंसा के कारण हैं।

4. घरेलू हिंसा : दुष्प्रभाव- घरेलू हिंसा के प्रमुख दुष्प्रभाव शारीरिक, मानसिक व भावनात्मक प्रभाव हैं। परिवार में आपसी रिश्तों, आस-पड़ोस के साथ बच्चों पर भी हिंसा का सीधा दुष्प्रभाव देखा जा सकता है। इसके मुख्य प्रभाव निम्न प्रकार के हैं-

- यदि कोई व्यक्ति घरेलू हिंसा का शिकार होता है तो उसके मन में यह डर बाहर निकालना अत्यधिक कठिन होता है क्योंकि उसके मन में एक नकारात्मक सोच पैदा हो जाती है जिससे उसका बाहर निकलना कठिन हो जाता है।
- घरेलू हिंसा के शिकार व्यक्ति पर इस बात का तनिक असर होता है कि जिस व्यक्ति पर हम विश्वास करते हैं वही हमारे साथ हिंसा करता है। इसलिए उसका रिश्ता ऊपर से विश्वास उठ जाता है और वह आत्महत्या जैसे अपराध पर बैठता है क्योंकि वे जीवन के अपने आप को अकेला महसूस करने लगता है।
- घरेलू हिंसा का शिकार व्यक्ति कई बार अपना मानसिक संतुलन भी खो बैठता है।
- सीटी स्कैन आदि से पता चला है कि जिन बच्चों ने अपना जीवन इस घरेलू हिंसा को देखते-देखते गुजारा है, उनके मस्तिष्क का कोलौसक और हिमैपाकेमप्स भाग सिकुड़ जाता है, जिससे उनकी सीखने व संज्ञानात्मक भावनात्मक समझने की क्षमता कम हो जाती है। इस प्रकार घरेलू हिंसा का सबसे अधिक व्यापक प्रभाव बच्चों पर पड़ता है।
- साथ ही इस प्रकार की घरेलू हिंसा के शिकार बालक-बालिकाओं के मस्तिष्क पर इसका प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता है और लड़के गुस्सैल हो जाते हैं वह सही तरीके से बात नहीं करते और किसी का सम्मान भी नहीं करते इसके विपरीत

घरेलू हिंसा की शिकार हुई लड़कियां डरपोक और आत्मविश्वास से कमजोर हो जाती हैं।

5. पुलिस की भूमिका- घरेलू हिंसा के प्रकरणों में कई बार पुलिस द्वारा FIR दर्ज नहीं की जाती। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रताड़ित महिलाओं को FIR की नकल भी नहीं दी जाती है। मांगने पर अकारणउन्हें परेशान किया जाता है। आंकड़े बढ़ जाएंगे इस कारण भी पुलिस केस पंजीकृत करने से बचती है।

पति द्वारा महिलाओं को पीटने एवं मानसिक यातना देने को पुलिस बहुत बड़ा मुद्दा मानती है। उनका कहना होता है कि, पति जी ने तो ही पीटा है, ऐसी क्या बात हो गई पति मारता है तो प्यार भी तो करता है यह कहकर पुलिस महिला को टाल देती है।

थाने में सिर्फ एक या दो महिला सिपाही ही है। महिला या घरेलू हिंसा से संबंधित प्रकरणों में प्राय: उनका हस्तक्षेप कम कर दिया जाता है क्योंकि उनका अधिकारी सहित बहुमत पुलिस का है। यही कारण है कि महिला पुलिसकर्मी भी घरेलू हिंसा की शिकार महिला की ज्यादा सहायता नहीं कर पाती है। कई बार तो उनका पुलिस वाले भी उनका शोषण करते हैं। पुलिसकर्मो रिश्वत लेकर प्रताड़ित महिला को समझौते के लिए विवश करते हैं। पुलिस का कहना होता है कि दहेज तथा घरेलू हिंसा के झूठे प्रकरण ही अधिक होते हैं। 98 प्रतिशत मामलों में पुलिस बिना किसी प्रशिक्षित परिवारिक परामर्शदाता के सलाह देती हैं अथवा समझौता करा देती है। समझोते में न तो घटना का ब्यौरा होता है और ना ही पति द्वारा यह लिखा जाता है कि भविष्य में वह ऐसा नहीं करेगा।

6. घरेलू हिंसा समाधान- घरेलू हिंसा समाधान में निम्न कदम महत्वपूर्ण हो सकते हैं:

6.1 "पुरुषों को महिलाओं के खिलाफ रखने" के स्थान पर पुरुषों को इस समाधान का भाग बनाया जाए। मर्दानगी की भावना को स्वस्थ मायने में बढ़ावा देने और पुराने घिसे-पिटे ढेर से छुटकारा पाना अनिवार्य है।

6.2. सरकार ने वन स्टॉप सेंटर जैसी योजनाएं प्रारंभ की हैं जिनका उद्देश्य हिंसा की शिकार महिलाओं की सहायता के लिए चिकित्सीय, कानूनी और मनोवैज्ञानिक सेवाओं की एकीकृत रेंज तक उनकी पहुंच को सुगम व सुनिश्चित करता है।

6.3. महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा के बारे में जागरूकता फ़ैलाने के लिए वोंग इंडिया ने "लड़के रुलाते नहीं" अभियान चलाया जबकि वैश्विक मानवाधिकार संगठन ब्रेक F द्वारा घरेलू हिंसा के खिलाफ 'बेल बजाओ' अभियान चलाया गया। यह दोनों ही अभियान महिलाओं के साथ होने वाली घरेलू हिंसा से निपटने के लिए निजी स्तर पर किए गए सफल प्रयास थे।

अन्य उपाय निम्नवत हो सकतें हैं -

6.4. शिक्षा संस्थाओं में छात्राओं को खुलकर घरेलू हिंसा पर शिक्षा देनी चाहिए ताकि वे घरेलू हिंसा का शिकार ना हो। उन्हें काउंसिलिंग तथा कानूनी ज्ञान की जानकारी देना उचित होगा।

6.5. सामान्यत: ग्रामीण क्षेत्रों में पता लग जाता है कि किसके घर में समस्या चल रही है, लेकिन शहरी क्षेत्रों में यह पता नहीं लग पाता है । इस कारण वहां हर स्तर पर बात करने की आवश्यकता है।

6.6. शिक्षा के साथ-साथ लड़कियों में आत्मविश्वास पैदा हो, ऐसा प्रयास करना चाहिए। यह कार्य शिक्षा का है।

6.7. संपत्ति में भी लड़कियों को पूरा अधिकार होना चाहिए घर का वातावरण लड़की को आत्मविश्वासी बनाता है अतः उसे मजबूत करने की आवश्यकता है। हालाँकि यह सरकार द्वारा पैत्रिक संपत्ति में लड़कियों/महिलाओं का हिस्सा तैय कर दिया है परंतु फिर भी समाज का भय दिखा कर, शादी के बाद पिता के घर ना आने देना आदि भय दिखा कर लड़कियों/महिलाओं से शादी के बाद अपने हिस्से को न लेने पर हस्ताक्षर करा लिए जातें हैं, इससे उन्हें अपने हिस्सा नहीं मिल पाता।

7. महिला घरेलू हिंसा कानून- इस कानून का उद्देश्य घरेलू रिश्तो में हिंसा झेल रही महिलाओं के तत्काल से आपातकालीन राहत पहुंचाना है। इस कानून का मुख्य उद्देश्य किसी भी महिला को हिंसा मुक्त घर में रहने का अधिकार दिलाना है।

हमारे इस समाज में महिलाओं के लिए ना मायके में कोई जगह है और ना ही ससुराल में। यही कारण है कि महिलाएं सर छुपाने के लिए और पैर टिकाने के लिए जमीन के एवज बहुत कुछ अनचाहे समझौते करती रहती है। यह भारत में पहला ऐसा कानून है जो महिलाओं को अपने घर में रहने का अधिकार देता है। इस कानून के अनुसार महिला के साथ हुए घरेलू हिंसा यानी ऐसी कोई भी हरकत या व्यवहार जो कि महिला के शरीर के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होकर दर्द या चोट पहुंचाए। ऐसा कोई भी आपत्तिजनक व अनचाहा यौनिक व्यवहार व हरकत जो महिला को शारीरिक कष्ट या अपमानित करें या उसके मान सम्मान को चोट पहुंचाएं। ऐसी समस्त घरेलू संसाधन व सुविधायें है जिसके महिला व उसके बच्चे को जरूरत है एवं जिस पर उनका अधिकार बनता है।

इस कानून के तहत घरेलू हिंसा की रोकथाम के लिए जज या अदालत 3 दिन के अंदर बचावकारी आदेश एवं गिरफ्तारी के वारंट जारी करेंगे। घरेलू हिंसा से पीड़ित कोई भी महिला अदालत या जज के समक्ष स्वयं अथवा वकील सेवा प्रदान करने वाली संस्था या संरक्षक अधिकारी की मदद से अपनी सुरक्षा के लिए बचावकारी आदेश ले सकती हैं। इस कानून के अंतर्गत मिलने वाली राहत के बचाव कार्य आदेश क्षतिपूर्ति भरण पोषण बच्चों का संरक्षण और आवश्यकता होने पर रहने की जगह दी जाती है। इस कानून के अंतर्गत नियुक्त संरक्षण अधिकारी की जिम्मेदारी यह है कि पीड़ित महिला को आवेदन लिखने में सहायता करना तथा आवेदन को जज तक पहुंचाना एवं कोर्ट से राहत दिलावाना आदि शामिल हैं।

8. उपसंहार- भारत में महिलाओं की स्थिति को लेकर हमेशा चिंता जताई जाती है। लेकिन गत कुछ वर्षों में सरकारी प्रयासों और समाज बदलते परिवेश में महिलाओं की स्थिति सुधर रही है। समाज और परिवार में महिलाओं की स्थिति में धीरे-धीरे ही सही पर सकारात्मक परिवर्तन आ रहा है। सरकार ने महिलाओं और बच्चों को घरेलू हिंसा संरक्षण देने के लिए घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 (घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम) को संसद से पारित भी कराया है। इस कानून के तहत सभी प्रावधानों का पूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिए समझना जरूरी है कि पीड़ित कौन है। यदि आप एक महिला है और आपके रिश्तेदारों में से कोई व्यक्ति आपके प्रति दुर्व्यवहार करता है तो आप इस अधिनियम के

तहत कारवाई कर सकती हैं। मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 2017 (सालेलकर, 2018) द्वारा भी भारत मानसिक स्वास्थ्य के प्रति गंभीर हो गया है लेकिन इसे और अधिक प्रभावशाली बनाने की आवश्यकता है। साथ ही घरेलू हिंसा से उबरने वाले परिवारों के पेशेवर मानसिक सेवाओं का लाभ उपलब्ध कराने के लिए तंत्र विकसित करने की जरूरत है। यह परिवर्तन शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक के आंकड़ों में दिखाई देता है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में देश में प्रगति भी हुई है, लेकिन बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ और अधिक प्रयासों की जरूरत है। ऐसा ही एक क्षेत्र है –घरेलू हिंसा के जिसके प्रति महिलाएँ जागरूक तो हुई हैं लेकिन इसमें ओर अधिक प्रयासों की आवश्यकता है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची-

1. प्रो. आभा एवं ममता (2010)– घरेलू हिंसा अधिकारों के प्रति जागरूकता, आहूजा प्रकाशन दिल्ली
2. सालेलकर, अम्बा (2018), मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 2017 की समीक्षा whiteswanfoundation-org-
3. सक्सेना, अल्का व गुप्ता, चन्द्रसुभाष (2011), पारिवारिक प्रताड़ना एवं महिलाएं, राधा पब्लिकेन्स,नई दिल्ली
4. सिंह, निशात (2011), अपराध बनाम महिलाएँ, खुशी प्रकाशन, दिल्ली
5. शर्मा, एम के. (2010), भारतीय समाज में नारी, पब्लिशिंग हाउस दिल्ली
6. श्रीवास्तव, सुधारानी (2009), महिला उत्पीड़न और वैधानिक उपचार, अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली।

UGC Journal No. (Old) 40942,
Peer- Reviewed Research Journal
Impact Factor 5.125 (IIFS) ISSN 0973-3914
Vol.- 37, Hindi Edition, Year-19, July - Dec. 2022

भारतीय अर्थव्यवस्था और वर्तमान आर्थिक चुनौतियाँः एक विश्लेषण

• बिन्ध्याचल साह

सारांश- कोरोना महामारी और रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बाधित हुई है। इससे खाद्यान्नों, ईंधनों, रसायनिक उर्वरकों और गैस की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि हुई है, जिसके कारण पूरे विश्व में मुद्रास्फीति तेजी से बढ़ रही है। साथ ही, अनिश्चितता के कारण विनिमय दर अस्थिर हो गया है। केंद्रीय बैंक अपने मुख्य दरों को मुद्रास्फीति नियंत्रित करने के लिए लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। इससे आमजन प्रभावित हो रहे हैं। भारत में भी इसका गंभीर असर देखने को मिल रहा है। भारत में खुदरा मुद्रास्फीति लगातार 6 प्रतिशत के ऊपर बनी हुई है। इससे निपटने के लिए केंद्रीय बैंक रेपो रेट को बढ़ाते हुए 6.25 प्रतिशत तक पहुंच गया है। इससे एक ओर जहां कर्ज महंगा हुआ है। और निजी निवेश हतोत्साहित हो रहा है, वहीं दूसरी ओर, अर्थव्यवस्था में गिरावट दर्ज की जा रही है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 2022 के लिए भारत का विकास दर 7.4 प्रतिशत से घटाकर 6.8 प्रतिशत कर दिया है। आज भारतीय अर्थव्यवस्था अनेक चुनौतियों का सामना कर रही है। इसमें बढ़ती मुद्रास्फीति, घटता विदेशी मुद्रा भंडार, बढ़ता व्यापार घाटा, चालू-खाता घाटा एवं राजकोषीय घाटा, रुपए का मूल्य-ह्रास, बढ़ती बेरोजगारी आदि प्रमुख हैं।

मुख्य शब्द - मुद्रास्फीति, खाद्य-श्रृंखला, मूल्य-ह्रास, विदेशी मुद्रा-भंडार, चालू खाता-घाटा, विनिमय-दर

प्रस्तावना- वैश्वीकरण के कारण सभी देश एक-दूसरे के साथ जुड़ गए हैं। विश्व में कहीं भी कोई हलचल होती है, तो इसका प्रभाव अन्य देशों पर भी पड़ता है, चाहे वह युद्ध हो, महामारी हो या फिर कोई आर्थिक या प्राकृतिक घटना। विगत दिनों हमने इसे देखा और महसूस किया है। कोविड महामारी से जब पूरी दुनिया परेशान थी, तो इससे निपटने के लिए बृहद पैमाने पर लॉकडाउन को अपनाया गया, जिससे आर्थिक गतिविधियां ठप्प पड़ गई और आयात-निर्यात बाधित होने से पूरा विश्व मंदी की चपेट में आ गया। कोरोना महामारी के प्रभाव से विश्व अभी बाहर निकल ही रहा था कि रूस-यूक्रेन में युद्ध शुरू हो गया। इस युद्ध के कारण पूरी दुनियाँ में ईंधन, गैस और खाद्यान्नों की कीमतों में आग लगी हुई है। इसकी आंच से कई सरकारों (श्रीलंका, ब्रिटेन, पाकिस्तान आदि) का तख्तापलट

• **सहायक प्राध्यापक, अर्थशास्त्र विभाग, बलिराम भगत महाविद्यालय समस्तीपुर, बिहार**

हो चुका है तो कई देशों (नेपाल, बंग्लादेश, फ्रांस, जर्मनी आदि) में आम जनता सरकार के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन कर रही है। मुख्यत: आपूर्ति श्रृंखला के बाधित होने से सभी देशों में घरेलू कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। इससे निपटने के लिए वहां के केंद्रीय बैंक लगातार अपने मुख्य दरों को बढ़ा रहे हैं। इससे लोगों की क्रय-क्षमता निरंतर गिर रही है, निजी निवेश हतोत्साहित हो रहा है और उद्योग-धंधों के वृद्धि दर पर नकारात्मक असर पड़ रहा है। कुल मिलाकर पूरे विश्व का ग्रोथ रेट गिर रहा है। भारत का भी जीडीपी वृद्धि दर निरंतर गिर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, रेटिंग एजेंसियां और शोध संस्थान भारत के विकास दर को निरंतर घटाते जा रहे हैं। भारत की चुनौतियां अलग तरह की हैं। हम एक विकासशील अर्थव्यवस्था वाले विशाल और विश्व में दूसरे नंबर की जनसंख्या वाला देश हैं। देश में अभी भी गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, भाग्यवादिता और अंधविश्वास विद्यमान है। देश में जन्म-दर एवं मृत्यु-दर अधिक है। बचत-दर, पूंजी-निर्माण दर और निवेश-दर विकसित देशों की अपेक्षा बहुत हीं कम है। देश में उद्यमिता, नई तकनीक और शोध का अभाव है। अभी भी हम पूंजी और तकनीक के लिए विकसित देशों पर निर्भर है। मानसून की अनिश्चितता, कृषि क्षेत्र के माध्यम से एक बड़ी आबादी और राष्ट्र को प्रभावित करती है। विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मानकों और सूचकांकों में हम बहुत पीछे हैं। इस स्थिति में वैश्विक अनिश्चितता, प्राकृतिक आपदाओं, वर्चस्व के लिए राष्ट्रों के बीच संघर्षों, वैश्विक आर्थिक घटनाओं एवं निर्णयों का असर हमारी विकासशील अर्थव्यवस्था पर तीव्रता से पड़ रहा हैं। वर्तमान वैश्विक घटनाक्रमों और अन्यान्य कारणों से भारतीय अर्थव्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हुई है। हमारी मुद्रा का निरंतर मूल्यह्रास होता जा रहा हैं। इससे निपटने के लिए केंद्रीय बैंक डॉलर को बाजार में बेच रहा है। साथ हीं, बढ़ती घरेलू मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए रेपो रेट को बढ़ाते जा रहा है। इसका असर पूंजी की मांग, निवेश और आर्थिक गतिविधियों पर पड़ रहा है। अमेरिका के केंद्रीय बैंक द्वारा फेड दरों को लगातार बढ़ाने के कारण डॉलर निरंतर मजबूत और आकर्षक विकल्प बनता जा रहा है, जिससे विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक अपने निवेश को भारी मात्रा में निकाल कर ले जा रहे हैं। इससे विदेशी मुद्रा भंडार (डॉलर) निरंतर कम होते जा रहा है। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में अवरोध के कारण देश के आयात-निर्यात में असंतुलित वृद्धि होने से व्यापार-घाटा, चालू खाता-घाटा और राजकोषीय घाटा निरंतर बढ़ रहा है। सरकार इससे निपटने के लिए भारी मात्रा में कर्ज ले रही है और विनिवेश को बढ़ावा दे रही हैं। देश में बढ़ती आबादी, गुणवत्तापूर्ण व्यवसायिक शिक्षा, उद्यमिता, पूंजी निवेश, नवन्मेष; शोध आदि की कमी, सरकारी उदासीनता एवं संकल्प हीनता तथा उचित नियोजन एवं प्रबंधन के अभाव के कारण बेरोजगारी की समस्या निरंतर बढ़ती जा रही है। विकसित भारत और मजबूत भारत बनने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमें पूरी रणनीति, कार्य-योजना एवं संकल्प के साथ उपरोक्त चुनौतियों से निपटना और आगे बढ़ना होगा।

अध्ययन का उद्देश्य-

- वर्तमान वैश्विक आर्थिक चुनौतियों को जानना।
- वर्तमान वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के लिए उत्तरदायी कारणों को जानना।

- भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष उत्पन्न वर्तमान आर्थिक चुनौतियों और इसके कारणों को जानना।
- वर्तमान आर्थिक चुनौतियों का भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों को जानना।
- वर्तमान आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए उठाये गये कदमों को जानना और उचित सुझाव देना।

शोध विधि एवं प्रविधि- यह शोध पत्र पूर्णतः द्वितीयक आंकड़ों पर आधारित है। इस शोध पत्र को तैयार करने के लिए विभिन्न आर्थिक और वित्तीय संस्थानों द्वारा समय-समय पर जारी आंकड़ों, रिपोर्टों, पत्र-पत्रिकाओं के आलेखों, अखबारों तथा सोशल मीडिया प्लेट फॉर्मस, वेबसाईट आदि का उपयोग किया गया है। प्रस्तुत आलेख में गणितीय अंकों, दशमलव, प्रतिशत आदि का प्रयोग किया गया है। इस शोधपत्र में विश्लेषणात्मक अप्रोच को अपनाया गया हैं।

परिकल्पना- वर्तमान वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के लिए कोरोना महामारी, रूस-यूक्रेन युद्ध और स्वार्थपूर्ण नीतियों के कारण बाधित आपूर्ति श्रृंखला जिम्मेवार है। भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष उत्पन्न वर्तमान आर्थिक चुनौतियों के लिए वैश्विक कारण उत्तरदायी है। भारत की अर्थव्यवस्था का आधार मजबूत है और वह आर्थिक चुनौतियों का सामना करने में सक्षम है।

तथ्य और आंकड़े- वैश्विक अनिश्चितता के कारण प्रत्येक देश की अर्थव्यवस्था कठिनाई के दौर से गुजर रही है। लगभग सभी देशों का विकास दर गिर रहा है और महंगाई एवं बेरोजगारी बढ़ रही है। वैश्विक उथल-पुथल का प्रभाव भारत पर भी पड़ा है। कोरोना महामारी के पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही थी, लेकिन कोरोना वायरस से निपटने के लिए अपनाए गये ल,कडाउन के कारण आर्थिक गतिविधियां ठप्प पड़ गई और आपूर्ति श्रृंखला बाधित हो गई। इसके बाद रूस- यूक्रेन युद्ध ने आग में घी डालने का काम किया। साथ हीं, ओपेक देशों द्वारा कच्चे तेल के उत्पादन में कटौती के कारण भी महंगाई को बल मिला। फलतः देशों में महंगाई बढ़ती गई, जिससे निपटने के लिए सरकारें ब्याज दर बढ़ाती चली गईं।अनेक देशों की तरह भारतीय अर्थव्यवस्था भी आज अनेक चुनौतियों से गुजर रही है। वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष उपस्थित कुछ प्रमुख चुनौतियां इस प्रकार हैं-

बढ़ती मुद्रास्फीति- बाधित आपूर्ति श्रृंखला, मॉनसून की अनिश्चितता, ओपेक देशों द्वारा तेल के उत्पादन में कटौती और महंगे होते कच्चे तेल आदि कारणों से घरेलू कीमतें तेजी से बढ़ रही है। कच्चा तेल जब महंगा होता है, तो वस्तुओं और सेवाओं की ढुलाई लागत बढ़ जाती है, जिससे उनकी कीमतों में वृद्धि होने लगती है। थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति सितंबर, 2022 में 10.7 प्रतिशत थी। 12 अक्टूबर, 2022 को जारी आंकड़ों के अनुसार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित खुदरा महंगाई दर सितंबर, 2022 में बढ़कर 7.41 प्रतिशत हो गई है। एक साल पूर्व सितंबर, 2021 में यह 4.5 प्रतिशत थी। खुदरा महंगाई दर पिछले 9 महीनों से भारतीय रिजर्व बैंक के 6 प्रतिशत के ऊपरी सीमा से ऊपर बनी हुई है। यही कारण है कि आरबीआई रेपो रेट को लगातार बढ़ाते

जा रहा है। वर्तमान में रेपो रेट 6.25 प्रतिशत तक जा पहुंचा है।

कोविड-19 और रूस-यूक्रेन युद्ध के चलते बाधित हुई आपूर्ति श्रृंखला से खाद्यान्न कीमतों, ईंधन कीमतों, रासायनिक उर्वरकों की कीमतों और गैसों की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हुई है। वैश्वीकरण के कारण विश्व की सभी अर्थव्यवस्थाएं एक-दूसरे से जुड़ी हुई है, जिस कारण प्रत्येक देश मुद्रास्फीति का सामना कर रहा है। मुद्रास्फीति से निपटने के लिए प्रत्येक देश के केंद्रीय बैंक अपने मुख्य ब्याज दरों को बढ़ाते जा रहे हैं। अमेरिकी केंद्रीय बैंक ने भी घरेलू मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए अपने फेड दरों को आक्रामक ढंग से बढ़ाया है। अमेरिका में महंगाई 40 वर्षों के उच्चतम स्तर पर जा पहुंची है। सितंबर, 2022 में वहां महंगाई दर 8.2 प्रतिशत पर पहुंच गई है। यह अगस्त, 2022 में 7.8 प्रतिशत पर थी। यही कारण है कि वहां का केंद्रीय बैंक ब्याज दरों को लगातार बढ़ा रहा है। अमेरिकी केंद्रीय बैंक महंगाई दर को 2 प्रतिशत पर लाने के लिए सितंबर, महीने में लगातार तीसरी बार फेड दरों में 0.75 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर चुका है।

क्रिसिल के मुख्य अर्थशास्त्री डीके जोशी के अनुसार, "ऊंची महंगाई दर से खासकर गरीबों की क्रय-शक्ति सिकुड़ जाएगी। कुल मिलाकर रुपए के टूटने से अर्थव्यवस्था पर काफी प्रतिकूल असर पड़ेगा।" बढ़ती महंगाई का बोझ उपभोक्ताओं पर कम करने के लिए भारत सरकार ने मई, 2022 में पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में कटौती की थी, जिससे सरकारी खजाने पर 45,000 करोड़ों रुपए का बोझ पड़ा। इससे राजकोषीय घाटा समेत कुल राजस्व पर गंभीर असर पड़ा है। 12 अक्टूबर, 2022 को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में सरकार ने सरकारी तेल विपणन कंपनियों को रसोई गैस के घाटे की भरपाई के लिए 22 हजार करोड़ रुपए के आवेदन को मंजूरी दी। ये कंपनियां एलपीजी को बाजार दर से कम कीमत पर बेचकर घाटा उठा रहे हैं। मुद्रास्फीति नियंत्रण और लोगों की क्रय-क्षमता बनाए रखने के लिए सरकार सब्सिडी देकर बाजार दर से कम कीमत पर गैस उपलब्ध करा रही है। इस सब्सिडी का भार राजकोष पर हीं पड़ेगा।

रूपये का मूल्य ह्रास - 20 अक्टूबर, 2022 को रुपया डॉलर के मुकाबले गिरकर 83. 1 के सर्वकालिक न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया। पिछले दो वर्षों में रुपए में 10 प्रतिशत से ज्यादा की गिरावट हो चुकी है। नवंबर, 2021 में यह ड,लर के मुकाबले 73.90 पर था। जुलाई, 2022 में यह पहली बार रु. 80 के पार चला गया। 24 फरवरी, 2022 को रूस-यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से रुपया पर दबाव निरंतर बढ़ता गया है। यह ड,लर के मुकाबले 0.3 प्रतिशत से बढ़ कर अब तक लगभग 7 प्रतिशत तक टूट चुका है। रुपया गिरने का प्रमुख कारण विकसित देशों के निवेशकों द्वारा भारतीय शेयर बाजार से पैसा निकालना, रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण आपूर्ति श्रृंखला बाधित होना और जोखिम कम करने के लिए सोने की तरह ड,लर को जुटाने का चलन बढ़ना है। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बाधित होने के कारण खाद्यान्नों, गैस, ईंधन और रासायनिक उर्वरकों की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हुई है। इससे घरेलू कीमतें तेजी से बढ़ रही है। घरेलू कीमतों को नियंत्रित करने के लिए अमेरिका सहित सभी देशों के केंद्रीय बैंक अपने प्रमुख दरों को निरंतर बढ़ा रहे हैं। अमेरिका का फेडरल रिजर्व बैंक ने भी फेड दरों को आक्रामक ढंग से बढ़ाया है। इससे भारत सहित उभरती अर्थव्यवस्थाओं से पूंजी का पलायन बड़े पैमाने

पर हुआ है। एनएसडीएल के डाटा के अनुसार विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने जनवरी 2022 से सितंबर, 2022 तक 30 अरब डॉलर (लगभग 2.4 लाख करोड़ रुपए) से ज्यादा की भारतीय परिसंपत्तियों को बेच दिया है, जो अब तक का रिकॉर्ड स्तर है। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने अक्टूबर, 2022 के प्रथम दो सप्ताहों में भारतीय शेयर बाजार से 7458 करोड़ रुपये निकाले हैं। सितंबर, 2022 में 7600 करोड रुपए से अधिक की निकासी की गई। इस वित्त वर्ष में 14 अक्टूबर तक 1.76 लाख करोड़ रुपए की निकासी हो चुकी है।

निवेशकों का विश्वास डॉलर पर बढ़ने के कई कारण हैं। दुनिया में 85 प्रतिशत व्यापार अमेरिकी डॉलर में होता है। विश्व के केंद्रीय बैंकों में 64 प्रतिशत विदेशी करेंसी डॉलर के रूप में विद्यमान है। दुनिया में 39 प्रतिशत कर्ज अमेरिकी डॉलर में दिया जाता है। डॉलर को विश्व का सबसे सुरक्षित और स्थिर मुद्रा माना जाता है। यही कारण है कि निवेशक दूसरे देशों से अपनी पूंजी को निकालकर अधिक लाभ और सुरक्षा के लिए डॉलर (अमेरिका मुद्रा) में लगा रहे हैं। इससे डॉलर मजबूत हो रहा है और अन्य देशों की मुद्राएं टूट रही हैं।

रुपए के मूल्य- ह्रास से फायदा और नुकसान दोनों है। रुपया का मूल्य गिरने से एक ओर जहाँ व्यापारी वर्ग को फायदा होगा, विदेशी पर्यटकों के लिए भारत में घूमना सस्ता होगा, भारतीय मेडिकल टूरिज्म को लाभ होगा और विदेशों से डॉलर भेजना लाभप्रद होगा। वहीं दूसरी ओर, कच्चे तेल और सोने का आयात मूल्य बढ़ जाएगा। इससे वस्तुओं की कीमत बढ़ने से देश में महंगाई बढ़ेगी। विदेशी शिक्षा और भ्रमण दोनों महंगा हो जाएगा और देश में विदेशी निवेश घट जायेगा।

बढ़ता व्यापार घाटा- वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बाधित होने और डॉलर के सापेक्ष रूपये के टूटने के कारण आयात और निर्यात में असमानता बढ़ती जा रही है। ऐसा माना जाता है कि रुपए के गिरने से निर्यात में फायदा होता है। लेकिन भारत की लिए इसका सीमित लाभ है, क्योंकि हमारी विशाल अर्थव्यवस्था मुख्यत: आयात पर निर्भर है। हम अपनी जरूरतों का 80 प्रतिशत कच्चा तेल विदेशों से खरीदते हैं। सोना, उर्वरक, मशीनरी, पार्टस, कच्चामाल आदि का भारी मात्रा में आयात करते हैं। विदेशी कर्ज भी लेते हैं। रुपए के गिरने से आयात बिल और विदेशी कर्ज की लागत बढ़ जाती है। कोविड महामारी और वर्तमान वैश्विक अवरोधों के कारण लोगों की क्रय क्षमता गिरी है। इससे मांग कम हुई है। इसका असर निर्यात पर पड़ रहा है। तुलनात्मक रूप से हमारा आयात निरंतर बढ़ता जा रहा है, जिससे व्यापार घाटा बढ़ रहा है। व्यापार घाटा को पूरा करने के लिए सरकार बाजार से भारी मात्रा में कर्ज कर ले रही और विनिवेश को बढ़ावा दे रही है। साथ हीं, महंगाई को एक सीमा तक बनाए रखने के लिए मजबूर है।

वर्ष 2022 में अप्रैल से अगस्त तक निर्यात 17.68 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 193.51 बिलियन ड,लर हो गया, जबकि इसी अवधि में आयात में 45.74 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई और यह 318 बिलियन ड,लर पर पहुंच गया। इस तरह, इस अवधि में व्यापार घाटा 124.52 बिलियन डॉलर हुआ। पिछले वित्त वर्ष 2021-22 के समान अवधि में व्यापार घाटा 53.78 बिलियन डॉलर था। भारत के वाणिज्यिक निर्यात में तेजी बनी हुई है।

वित्त वर्ष 2021-22 में यह 400 अरब डॉलर (32 लाख करोड़ रुपए) के पार चला गया। लेकिन व्यापार घाटा भी निरंतर बढ़ते जा रहा है। वित्त वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही में व्यापार घाटा 70.8 अरब डॉलर (5.6 लाख करोड़ रुपए) हो गया, जो कि वित्त वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही में 31.4 अरब डॉलर (2.5 लाख करोड़ रुपए) था। ऐसी आशंका व्यक्त की जा रही है कि इस वित्त वर्ष के अंत में यह रिकॉर्ड 250 अरब डॉलर (20 लाख करोड़ रुपए) या जीडीपी के 7.3 प्रतिशत तक बढ़ सकता है। इसका अर्थ है कि चालू खाते का घाटा (कैड) 3 प्रतिशत तक बढ़ सकता है। कैड में बढ़ोतरी और एफपीआइ के बिकवाली से रुपया और गर्त में जा सकता है। वित्त वर्ष 2022-23 में चालू खाता घाटा 115 बिलियन ड,लर यानी जीडीपी का 3.3 प्रतिशत रहने की संभावना है। राजकोषीय घाटा जीडीपी का लगभग 10: हो चुका है। इसमें लगभग 6.5 प्रतिशत केंद्र सरकार का और शेष राज्यों का हिस्सा है। वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में 1.10 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त मदद मुहैया कराई गई है। इससे कुल सब्सिडी मौजूदा वित्त वर्ष में बढ़कर 2.15 लाख करोड़ रुपए पहुंच गई है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के उप-निदेशक पावलोमाउरो के अनुसार-"भारत का कर्ज 2022 में जीडीपी के अनुपात में 84 प्रतिशत रहने का अनुमान है। यह कई उभरते देशों के मुकाबले अधिक है।"

घटता विदेशी मुद्रा भंडार- 3 दिसंबर, 2020 को देश का विदेशी मुद्रा भंडार 650 अरब डॉलर था, जो 15 महीने के आयात बिल के बराबर था। लेकिन यह 8 जुलाई, 2020 को घटकर यह 600 अरब डॉलर पर आ गया, जिससे मात्र 10 महीने का आयात बिल ही चुकता किया जा सकता है। रूसी-यूक्रेन युद्ध शुरू होने के पहले (24 फरवरी, 2022) भारत के पास 630 अरब डॉलर (50.4 लाख करोड़ रुपए) का विदेशी मुद्रा भंडार था। यह 8 जुलाई, 2022 को कम होकर 580 अरब डॉलर (46.4 लाख करोड़ रुपए) रह गया। भारतीय रिजर्व बैंक ने 50 अरब डॉलर रुपए को बचाने के लिए बाजार में बेच डाला, ताकि वित्तीय अराजकता न फैले। विदेशी मुद्रा भंडार कम होने के कई कारण है, पहला, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा अपने निवेश को निकाल कर डॉलर की ओर पलायन करना। दूसरा, उनके द्वारा नए निवेश के लिए वेट एंड वाच का नियम अपनाना। तीसरा, वैश्विक अनिश्चितता के कारण नये निवेश में सावधानी बरतना। चौथा, आरबीआई द्वारा रुपए के मूल्य ह्रास को रोकने के लिए बाजार में डॉलर को बेचना। पांचवा, आयात मूल्य और विदेशी कर्ज का लागत बढ़ना। छठा, निर्यात के अपेक्षा आयात का बढ़ना । सातवाँ, रूपया के मूल्यह्रास के कारण विदेशी शिक्षा, ईलाज, भ्रमण आदि महंगा होना। घटता विदेशी मुद्रा भंडार अनेक समस्याओं को जन्म दे सकता है।

विकास दर में गिरावट- अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 2023 के लिए वैश्विक आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान 2.9 प्रतिशत से घटाकर 2.7 प्रतिशत कर दिया है। वर्ष 2022 में इसके 3.2 प्रतिशत रहने का अनुमान व्यक्त किया है। वर्ष 2021 में यह 6 प्रतिशत था। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार वर्ष 2022 में अमेरिका का वृद्धि दर 1.6 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जो वर्ष 2023 में घटकर 1 प्रतिशत तक आ सकता है। वर्ष 2021 में यह वृद्धि दर 5.7 प्रतिशत था। अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी देश में मंदी आने की आशंका व्यक्त की है। आईएमएफ ने चीन की अर्थव्यवस्था को वर्ष 2022 में 3.2 प्रतिशत की दर

से बढ़ने की उम्मीद जाहिर की है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने इसके लिए रूस-यूक्रेन युद्ध, आर्थिक मंदी की आहट, कोरोना का असर और बढ़ती ब्याज दरों को जिम्मेदार बताया है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत के जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान भी घटा दिया है। वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी ग्रोथ दर 8.7 प्रतिशत के मुकाबले 2022 के लिए 7.4 प्रतिशत से घटाकर 6.8 प्रतिशत कर दिया है। फिर भी यह पूरे विश्व में काफी अधिक है, क्योंकि इसी अवधि में चीन का ग्रोथ रेट 4.4 प्रतिशत, अमेरिका का 1 प्रतिशत, जापान का 1.6 प्रतिशत, यूरोपीय देशों का 0.5 प्रतिशत और ब्रिटेन का केवल 0.3 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की तरह विश्व बैंक ने भी भारत के वृद्धि दर का अनुमान वित्त वर्ष 2022-23 केलिए 7.5 प्रतिशत से घटाकर 6.5 प्रतिशत कर दिया है। दक्षिण एशिया पर अपनी वार्षिक रिपोर्ट में विश्व बैंक ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितता और महंगा होते कर्ज के कारण भारत में निजी क्षेत्र का निवेश कम होने का डर है। दुनिया भर में मांग कम होने का असर भी भारतीय निर्यात पर पड़ सकता है। विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड मालपास ने विश्व को आगाह किया है कि-"वैश्विक अर्थव्यवस्था खतरनाक रूप से मंदी की ओर बढ़ रही है।" मालपास ने कहा कि-"मुद्रास्फीति की समस्या है, ब्याज दर बढ़ रही है और विकासशील देशों में जो पूंजी प्रवाह हो रहा था, वह बंद हो गया है। इससे गरीबों पर असर बढ़ रहा है। एक तरफ कर्ज बढ़ रहा है और दूसरी तरफ, उनकी मुद्राएं कमजोर हो रही हैं। मुद्रा के मूल्य में गिरावट कर्ज का बोझ बढ़ा रही है। विकासशील देशों के समक्ष कर्ज संकट की समस्या है। हमने वर्ष 2023 के लिए आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को 3 प्रतिशत से घटाकर 1.9 प्रतिशत कर दिया है। वैश्विक मंदी कुछ परिस्थितियों के अंतर्गत हो सकती है।"

बढ़ती आर्थिक विषमता- कोरोना महामारी के बाद आर्थिक विषमता में तेजी से वृद्धि हुई है। अमीर और गरीब के बीच की खाई और बढ़ी है। निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग के करोड़ों लोगों की आय एवं रोजगार घटने से उनकी क्रय-क्षमता और जीवन-स्तर गिरी है। नये और सशक्त लोग इसके दायरे में आये हैं। जबकि देश-दुनियाँ में करोड़पति और अरबपतियों की संख्या तेजी से बढ़ी है। विश्व बैंक ने चेतावनी दी है कि वर्ष 2030 तक विश्व से गरीबी मिटाने का लक्ष्य हासिल करना मुश्किल है। विश्व बैंक के ताजा अनुमान के अनुसार वर्ष 2022 के अंत तक दुनिया में 68.5 करोड लोग बेहद गरीब होंगे। पेरिस स्थित वैश्विक शोध पहल 'वर्ल्ड इनक्वेलिटी लैब' द्वारा दिसंबर, 2021 में जारी विश्व असमानता रिपोर्ट- 2022 के अनुसार, भारत की शीर्ष 1 प्रतिशत आबादी के पास देश की राष्ट्रीय आय का 22 प्रतिशत हिस्सा है, जबकि नीचे के 50 प्रतिशत आबादी के पास राष्ट्रीय आय का केवल 13 प्रतिशत हिस्सा है। इस तरह, बीच के 49 प्रतिशत आबादी के पास 65 प्रतिशत हिस्सा है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि-"भारत एक समृद्ध अभिजात वर्ग के साथ एक गरीब और असमान देश है। जहाँ सिर्फ 10 प्रतिशत आबादी के पास कुल राष्ट्रीय आय का लगभग 57 प्रतिशत हिस्सा है।" हालांकि, वित्त मंत्री श्रीमति निर्मला सीतारमण ने इस रिपोर्ट को त्रुटिपूर्ण और संदिग्ध बताते हुए सवाल खड़े किए हैं।

भारत में महिला श्रम आय 18.3 प्रतिशत है, जो एशिया के औसत से कम है। वर्ष 2019 में यह 27 प्रतिशत थी। भारतीय वयस्क आबादी की औसत राष्ट्रीय आय रु. 2,04,000 है। निचले स्तर की 50 प्रतिशत आबादी की औसत राष्ट्रीय आय रु. 53600 है। जबकि शीर्ष 10 प्रतिशत आबादी की आय इससे 20 गुना अधिक यानी रु. 11,66,520 है। इस रिपोर्ट को लुकास चांसल द्वारा लिखा गया है और प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थॉमस पिकेटी, इमैनुएल सैज एवं ग्रेबियल जुकमैन द्वारा समन्वित किया गया है।

बढ़ती बेरोजगारी- अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार, भारत वर्ष 2023 में आबादी के मामले में चीन को पीछे छोड़ देगा। भारत सरकार और राज्य सरकारें उपलब्ध अपने संपूर्ण कार्य बल को पूर्ण रोजगार देने में हमेशा विफल रहे हैं। बढ़ती जनसंख्या ने इसे और भयावह बना दिया है। बढ़ती जनसंख्या, अदूरदर्शी नीतियां, व्यवसायिक एवं तकनीकी शिक्षा का अभाव एवं महंगा होना, व्यापक, समुचित एवं सामयिक रोजगार परक प्रशिक्षण की कमी, राजनीतिक संकल्पहीनता, पूंजी और तकनीक का अभाव, औद्योगिकरण की धीमी प्रक्रिया आदि कारणों से दिनों दिन बेरोजगारी की समस्या और विकराल होती जा रही है। सेंटर फ, र म, निटरिंग इंडियन इकोनामी (सीएमआईई) के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 15 वर्ष या उससे अधिक के कार्य बल में अक्टूबर, 2022 में भारत में बेरोजगारी दर 7.77 प्रतिशत था। इसमें शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी दर क्रमश: 7.21 प्रतिशत और 8.04 प्रतिशत था।

आर्थिक चुनौतियों से निपटने हेतु उठाये गये कदम- वर्तमान आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए मौद्रिक और राजकोषीय प्रयासों का संयुक्त प्रयोग किया जा रहा है। भारत सरकार ने मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए मई, 2022 में पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में कटौती किया था। सरकारी तेल विपणन कंपनियों को रसोई गैस के घाटे की भरपाई के लिए 22,000 करोड़ रूपये का आवंटन किया था। सरकार ने गेहूँ, चीनी और अन्य जिंसों की घरेलू कीमतों को कम करने के लिए इसके निर्यात को नियंत्रित कर दिया था। इसके अलावा कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी किया गया है। बढ़ती ईंधन कीमतों के लागत को कम करने के लिए अमेरिकी दबाव के बावजूद भारत रूस से भारी मात्रा में ऑफर कीमत पर कच्चे तेल का आयात कर रहा है। ईरान और अन्य तेल उत्पादक देश कम कीमत पर भारत को कच्चा तेल देने के लिए प्रस्ताव दे रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक अपने मुख्य ब्याज दर रेपो रेट को निरंतर बढ़ा रहा है। पिछले 6 माह में इसे 1.9 प्रतिशत से बढ़ाकर 6.25 प्रतिशत कर चुका है। इससे कर्ज महंगा होगा और चलन में मुद्रा की मात्रा घटाने में मदद मिलेगी।

रुपए की गिरावट को रोकने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी मुद्रा भंडार के इस्तेमाल के अलावा विदेशी पूंजी को आकर्षित करने सहित अनेक कदम उठाए हैं। इसने फॉरेन करेंसी नॉनरेजिडेंट बैंक और नॉनरेजिडेंट एक्सटर्नल रुपए जमा पर ब्याज की दर बढ़ा दी हैं। केंद्रीय बैंक ने भारतीय कंपनियों को बाहर से वाणिज्यिक कर उठान की मात्रा में बढ़ोतरी की है। पांच विदेशी व्यापार पार्टनर के साथ भारतीय रुपया में अंतरराष्ट्रीय व्यापार-विनिमय करने की इजाजत दे दी गई है। इसमें रुपया-रूबल, रूपया-रियाद, रुपया-टका प्रमुख है। इससे डॉलर पर निर्भरता कम होगी। आर्थिक जानकार इसे भारतीय

रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण की शुरुआत के रूप में देख रहे हैं। केंद्रीय बैंक विदेशी मुद्रा भंडार से लगभग 50 अरब डॉलर रुपए को निकाल कर बाजार में डाल चुका है, ताकि वित्तीय अराजकता और अस्थिरता से बचा जा सके।

भारत विश्व में शांति, स्थिरता और संवाद कायम करने के लिए निरंतर अपील और प्रयास कर रहा है। इससे वैश्विक बाधित आपूर्ति श्रृंखला बहाल हो सकेगी और दुनियाँ की अर्थव्यवस्था बड़े खतरे से बाहर आ जायेगी। मुद्रास्फीति में गिरावट आयेगी, विनिमय दर आदर्श स्थिति में आयेगा और गिरता विकास दर थम जाएगा।

सरकार ने आर्थिक विषमता को कम करने के लिए गरीबों के हितार्थ अनेक कल्याणकारी योजनाओं को चला रखा है। इसमें पारदर्शिता लाने का प्रयास किया गया है। रिसाव को कम करने के लिए तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। भ्रष्टाचार को कम करने एवं लक्षित समूह तक पहुंचने के लिए तंत्र विकसित किया जा रहा है। पात्र लाभार्थी चयन के लिए मैकेनिज्म बनाया जा रहा है। इसमें और तेजी लाने की आवश्यकता है। अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए डीबीटी योजना, पीएलआई योजना, गतिशक्ति योजना, नेशनल जिस्टिक पॉलिसी आदि इनिशिएटिव लिया गया है। केंद्र सरकार ने अगले डेढ़ वर्षों में यानी 2023 के अंत तक देश में 10 लाख सरकारी नौकरियां देने की घोषणा की है। यह ऊंट के मुंह में जीरा के समान है। फिर भी इससे कुछ राहत मिलेगी। इस मोर्चे पर सरकार को तेजी से और बृहत् पैमाने पर कार्य करने की सख्त आवश्यकता है। बेरोजगारी और गरीबी का दाग देश के दामन से मिटाने के लिए कड़ी इच्छाशक्ति और संकल्प की आवश्यकता है। राज्य सरकारों को भी एक विस्तृत कार्य-योजना बनाकर निश्चित समयावधि में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सार्थक प्रयास करना होगा।

अंधेरे में रौशनी दिखाता भारत- वैश्विक उथल-पुथल, बढ़ते भू-राजनीति टकराव, गहराते आर्थिक संकट के बीच पूरी दुनिया भारत की ओर उम्मीद से देख रही है। भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था स्थिर, प्रभावी, दूरदर्शी और संकल्पित नेतृत्व के कारण कोरोना महामारी हो या वर्तमान वैश्विक अवरोध तुलनात्मक रूप से अन्य देशों की अपेक्षा कम प्रभावित हुई है। डॉलर की मजबूती के कारण प्रत्येक देश की मुद्राएं टूट रही है। भारत की मुद्रा अन्य विकसित देशों की मुद्राओं की अपेक्षा कम टूटी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 18 जुलाई, 2022 को संसद में अपने एक लिखित बयान में रुपए की गिरावट के लिए रूस-यूक्रेन युद्ध, कच्चे तेल की चढ़ती कीमतों और वैश्विक वित्तीय संकट को जिम्मेवार बताया था। उन्होंने बताया कि जापानी येन (20 प्रतिशत), ब्रिटिश पाउंड (13 प्रतिशत), ब्रिटिश पाउंड (11.3 प्रतिशत) के तुलना में भारतीय रुपया महज 6 प्रतिशत टूटा है। मुद्रास्फीति की दर अन्य देशों की अपेक्षा भारत में अब भी कम है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुख्य अर्थशास्त्री पियरे ओलिवियर कहते हैं कि-"भारत अपने मानव-संसाधन शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल आदि में निवेश बढ़ाकर 10 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन सकता है।" उन्होंने आगे कहा कि-"भारत अपने सड़कों और इमारतों में निवेश कर रहा है, लेकिन यदि वह अपने मानव-संसाधन में निवेश बढ़ाएं तो तेजी से आगे बढ़ेगा।"

भारत में मुद्रास्फीति, बेरोजगारी दर, विनिमय-दर, विदेशी मुद्रा भंडार में ह्रास अन्य देशों की अपेक्षा कम है। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि संभावित वैश्विक मंदी की

आहट से भारत अछूता रहेगा। विश्व के प्रमुख देशों और उभरती अर्थव्यवस्थाओं का विकास दर गिरने के बीच भी भारत का विकास दर वर्तमान में सबसे अधिक है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत के वृद्धि दर को घटाने के बावजूद यह संभावना व्यक्त की है कि आने वाले समय में भारत दुनिया में सबसे तीव्र गति से आगे बढ़ेगा। आईएमएफ की प्रबंध निदेशक क्रिस्टिना जॉर्जीवा ने कहा है कि-"इस वक्त दुनिया के आर्थिक क्षितिज पर जो अंधकार दीख रहा है, उस में भारत एक प्रकाश पुंज की तरह है।" 30 नवंबर, 2022 को जारी अपनी रिपोर्ट में विश्व बैंक ने कहा है कि भारत को वर्ष 2022 में रेमिटेंस (प्रवासियों द्वारा स्वदेश में भेजी जाने वाली मुद्रा) रिकॉर्ड 100 अरब ड,लर प्राप्त होने की उम्मीद है। यह पिछले वर्ष 2021 के मुकाबले 7.5 प्रतिशत से बढ़कर 12 प्रतिशत पर पहुंच जाएगा। विगत वर्ष 89.4 बिलियन डॉलर का रेमिटेंस भारत आया था। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा रेमिटेंस पाने वाला शीर्ष देश है। दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें स्थान पर क्रमशः मेक्सिको (60 बिलियन डॉलर), चाइना (51 बिलियन डॉलर), फिलिपींस (38 बिलियन डॉलर) और इजिप्ट (32 बिलियन डॉलर) हैं।

आईएमएफ का मानना है कि भारत 2027-28 तक जीडीपी के मामले में 5.36 ट्रिलियन डॉलर के साथ विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जायेगा। उस समय अमेरिका का जीडीपी 30.28 ट्रिलियन ड,लर और चीन का जीडीपी 28.25 ट्रिलियन डॉलर हीं भारत से आगे क्रमशः प्रथम और द्वितीय स्थान पर रहेंगे। क्रय-शक्ति समता के आधार पर वर्ष 2027- 28 में अमेरिकी अर्थव्यवस्था 42.05 ट्रिलियन डॉलर, चीनी अर्थव्यवस्था 30.28 ट्रिलियन डॉलर और भारतीय अर्थव्यवस्था 17.85 ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी।

मॉर्गन स्टेनली का अनुमान है कि अगले 10 वर्षों में (2031-32 तक) अमेरिका और चीन के बाद भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जायेगा, जो कि अभी पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इस अवधि में प्रति व्यक्ति आय दोगुना से अधिक और शेयर बाजार का मार्केट कैप (पूंजीकरण) 3 गुना हो जाएगा। भारत का जीडीपी इस दौरान 255.5 लाख करोड़ से बढ़कर 639 लाख करोड़ के ऊपर चला जाएगा। साथ हीं, खुदरा बाजार का आकार वर्तमान के 47.64 लाख करोड़ से बढ़कर 62. 87 लाख करोड़ रूपये हो जाएगा। रिपोर्ट बताता है कि आगामी एक दशक में प्रति व्यक्ति आय में 2.3 गुना की बढ़ोतरी होने का अनुमान है। यह वर्तमान के 1.83 लाख रूपये प्रतिवर्ष से बढ़कर 4.22 लाख रूपये प्रतिवर्ष हो जाएगी। जबकि इस अवधि में ब्रिटेन,जर्मनी और फ्रांस में यह डेढ़ गुना ही बढ़ेगी। कुल कामकाजी आबादी में महिलाओं की हिस्सेदारी भी 25 प्रतिशत से बढ़कर 35 प्रतिशत के ऊपर चली जाएगी। नवंबर, 2022 में खुदरा महंगाई घटकर 5.88 प्रतिशत पर आ गई है। यह पिछले 11 महीनों का निम्नतम स्तर है। अनुमान है कि वैश्विक हालात, आपूर्ति-श्रृंखला, घरेलू उत्पादन आदि में सुधार होते हीं महंगाई नियंत्रण में आ जायेगी।

निष्कर्ष और सुझाव- भारत के समक्ष उपस्थित वर्तमान आर्थिक चुनौतियों का मुख्य कारण वैश्विक नीतियां, कोरोना का असर, वर्चस्व की लड़ाई, अंतरराष्ट्रीय तनाव और प्राकृतिक आपदा एवं असंतुलन है। इससे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला, आयात-निर्यात एवं

अंतरराष्ट्रीय संबंध प्रभावित हुए हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका सीमित और तात्कालिक असर पड़ा है। ऐसी संभावना है कि आने वाले समय में भारतीय अर्थव्यवस्था इससे तेजी से आगे निकल जायेगी और अन्य अर्थव्यवस्थाओं के लिए आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करेगी, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था अंदर से मजबूत है। विशाल बाजार, बढ़ता मध्यमवर्ग, बढ़ते यूनिकार्न, बढ़ते अरबपति, विस्तारित कल्याणकारी योजनाएं, सरकारी सक्रियता, सस्ता श्रम, कम होती गरीबी, डिजिटल क्रांति, निवेशकों का आकर्षक स्थल, अनुकूल नीतियां आदि उम्मीद जगाते हैं। वैश्विक शांति, स्थिरता और आपूर्ति-श्रृंखला पूर्व की तरह बहाल होते हीं अर्थव्यवस्था अपने आदर्श स्थिति में आ जाएगी और हम वर्तमान चुनौतियों से आगे निकल जाएंगे। फिर भी, सरकार को वर्तमान और भविष्य को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित उपायों पर जोर देना चाहिए-

- विदेशी मुद्रा-भंडार को गिरने से रोकने और बढ़ाने के लिए सार्थक उपाय करने चाहिए। इसके लिए बफर-स्टॉक या आकस्मिक-कोष बनाया जा सकता है।
- आयात को नियंत्रित और प्रत्यास्थापित करने की जरूरत है। साथ हीं, निर्यात को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और नये बाजारों की संभावना तलाशी जानी चाहिए।
- बढ़ती वैश्विक ईंधन कीमतों में कमी लाने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा पर तेजी से आगे बढ़ना होगा और कीमत में छूट एवं सुविधा दे रहे देशों से कच्चे तेलों के आयात को प्राथमिकता से बढ़ना होगा।
- विदेशी निवेश को आकर्षित करने के और अधिक उपाय करने होंगे।
- वैश्विक अवरोधों को समाप्त करने की दिशा में भारत सरकार को उचित पहल करनी चाहिए और वैश्विक नेतृत्व की ओर बढ़ना चाहिए।
- डॉलर पर निर्भरता समाप्त करने के लिए अनेक देशों के साथ रुपया में व्यापार करने के लिए समझौता पर आगे बढ़ना चाहिए।
- आंतरिक शांति, स्थिरता और आधारभूत संरचना के विकास पर काम करना होगा।
- सभी स्तरों पर, सभी संस्थानों में, प्रक्रिया एवं कार्य प्रणाली में उत्पादकता, गुणवत्ता, पारदर्शिता, जबाबदेही और कार्य निष्ठा को लाना एवं बढ़ाना होगा।
- स्मार्ट, शिक्षित, समृद्ध और स्वस्थ गाँव विकसित करने होगे।
- राजनीति और विदेश नीति में राष्ट्र को सबसे ऊपर रखना होगा।
- रोजगार परक शिक्षा और प्रशिक्षण की व्यापक एवं गुणवत्तापूर्ण व्यवस्था के साथ रोजगार सृजन पर ध्यान केंद्रित करना होगा।

संदर्भ ग्रन्थ सूची-

1- इंडिया टुडे, 3 अगस्त, 2022, पृष्ठ सं. 20-29
2- दैनिक हिंदुस्तान, हिंदी संस्करण, मुजफ्फरपुर, दिनांक 15 अक्टूबर, 2022, पेज 01
3- वही, दिनांक 17 अक्टूबर, 2022, पेज 12
4- दैनिक भास्कर, नई दिल्ली संस्करण, दिनांक 12 अक्टूबर, 2022
5- दि प्रिंट, ललित के झा, वाशिंगटन, दिनांक 12 अक्टूबर 2022

6- दि प्रिंट, नई दिल्ली (भाषा) दिनांक 12 अक्टूबर, 2022
7- एबीपी न्यूज, दिनांक 13 अक्टूबर, 2022
8- आदित्य के. राणा, नई दिल्ली, दिनांक 13 अक्टूबर, 2022
9- https://www.aajtak.in/amp/busines
10- https://www.chronicle.india.in.hindi
11- https://m.rbi.org.in
12- https://www.imf.org
13- https://www.worldbank.org
14- https://unemploymentindia.cmie.com

UGC Journal No. (Old) 40942,
Peer- Reviewed Research Journal
Impact Factor 5.125 (IIFS) ISSN 0973-3914
Vol.- 37, Hindi Edition, Year-19, July - Dec. 2022

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020: सम्भावनाएँ एवं चुनौतियाँ

• **सिद्धार्थ मिश्र**

सारांश- भारतीय शिक्षा के क्षेत्र मे सुधार करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बनाई गई, जिसमे कई महत्वपूर्ण बिन्दु शामिल किये गये जैसे -व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम विषय चुनने की स्वतंत्रता, डिग्री स्तर पर प्राप्त अंको हस्तांतरण, परास्नातक स्तर पर रिसर्च प्रोजेक्ट की अनिवार्यता पीएच. डी की अनिवार्यता, विदेशी विद्यालयो क भारत मे कार्य करना, राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना आदि। यह एक महत्वकांक्षी नीति है, लेकिन फिर भी इस नीति को कई चुनौतियो का सामना करना पड़ सकता है, क्योकि प्रशिक्षित शिक्षको की कमी के चलते छात्रो को अपेक्षित प्रशिक्षण उपलब्ध कराना कठिन कार्य है। अनुदान वितरण के भेदभाव के चलते उच्च शिक्षा के महाविद्यालयों व छोटे विश्वविद्यालयो को समस्या का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन फिर भी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति से बहुत उम्मीदे है, क्योकि इसमे 2030 के विकास ऐजेडे को ध्यान मे रख गया है। इस नीति मे उच्चस्तर शिक्षा को अधिक समावेशी बनाया गया है। इस नीति के तहत एक नई राष्ट्रीय एजेंसी का कार्य करेगी।

मुख्य शब्द - राष्ट्रीय शिक्षानीति, राष्ट्रीय अनुसंधान फाउन्डेशन, अपेक्षित, विकास ऐजेंडा, समावेशी, टेस्टिंग एजेंसीं

प्रस्तावना- शिक्षा किसी भी समाज या राष्ट्र का मूल आधार है, जिसका लक्ष्य मनुष्य का सम्पूर्ण विकास करना ओर भावी पीढ़ी को एक उज्जवल मार्ग पर प्रदर्शित करना है। वर्तमान समय मे शिक्षा मे कई तरह के बदलाव किय गये है, ताकि बेरोजगारी, तकनीकी शिक्षा का आभाव, इत्यादि समस्याओं से निजात पाई जा सके। प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक अनेक परिर्वतन समय-समय पर किये जाते है, लेकिन फिर भी यह प्रतीत होता है, कि हर बार कुछ न कुछ छूट रहा है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 मे पहले पाई जाने वाली कमियों या समस्याओ को दूर करने का प्रयास किया गया है।

अध्ययन का उद्देश्य-

- नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विषय मे जानकारी प्राप्त करना।
- इस नीति के लक्ष्यो व सिद्धान्तो को जानना।
- नई शिक्षा नीति 2020 पुरानी शिक्षा नीति से किस प्रकार भिन्न है, इसकी

• **सहायक प्राध्यापक, समाजशास्त्र, पं.एस.एन.शुक्ला विश्वविद्यालय, शहडोल (म.प्र.)**

जानकारी प्राप्त करना।

- नई शिक्षा नीति के तहत आने वाली चुनौतिया ओर संभावनाओ के बार मे अध्ययन करना।[1]

शोध विधि- यह लेख पत्र द्वितीयक स्त्रोतो के माध्यम से लिख गया है। विभिन्न रिपोर्ट, वेबसाईटो, समाचार पत्रों और पुस्तकों के तथ्यो का संकलन किया गया है।

नई शिक्षा नीति के लक्ष्य और सिद्धान्त- इस नीति के अन्तर्गत सरकार के द्वारा कई महत्वपूर्ण लक्ष्य बनाये गये है, जैसे –

- वर्ष 2030 तक सकल नामांकन अनुपात को 100 प्रतिशत तक लाना है।
- शिक्षा के क्षेत्र पर केन्द्र व राज्य सरकार की सहायता से जी.डी.पी. का 6 प्रतिशत भाग व्यय करने का लक्ष्य है।[2]

इस नीति के प्रमुख सिद्धान्त कुछ इस प्रकार है–

- शिक्षा को लचीला बनाना।
- प्रत्येक बच्चो की विशिष्ठ क्षमताओ की स्वीकृति, पहचान और उनके विकास हेतु प्रयास करना।
- बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान को सर्वाधिक सहायता देना।
- अवधारणात्मक समझ पर जोर।
- रचनात्मकता और तार्किक सोच को विकसित करना।
- बहुभाषिकता।
- सीखने के लिये सतत् मूल्याकंन को बढ़ावा देना।
- कला व विज्ञान के बीच, पाठ्यक्रम और पाठयेत्तर गतिविधियो के बीच, व्यावसायिक और शैक्षणिक धाराओ के आदि के बीच कोई अलगाव न हो।
- तकनीकी का यथासंभव उपयोग हो, ताकि सीखने सिखाने की प्रकिया को सुलभ बनाया जा सके।[3]

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की संभावनाएँ- भारतीय शिक्षा के क्षेत्र मे सुधार करने के लिये वर्तमान सरकार ने एक व्यापक राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बनाई। हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली स्नातको मे अनुसंधान के लिये रूचि, या उसके लिये उपयुक्त महौल तैयार करने में विफल रही है, जिससे नए पेटेंन्ट हासिल करने और ज्ञानवर्धक किताबो के प्रकाशनो मे हम पिछड़ रहे है। सौभाग्य से इस कमी पर नजर गई और इस बिन्दु पर ध्यान देते हुए एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 तैयार हुई। उम्मीद है कि यह पिछली शिक्षा नीतियों की सारी कमियों को दूर कर देश के उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त करेगी। नई शिक्षानीति 2020 मे शामिल किये गये बिन्दु निम्नलिखित है।

व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठयक्रम - NEP -2020 में मिडिल स्कुल स्तर पर व्यावसायिक प्रशिक्षण को शामिल किया गया है। इस कदम से विविध रूचियो वाले उन छात्रो की कौशल क्षमता के विकास के अवसर उपलब्ध होगे, जिनके पास वह क्षमता मौजूद तो थी, लेकिन उनके लिये स्कूल स्तर पर कोई सुविधा उपलब्ध नहीं थी।

विषय चुनने की स्वतंत्रता- वर्तमान शिक्षा प्रणाली मे छात्रो के सामने सीमित विकल्प है। उन्हे हाई स्कूल मे ही यह फैसला लेना पडता़ है कि वे वाणिज्य, विज्ञान या कला और

मानविकी मे किसमे प्रवेश ले। उसके बाद वे अपना विषय बदल नही सकते, नही अपने पसंद के विभिन्न विषयो को मिला सकते है। संशोधित NEP 2020 मे छात्र इन्टरमीडियट स्तर पर विज्ञान के एक विषय के छात्र मानविकी इतिहास, दर्शन या वाणिज्य से कोई भी दूसरा विषय चुन सकता है। इससे छात्र को स्नातक और परास्नातक मे किसी भी विषय को चुनने की अतिरिक्त स्वतंत्रता मिलेगी।

डिग्री स्तर पर प्राप्त अंको का हस्तान्तरण - NEP के लागू होने के बाद छात्र चार वर्षीय डिग्री प्रोगाम शुरू कर सकते है। यदि छात्र को दो वर्ष पूर्ण करने के पश्चात् अपना विषय दिलचस्प नही लगता है, तो वह दूसरा विषय चुनकर अपनी पढ़ाई पूरी कर सकता है और साथ ही पहले वाले विषय मे प्राप्त परीक्षा अंको को बाद मे लिये गये विषय के परीक्षा अंको को जोड कर डिग्री प्राप्त कर सकते है। यदि छात्र दो साल ही पढ़ाई करते है तो उन्हे एडवान्स डिप्लोमा मिलेगा, यदि तीन वर्ष के पाठ्यक्रम को पूरा करते है, तो उन्हे डिग्री प्रदान की जायेगी। चार वर्ष का प्रोजेक्ट रिसर्च प्रशिक्षण पुरा होने पर उन्हे स्नातक की पूर्ण डिग्री प्रदान की जायेगी।

परास्नातक स्तर पर रिसर्च प्रोजेक्ट की अनिवार्यता- परास्नातक की अवधि एक से दो साल रखी गई, जिसमे एम.ए. की पूर्ण डिग्री प्राप्त करने के लिये बेहतर विशेषज्ञता और अनुसंधान पर ध्यान दिया गया है। एम.फिल. की डिग्री को समाप्त कर दिया गया है।

सहायक प्रोफेसर बनने के लिये अब पी.एच.डी. अनिवार्य:- अब पी.एच.डी. डिग्री को सहायक प्रोफेसर बनने के लिये अनिवार्य कर दिया गया है, साथ ही नेट या एस.एल. ई.टी. मे पास होना भी अनिवार्य है। ये ऊँचे मानक ऊँची शिक्षा उपलब्ध कराने के माहौल को बेहतर बनायेगे।

विदेशी विश्वविद्यालय अब भारत मे कार्य कर सकेंगे- शीर्ष पायदान के 100 विश्वविद्यालयो को भारत मे कार्य करने की अनुमति प्रदान की जायेगी। जो कि ज्यादा बेहतर और सुयोग्य शिक्षको और प्रतिभाशाली छात्रो को आकर्षित करने के लिये एक स्वस्थ प्रतिर्स्पधा वातावारण को प्रोत्साहित करेगा। जिससे शिक्षा प्रणाली स्तर बेहतर होगा।

राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन- अनुसंधान प्रस्तावो को अनुदान देने के लिये एक राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन का गठ़न किया जायेगा । उच्च शिक्षा मे एक राष्ट्रीय परामर्श मिशन की स्थापना की जायेगी। उपरोक्त विशेषताएँ उम्मीद जगाती है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 हमारे शिक्षा प्रणाली मे सार्थक परिवर्तन लाने वाली है।

NEP 2020 : सम्भावित चुनौतियॉ- यह एक महत्वाकांक्षी नीति है। हॉलाकि इस नीति को कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है जैसे–

- वर्तमान समय मे प्राथमिक शिक्षा प्रणाली मे प्रशिक्षित शिक्षको की भारी कमी है, साथ ही उपयुक्त संसाधनो की भी कमी है। ऐसी स्थिति मे हाईस्कूल स्तर पर व्यावसायिक विषयो से संबधित अपेक्षित प्रशिक्षण उपलब्ध कराना एक कठिन कार्य है।
- उच्च शिक्षा के महाविद्यालयों और छोटे विश्वविद्याालयो के मौजूदा प्रर्दशन व उनके स्तर के आधार पर शोध के लिये अनुदान वितरण के समय काफी

भेदभाव अनुभव हो सकता है। क्योकि ऐसी स्थति बनने के आसार है कि अधिकांश राशि पहले से संचालित संस्थानो के हिस्से मे चली जाये, और कम सुविधा वाले महाविद्मालयो और वि'वविद्यालयो को खुद को बेहतर करने का अवसर न प्राप्त हो, जिस कारण से वे गुणवत्ता के मानक से और भी निचले पायदान मे पहुँच जाये।

शोध समीक्षा- गंगवाल सुभाष 2020 ने लिखा है की 21वी सदी ज्ञानप्रधान सदी है, जिसमे विज्ञान एवं तकनीकी विकास परिर्वतन के प्रमुख आधार है। नई शिक्षा नीति मे दो लाख सुझावो का सहारा लिया गया है। नीति का मसौदा निर्माण डॉ. कस्तुरी रंजन की अध्यक्षता मे बनी समिति द्वारा तैयार किया गया है। उच्च शिक्षा मे सामान्य नामाकंन अनुपात को 2035 तक 26.3 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत लाना है। उच्चशिक्षा मे सर्टिफिकेट डिप्लोमा एवं डिग्री पाठयक्रमो को शामिल किया जायेगा।[4]

सिंह दुर्गेश ने अपने लेख पत्र मे लिखा है कि भारत की वर्तमान शिक्षा व्यवस्था त्रिस्तरीय है, जिसमे प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा शामिल है। यह शिक्षा व्यवस्था शिक्षित है लेकिन रोजगारविहीन युवाओ को तैयार कर रही है। देश मे 34 सालो के बाद एक ऐसी नीति आयी है, जो शोधपरक, नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देती है।[5]

देश मे पहली बार शिक्षा नीति 1968 मे लाई गई थी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के माध्यम से 6 से 14 वर्ष के बच्चो के शिक्षा के अधिकार की सुरक्षा एवं संरक्षा की गईद्य परंन्तु राज्य सरकारो द्वारा इसका क्रियान्वयन अभी भी बेहतर तरीके से किया जाना शेष है। नई राष्ट्रीय शिक्षानीति 2020 पूरानी नीतियों की अपेक्षाओ को पूरा करेगी, इसमे 2030 के विकास ऐजेन्डे को ध्यान मे रखा गया है। इसमे उच्चतर शिक्षा को अधिक समावेशी बनाया गया है। एक नई राष्ट्रीय ऐजेन्सी का गठन किया जायेगा जो उच्च स्तरीय शिक्षा मे टेस्टिंग एजेंसी का कार्य करेंगी।

अत: हम कह सकते है कि एक कल्याणकारी देश की उत्पत्ति के लिए युवाओ को ऐसी शिक्षा देने की नीति होनी चाहिए कि वे भावी परिर्वतनो मे अपने आप को समायोजित करकें अपने को विकसित कर सके। इसके लिए राज्य सरकारो व केन्द्र सरकार को दलगत राजनीति से उपर उठकर सोचने की आवश्यकता है। नई शिक्षा नीति 2020 का इस प्रकार से क्रियान्वयन करना है कि सभी को विकास के उचित अवसर मिल सके

संदर्भ ग्रन्थ सूची-

1. Panchjanya.com राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 संम्भावनायें और चुनौतियॉ
2. Kishansuchna.com नई शिक्षा नीति 2020
3. shikshaniti.com
4. गंगवाल सुभाष, नई शिक्षा नीति 21वीं सदी की चुनौतियों का करेगी मुकाबला, दैनिक नवज्योति, प्रष्ठ संख्या 4, 22 अगस्त 2020
5. सिंह दुर्गेश, क्रानिकल नासिक पत्रिका, मई 2020, पृष्ठ संख्या 80-81
6. dd: Dr. Siddhartha Mishra S/o Arun Dev Mishra.
7. Village Bhitariya,Nara, Post-Pura Bazar Dist.- Ayodhya U.P.

UGC Journal No. (Old) 40942,
Peer- Reviewed Research Journal
Impact Factor 5.125 (IIFS) ISSN 0973-3914
Vol.- 37, Hindi Edition, Year-19, July - Dec. 2022

वैश्वीकरण का सामाजिक आर्थिक प्रभाव

• अजय सिंह गहरवार
•• अवनीश सिंह
••• महानन्द द्विवेदी

सारांश- नई आर्थिक नीति का अर्थ केवल विदेशी व्यापार या विदेशी पूंजी निवेश तक ही सीमित नहीं है। अर्थव्यवस्था के सभी अंगों में नियंत्रणों के स्थान पर उदारीकरण अपनाया जाये। नई आर्थिक नीति के प्रमुख अंग है- नई औद्योगिक नीति नई राजकोषीय नीति नई मौद्रिक नीति, नई विदेशी नीति, नई विनिमय नियंत्रण नीति, नई व्यापार नीति आदि। वैश्वीकरण का सामान्य रूप से आशय पूरे विश्व का एक सत्ता के रूप में मानने से है. इसमें सभी आर्थिक बाधाओं को हटा दिया जाता है, जिससे कि बाजार शक्तियां स्वतंत्र रूप से अपनी भूमिका अदा कर सकें। वास्तव में वैश्वीकरण व्यापारिक क्रियाकलापों का अन्तर्राष्ट्रीयकरण है जिसमें पूरे विश्व को एक ही क्षेत्र के रूप में देखा जाता है। इस प्रकार यह व्यापार को न्यूनतम लागत है। इस प्रकार नवीन आर्थिक नीति देश में आर्थिक विकास में व्यापक प्रभाव डाली है (जैसे प्रतिकूल वातावरण, सीमित वित्तीय साधन, राजनीतिक एवं प्रशासनिक समस्य-धीमी गति, अनुचित क्षेत्र का प्रवेश। बढ़ते अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार तथा विनियोग के माध्यम से विश्व अर्थव्यवस्था आ वैश्वीकरण की ओर अग्रसर हो रही है। कुछ अपवादों को छोड़कर विश्व व्यापार विश्व सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में तेजी से बढ़ रहा है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था तेजी एक-दूसरे पर निर्भर होती जा रही है। अब यह स्पष्ट हो चुका है कि नब्बे के दशक उससे आगे के समय में वैश्वीकरण जीवन का एक हिस्सा होगा। वैश्वीकरण का सामान्य रूप से आशय पूरे विश्व का एक सत्ता के रूप में मानने से है। इसमें सभी आर्थिक बाधाओं को हटा दिया जाता है, जिससे कि बाजार शक्तियां स्वतंत्र रूप से अपनी भूमिका अदा कर सकें। इस प्रकार वैश्वीकरण शब्द से तात्पर्य विश्व बाजार के रूप में से होता है। वैश्वीकरण में विश्व के वित्तीय तथा तकनीकी संसाधनों का स्वतंत्र आवागमन होता है। जिसमें पूरे विश्व को एक ही क्षेत्र के रूप में देखा जाता है। इस प्रकार यह व्यापार को न्यूनतम लागत में दक्ष बनाकर उसे प्रतियोगी रूप देने का एक प्रयास है।

मुख्य शब्द - आर्थिक नीति, विदेशी व्यापार, विदेशी पूंजी, विनिमय नियंत्रण

• अतिथि विद्वान, अर्थशास्त्र, शासकीय एस.के. (पी.जी.) कॉलेज मऊगंज, जिला, रीवा
•• अतिथि विद्वान, समाजशास्त्र, शासकीय एस.के. (पी.जी.) कॉलेज मऊगंज, जिला, रीवा
••• प्राध्यापक, समाजशास्त्र, शासकीय एस.के. (पी.जी.) कॉलेज मऊगंज, जिला, रीवा

प्रस्तावना- नई आर्थिक नीति का अर्थ केवल विदेशी व्यापार या विदेशी पूंजी निवेश तक ही सीमित नहीं है। अर्थव्यवस्था के सभी अंगों में नियंत्रणों के स्थान पर उदारीकरण अपनाया जाये। नई आर्थिक नीति के प्रमुख अंग है– नई औद्योगिक नीति नई राजकोषीय नीति नई मौद्रिक नीति, नई विदेशी नीति, नई विनिमय नियंत्रण नीति, नई व्यापार नीति आदि। वैश्वीकरण का सामान्य रूप से आशय पूरे विश्व का एक सत्ता के रूप में मानने से है. इसमें सभी आर्थिक बाधाओं को हटा दिया जाता है, जिससे कि बाजार शक्तियां स्वतंत्र रूप से अपनी भूमिका अदा कर सकें।

वास्तव में वैश्वीकरण व्यापारिक क्रियाकलापों का अन्तर्राष्ट्रीयकरण है जिसमें पूरे विश्व को एक ही क्षेत्र के रूप में देखा जाता है। इस प्रकार यह व्यापार को न्यूनतम लागत है। इस प्रकार नवीन आर्थिक नीति देश में आर्थिक विकास में व्यापक प्रभाव डाली है। कुछ अपवादों को छोड़कर विश्व व्यापार विश्व सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में तेजी से बढ़ रहा है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था तेजी एक–दूसरे पर निर्भर होती जा रही है। अब यह स्पष्ट हो चुका है कि नब्बे के दशक उससे आगे के समय में वैश्वीकरण जीवन का एक हिस्सा होगा। वैश्वीकरण का सामान्य रूप से आशय पूरे विश्व का एक सत्ता के रूप में मानने से है। इसमें सभी आर्थिक बाधाओं को हटा दिया जाता है, जिससे कि बाजार शक्तियां स्वतंत्र रूप से अपनी भूमिका अदा कर सकें। इस प्रकार वैश्वीकरण शब्द से तात्पर्य विश्व बाजार के रूप में से होता है। वैश्वीकरण में विश्व के वित्तीय तथा तकनीकी संसाधनों का स्वतंत्र आवागमन होता है। वास्तव में वैश्वीकरण व्यापारिक क्रियाकलापों का अन्तर्राष्ट्रीयकरण है जिसमें पूरे विश्व को एक ही क्षेत्र के रूप में देखा जाता है। इस प्रकार यह व्यापार को न्यूनतम लागत में दक्ष बनाकर उसे प्रतियोगी रूप देने का एक प्रयास है।

वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें विश्व बाजारों के मध्य पारस्परिक निर्भरता उत्पन्न होती है और व्यापार देश की सीमाओं से प्रतिबन्धित न रह कर विश्व बाजार में निहित तुलनात्मक लागत लाभ दशाओं का विदोहन करने के दिशा में अग्रसर होता है, जिसमें भारत में भी वैश्वीकरण कि प्रक्रिया धीरे–धीरे गति पकड़ रही है। भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया 1991 में शुरू हुई, जब औद्योगिक नीति के अन्तर्गत अर्थव्यवस्था में खुलेपन के लिये उदारीकरण किया गया, जिसमें लाइसेंस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया विदेशी पूँजी का विनियोग किया जाने लगा है, इसमें नये उद्योग स्थापित किये जाने लगे क्षेत्रीय असमानताओं को दूर किया गया। लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास किया गया है। विदेशी कम्पनियों को भारत में आने के लिए निमंत्रित किया जाने लगा। नये–नये रोजगार के अवसर उत्पन्न हुए, साथ ही तकनीक उन्नति को बढ़ावा देने कि आवश्यकता पर जोर दिया जाने लगा।

इसलिये हम कह सकते है कि हमारी औद्योगिक अर्थव्यवस्था वैश्वीकरण की दिशा में चल चुकी हैं, परन्तु इस दिशा में किये गये प्रयासो की सफलता में संदेह ही है। इस समय न तो अंतर्राष्ट्रीय वातावरण उपयुक्त है और न हीं हमारी आर्थिक व सामाजिक परिस्थितियों इसके लिये तैयार है। देश में इस बात के लिये एकमत बनता जा रहा है जिससे औद्योगिक आर्थिक नीति को अपना कर तथा भारतीय उत्पादको की प्रतिस्पर्धा

क्षमता में सुधार किया जाये। कृषि एवं लघु क्षेत्र का आधुनिककरण करके तथा कृषि क्षेत्र में शोध एवं विकास के विस्तार की गुणवत्ता का विकास किया जा सके, जिससे देश विकसित राष्ट्रों में शामिल हो सकें। अर्थात् भारत में घरेलू उदारीरकण कि प्रक्रियाएं साथ-साथ चलने से कुछ कठिनाईयां आती है, लेकिन प्रयत्न करने पर हम आधुनिकीकरण, मानवीय विकास व सामाजिक न्याय में तालमेल बैठाते हुए अर्थव्यवस्था को अधिक प्रतिस्पर्धा व अधिक कार्य कुशल बनाया जा सकता है। इस प्रकार से कहा जाता है। कि भारतीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिये हमें दोनों गोचों पर एक साथ कार्य करना होगा तभी औद्योगिक विकास किया जा सकता है।

वैश्वीकरण से आशय सम्पूर्ण विश्व का परस्पर सहयोग एवं समन्वय से एक बाजार के स्वरूप में कार्य करने से है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के एक देश से दूसरे देश में आने एवं जाने के अवरोध का समाप्त कर दिया है। वैश्वीकरण के शिक्षित, कुशल और सम्पन्न लोगों को सर्वाधिक लाभ हुआ है, जबकि समाज का कमजोर वर्ग एवं गरीब वर्ग वैश्वीकरण के लाभो से वंचित है अर्थात् वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत सभी व्यापारिक क्रियाओं का अन्तर्राष्ट्रीयकरण हो जाता है और वे एक इकाई के रूप में कार्य करती हैं, जिसमें विश्व बाजार औद्योगिक विकास के मध्य पारस्परिक निर्भरता उत्पन्न होती है और व्यापार देश की सीमाओं में प्रतिबंधित न रह कर विश्व व्यापार में निहित हो जाता हैं तुलनात्मक लागत लाभ दशाओं का विदोहन करने कि दशा में अग्रसर होता है। इस प्रकार से वैश्वीकरण की प्रक्रिया सन् 1991 में प्रारंभ हुई थी, तभी से आद्योगिक विकास नीति के अन्तर्गत अर्थव्यवस्था में खुलेपन के लिये उदारीकरण किया गया, इससे पहले हमारा औद्योगिक विकास का ढाँचा बहुत कमजोर था और जो भी थोड़े बहुत उपभोग वस्तु के उद्योग थे, वे अनेक समस्याओं से जैसे पूँजी की कमी, औद्योगिक अशान्ति, कच्चे माल की कमी से ग्रसित थे। इस स्थिति में दिसम्बर 1947 में औद्योगिक वातावरण की अनिश्चितता को समाप्त करने के उद्देश्य से सरकार ने औद्योगिक सम्मेलन आयोजित किया। इस सम्मेलन में देश के लिये मिश्रित अर्थव्यवस्था को स्वीकार किया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् अब तक 6 बार औद्योगिक विकास नीतियों की घोषण की जा चुकी है। देश की प्रथम औद्योगिक नीति सन् 1948 में घोषित की गयी थी जिसमें देश की औद्योगिक विकास के प्रति सरकार के दृष्टिकोण की प्रारंभिक रूप रेखा रखी गयी थी।

इस प्रकार से सन् 1956 में इसमें संशोधन किया गया, जिसमें औद्योगिक विकास के लिय सार्वजनिक क्षेत्र की प्रमुख भूमिका को स्वीकार किया गया । सन् 1977 में औद्योगिक नीति में कुटीर एवं लघु उद्योग के विकास पर विशेष जोर दिया गया। 1980 में औद्योगिक नीति में घरेलू बाजार में प्रतियोगिता को जोर दिया गया तथा इस देश में औद्योगिक विकास की गति और स्तर आवश्यकता के अनुरूप नहीं बढ़ पाया तथा उद्योगों के लाइसेंस व्यवस्था के अनावश्यक प्रतिबंधो को समाप्त करने तथा उद्योगो के विकास एवं विश्व बाजार में इन्हें प्रतियोगिता बनाये रखने के लिये 1991 में औद्योगिक नीति की घोषण की गयी। इस नीति की घोषण 24 जुलाई 1991 के लोकसभा में उद्योग राज्य मंत्री श्री पी. जे. कुरियन तथा राज्य सभा में श्री पी.के. थुंगन द्वारा की गयी थी।

औद्योगिक विकास नीति के उद्देश्य-

- **लाइसेन्स व्यवस्था समाप्त करना-** औद्योगिक विकास का प्रमुख उद्देश्य 5 प्रमुख उद्योगो को छोड़कर अन्य सभी के लिये लाइसेंस की व्यवस्था को समाप्त कर दी गयी थी चाहे वे कितनी ही पूँजी की क्यों न लगाई जाये।
- **विदेशी सहयोग एवं भागीदारी को बढ़ावा देना-** उत्पादन व निर्यात में वृद्धि के लिये विदेशी पूँजी और विदेशी तकनीको को प्रोत्साहन दिया जाने लगा। विदेशी पूँजी निवेश के प्रस्ताव के साथ ही विदेशों के प्रस्ताव के साथ ही विदेशी तकनीकी प्राप्त करने की भागीदारी को बढ़ावा दिया गया।
- **अर्थव्यवस्था में खुलापन लाना-** औद्योगिक विकास एवं वैश्वीकरण के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था मे खुलापन आया जो कि विकास के लिये आवश्यक था।
- **विदेशी व्यापार को बढ़ावा देना-** भारतीय अर्थव्यवस्था एवं औद्योगिक विकास के लिये विदेशी व्यापार को बढ़ावा दिया जाने लगा।
- **पिछड़े क्षेत्र में औद्योगिक विकास करना-** औद्योगिक विकास नीति का प्रमुख उद्देश्य यह था कि वह पिछड़े क्षेत्र में औद्योगिक विकास करना तथा जिससे कि उन क्षेत्र के प्रति के साथ जोड़ लिया जा सके।
- **निजी क्षेत्र को कार्य करने की स्वतंत्रता-** निजी क्षेत्र की इकाईयों की ठीक से चलाने के लिये उन्हे औद्योगिक और वित्त पुर्ननिर्माण के लिये कार्य करने की स्वतंत्रता प्रदान की गयी, जिससे वे नये उद्योग को स्थापित कर सके।
- **आधुनिक प्रतिस्पर्धात्मक अर्थव्यवस्था का विकास करना-** औद्योगिक विकास का प्रमुख उद्देश्य यह था कि वह आधुनिक प्रतिस्पर्धात्मक अर्थव्यवस्था का विकास करके नये-नये उद्योग को स्थापित किया जाना चाहिये, ताकि सही विकास हो सके।
- **निर्यात बढ़ाने के लिये आयातों को उदार बनाना-** वैश्वीकरण एवं औद्योगीकरण विकास नीति के अंतर्गत निर्यात बढ़ाने के लिये आयातों को और अधिक सरल बना दिया गया है जिससे कि कच्चे माल का आयात-निर्यात आसानी से किया जा सके, साथ ही उत्पादन क्षमता को अधिक बढ़ावा दिया जाने लगा है।
- **विद्यमान पंजीकरण योजना समाप्त करना-** औद्योगिक विकास नीति व इकाईयों के पंजीकरण के संबंध में विद्यमान सभी योजनाओं को समाप्त कर दिया गया । जब उद्यमियों को नयी परियोजनाओ तथा पर्याप्त विस्तार कार्यक्रम के संबंध में एक सूचना ज्ञापन को जमा करना होगा।

औद्योगिक विकास के महत्व- औद्योगिक विकास के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के महत्व को प्रदर्शित किया गया जो कि विकासशील राष्ट्र के लिये आवश्यक हैं।

उत्पादन में वृद्धि- वैश्वीकरण एवं औद्योगिक विकास विदेशी विनियोग तथा पूँजी तकनीकी समझौता गुण तकनीक विपणन, विदेशी पूँजी तथा प्रबंधकीय कुशलता को आकर्षित करना है।

प्रतियोगिता में वृद्धि करना- पूँजीवादी अर्थ प्रणाली की संस्था प्रतियोगिता होती हैं-एकाधिकार, प्रतिबंधात्मक एवं उचित व्यापार के नियंत्रण तथा उत्पादन विपणन की नयी आर्थिक विकास तथा घरेलू कम्पनी भी विदेशी कम्पनियों से अपने आप को बचाने का प्रयास करती हैं।

सार्वजनिक क्षेत्रो का विकास- भारत एक समाजवादी समाज की स्थापना करने एवं निजी क्षेत्र में आर्थिक शक्ति के केन्द्रीकरण को रोकने की दृष्टि से सार्वजनिक क्षेत्रो का विस्तार किया। आधारभूत उद्योगों का विकास वैश्वीकरण एवं नयी औद्योगिक विकास नीति के कारण हो सका। तकनीकी एवं प्रबंधकीय शिक्षा का विस्तार करना औद्योगिक संरचना का विस्तार करना, वैश्वीकरण को प्रोत्साहित करने के कारण नयी तकनीको का प्रयोग हो सका। विदेशी सहयोग से स्थापित उपक्रमों में वृद्धि औद्योगिक प्रगति की स्थिति का महत्वपूर्ण विकास होता है, जो विदेशी तकनीको के सहारे से नये उपक्रमों को स्थापित किया गया।

उद्योगों का विकेन्द्रीकरण की नीति- आर्थिक नियोजन काल नीति में सरकार की यह नीति रही है कि उद्योगों का विकेन्द्रीकरण न हो और नये उद्योग स्थापित किया जा सके और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग की स्थापना में इस बात पर काफी ध्यान दिया गया है । मिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर के इस्पात के कारखाने, राँची का भारी मशीनी कारखाना, भोपाल का भारी बिजली का समान बनाने के कारखाने स्थापित किये गये। औद्योगिक सहकारिता का विकास आयात प्रतिस्थापना उद्योगो का विकास और आत्मनिर्भरता आर्थिक नियोजन में देश की औद्योगिक संरचना एवं औद्योगिक विकास में निरंतर आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर है।

औद्योगिक विकास की वर्तमान स्थिति- वर्तमान औद्योगिक विकास नीति, जुलाई 1991 से लागू इसका प्रतिपादन दो चरण में किया गया एक तो 24 जुलाई 1991 को, जिसका संबंध बड़े व मध्यम उद्योगों से हैं. इसका 6 अगस्त 1991 को जो लघु उद्योगो से संबंधित है। यह नीति मुख्य रूप से विदेशी सहयोग बढ़ाने अर्थव्यवस्था को अनावश्यक नियंत्रण के साथ परिवर्तन आदि पर विशेष बल दिया गया तथा निजी क्षेत्र को काफी सीमा तक उन्मुक्त होकर कार्य करने का अवसर और अपने आप को प्रतिस्पर्धा के योग्य बनाया है। इसके उद्देश्य आर्थिक व्यवस्था में खुलापन करना, विदेशी सहयोग एवं भागीदारी को बढ़ावा देना, पिछड़े क्षेत्रो में औद्योगिक विकास करना, निजी क्षेत्रों में कार्य करने के लिये स्वतंत्रता प्रदान करना, आधुनिक प्रतिस्पर्धा अर्थव्यवस्था का विकास करना तथा उत्पादन क्षमता का विस्तार करना आदि प्रमुख उद्देश्य है।

अर्थव्यवस्था पर प्रभाव-

- **प्रतिकूल वातावरण-** भारत ने जिस समय वैश्वीकरण का निर्णय लिया, उस समय अन्तर्राष्ट्रीय वातावरण बहुत अनुकूल नहीं कहा जा सकता है। अमेरिका ने भारत पर 'स्पेशन 301' की धारा लागू करने की धमकी दे रखी है। वह भारत पर बौद्धिक संपदा, अधिकार संबंधी अवधारणा को स्वीकार करने के लिए दबाव डाल रहा है। यदि इसे स्वीकार किया जाता है, तो हमारी अर्थव्यवस्था बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के हाथों में चली जायेगी।

- **सीमित वित्तीय साधन-** अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में वस्तु प्रतियोगिता कर सके इसके लिये वस्तु की किस्म में सुधार व उत्पादन बढ़ाने के लिए बड़ी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होगी। सभी विकासशील देशों की पूँजी आवश्यकता को कोई भी विकसित पूँजीवादी देश पूरा करने में सक्षम नहीं हैं। परिणामस्वरूप इन देशों को विश्व बैंक व मुद्रा कोष के पास जाना पड़ेगा और यह संस्थाएँ इन देशों को अनुचित शर्तें मानने के लिये बाध्य करेंगी।
- **राजनीतिक एवं प्रशासनिक समस्या-** भारत में कृषि विद्युत तथा आधारभूत सामाजिक सेवाओं के विकास का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों पर है और यह सरकारें राजनीतिक अस्थिरता की समस्या से ग्रसित है अतः इन सेवाओं का विकास उचित गति से नहीं हो पा रहा है । इसके अतिरिक्त, यहाँ राजनीतिक व प्रशासन में बड़ी मात्रा में भ्रष्टाचार व्याप्त है, ऐसे में वैश्वीकरण की नीति की सफलता पर एक प्रश्नचिन्ह लगना स्वाभाविक है।
- **धीमी गति-** जिन देशों ने वैश्वीकरण को अपनाया उन्होंने उससे पूर्व अपने यहाँ इसके लिये वातावरण तैयार किया। हमने वैश्वीकरण हेतु अपनी दिशा तो परिवर्तित कर ली परन्तु स्वतंत्र बाजार की दिशा में गति बहुत धीमी रखी है। संरचनात्मक सुधार अर्थव्यवस्था में उचित व पूर्ण रूप से नहीं हो सकें हैं।
- **अनुचित क्षेत्र में प्रवेश-** वैश्वीकरण की नीति के तहत उठाये गये उदारीकरण कदमों से बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने हमारे देश में रूचि लेना प्रारम्भ कर दिया है। वह उपभोक्ता क्षेत्र के साथ-साथ सेवा क्षेत्र में भी प्रवेश करना चाहती हैं, जो हमारे देश के लिये उचित नहीं है। इन कम्पनियों को केवल आधारित संरचना क्षेत्र में प्रवेश की ही अनुमति दी जानी चाहिए जिसमें कि ऊँची तकनीकी की आवश्यकता होती है।

औद्योगिक विकास की समस्यायें- औद्योगिक विकास एवं वैश्वीकरण की महत्व के साथ अनेक समस्या भी है, जो कि प्रमुख है असमान प्रतिस्पर्धा वैश्वीकरण ने असमान प्रतिस्पर्धा को जन्म दिया है, जो कि भारतीय उद्योगों के लिये पूँजी लागत बहुराष्ट्रीय निगमो की तुलना में बहुत अधिक हैं। भारतीय उद्यमी अभी भी पहले के नियमों से जकड़े हुये हैं क्षेत्रीय असमानताओं में वृद्धि औद्योगिक नीति के कारण आर्थिक क्षेत्रीय असमानताओं में वृद्धि औद्योगिक नीति के कारण आर्थिक शक्ति का केन्द्रीकरण होना, सार्वजनिक क्षेत्रों के महत्व में भी सामाजिक उद्देश्यों की अवहेलना किया जाना, कृषि एवं उद्योगों में दूरी, पूँजीगत माल आयात की सीमा, विकास नीति अस्पष्ट, विदेशी विनियोग की सीमा 51 प्रतिशत की अधिकतम सीमा निर्धारित करने की अवहेलना की है तथा विदेशी अर्थव्यवस्था की प्रतिस्पर्धा के लिये खोलने का अर्थ हैं अधिक सस्ते आयात, अधिक विदेशी निवेश, बहुराष्ट्रीय निगमों को देश में प्रवेश करने तथा घरेलू उद्योगो को हथियाने की स्वतंत्रता आदि प्रमुख समस्या है। भारतीय औद्योगिक नीति के संदर्भ में वैश्वीकरण की प्रक्रिया को तेज करने के लिये सुझाव भारतीय उत्पादको की प्रतिस्पर्धा क्षमता में सुधार किये गये है। उत्पादन में तीव्र विकास करना, भारतीय कम्पनियों की संगठनात्मक क्षमता की पुर्नसंरचना, तकनीकी आत्मनिर्भरता भारतीय तकनीको का विकास करना,

पेशेवर प्रबंध एवं अधिक शक्तियाँ- सार्वजनिक उपक्रमों के संचालक मण्डल को अधिक पेशेवर बनाना, गैर निवासी भारतीय को निवेश करने में छूट देना, पूँजी की स्वदेश वापसी की सीमा में वृद्धि करना. नये रोजगार के अवसर उत्पन्न करना, विदेशी कम्पनियों को भारत में निवेश करने के लिये प्रोत्साहित करना, जिससे कि औद्योगिक विकास किया जा सके। कम्पनियों एवं प्रबंधकीय शिक्षा का विकास करना औद्योगिक प्रतिस्थापना का विकास करना तथा प्रतिस्थापना उद्योगो में विकास तथा उसे आत्मनिर्भर बनाना साथ ही वित्तीय संस्थाओं की व्यवस्था करना आदि। वैश्वीकरण ने इन प्रश्नों को धुंधला कर दिया है। कदाचित इस बात पर शोध की अधिक गुंजाइश है कि वर्तमान वैश्वीकरण के दौर में उच्च शिक्षा की जगह कहाँ है।

सारणी क्र.01
क्या भारतीय अर्थव्यवस्था
नियोजन मुक्त बाजार की ओर जा रही है

विवरण	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
सहमत	25	50
तटस्थ	10	20
असहमत	15	30
योग	50	100

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि 50 प्रतिशत उत्तरदाता मुक्त बाजार के बारे में अपनी सहमती जताई है जबकि 20 प्रतिशत उत्तदाताओं ने न सहमति न असहमती व्यक्त कर तटस्थ रूप से अपने विचार दिये है जिससे पता चलता है कि उक्त 20 प्रतिशत उत्तरदाताओं को वैश्वीकरण के बारे में ज्ञान नहीं है। जबकि 30 प्रतिशत लोगों ने असहमति व्यक्त करते हुए नियोजित अर्थव्यवस्था को ही प्रमुखता दी है।

सारणी क्रमांक 02
जो वस्तुए मिल रही है आप उनसे संतुष्ट है या नहीं है

विवरण	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
संतुष्ट	60	87.5
असंतुष्ट	10	12.5
योग	70	100

उपरोक्त सालिका से स्पष्ट है कि 87.5 प्रतिशत लोगों को जो वस्तुयें मिल रही है उससे वे संतुष्ट है और 12.5 प्रतिशत लोगों को आर्थिक स्थितियों के कारण वस्तुयें प्राप्त नहीं हो पा रही है जिससे वह असंतुष्ट हैं।

सारणी क्रमांक 03
क्या भारत में आर्थिक सुधार औचित्यपूर्ण है या नहीं

विवरण	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
नहीं	50	71.43
हाँ	20	28.57
योग	70	100

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि 71.43 प्रतिशत लोगों ने आर्थिक सुधारों में न में जवाब दिया है जबकि 28.57 प्रतिशत लोगों ने हाँ कहा है कि आर्थिक सुधार भारत में औचित्यपूर्ण है।

सारणी क्रमांक 04
क्या उदारीकरण से गरीबी निवारण संभव है या नहीं

विवरण	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
हाँ	55	78.58
नहीं	15	21.42
योग	70	100

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि 78.58 प्रतिशत लोगों ने उदारीकरण से गरीबी निवारण में संभवत: दिखाई है और 21.42 प्रतिशत लोगों ने उदारीकरण से गरीबी निवारण में कोई संभावना नहीं जताई है।

सारणी क्रमांक 05
क्या वैश्वीकरण उदारीकण
से लोगों के सामाजिक जीवन में बदलाव आया है -

विवरण	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
सहमत	25	50
तटस्थ	15	30
असहमत	10	20
योग	50	100

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि वैश्वीकरण उदारीकरण से 50 प्रतिशत लोग सहमत है जबकि 30 प्रतिशत लोगों ने तटस्थता दिखलाई है और 20 प्रतिशत लोगों ने वैश्वीकरण और उदारीकरण से सामाजिक जीवन में बदलाव की स्थिति में असमति जताई है। उपरोक्त अध्ययन से हमने यह पता किया है कि रीवा जिले में लोगों का वैश्वीकरण, उदारीकरण, आधुनिकीकरण रूप से कई तरह के बदलावों का स्पष्टीकरण हो रहा है।

निष्कर्ष- निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि औद्योगिक विकास यद्यपि हमारी अर्थव्यवस्था वैश्वीकरण कि दिशा में चल चुकी है। परन्तु उस दिशा में किये गये प्रयासो की सफलता में संदेह ही है। इस समय न तो अन्तर्राष्ट्रीय वातावरण ही उपयुक्त है और न ही हमारी आर्थिक व सामाजिक परिस्थितियों की इसके लिये तैयार है। भारत में घरेलू

उदारीकरण की परिक्रियायें साथ-साथ चलने से कुछ कठिनाई आने लगी है, लेकिन प्रयत्न करने पर हम आधुनिकीकरण एवं मानवीय विकास व सामाजिक न्याय में तालमेल बैठाते हुये अर्थव्यवस्था को अधिक कार्य कुशल बना सकते है। अन्य देशों में पहले घरेलू उदारीकरण को सुदृढ़ किया गया और अपनी अर्थव्यवस्था को सबल व सक्षम बनाया इसी प्रकार से हम भी अपने देश को बाहरी उदारीकरण से देश से विश्व की प्रतियोगिता से आगे बढ़ाने के लिये एक साथ दोनो मोर्चों पर कार्य करना होगा।

सुझाव-

दीर्घकालीन कर ढाँचा- हमारे यहाँ कर की दरों में प्रत्येक वर्ष परिवर्तन होते हैं। हमें नहीं मालूम होता है कि अगले वर्ष कर की दरों में क्या परिवर्तन होंगे। ऐसे वातावरण में विनियोग निर्णय में कठिनाई आती है। अतः अन्य देशों की भाँति हमें दीर्घकालीन कर नीति बनानी चाहिये।

कम कीमत व अच्छी किस्म के आगत- हम प्रतियोगिता में इसलिए भी पिछड़ जाते हैं क्योंकि हमारे यहाँ आगतों की कीमतें ऊँची हैं व उनकी किस्म खराब है। हमारे यहाँ कुशल श्रमशक्ति है, सभी प्रकार के कच्चे साधन मौजूद हैं, विस्तृत बाजार है तथा निर्यात की सम्भावनाएँ मौजूद है, अतः यदि पड़ोसी देशों को जिन कीमत पर आगत प्राप्त हो रहे हैं, उसी कीमत पर हमारे यहाँ भी उपलब्ध हो जायें, तो हम अपनी अर्थव्यवस्था का आसानी से वैश्वीकरण कर लेंगें।

उद्यमों का अनुकूलतम आकार- जो उद्योग संसाधन आधारित होते हैं, जैसे स्टील, सीमेन्ट, ऑटोमोबाइल तथा विद्युत आदि उनका एक न्यूनतम आर्थिक आकार होना चाहिये। हमारे उद्योग आकार में छोटे हैं। अतः एक-सी वस्तुएँ उत्पादित वाली इकाइयों का विलयीकरण कर देना चाहिये। इससे वह न्यूनतम लागत पर उत्पादन करने में सक्षम हो जायेगी।

वित्तीय क्षेत्र में सुधार- वैश्वीकरण हेतु संरचनात्मक सुधार किये जा रहे हैं, परन्तु वास्तविक अर्थ में संरचनात्मक सुधार तब तक पूरे नहीं कहे जा सकते, जब तक कि साथ-साथ वित्तीय क्षेत्र में भी सुधार न किये जायें । वित्तीय उदारीकरण में साख उपयोग व व्याज दरों पर लगे नियंत्रणों को हटाना आवश्यक है।

मधुर औद्योगिक संबंध- देश में मधुर औद्योगिक संबंध होने पर ही विदेशी विनियोग हमारे यहाँ आकर्षित होगा, इसके लिये सरकार को श्रमशक्ति के विवेकीकरण की स्पष्ट नीति बनानी चाहिये।

संदर्भ ग्रन्थ सूची-

1. चतुर्भुज ममोरिया एस. बी. पी. डी. आगरा, भारत का औद्योगिक विकास
2. भारतीय अर्थव्यवस्था, हिमालय पब्लिकेशन मुम्बई
3. डॉ. एस.सी. जैन, व्यावसायिक वातावरण कैलाश पुस्तक, सदन, भोपाल
4. भारत -2011
5. कटरिया रस्तोगी सांख्यिकी सिद्धान्त एवं व्यवहार पब्लिकेशन, मेरठ 1988-89
6. डॉ. बी. सी. सिन्हा डॉ. पुष्पा सिंह, अर्थशास्त्र साहित्य भवन पब्लिशर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रा.लि. 2002-03

7. एस.के. मिश्रा बी. के. पुरी, भारतीय अर्थव्यवस्था, हिमालय पब्लिसंग हाउस 2007
8. राय पारसनाथ, अनुसंधान परिचय, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, आगरा 1973
9. सिंह बी. राजेन्द्र, ग्रामों का आर्थिक पुनरुद्धार, साहित्य सम्मेलन प्रयाग 1990
10. सिंह व निगम, भारतीय ग्राम्य अर्थशास्त्र, नवयुग साहित्य सदन आगरा 1971-72

UGC Journal No. (Old) 40942,
Peer- Reviewed Research Journal
Impact Factor 5.125 (IIFS) ISSN 0973-3914
Vol.- 37, Hindi Edition, Year-19, July - Dec. 2022

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग क्षेत्र में स्टार्टअप योजना

• संगीता कुँभारे

सारांश- स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण एवं प्रमुख कदम है। जिसका उद्देश्य देश में स्टार्टअप्स और नये विचारों के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है। जिससे देश का आर्थिक विकास हो एवं बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर उत्पन्न हों। स्टार्टअप एक इकाई है, जो भारत में पांच साल से अधिक के लिये पंजीकृत नहीं है। जिसका वार्षिक व्यवसाय किसी भी वित्तीय वर्ष में 25 करोड़ रूपये से अधिक नहीं है। यह एक इकाई है जो प्रोद्योगिकी या बौद्धिक सम्पदा से प्रेरित नये उत्पादों या सेवाओं के नवाचार विकास, व्यवसायीकरण की दिशा में काम करती है। सरकार द्वारा इस संबंध में घोषित कार्य योजना स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के सभी पहलुओं को संबोधित करने और इस आंदोलन के प्रसार में तेजी लाने की उम्मीद करती है। स्टार्टअप देश के युवाओं को बैंकों के माध्यम से वित्त प्रदान करना जिससे उनकी शुरूआत बेहतर मजबूती के साथ हो ताकि वो भारत में अधिक रोजगार सृजन कर सकें।

मुख्य शब्द - लघु उद्योग, स्टार्टअप, पारिस्थितिकी तंत्र, वित्तीय सहायता

शोध का प्राथमिक उद्देश्य सकारात्मक हस्तक्षेप और अन्य उत्प्रेरक कार्यक्रमों के माध्यम से स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र का विकास करना हैं। एवं उत्पाद आधारित स्टार्ट-अप्स की संख्या में वृद्धि करना है। ग्रामीण क्षेत्र में लघु उद्योंग करने वाले ग्रामीणों को नवाचार और स्टार्टअप के माध्यम से आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं को सुलझाने हेतु संस्कृति का विकास करना हैं।

लघु उद्योग क्षेत्र में स्टार्टअप नीति के फोकस क्षेत्र- उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए स्टार्टअप नीति के पाँच स्तंभो का अनुसरण करना होगा।

1. संस्थागत सहयोग
2. उत्पाद आधारित स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन
3. नवाचार और उद्यमशीलता को बढ़ावा देना
4. विपणन सहयोग
5. वित्तीय एवं गैर वित्तीय सहायता।

• **सहायक प्राध्यापक, वाणिज्य, पण्डित दीनदयाल उपाध्याय शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय सागर (म.प्र.)**

स्टार्टअप इंडिया योजना- स्टार्टअप इंडिया योजना 2016 में भारत सरकार द्वारा महत्वाकांक्षी व्यवसायियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से स्थापित की गई थी। स्टार्ट-अप इंडिया योजना व्यापार मालिकों और संगठनों को ऋण और सब्सिडी के रूप में विभिन्न वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं। जिससे नौकरी की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं। और भारतीय अर्थव्यवस्था में धन का उत्पादन होता हैं। भारत देश अब काफी आगे बढ़ चुका हैं चाहे फिर वह किसी क्षेत्र की बात हो आजकल हर कोई कुछ ना कुछ नया करने की चाह में रहता हैं। हम सब अपने कदमों पर खड़ा होना चाहते हैं। इसके लिए व्यापार को सर्वश्रेष्ठ माध्यम माना गया हैं। अधिकतर लोगों ने स्वयं के व्यापार की सराहना की और अपने बहुत सारे सपनों को पूर्ण किया हैं। इसलिए ऐसे बहुत से लोग हैं जो स्वयं का व्यापार शुरू करना चाहते हैं।

शोध पत्र का उद्देश्य- उपरोक्तानुसार विषय के अन्तर्गत शोध पत्र में हम लघु उद्योग की कैसे शुरूआत कर सकते हैं। इसके बारे में अध्ययन करेगें और जानेगे कि कम लागत में लघु उद्योग कैसे प्रारम्भ कर सकते हैं।

लघु उद्योग क्या हैं- छोटे पैमाने की औद्योगिक इकाईयाँ (Small Scale Industries) वे इकाईयाँ हैं जो मध्यम स्तर के विनियोग की सहायता से उत्पादन प्रारम्भ करती हैं। इन इकाईयों में श्रम शक्ति की मात्रा भी कम होती हैं। और सापेक्षिक रूप से वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन किया जाता हैं। लघु उद्योग ऐसे उद्योग होते हैं। जिनमें उत्पादन के लिए लागत और श्रम दोनों ही सूक्ष्म पैमाने पर होते हैं। लघु उद्योग का हमारे देश में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान हैं। ये लघु उद्योग में आप कम पूंजी से निवेश करके अधिक लाभ कमा सकते हैं।

भारत एक विकासशील देश हैं और यहाँ उद्योग भारी माँग और अवसर के कारण फलते-फूलते ऐसे में लघु उद्योग हमारी अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक हैं। कुछ लघु उद्योग भी अब वस्तुओं का निर्यात कर रहे हैं। जिससे हमारे देश में विदेशी मुद्राएँ आ रही हैं।

लघु उद्योग एक ऐसा उद्योग है जिसमें निवेश की न्यूनतम सीमा 1 करोड़ तथा अधिकतम सीमा 10 करोड़ से ज्यादा और 50 करोड़ से कम हो यदि निवेश और टर्नओवर लघु उद्योग की श्रेणी में आता हैं तो ही वह लघु उद्योग कहलाएगा।

लघु उद्योग का उद्देश्य-

1. रोजगार के अवसर प्रदान करना।
2. अर्थव्यवस्था में योगदान करना।
3. ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना।
4. ग्रामीणों के जीवन स्तर को सुधारना उन्हें सशक्त करना।
5. यह सुनिश्चित करना कि धन और आय का समान वितरण हो।

ग्रामीण क्षेत्र में लघु उद्योग के फायदें-

1. इस उद्योग के अन्तर्गत मशीन और रॉ मटेरियल सस्ते कीमत पर मिल जाता हैं।
2. इसमें कम पूँजी में अधिक कमाया जा सकता हैं।
3. आप अपने प्रोडक्ट की गुणवत्ता से अपनी पहचान बना सकते हैं।
4. लघु उद्योग से आप अपनी आर्थिक स्थिति को भी सुधार सकते हैं।

5. एकल स्वामित्व का होना।
6. स्वतंत्र रूप से उद्योग को चला सकते हैं।
7. अपने परिवार को अपने उद्योग से जोड़कर उन्हें रोजगार दे सकते हैं।
8. ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे व्यवसायों से रोजगार पैदा करने में सहायता मिल सकती हैं और समग्र अर्थव्यवस्था पर
9. सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता हैं।
10. ग्रामीण क्षेत्रों में कई छोटे व्यवसाय स्थानीय आय में वृद्धि और बिजली खरीदने के द्वारा स्थानीय जीवन स्तर को काफी बदल सकते हैं।
11. इससे ग्रामीण और छोटे शहर भारत को आत्मनिर्भर बनने में भी मदद करता हैं।
12. ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे व्यवसाय शुरू करना आसान हैं। क्योंकि ध्यान रखने के लिए कम कागजी कार्यवाही नियामक नियम या अन्य बांधाएँ हैं।

भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न छोटे व्यवसायों में लगे लोगों का प्रतिशत –

मालिकाना	–	48.4 प्रतिशत
साझेदारी	–	4.7 प्रतिशत
सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र	–	27.6 प्रतिशत
प्राइवेट लिमिटेड क्षेत्र	–	27.6 प्रतिशत
ट्रस्ट/एन.जी.ओं	–	3.1 प्रतिशत
अन्य	–	9.9 प्रतिशत

स्टार्टअप की सफलता के लिए करे सही वित्तीय प्रबंधन- खराब आर्थिक प्रबंधन वाले 90 प्रतिशत स्टार्टअप होते हैं असफल रेवेन्यू मॉडल की स्पष्टता होना जरूरी हैं। एम्ब्रोकर के सर्वे के अनुसार 90 प्रतिशत स्टार्टअप के असफल होने के प्रमुख कारणों में से एक हैं, खराब वित्तीय प्रबन्ध। इसमें कोई दो राय नहीं कि स्टार्टअप मुख्य रूप से बैंक, निवेशकों या निजी संसाधनों से मिलने वाले वित्तीय सहयोग पर निर्भर रहते हैं। ऐसे में जरूरी हैं कि आर्थिक प्रबंधन समझदारी से किया जाये। इसके लिए सबसे पहले अपने रेवेन्यू मॉडल को लेकर स्पष्ट रहें। अगर यह स्पष्टता नहीं हैं कि आय कैसे होगी तो वेंचर नहीं चल पाएगा। कम से कम ऑपरेशनल कॉस्ट जितनी आय होना जरूरी हैं उन मामलों में जहाँ रेवेन्यू की समझ तो हैं। लेकिन उद्यमी का पूरा फोकस बिक्री पर होता हैं तो यह तरीका भी ठीक नहीं हैं। याद रखे किसी भी व्यवसाय को चलाने का मकसद सिर्फ बिक्री बढ़ाना नहीं होता, बल्कि मुनाफा कमाना भी होता हैं। अगर आपकी रोल मॉडल ऐसी कम्पनियाँ हैं जो बिक्री के आंकड़ो को बढ़ाने के लिए नुकसान भी झेल लेती हैं तो आपकों अपनी योजना पर फिर से विचार करना चाहिए क्योंकि निवेशक भी निवेश से पहले आपके सेल्स वॉल्यूम के साथ आय भी देखेगें। ऐसे में आपकों कई बारीक बिंदुओं पर ध्यान देना होगा। कितनी वर्किंग कैपिटल चाहिए यह समझ लेना जरूरी हैं। बंद होने वाले व्यवसाय में बड़ी संख्या में ऐसे वेंचर्स हैं। जो वर्किंग कैपिटल की कमी के कारण बंद हुए हैं। वर्किंग कैपिटल की जरूरत सामग्री खरीदने और इन्वेट्री के मेन्टेन करने के लिए होती हैं। ऐसे में लंबे समय के उद्देश्यों के लिए शॉर्ट टर्म फंड का इस्तेमाल सही प्लान नहीं हैं। कितनी वर्किंग कैपिटल जरूरी होगी, इस विश्लेषण के साथ वित्त का प्रबंध करें।

इसके अलावा विशेषज्ञ सलाह के लिए फाइनेशियल एडवाइजर जरूर हायर करें। मुनाफा किस तरह होगा यह स्पष्टता भी जरूरी हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक किसी व्यवसाय द्वारा कमाए गए मुनाफे और बैंक बैलेंस में कोई कनेक्शन नहीं होता। कई बार यह संबंध उल्टा भी हो सकता हैं। यानि जितना ज्यादा मुनाफा उतना कम बैंक बैलेंस। अब सवाल उठता हैं कि ऐसा होने पर पैसा कहाँ गया।

दरअसल आप लाभ इसलिए कमा रहे हैं। क्योंकि आपका पैसा बाजार/निवेश में लगा हैं। अगर यह बैंक में जमा रहेगा तो इसका असर मुनाफे पर आ सकता हैं। एक सफल व्यवसायी के लिए लाभ कमाने की योग्यता के साथ कैश फलो को प्रबंधित करने की क्षमता जरूरी हैं। अपना मजबूत नेटवर्क भी तैयार करें। वेंडर्स, कस्टमर्स, एफिलिएटेड बिजनेस हाऊसेस से मजबूत कनेक्शन बनाए ये सभी कंपनी के सुचारू संचालन में सहायता करेंगे।

अपने वित्तीय ज्ञान को ज्यादा मजबूत बनाए जरूरत से ज्यादा खर्च करना एक बड़ी गलती हैं। जो स्टार्टअप को खतरे में डालती हैं। अपने कैश फ्लो के बारे में सजग रहें। जब आप नया व्यवसाय करते हैं तो अपनी वित्तीय समझ को बेहतर बनाए। कई उद्यमी ऐसे होते हैं जिन्हें फील्ड का अच्छा ज्ञान होता हैं। लेकिन वे वित्त के बारे में ज्यादा नहीं जानते। जबकि यह बहुत जरूरी हैं। कि कैश रिजर्व रखना भी आवश्यक हैं। उसकी जरूरत आपको कभी भी पड़ सकती हैं।

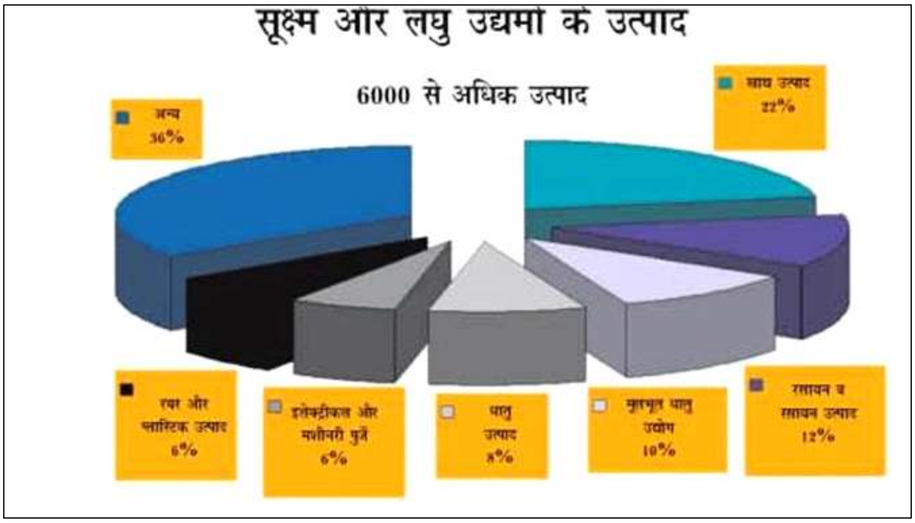

सूक्ष्म, लघु उद्यमों का विकास तथा कार्य निष्पादन- सूक्ष्म, लघु उद्यम क्षेत्र देश के उत्पादन, रोजगार तथा निर्यात में महत्वपूर्ण योगदान करता हैं। यह अनुमान हैं कि यह क्षेत्र मूल्य के संबंध में 45 प्रतिशत विनिर्माण उत्पाद तथा देश के कुल निर्यात में 40 प्रतिशत की भागीदारी करता हैं। यह क्षेत्र देशभर में लगभग 26 मिलियन इकाइयों में लगभग 59 मिलियन लोगों को रोजगार देता हैं। इसके अलावा इस क्षेत्र ने शेष औद्योगिक क्षेत्र के मुकाबले लगातार उच्चतर विकास दर बनाए रखी हैं।

भारत में सूक्ष्म एवं लघु उद्योग द्वारा विनिर्मित किए जा रहे 6000 से अधिक उत्पाद हैं। जिनमें पारंपरिक बस्तुओं से लेकर उच्च तकनीक से तैयार होने वाली वस्तुएँ हैं। यह सर्वविदित हैं कि कृषि क्षेत्र के बाद सूक्ष्म लघु उद्योग – स्वरोजगार तथा सेवा दोनों में अधिकतम अवसर प्रदान करता हैं। 2007-08 के दौरान देश में संदर्भ वर्ष 2006-07 के लिए लघु उद्योग क्षेत्र (खादी, ग्रामोद्योग) के लिए आँकड़ो के संग्रहण तथा संकलन के लिए चौथी अखिल भारतीय संगणना आरम्भ की गई थी।

सूक्ष्म, लघु एम एस ई का कार्य-निष्पादन- विकास आयुक्त (एम.एस.एम.ई.) कार्यालय इस क्षेत्र से संबंधित विभिन्न कार्यनिष्पादन मापदंड़ो के संबंध में आंकलन कराता हैं। इस क्षेत्र के संबंध में विभिन्न आर्थिक मापदण्ड़ों पर टाइम सीरीज डाटा सारणी 2.1 में दर्शाया गया हैं। यह उल्लेख किया जा सकता हैं कि एम.एस.एम.ई. के संदर्भ में संग्रहित किया गया हैं, अत: इसमें उद्योग एवं सेवा क्षेत्र दोनों ही शामिल हैं।

भारतीय अर्थव्यवस्था में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम की भूमिका- सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम व्यवसाय नवप्रवर्तनों के माध्यम से उद्यमीय प्रयासों के विस्तार में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं।

सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम घरेलू एवं वैश्विक बाजारों की माँग को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार के उत्पादों का उत्पादन और सेवाएँ प्रदान करके अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में अपने कार्यक्षेत्र का विस्तार कर रहे हैं। केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सी.एस.ओं.) सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के पास उपलब्ध आंकड़ो के अनुसार वर्ष 2014-15 से 2018-19 तक वर्तमान मूल्यों पर देश के सकल मूल्य वर्धित तथा सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.बी.पी.) में सूक्ष्म लघु और मध्यम क्षेत्र का योगदान निम्नानुसार हैं।

तालिका 2.1
अखिल भारतीय जी.डी.पी. में सूक्ष्म लघु और मध्यम क्षेत्र के सकल मूल्य वर्धित का हिस्सा वर्तमान मूल्य पर एफ.आई.एस.आई.एम. के लिए समायोजित आंकड़े करोड़ रूपये में

वर्ष	कुल एमएसएमई जीवीए	वृद्धि (प्रतिशत)	कुल जीवीए में	जी.वी.ए.में एम.एस.एम.ई. का हिस्सा (:)	अखिल भारतीय जी.डी.पी.	जी.डी.पी. में एम.एस.एम.ई. का हिस्सा (प्रतिशत) में
2014-15	3658196	-	11504279	31.80	12467959	29.34
2015-16	4059660	10.97	12574499	32.28	13771874	29.48
2016-17	4502129	10.90	13965200	32.24	15391669	29.25
2017-18	5086493	12.98	15513122	32.79	17098304	29.75
2018-19	5741765	12.88	17139962	33.50	18971237	30.27

वर्ष 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान वर्तमान मूल्यों पर देश के कुल विनिर्माण जी वी ओ (उत्पादन का सकल मूल्य) में विनिर्माण एम.एस.एम.ई. का योगदान भी 33 प्रतिशत पर स्थिर रहा है, अर्थात् एक तिहाई।

भारत में एम.एस.एम.ई. बड़े उद्योगों के मुकाबले अपेक्षाकृत कम पूंजी लागत पर बड़े रोजगार अवसर प्रदान करते हुए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। और साथ ही ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगीकरण के द्वारा और अन्य बातों के

साथ-साथ क्षेत्रीय असंतुलन को कम करके राष्ट्रीय आय और सम्पत्ति का अधिक समान वितरण सुनिश्चित कर रहे हैं तालिका 2.1 कार्यकलाप वार एम.एस.एम.ई. के वितरण को दर्शाते है।

एम.एस.एम.ई. की अनुमानित संख्या (कार्यकलाप वार)

कार्यकलाप श्रेणी	उद्यमों की अनुमानित संख्या (लाखों में)			हिस्सा (प्रतिशत)
	ग्रामीण	शहरी	कुल	
1	2	3	4	5
विनिर्माण	114.14	82.50	196.65	31
बिजली	0.03	0.01	0.03	0
व्यापार	108.71	121.64	230.35	36
अन्य सेवाएँ	102.00	104.85	206.85	33
कुल	324.88	309.00	633.88	100

कार्यकलाप श्रेणी उद्यमों की अनुमानित संख्या (लाखों में) हिस्सा (प्रतिशत)

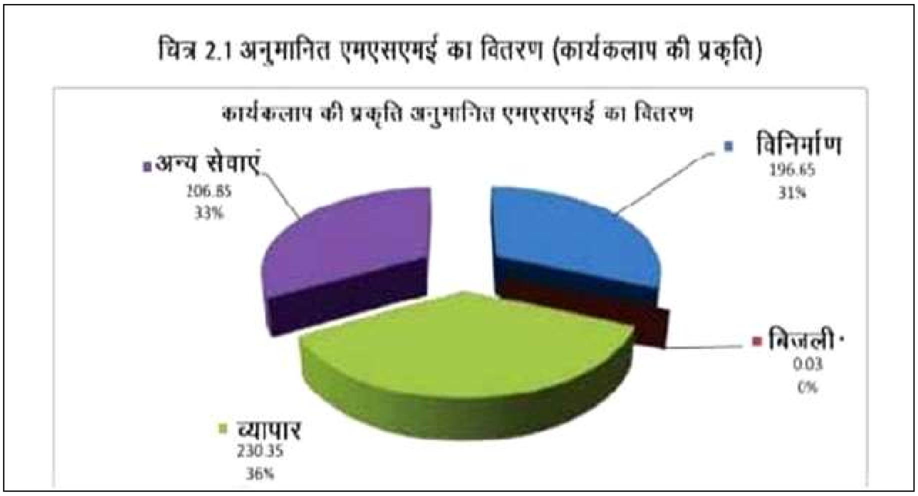

6.3052 लाख अनुमानित उद्यमों के साथ सूक्ष्म क्षेत्र का एम.एस.एम.ई. की कुल अनुमानित संख्या में 99 प्रतिशत से अधिक हिस्सा है। 3.31 लाख के साथ लघु क्षेत्र और 0.05 लाख अनुमानित एम.एस.एम.ई. के साथ मध्यम क्षेत्र का कुल अनुमानित एम. एस.एम.ई. (51.25 प्रतिशत) ग्रामीण क्षेत्र में तथा 309 लाख एम.एस.एम.ई. (48.75 प्रतिशत) शहरी क्षेत्र में है।

तालिका 2.2

उद्यमों का वितरण (ग्रामीण और शहरी क्षेत्रवार लाख में)

क्षेत्र	सूक्ष्म	लघु	मध्यम	कुल	हिस्सा (प्रतिशत)
ग्रामीण	324.09	0.78	0.01	324.88	51
शहरी	306.43	2.53	0.04	309.00	49
कुल	630.52	3.31	0.05	633.88	100

देश में ग्रामीण और शहरी एम.एस.एम.ई. के हिस्से की प्रतिशतता (संख्या लाख में)

लघु उद्योग क्षेत्र में रोजगार का विवरण श्रेणी वार

एम.एस.एम.ई. क्षेत्र में रोजगार (कार्यकलाप बार प्रकृति)

चित्र 2.5: एमएसएमई क्षेत्र में रोजगार का वितरण श्रेणी–वार

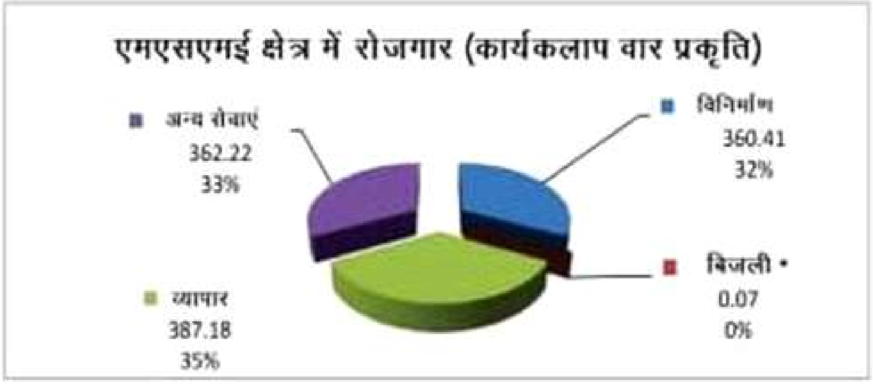

सूक्ष्म क्षेत्र में 630.52 लाख अनुमानित उद्यमों ने 1076.19 लाख व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया जो इस क्षेत्र में कुल रोजगार का लगभग 97 प्रतिशत है। एम.एस.एम.ई. क्षेत्र में कुल रोजगार में से लघु क्षेत्र में 3.31 लाख और मध्यम क्षेत्र में 0.05 लाख अनुमानित एम.एस.एम.ई. ने 31.95 लाख (2.88 प्रतिशत) और 1.75 लाख (0.16 प्रतिशत) व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया है।

तालिका 2.3

ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में उद्यमों के प्रकार द्वारा रोजगार का विवरण

क्षेत्र	सूक्ष्म	लघु	मध्यम	कुल	(संख्या लाख में) हिस्सा (प्रतिशत)
ग्रामीण	489.30	7.88	0.60	497.78	45
शहरी	586.88	24.06	1.16	612.10	55
कुल	1076.19	31.95	1.75	1109.89	100

देश में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोजगार के हिस्से की प्रतिशतता (संख्या लाख में)

चित्र 2.6: देश में ग्रामीण और शहरी एमएसएमई के हिस्से की प्रतिशतता

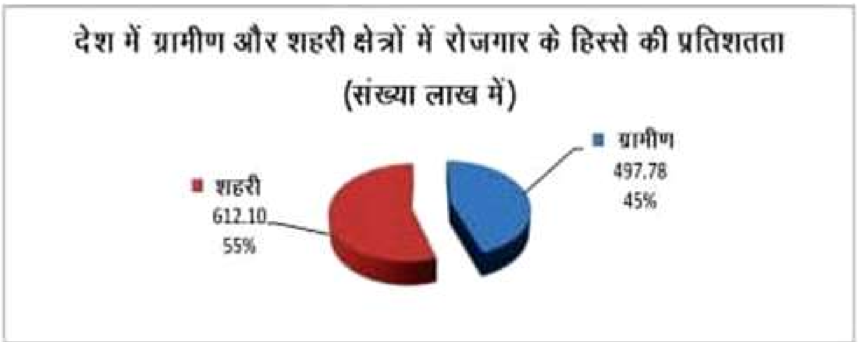

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों का भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान- वर्तमान समय में भारत में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों की लगभग 36.1 मिलियन इकाईया कार्यरत् है जो भारतीय औद्योगिक अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करती है।

सकल घरेलू उत्पाद में योगदान- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों का भारत के विनिर्माण क्षेत्र में सकल घरेलू उत्पाद में 6.11 प्रतिशत का तथा सेवा क्षेत्र में सकल घरेलू उत्पाद का 25 प्रतिशत योगदाान प्रदान किया जाता है।

वार्षिक वृद्धि दर- सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों में वार्षिक वृद्धि की दर 10 प्रतिशत से अधिक होने के कारण भारतीय औद्योगिक अर्थव्यवस्था में इनका महत्वपूर्ण स्थान है।

रोजगार के अवसर- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम क्षेत्र में अनेक व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त है। वर्तमान समय में भारत के लगभग 125 मिलियन व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त है।

निर्यात के योगदान- सूक्ष्यम, लघु एवं मध्यम उद्योगों का भारत के विदेशी व्यापार में सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्योग का योगदान लगभग 45 प्रतिशत है।

ग्रामीण विकास में योगदान- सूक्ष्म लघु एवं मध्यम क्षेत्र की अनेक इकाइयाँ ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित है। उससे गाँव से शहरों का पलायन रूका है। भारत के ग्रामीण विकास के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग विकास अधिनियम 2006 जो 7 अप्रैल 2018 से लागू के अनुसार विनिर्माण क्षेत्र एवं सेवा क्षेत्र के अन्तर्गत

किसी बस्तु के निर्माण अथवा उत्पादन परिरक्षण करने वाले उद्यम इस श्रेणी में शामिल किये जाते हैं।

सूक्ष्म उद्योग- वार्षिक टर्न ओवर रू. 5 करोड़ से कम हैं।

लघु उद्योग- वार्षिक टर्न ओवर रू. 5 करोड़ से 75 करोड़ के मध्य हैं।

मध्यम उद्योग- वार्षिक टर्न ओवर रू. 75 करोड़ से 250 करोड़ रूपये के मध्य हैं।

सन् 2020 में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों को नए सिरे से परिभाषित किया गया। सन् 2020 में इसे विनियोग राशि एवं टर्न ओवर के आधार पर निम्नानुसार परिभाषित किया गया :-

1. **सूक्ष्म उद्योग-** ऐसे उद्योग जिनमें विनियोग राशि 1 करोड़ रूपये से कम और टर्न ओवर 5 करोड़ रूपये से कम हैं।
2. **लघु उद्योग-** ऐसे उद्योग जिनमें विनियोग राशि 1 करोड़ रूपये से 10 करोड़ के मध्य तथा वार्षिक टर्न ओवर 50 करोड़ रूपये से कम हैं।
3. **मध्यम उद्योग-** ऐसे उद्योग जिनमें विनियोग राशि 20 करोड़ रूपये से कम हैं तथा वार्षिक टर्न ओवर 100 करोड़ रूपये से कम हैं।

सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों का महत्वपूर्ण योगदान हैं।

भारत में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के समक्ष विद्यमान प्रमुध चुनौतियाँ

1.वित्तीय बाधा- भारतीय अर्थव्यवस्था में छोटी फर्मो और व्यवसायों के लिये वित्त तक पहुँच हमेंशा से समस्या ग्रस्त रहा हैं यह व्यवसायों के साथ-साथ डैडम् क्षेत्र के लिये एक बड़ी बाधा हैं। इसके बारे में सबसे चिंताजनक तथ्य यह हैं कि केवल 16 % SMES को ही समय पर वित्त की सुविधा मिल पाती हैं। जिसके परिणामस्वरूप लघु और मध्यम फर्मो को अपने स्वयं के संसाधनों पर निर्भर रहने के लिये विवश होना पड़ता हैं।

2.नवाचार की कमी- भारतीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग क्षेत्र में नवाचार की कमी हैं। उनके द्वारा उत्पादित अधिकांश उत्पाद पुरानी प्रौद्योगिकीयों पर आधारित हैं। इस क्षेत्र में उद्यमियों की भारी कमी हैं।

3.छोटी फर्मो का बहुमत- सूक्ष्म और लघु व्यवसायों की हिस्सेदारी 80 % से अधिक हैं। इस प्रकार संवाद एवं जागरूकता की कमी के कारण वे सरकार के आपातकालीन लाइन ऑफ क्रेडिट, स्ट्रेस्ड एसेट रिलीफ, इक्विटी भागीदारी और फंड ऑफ फंड ऑपरेशन का लाभ नहीं उठा पाते हैं।

सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग क्षेत्र से संबंधित हाल के प्रमुख सरकारी कदम-

1. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग क्षेत्र को बेहतर बनाने एवं उसकी गति मे तेजी लाने की योजना।
2. सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड।
3. व्याज सब्सिडी पात्रता प्रमाण-पत्र
4. नवाचार ग्रामीण उद्योग और उद्यमिता के संवर्द्धन के लिये योजना।
5. प्रोद्योगिकी उन्नयन के लिये क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी

निष्कर्ष- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग एक लचीली राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिये रीढ़ का कार्य करते हैं। देश के मजबूत आर्थक भविष्य के लिये सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के विकास को प्राथमिकता देना बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सरकार द्वारा पिछले कुछ वर्षो में इस दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। भारत को ऐसे ही और उपायों (विशेषकर वर्तमान परिस्थिति में) को अपनाने की आवश्यकता हैं। आने बढ़ते हुए एक स्थापित आर्थिक महाशक्ति के रूप में बदलने का दशक होगा और इस यात्रा में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी। इस शोध पत्र में देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के संदर्भ में विकास की संभावनाओं, उनकी चुनौतियों व इससे संबंधित विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई हैं। आवश्यकतानुसार, यथास्थान इनपुट भी शामिल किये गए हैं।

संदर्भ ग्रन्थ सूची-

1. मध्य प्रदेश राज्य वित्त निगम के वार्षिक प्रतिवेदन
2. भारतीय अर्थव्यवथा डॉ. अनुपम अग्रवाल, सौम्या रनजन (BPD पब्लिकेशन)
3. योजना पत्रिका : नवम्बर-2022
4. उद्यमिता विकास डॉ. बी.के. अग्रवाल (राम प्रसाद एण्ड संस)
5. National Small Industrial Carporation
6. MSME Annual Report : 2021-22
7. www-drishtiias.com
8. http://www.sriprbhu. blogspot.in

UGC Journal No. (Old) 40942,
Peer- Reviewed Research Journal
Impact Factor 5.125 (IIFS) ISSN 0973-3914
Vol.- 37, Hindi Edition, Year-19, July - Dec. 2022

स्टार्ट अप योजना एवं पिछडे वर्ग की महिलाओं का सशक्तिकरण:एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

• कृष्ण कुमार पटेल
•• एस.एम.मिश्रा

सारांश- भारतीय संविधान में समानता के अधिकार के बावजूद महिलाओं का स्थान पुरुषों के बराबर नहीं दिखाई पड़ रहा है। भारतीय समाज में महिलाएं आज भी अनेक जटिल समस्याओं का शिकार बनी हुई हैं। संवैधानिक प्रावधानों और नियमों कानूनों के बावजूद भी महिलाओं के उत्पीड़न की घटनाएँ लगातार बढती जा रही हैं। कन्याभ्रूण हत्या, कन्या शिशु हत्या, परिवार में लड़कियों की शिक्षा की उपेक्षा, कम उम्र में विवाह, बलात्कार, आत्महत्या के लिये प्ररित करना, घरेलू हिंसा बलात् वेश्यावृत्ति आदि रूपों में महिलाओं पर अत्याचार दृष्टिगत हो रहे हैं। मानव समाज के सम्पूर्ण विकास हेतु सभी वर्गो का समान विकास आवश्यक है। विकास की अधोसंरचना में योजनाओं की भूमिका अत्यन्त आवश्यक एवं महत्वपूर्ण होती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद द्रुत गति से देश के समाजिक आर्थिक विकास की ओर महत्वपूर्ण कदम उठाये गये है। स्वत्रंत भारत में नीति निर्धारकों ने समुचित विकास हेतु अनेक सुविचारित एवं कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से देश के समाजिक आर्थिक स्वरूप को समुन्नत करने का प्रयास किया। देश एवं समाज के भौतिक स्वरूप को सुविधा सम्पन्न एवं विकसित करने के विकास संम्बन्धी चिन्तन संजोये गए। जिसके परिणामस्वरूप चलन हुआ, जवाहर रोजगार योजना, ट्रायसेम योजना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जैसी समुन्नत ग्राम योजनाओ के साथ-साथ प्रधानमंत्री रोजगार योजना जैसी शहरी विकास योजनाओं का। भारतीय समाज में पिछडे वर्ग (जिसमें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछडा वर्ग शामिल है) की महिलाऐं सदियों से समाजिक आर्थिक, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से काफी पिछडी हुई है। शासन के द्वारा महिला सशक्तीकरण की दिशा में महिलाओं को सहायता प्रदान करने के लिये कई विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की गयी। बदलते हुये उदारवादी एवं प्रतिस्पर्धात्मक सामाजिक आर्थिक माहौल में अनेक चुनौतियो का सामना करना पड रहा है। अतः जनकल्याण हेतु देश की वर्तमान सरकार के द्वारा आजादी के 70 वें वर्ष में सरकार के 70 कदम उठाये गये हैं, जिसमें गरीबों के लिये योजनाऐं, किसानों के लिये योजनायें, महिलाओं के लिये पिछड़े वर्गो के कल्याण के लिये योजनाएँ, के साथ ही समाज के

• शोधार्थी ,समाजशास्त्र, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)
•• शोध निर्देशक, प्राध्यापक समाजशास्त्र, सं.गा. स्मृति स्व.शास.स्ना.महा.सीधी (म.प्र.)

आधारभूत ढांचे के सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार हेतु महत्वपूर्ण कदम स्टार्ट अप योजना में शामिल किये गये।

मुख्य शब्द - संवैधानिक प्रावधान, स्टार्ट अप, विकास, अधोसंरचना

प्रस्तावना- भारतीय समाज में विभिन्न युगो में महिलाओं की स्थिति अलग-अलग रही है। यद्यपि वैदिक काल में इनकी स्थिति अच्छी मानी गयी है। उनका आत्मसम्मान शिक्षा, विवाह, सम्पत्ति का अधिकार पुरुषों के समान पाया गया है। साथ ही उनकी गतिशीलता पर कोई रोक नहीं थी। किन्तु उत्तर वैदिक काल में इनकी स्वतंत्रता पर नियंत्रण लगा दिया गया। केवल माता के रूप में इनका सम्मान शेष रह गया। मध्यकालीन युग विशेषकर मुगल साम्राज्य की स्थापना के बाद महिलाओं की दशा और भी दयनीय हो गयी। ब्रह्मणों द्वारा हिन्दू धर्म की रक्षा एव स्त्रियों के सतीत्व तथा रक्त की शुद्धता को बनाये रखने के नियमों को कठोर बना दिया गया। आधुनिक युग में वि'षकर स्वतंत्रता के पूर्व भारतीय समाज में महिलाओं की समस्यायें एवं निर्योग्यतायें कम नहीं हो पायीं, जिसमें शिक्षा, नौकरी एवं समिति और संघ बनाने जैसी समस्याओं के साथ-साथ आर्थिक एवं पारिवारिक निर्योग्यतायें शामिल थीं। यद्यपि वर्तमान में भारतीय महिलाओं की स्थिति में अनेक सुधार हुये है तथा वर्तमान समाज में हिन्दू नारी की स्थिति पहले से कहीं अच्छी है। इनके सामाजिक स्थिति में सुधार पारिवारिक एवं विवाह के सम्बन्ध में उच्च स्थिति उच्च आर्थिक स्थिति, शिक्षा के क्षेत्र में सुधार, राजनैतिक क्षेत्र, में समानता जैसे महत्वपूर्ण तथ्य सैद्धांतिक दृष्टि से महिलाओं के स्तर को वर्णित करते है। तथापि वास्तविकता यह है कि भारतीय महिलायों की स्थिति में आज भी सुधार करने के अत्यन्त आवश्यकता महसूस की जा रही है।

भारतीय समाजिक संरचना को ध्यान में रखकर यदि अध्ययन किया जाय तो स्पष्ट हो जाता है, कि समाज में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के साथ-साथ अन्य पिछड़ा वर्ग कई सदियों से सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक और शैक्षणिक दृष्टि से काफी पीछे है। इन समुदायों को अनेक विषम परिस्थितियों एवं गंम्भीर समस्याओं का सामना करना पड रहा है। जिसमें व्यवसाय चयन की समस्या, भरण-पोषण की समस्या, शिक्षा संम्बन्धी समस्या, उच्चवर्गों द्वारा भेदभाव व अत्याचार जैसी समस्याएँ शामिल है। इन समस्यायों का मुख्य कारण इस वर्ग में अज्ञानता, अंधविश्वास, रूढ़िवादिता, जागरूकता की कमी तथा सरकारी सुविधाओं का अभाव आदि है। इस वर्ग की महिलाओं की वास्तविक स्थिति का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि इन महिलाओं की सामाजिक आर्थिक, संस्कृतिक, राजनैतिक एवं शैक्षणिक स्थिति का स्तर अन्य वर्ग की महिलाओं की तुलना में निम्न है। ऐसी स्थिति में इन महिलाओं को सशक्त बनाने की दृष्टि से शासन द्वारा संचालित योजनाए इनके जीवन स्तर को उन्नत बनाने हेतु संकल्पित है। महिला सशक्तीकरण को स्पष्ट करते हुये डॉ. शोभा बृजेन्द्र ने यह स्पष्ट किया है, कि सशक्तीकरण एक प्रक्रिया है, जिसके दो महत्वपूर्ण भाग हैं, सर्वप्रथम सशक्तीकरण के अन्तर्गत महिलाओं को जागरूक कर उन्हें समस्त आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक एवं

राजनैतिक संसाधनों को उपलब्ध कराना शामिल किया गया है। तत्पश्चात महिलाओं को विकास की मुख्य धारा से जोडकर उनकी शक्ति और एकता को सुदृढ एवं मजबूत बनाकर सामूहिक कार्यों के लिये प्रेरित किया जाना सम्मिलित है। वास्तव में सशक्तीकरण महिलाओं के बीच अविकसित क्षेत्रों सुप्त मर्यादाओं तथा सीमित सृजन की ओर से उन्हें मुक्त कर नयेपन की ओर उत्साहित करना है।

स्टार्ट अप योजना युवाओं के लिये रोजगार के अवसर प्रदान करने की एक नवीन पहल है। योजना का शुभारंभ 16 जनवरी 2016 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में किया गया। यह योजना इस तथ्य पर आधारित है, कि भारत के युवा नौकरी खोजने के बजाय रोजगार पैदा करने वाले बनें। स्टार्ट अप इण्डिया वर्तमान सरकार की एक ऐसी योजना है, जिसका सीधा लाभ देश के करोड़ों लोगों को प्राप्त हो सकेगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सरकार द्वारा स्टार्ट अप (प्रारंम्भिक उद्यमी) को प्रोत्साहित करना है। इसके अन्तर्गत नये उद्यमियों पर नियमो का बोझ कम होगा, छः श्रम कानूनों और तीन पर्यावरण कानूनों से तीन वर्ष तक आय कर के छूट बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के लिये मुफ्त सलाह, पेटेन्ट के लिये आए आवेदनों का शीघ्र निदान आदि उपायों को शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री के शब्दों में, Startup india campaign is based on an action plan Aimed at promoting bank financing for start up ventures to boost entrepreneurship and encourage start up with job creation"

स्टार्ट-अप योजना के उद्देश्य-इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं एवं वंचित अनुसूचित जाति एवं जनजाति के उद्यमियों को प्रोत्साहित करना है, इस योजना के अन्तर्गत गैर कृषि क्षेत्रों में उद्योग लगाने के लिये रू. 10 लाख से एक करोड़ रू. तक ऋण दिये जाने की व्यवस्था है, अगले 5 वर्षो तक ऋण दिये जाने के लिये रू0 5 हजार करोड़ की राशि से ऋण गारंन्टी निधि के गठन को स्वीकृति प्रदान की गयी है। अर्थात इस योजना का मुख्य उद्देश्य उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है। जिससे देश में रोजगार के अवसरों में वृद्धि योजना को सुचारू रूप से संचालित करने के लिये योजना को Dipartment of industrial policyand promot को सौंपा गया है। योजना का उद्देश्य निम्नानुसार है-

- रोजगार के अवसर प्रदान करना। 2014 से 2020 के बीच 65000 नौकरियाँ दी गई हैं, यह आँकड़ा 250000 तक पहुंचने की संभावना है।
- अन्तर्राष्ट्रीय निवेश को बढ़ावा।
- छोटे शहरों एवं गांवों में उद्यम शीलता का वातावरण तैयार करना।
- उचित मार्गदर्शन एवं संरक्षण बजट 2016-17 में 500 करोड़ का आवंटन किया गया है।
- सरकार की सकारात्मक भूमिका

स्टार्ट-अप इंडिया की प्रारंम्भिक शर्ते-(प्रथम सोपान)- इस योजना को आरंम्भ करने हेतु निम्न लिखित शर्ते आवश्यक है।

1. विचार-एवं नवाचार स्टार्ट अप हेतु प्रथम आवश्यकता है। यह आइडिया ऐसे प्रोडक्ट या सर्विस का होना चाहिये जो लोगों की समस्या को हल कर सकें।
2. बाजार-स्टार्ट अप के लिये इसकी जरूरत है- बाजार, आपके प्रोडक्ट या

सर्विस किसके लिये हैं और क्या ऐसा कुछ पहले से मार्केट में है यह ध्यान देना आवश्यक है।

3. पूँजी-किसी भी Start ap id में से आगे बढ़कर बाजार में सफलता पाने के लिये पूँजी की जरूरत होती है।
4. योजना-क्रियान्वयन इसका तीसरा सोपान है। योजना क्या है इसकी शुरूआत कहाँ से होगी और आगे कैसे बढेंगे किस तरह के प्रोसेस होंगे। इन्फ्रास्ट्रक्चर और फाइनेन्स सभी कुछ एक पेपर पर साफ-साफ लिखना होगा।

स्टार्ट अप योजना हेतु पात्रता की शर्ते- (द्वितीय सोपान)

- कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड होनी चाहिये और कम्पनीज ऐक्ट के अन्तर्गत उसका पंजीकरण होना चाहिये या पंजीकृत पार्टनरशिप फर्म हो अथवा पंजीकृत लिमिटेड लाइविलिटी पार्टनर शिप (limited liabilily partnership) हो।
- कम्पनी को स्थापित हुये पांच वर्ष से ज्यादा का समय न हुआ हो।
- स्टार्ट अप कम्पनी नवीनी करण की दिशा में कार्य कर रही हो और स्टार्ट अप में अधिक से अधिक तकनीक का प्रयोग किया जा रहा हो।
- स्टार्ट अप कम्पनी के पास अपने उत्पाद या सेवा का व्यवसायीकरण करने के लिये एक स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित हो।
- स्टार्ट अप कम्पनी किसी ऐसे उत्पाद और सेवा देने से संम्बन्धित न हो जिसका व्यवसायीकरण किया जा सके।
- स्टार्ट अप कम्पनी किसी दूसरे के बिजनेस मॉडल अर्थात कोई ऐसा उत्पाद या सेवा जो पहले से ही किसी और कम्पनी द्वारा प्रदान की जा रही हो, से प्रेरित न हो।
- स्टार्ट अप कम्पनी को अपने उत्पाद या सेवा की नवीनीकरण की प्रकृति के लिये DIPP(department of pdustrial policy promotion) द्वारा स्थापित इन्टर मिनिस्ट्रियल बोर्ड (inter ministerial board) से एक प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।

स्टार्ट अप इडिया योजना की विशेषताएं (मुख्य बिन्दु)- प्रमुख विशेषतायें निम्नानुसार है -

1.एकल खिड़की सिस्टम- इस योजना के अन्तर्गत उद्यमियों को उनके व्यापार संम्बन्धी सारी मंजूरी एक स्थान पर अर्थात एकल खिडकी द्वारा उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। हो सकता है कि यह व्यवस्था मोबाइल अप्लीकेशन के माध्यम से करायी जाय।

2.स्व प्रमाणित- उद्यमियों को सबसे अधिक चिन्ता इसी बात की रहती है की अगर कहीं म्चिए बवदजतंबज संइवनत चंलउमदज व ि ळतंजनपसजल ूंजमत ंदक ंपत चवससनजपवद मजबण प्रमाणिकता में अटक गये तो पता नही फिर क्या-क्या करना पड़ेगा। लेकिन Startup endia के अन्तर्गत आने वाली कम्पनियों को इस चिंता से अगले तीन वर्षो तक निजात मिल जायेगी। सरकार ने इसके अर्न्गत आने वाली कम्पनियों को स्वप्रमाणिकता की इजाजत दे दी है।

3.आपके अविष्कार विचार का संरक्षण- स्टार्ट अप इन्डिया के अन्तर्गत आप अपने

अविष्कार या विचार को संरक्षित अर्थात् सुरक्षित रखने के लियें 80 प्रतिशत तक कम फीस देकर अपने अविष्कार या विचार का पंजीकरण करवा सकते हैं।

4.उद्यमियों को वित्त सम्बन्धी सहायता- स्टार्ट अप इन्डिया के अन्तर्गत एक कोष बनाया जायेगा जिसका उद्देश्य उद्यमियों को पूंजी संबन्धी सहायता प्रदान करना होगा। जिसमें प्रत्येक वर्ष लगभग 2500 करोड़ और चार वर्षो में 10000 करोड रू. आवंटित किये जायेगें।

5.व्यापार बन्द करना अर्थात कम्पनी बन्द करना आसान होगा- स्टार्ट अप इन्डिया के अन्तर्गत भारत सरकार में ठंदा तनचजमल बवकम के नियमों में तब्दीली कर इस प्रक्रिया को तीव्र गति प्रदान करने की कोशिश की है एवं जिन उद्यमियो का व्यापार नहीं चल रहा है, वह 90 दिनों के अन्दर अपने इस व्यापार को आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। और आगे किसी क्षेत्र में कोशिश कर सकते हैं।

6.क्रेडिट गारन्टी- ऐसे उद्यमी जिनके पास अपना व्यापार सम्बन्धी विचार आत्मविश्वास सब कुछ है, लेकिन पूंजी न होने के कारण वे अपने व्यापार सम्बन्धी विचार को मूर्त रूप नहीं दे पा रहे हैं क्रेडिट गारन्टी के अन्तर्गत ऐसे लोगो की सहायता की जायेगी। इसमें सरकार हर वर्ष 500 करोड रू. अगले चार वर्षो के लिये आवंटित करेगी।

7.टैक्स में छूट- स्टार्ट अप इन्डिया के अन्तर्गत 1 अप्रैल 2016 के बाद स्थापित कम्पनियों को अगले तीन वर्षों तक आय कर में छूट देने का प्रावधान है, इसके अतिरिक्त कैपिटल गेन्स में छूट केयर मार्केट वैल्यू टैक्स में भी छूट का प्रावधान है।

8.स्टार्ट अप उत्सव- इसका मुख्य उद्धेश्य नवीनीकरण को बढ़ावा देना और उद्यमियों को एक सहयोग मंच प्रदान करना होगा।

9.अटल इनोवेशन मिशन - इसका मुख्य उद्देश्य नवीनीकरण को बढ़ावा और नवीनीकरण करने वाले उद्यमी को लोगो के बीच प्रमोट करना होगा जिससे अधिक से अधिक लोग उस व्यक्ति से प्रेरणा ले सकें।

10.नवीकरण की ओर विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करना।

अन्य संबंधित प्रस्तावित योजनाएँ

1. स्टार्ट अप इण्डिया केन्द्र-उद्धेश्य- सम्पूर्ण स्टार्ट अप आर्थिक प्रणाली के लिये एक बिंदु वाली सम्पर्क व्यवस्था का सृजन तथा वित्तीय स्त्रोतों तक पहुँच के लिये जानकारी का आदान–प्रदान।

विशेषताएॅ– जोखिम उठाने को तैयार सभी युवा भारतीयों को जोखिम युक्त वातावरण में प्रवेश का अवसर इस मामले में स्टार्ट अप इण्डिया हब उनका मित्र, मार्ग दर्शक एवं पथ प्रदर्शक होगा।

2.कम लागत पर त्वरित पेटेन्ट परीक्षण एवं विधिक सहायता- उद्देश्य 1 स्टार्ट अप इकाइयों को बौद्धिक सम्पदा अधिकारों की अद्यतन जानकारी प्रदान करना। 2.उन्हें उच्च गुणवत्तायुक्त बौद्धिक सम्पदा सेवाएँ तथा संसाधन प्रदान करके बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के संरक्षण एवं व्यवसायीकरण में सहायता प्रदान करना।

3.मोबाइल ऐप और पोर्टल की शुरूआत- उद्देश्य सभी प्रकार की व्यवसाय जनित आवश्यकताओ के लिये सरकार तथा विनिमय किये निकायों के साथ स्टार्ट अप इन्डिया

के विचार एवं विभिन्न पण धारियों के बीच सूचना आदान प्रदान हेतु एकल पहल है।

- विशेषतायें –मोबाइल ऐप देश के सभी प्रमुख मोबाइल /स्मार्ट प्लेटफार्मो पर 01 अप्रैल 2016 से उपलब्ध होगा।
- स्टार्ट अप पोर्टल रिचर वेब आधारित उपयोगकर्ता इण्टरफेस के माध्यम से मोबाइल ऐप पर उपलब्ध होगा।

4. क्रेडिट गारंटी निधि – उद्देश्य – समाज के सभी वर्ग के निवे'ाकों को साक्ष्य उपलब्ध कराकर उद्यमिता को उत्प्रेरित करना। विशेषकर स्टार्ट अप उद्यमो को पूँजी प्राप्त करने में आसानी होगी।

5. तीन वर्ष की अवधि के लिये स्टार्ट अप इकाइयों को कर में छूट -

उद्देश्य– स्टार्ट अप उद्यमियों को कार्यशील पूंजी की जरूरतों को पूरा करते हुये उनके विकास को प्रोत्साहन देना।

विशेषतायें– इस प्रकार की व्यवस्था कार्यशील पूंजी में वृद्धि करेगी।

सीमाएँ समाधान –

1. अब तक कोई उचित स्टार्ट अप नियम एवं बाहर निकालने का प्रावधान नही बनाया है।

2. स्टार्ट अप के लिये सबसे बडी समस्या धन की है जो बिना किसी बड़ी गारंटी के दिया जा सके। सार्वजनिक क्षेत्र के बैकों को इस दिशा में कार्य करने में सबसे बडी बाधा मौजूदा नियमावली है जिसे बदलने की आवश्यकता है ताकि बैंक एवं अन्य पैनल आसानी से लोन दे सकें।

3. कई स्टार्ट अप मार्केट कंडीशन, एंट्री टाइमिंग आदि के कारण असफल हो जाते हैं। इसके लिये आवश्यक है कि स्टार्ट अप में मिलने वाली असफलता से निराश न होकर युवा आगे बढते रहने का हौसला बनाये रखें, जिसके लिये सरकार को उनका हौसला बनाये रखने के लिये उचित मार्गदर्शन देने की जरूरत है।

4. स्टार्ट अप के लिये सबसे ज्यादा प्रतिभा छोटे शहरों एवं गांवो में मिलती है लेकिन फिलहाल उन्हे इस सबसे सफलतापूर्वक जोड़ना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अत: स्टार्ट अप को छोटे शहरो एवं गांवो में जोड़ा जाना आवश्यक है।

5. सरकारी निवेशकों की कमी भी एक बहुत बडी बाधा है, स्टार्ट अप के लिये जाने वाले पेपर वर्क के लोगों को अनुभव की काफी कमी होगी इसके लिये उन्हें भी संरक्षण देने की आवश्यकता है।

6. स्टार्ट अप इन्डिया में सबसे बडी बाधा अनुभव की है, जिसके लिये जरूरी है कि इस कार्य के साथ बडे पैमाने पर युवा जुडे, इसके लिये तकनीकी ज्ञान की पर्याप्तता आवश्यक है।

7. स्टार्ट अप इन्डिया को सफल बनाने के लिये आवश्यक है, कि सरकार कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करें और लोगो को सही दिशा में प्रशिक्षित करे।

निष्कर्ष- स्टार्ट–अप–इन्डिया, स्टेन्ड–अप–इन्डिया सरकार का एक बहुत अच्छा प्रयास है जिसके जरिये देश में रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं, देश तेजी से विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। इस कार्य की सफलता के लिये इसका गांव व छोटे शहरों से जुड़ना अत्यन्त आवश्यक है, क्योंकि देश की अधिकतर जनसंख्या वहीं है और इन्ही स्थानों पर रोजगार की कमी है।

कोई समय श्रम एवं वस्तु निरर्थक नही हो सकती है यदि इन्हे विवेकशील, उद्यमशील एवं भविष्योन्मुखी रचनात्मक कार्यों में लगा दिया जाय तो विकास निश्चित होगा जैसे एक आम का पौधा 5 वर्ष में एक फलदार वृक्ष तैयार करेगा, और इसके लिए हमें अच्छी श्रेणी के आम के बीज को रोपना पड़ेगा और उसकी सतत निगरानी करनी पड़ेगी ताकि अपेक्षित लाभ या फल मिल सके। यही कीन्स का पूर्ण रोजगार का सिद्धांत है। कीन्स ने कहा-यदि कोई राष्ट्र या समाज अपने भौतिक-जैविक और मानवीय संसाधनों का पूर्ण दोहन दोनों सुनिश्चित कर ले तो शून्य बेरोजगारी का स्तर प्राप्त करना सम्भव है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची-

1. Mishra, narayan (2004), Dalit in india, kalpoz publi cation, new delhi - 110052
2. Pathak SN. and pandey s.p. 2005, Sheduled caste devllopment (special component plan)- serials publications new delhi-11.0052
3. Reddy L.B., narayan A.l. and roo DB (2004), Education for dalits discovery publication new delhi -110052
4. अम्बेडकर भीमराव (1951), जाति विच्छेद प्रथम प्रकाशन नई दिल्ली कर्नाटक सरकार, अमृत बुक कम्पनी
5. शर्मा सुभाष (1994), अनुसूचित जातियों में शिक्षा परिप्रेक्ष्य, शैक्षिक योजना, नीपा नई दिल्ली वर्ष 1 अंक 1 अप्रैल
6. वार्षिक रिपोर्ट (2012-13), श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली
7. अग्रवाल यश (1994), अनुसूचित जातियों में सहायता की प्रवृत्तियाँ, परिवेश, शैक्षिक योजना एवं प्रशासन का सामाजिक आर्थिक सन्दर्भ अंक 02, अगस्त पृष्ठ संख्या 79 -104
8. अग्रवाल, सुशीला (1988), स्टेट्स आफ वुमेन जयपुर प्रिंटवेल पब्लिशर्स
9. प्रो. गुप्ता एवं शर्मा (2007), भारतीय सामाजिक समस्याएँ साहित्य भवन पब्लिकेशन
10. सिंदे, रामजी हरिदास (2006), नारी सशक्तिकरण, जयपुर ग्रंथ पब्लिकेशन हाउस
11. त्रिपाठी मधुसूदन 2011, भारत में महिला श्रमिक खुशी पब्लिकेशन गाजियाबाद

UGC Journal No. (Old) 40942,
Peer- Reviewed Research Journal
Impact Factor 5.125 (IIFS) ISSN 0973-3914
Vol.- 37, Hindi Edition, Year-19, July - Dec. 2022

सतना जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की समस्या एवं समाधान

• गायत्री देवी

•• आर. पी. गुप्ता

सारांश- सार्वजनिक वितरण योजना सरकारों द्वारा जारी योजनाओं के माध्यम से आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत लक्षित जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सस्ते दर पर उपलब्ध कराना है। वर्तमान में सार्वजनिक वितरण प्रणाली ने मिलावटी खाद्यान्न फर्जीकार्ड कदाचरण, कालाबाजारी, मापतौल और भ्रष्टाचार समस्या है किन्तु इन समस्याओं का समाधान चुनौती के रूप में स्वीकार कर संचार कार के माध्यम से दूर करने का प्रयास किया गया।

मुख्य शब्द - मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना, डाटा डिजिटाइजेशन, राशनकार्ड, भ्रष्टाचार, कम्प्यूटरीकरण

प्रस्तावना- सार्वजनिक वितरण योजना केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा जारी योजनाओं के माध्यम से आवश्यक वस्तु अधिनियम के क्रियान्वयन लक्षित जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने पर है। भारत सरकार ने गरीबों में ध्यान केन्द्रित करते हुये जून 1997 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरू की थी।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंग के अंतर्गत उचित मूल्य की दुकान सहकारी उपभोक्ता भण्डार नियंत्रित कपड़े की बिक्री की दुकान साफ्टकोक डिपों सुपर बाजार और मिट्टी की तेल की दुकान को सम्मलित किया जाता है। इस प्रणाली के अंतर्गत नियमित अंतराल पर उचित मूल्य दुकान के माध्यम से बड़ी संख्या में लोगों के लिए आवश्यक वस्तुओं का वितरण किया जाता है। जैसे गेहूँ, चावल, चीनी, मिट्टी का तेल आदि प्रदान किया जाता है।

सतना जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के क्रियान्वयन सतना जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कार्य अधिकारियों के निर्देशन में सुव्यवस्थित चल रहा है। इस प्रणाली के विभिन्न योजनाएं उपभोक्ता तक उचित तरीके से सुविधाएं उपलब्ध

• शोध छात्रा, वाणिज्य अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा, शोध केंद्र शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

•• प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय रीवा, (म.प्र.)

कराई गई सतना जिले में मध्य प्रदेश शासन के वितरण प्रणाली के विभिन्न कार्यक्रम का क्रियान्वयन सही तरीके से रहा है।

मुख्यमंत्री अन्यपूर्णा योजना- मार्च 2016 में प्रदेश में 92 लाख परिवार एवं 3.88 करोड़ जनसंख्या को खाद्यान्न, नमक शक्कर एवं कैरोशीन का वितरण प्रारम्भ किया गया। प्रत्येक परिवार को 35 किलोग्राम खाद्यान्न खाद्य सुरक्षा अधिनियम सुरक्षा के अंतर्गत 2 रुपया प्रति किलों गेहूँ, 3 रुपये प्रति किलो चावल पात्र परिवारों को प्रदान किया गया। सतना जिला में कुछ पात्र परिवारों को 1 रुपये प्रति किलो गेहूँ एवं चावल प्रदान किया गया।

पात्र परिवार- अन्तयोदय अन्य योजना के अंतर्गत बी.पी.एल. परिवार भूमिहीन, खेतिहर मजदूर रिक्साठेला चालक अनाथ, घरेलू कामवाली महिलाएं, कुली, हम्मार, बीड़ी क्षमिक बुनकर, शिल्पी, विकलग, एड्डस पीड़ित अनुसूचित जाति, जनजाति, मछुआरे, वाहन चालक पात्र परिवार कहलाते हैं।

डाटा डिजिटाइजेशन - खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत सभी हितग्राहियों का डाटा डिजिटाइज्ड किया जा चुका है।

ई-राशनकार्ड:- पात्र परिवारों को ई-राशनकार्ड जारी किया जा चुका है। जिसमें पात्र परिवार एवं सदस्य की आईडी नम्बर नाम पात्रता श्रेणी उचित मूल्य की दुकान का नाम कोड क्रमांक का नाम का उल्लेख किया जाता है।

कैरोसीन और दाल का वितरण- सतना जिले के अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे वाले परिवारों को कैरोसीन का वितरण किया जाता है तथा तुअर की दाल को पढ़ते हुए भाव को नियंत्रित करने के लिये शहरी क्षेत्रीय में 100 रुपये प्रति किलो भी दर से दाल का वितरण भी किया जाता है।

एस.एम.एस. द्वारा सूचना- पात्र परिवारों का सूचना देने के लिए एस.एम.एस. के माध्यम से उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्रदान की जाने वाली सामग्री की जानकारी प्रदान की जारी है। इस व्यवस्था के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली सुदृढ़ एवं पारदर्शी बन जाता है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संचालन- केन्द्र और राज्य दोनों सरकारों द्वारा यह प्रणाली संचालित की जाती है। एफ.सी.आई. के माध्यम से केन्द्र सरकार में निम्नलिखित जिम्मेदारियाँ हैं-

खरीद, भण्डारण अनाज के परिवहन आदि। गरीबी रेखा से नीचे परिवारों की पहचान राशन कार्ड जारी करना उचित मूल्य दुकानों के काम-काज का पर्यावेक्षण करना है।

राशन कार्ड की भूमिका- एक देश एक राशनकार्ड योजना खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पूरे देश में 30 जून 2020 तक लागू कर दिया गया था इस योजना के तहत किसी भी राज्य का व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के दुकान से राशन ले सकता है। सभी राशन कार्डों को आधार कार्ड से लिंक कर दिया गया है। सार्वजनिक वितरण की सभी दुकानों को इंटरनेट से सार्वजनिक वितरण की सभी दुकानों को इंटरनेट से जोड़ दिया गया है। लाभार्थी किसी भी दुकान से अनाज ले सकता है।

राष्ट्रीय स्तर पर दोहरीकरण से बचा जा सके इसके लिये एक सेंट्रल रिपोजेटरी बनाई गई है। प्रत्येक राशन कार्ड को एक विशिष्ट पहचान दी गई है। जिससे यह लाभ हुआ है कि फर्जी राशनकार्ड बनना बन्द हो गये हैं। यदि कोई फर्जी राशनकार्ड बनवाने की कोशिश करेगा तो वह फर्जी राशन कार्ड नहीं बनवा पायेगा।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली की उपयोगिता- सार्वजनिक वितरण प्रणाली के उपभोक्ताओं के लिए यह बहुत उपयोगी प्रणाली है क्योंकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली न केवल खुले बाजार में आवश्यक वस्तुओं के कीमतों को नियंत्रित रखती है बल्कि उसके सामाजिक वितरण को भी सुनिश्चित करने में मदद करती है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्न एवं अन्य जरूरी वस्तुओं को उपलब्ध कराया जाता है इसके द्वारा कुपोषण की समस्या से निपटा जा सकता है। इस प्रणाली के द्वारा यदि उचित मूल्य पर पोषण युक्त अनाज उपलब्ध कराया जायेगा तो कुपोषण के विभिन्न रूपों जैसे चाइल्ड स्टंटिग, चाइल्ड वेस्टिंग बच्चों व महिलाओं में ऐनीमिया चाइल्ड अन्डरवेट से छुटकारा पाया जाता है। गरीबी से मुक्ती आवश्यक वस्तुओं को उपलब्ध कराकर दूर की जा सकती है।

समस्याएं- वर्तमान में सार्वजनिक वितरण प्रणाली कई प्रकार की समस्याओं एवं कमजोरियों से जूझ रहा है।

- सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सबसे बड़ी समस्या यह है कि इसके द्वारा अभी तक आपेक्षित मात्रा में गरीबी को कम नहीं किया जा सका है अर्थात् निर्धन लोगों को सीमित मात्रा में ही लाभ मिल पाया है। अनुमान के अनुसार निर्धन लोग अपनी आवश्यकताओं का 25 प्रतिशत भाग ही उपयोग कर पा रहे हैं।
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली में अभी आपेक्षित मात्रा में लोगों का समावेश नहीं हो पाया है क्योंकि संस्थागत रूप में भ्रष्टाचार फैला हुआ है।
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आपूर्ति की जाने वाली वस्तुओं विशेषकर खाद्यान्न की गुणवत्ता सही नहीं होती है। इसके कारण कई प्रकार की स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है गुणवत्ता के कमी के कारण खाद्यान्न खरीदते समय गुणवत्ता के मानकों को टाट में रखा जाता है और भण्डारण की एक ये समस्या रहती है भण्डारण में व्यय समस्याओं का निराकरण करना बहुत मुश्किल है।
- सरकार द्वारा खरीदे गये अनाज में फफूँदी एवं कई प्रकार के कीड़े लग जाते हैं क्योंकि भण्डारण की उचित व्यवस्था नहीं है। तिरपाल एवं पन्नी आदि को अनाज के जिससे अनाज विशैला हो जाता है। भण्डारण के अभाव में 18 लाखटन अनाज बर्बाद हो जाता है।
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लोकप्रियता को लेकर क्षेत्रीय विषमताएं बहुत है। दक्षिण भारत में यह प्रणाली लोकप्रिय है जब उत्तर भारत में नहीं है। पहाड़ी क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की स्थिति और भी खराब है। 1990 के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में उचित मूल्य की दुकानों का नेटवर्क अधिक फैलाया गया था। लेकिन परिणाम उचित नहीं मिला।

- सार्वजनिक वितरण प्रणाली में रिसाव की समस्या काफी है। जिसका मुख्य काम व्याप्त भ्रष्टाचार है। अखिल भारतीय स्तर पर लगभग 48 प्रतिशत का रिसाव है।

प्रभाव- सार्वजनिक वितरण प्रणाली में विभिन्न समस्या एवं कमजोरियाँ व्याप्त होने के कारण सामाजिक, आर्थिक स्वस्थ एवं अन्य कई नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न हुआ है। एक अध्ययन के मुताबिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से 1 रुपये मूल्य का अनाज लोगों को उपलब्ध कराने की लागत लगभग 3.65 रुपये है। सरकारी खजाने पर अतिरिक्त बोझ का कारण है। इसके कारण निजी बाजार पर प्रभाव पड़ता है। गरीबों को मजदूरी में ऊँची कीमतों पर खुले बाजर ये अनाज खरीदना पड़ता है।

- **सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार की आवश्यकता-** सार्वजनिक वितरण प्रणाली को व्याप्त समस्याओं को दूर करना अति आवश्यक है तथा निम्न बिन्दुओं पर सुधार लाना आवश्यक है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार जैम योजना सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को सुचारु रूप से चलाने हेतु सार्वजनिक वितरण प्रणाली में योजना बद्ध तरीके से लागू कर दिया जाना चाहिए।
- लाभार्थी का जन धन खाता, आधार संख्या, मोबाइल नंबर का उपयोग किया जाना चाहिए बोगस राशन कार्डों की समस्या से छुटकारा के लिए आधारकार्ड को लिंकित किये जाना चाहिए। बल्कि लाभार्थियों से जुड़ा हुआ उच्च गुणवत्ता युक्त सूचना आधार भी तैयार करना होगा बापू योजना के अंतर्गत लाभार्थियों के आधार कार्ड और पी.ओ.एस. मशीनों के आधार पर पी.डी.एस. की वस्तुएं प्राप्त होती है। इस योजना से कई तकनीकी समस्याएं हल किया जा सकता है।
- सरकार को पी.डी.एस. की वस्तुओं के अधिग्रहण के प्राथमिक स्तर से लेकर समस्त प्रक्रिया का डिजिटलीकरण करना चाहिए।

शासकीय जिम्मेदारियाँ- पीडीएस को विनियमित करने की जिम्मेदारी केंद्र और राज्य सरकारें साझा करती हैं। जबकि केंद्र सरकार खाद्यान्न की खरीद, भण्डारण, परिवहन और थोक आवंटन के लिए जिम्मेदार है, राज्य सरकारें उचित मूल्य की दुकानों के स्थापित नेटवर्क के माध्यम से उपभोक्ताओं को इसे वितरित करने की जिम्मेदारी रखती हैं। राज्य सरकारें गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के आवंटन और पहचान, राशन कार्ड जारी करने और एफपीएस के कामकाज की निगरानी और निगरानी सहित परिचालन जिम्मेदारियों के लिए भी जिम्मेदार हैं।

उचित मूल्य की दुकान- एक सार्वजनिक वितरण की दुकान, जिसे उचित मूल्य की दुकान एफपीएस के रूप में भी जाना जाता है, भारत सरकार द्वारा स्थापित भारत की सार्वजनिक प्रणाली का एक हिस्सा है जो गरीबों को रियायती मूल्य पर राशन वितरित करती है। स्थानीय रूप से इन्हें राशन के रूप में जाना जाता है दुकानें और सार्वजनिक वितरण की दुकानें और मुख्य रूप से गेहूँ, चावल और चीनी को बाजार मूल्य से कम कीमत पर बेचते हैं जिसे इश्यू प्राइस कहा जाता है। अन्य आवश्यक वस्तुओं की भी बिक्री हो सकती है। सामान खरीदने के लिए राशन कार्ड होना जरूरी है। ये दुकानें केंद्र और राज्य

सरकार की संयुक्त सहायता से पूरे देश में संचालित की जाती हैं। इन दुकानों के सामान काफी सस्ते होते हैं लेकिन औसत गुणवत्ता के होते हैं। अधिकांश इलाकों, गाँवों, कस्बों और शहरों में अब राशन की दुकानें मौजूद हैं। भारत में 5.5 लाख (0.55 मिलियन) से अधिक दुकानें हैं, जो दुनिया में सबसे बड़ा वितरण नेटवर्क है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के दुष्परिणाम- भारत की सार्वजनिक वितरण प्रणाली इसके दोषों के बिना नहीं है। लगभग 40 मिलियन गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों के कवरेज के साथ, एक समीक्षा ने निम्नलिखित संरचनात्मक कमियों और गड़बड़ी की खोज की-

- राशन की दुकानों में उपभोक्तों को घटिया गुणवत्ता वाला खाद्यान्न मिलने के मामले बढ़ते जा रहे हैं।
- दुष्ट डीलर भारतीय खाद्य निगम से प्राप्त अच्छी आपूर्ति को घटिया स्टॉक के साथ स्वैप करते हैं और अच्छी गुणवत्ता वाले एफसीआई स्टॉक को निजी दुकानदारों को बेचते हैं।
- खुले बाजार में अनाज बेचने के लिए बड़ी संख्या में फर्जी कार्ड बनाने वाले अवैध उचित मूल्य दुकान मालिकों का पाया गया है।
- कई एफपीएस डीलर अपने द्वारा प्राप्त न्यूनतम वेतन के कारण कदाचार, वस्तुओं के अवैध मोड़, होल्डिंग और कालाबाजारी का सहारा लेते हैं।
- कई कदाचार सुरक्षित और पौष्टिक भोजन को बहुत से गरीबों के लिए दुर्गम और दुर्गम बना देते हैं जिसके परिणामस्वरूप उनकी खाद्य असुरक्षा होती है।
- विभिन्न राज्यों में पीडीएस सेवाओं को प्रदान की जाने वाली स्थिति और वितरण के लिए परिवारों की पहचान अत्यधिक अनियमित और विविध रही है। आधार यूआईडीएआई कार्ड के हालिया विकास ने प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण के साथ-साथ पीडी सेवाओं की पहचान और वितरण की समस्या को हल करने की चुनौती ली है।
- एफपीएस का क्षेत्रीय आवंटन और कवरेज असंतोषजनक है और आवश्यक वस्तुओं के मूल्य स्थिरीकरण का मुख्य उद्देश्य पूरा नहीं हुआ है।
- कोई निर्धारित मानदण्ड नहीं है कि कौन से परिवार गरीबी रेखा से ऊपर या नीचे हैं। यह अस्पष्टता पीडीएस प्रणाली में भ्रष्टाचार और नतीजों के लिए व्यापक गुंजाइश देती है क्योंकि कुछ लोग जो लाभ के लिए होते हैं वे सक्षम नहीं होते हैं।

कई योजनाओं ने पीडीएस से सहायता प्राप्त लोगों की संख्या में वृद्धि की है, लेकिन यह संख्या बहुत कम है। एफपीएस की खराब निगरानी और जवाबदेही की कमी ने बिचौलियों को प्रेरित किया है जो गरीबों के लिए स्टॉक का एक अच्छा हिस्सा उपभोग करते हैं। यह भी स्पष्ट नहीं है कि किन परिवारों को गरीबी रेखा के नीचे की सूची में शामिल किया जाना चाहिए और कौन से नहीं। इसके परिणामस्वरूप वास्तव में गरीबों को बाहर रखा जाता है जबकि अपात्रों को कई कार्ड मिलते हैं। गरीबी से त्रस्त समाजों, अर्थात् ग्रामीण गरीबों में पीडीएस और एफपीएस की उपस्थिति के बारे में जागरुकता निराशाजनक रही है। एम परिवार को सौंपा गया स्टॉक किश्तों में नहीं खरीदा जा सकता

है। यह भारत में पीडीएस के कुशल कामकाज और समग्र सफलता के लिए एक निर्णायक बाधा है। गरीबी रेखा के नीचे के कई परिवार या तो मौसमी प्रवासी श्रमिक होने के कारण या अनधिकृत कॉलोनियों में रहने के कारण राशन कार्ड प्राप्त करने में सक्षम नहीं है। कई परिवार पैसे के लिए अपने राशन कार्ड गिरवी रख देते हैं। भारत में सामाजिक सुरक्षा और सुरक्षा कार्यक्रमों की योजना और संरचना में स्पष्टता की कमी के परिणामस्वरूप गरीबों के लिए कई कार्ड तैयार किए गए हैं। कार्ड के समग्र उपयोग के बारे में सीमित जानकारी ने गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों को नए कार्ड के लिए पंजीकरण करने से हतोत्साहित किया है और परिवार के सदस्यों के लिए अधिकतम लाभ सुनिश्चित करने के लिए ऐसे परिवारों द्वारा कार्ड के अवैध निर्माण में वृद्धि की है।

सुझाव- सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वर्तमान प्रणाली में सुधार के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए गए हैं–

- भ्रष्टाचार का पता लगाने के लिए सतर्कता दस्ते को मजबूत किया जाना चाहिए, जो करदाताओं के लिए एक अतिरिक्त खर्च है।
- विभाग के कार्मिक प्रभारी को स्थानीय स्तर पर चुना जाना चाहिए।
- ईमानदार व्यवसाय के लिए लाभ का मार्जिन बढ़ाया जाना चाहिए, ऐसे में बाजार प्रणाली वैसे भी अधिक उपयुक्त हैं।
- एफसीआई और अन्य प्रमुख एजेंसियों को वितरण के लिए गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न उपलब्ध कराना चाहिए, जो कि ऐसे एजेंसी के लिए एक लंबा आदेश है जिसक पास ऐसा करने के लिए कोई वास्तविक प्रोत्साहन नहीं है।
- फर्जी और डुप्लीकेट कार्डों को खत्म करने के लिए बार-बार जांच और छापेमारी की जानी चाहिए, जो फिर से एक अतिरिक्त खर्च है और फुलप्रूफ नहीं है।
- नागरिक आपूर्ति निगम को ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक उचित मूल्य की दुकाने खोलनी चाहिए।
- उचित मूल्य डीलर कभी-कभार ही दुकान के सामने ब्लॉक-बोर्डों में उपलब्ध दर चार्ट और मात्रा प्रदर्शित करते हैं। इस पर अमल किया जाना चाहिए।
- कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सुझाव दिया है कि दाल प्रोटीन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है इसलिए चावल/गेहूँ के अलावा अरहर (तूर) जैसी दालों को भी पीडीएस प्रणाली में शामिल किया जाना चाहि।

मार्च 2008 में जारी योजना आयोग के एक अध्ययन के अनुसार, कुल मिलाकर, केंद्रीय पूल द्वारा जारी किए गए सब्सिडी वाले अनाज का केवल 42 प्रतिशत ही लक्ष्य समूह तक पहुँचता है। कूपन, वाउचर, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड ट्रांसफर आदि जारी करके जरूरतमंदों और वंचितों को दिए जाने वाले फूड स्टैम्प्स दे किसी भी दुकान या आउटलेट से सामान खरीद सकते हैं। वित्त मंत्री ने अपने बजट में कहा कि राज्य सरकार तब टिकटों के लिए किराने की दुकानों का भुगतान करेगी। लेकिन संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, जो 2004 में सत्ता में आया, ने एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम पर फैसला किया और एजेंडा खाद्य और पोषण सुरक्षा था। इसके तहत सरकार की खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम

डीएस को मजबूत करने की योजना थी। हालांकि, वित्तमंत्री अरुण जेटली ने अपने बजट भाषण में सीएमपी में प्रस्तावित विचार के विपरीत किया और फूड स्टाम्प योजना के विचार का प्रस्ताव रखा। उन्होंने भारत के कुछ जिलों में इसकी व्यवहार्यता देखने के लिए इस योजना को आजमाने का प्रस्ताव दिया है। सीएमपी में सरकार ने प्रस्ताव दिया था कि यदि यह व्यवहार्य है तो यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सार्वभौमिकरण करेगी, यदि खाद्य टिकटों को पेश किया जाता है तो यह एक लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली होगी। लगभग 40 अर्थशास्त्रियों के एक समूह ने सोनिया गांधी की अध्यक्षता वाली एनएसी को खाद्य सुरक्षा विधेयक के खिलाफ आगाह किया है क्योंकि इससे सरकारी खजाने पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। इसके बजाय उन्होंने आगे बढ़ने और खाद्य टिकटों और अन्य वैकल्पिक तरीकों के साथ प्रयोग करने की सलाह दी और पीडीएस में खामियों की ओर इशारा किया। अर्थशास्त्रियों का यह समूह दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, इंडियन स्टेथ्टस्टिकल इंस्टीट्यूट, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च, सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज, हार्वर्ड, एमआईटी, कोलंबिया, प्रिंसटन, लंदन स्कूल ऑफ इकालनॉमिक्स, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया जैसे संस्थानों से है। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय और वारविक विश्वविद्यालय एक ऐतिहासिक फैसले में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि उचित मूल्य की दुकानों को गरीबी रेखा से नीचे के कार्ड धारक को आवंटित नहीं किया जा सकता है।

उपसंहार- देश में निर्पेक्ष्य गरीबी को कम करने और यह जनता में पोषण स्तर को बढ़ाने में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का अभूतपूर्व योगदान रहा है। समय-समय में इस प्रणाली को कई समस्याओं ने चुनौतियाँ दी हैं किन्तु सरकार के प्रयासों से इसमें हमेशा एक नमीयता का संचार हुआ। यह सच है कि वर्तमान में भी कई समस्याओं ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कमजोरियों को जन्म दिया है किन्तु इसमें विद्यमान सभी समस्याएं एवं चुनौतियों का निराकरण योग्य है तथा सरकार को सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार लाने हेतु उचित कदम उठाने होंगे जिसमें सूचना एवं संचार क्रांति की अग्रणी भूमिका रहेगी।

संदर्भ ग्रन्थ सूची-

1. http://www.mp.boardonline.com
2. अग्रवाल एन.एल. कृषि का अर्द्धतंत्र, राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी
3. मिश्रा डॉ. जे.सी. दत्त एवं डॉ. जे.पी. (2010) भारतीय अर्थशास्त्र साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा
4. एम.के. मल्लिक, पुस्तक- ई कॉमर्स की अनिवार्यता, प्रकाशक एवं मुद्रक/एस बी पी डी पब्लिशिंग हाउस, आगरा-282 002 (उ.प्र.)

UGC Journal No. (Old) 40942,
Peer- Reviewed Research Journal
Impact Factor 5.125 (IIFS) ISSN 0973-3914
Vol.- 37, Hindi Edition, Year-19, July - Dec. 2022

मध्यप्रदेश में कृषि विकास की संभावनाएं एवं चुनौतियां

•सुनीता सोलंकी

सारांश- जंहा एक तरफ भारत ने विश्व में अपने कृषि उत्पादन को साबित किया है वहीं दूसरी ओर, हमारे देश में अधिकतर किसान कृषि त्यागना है तथा युवा वर्ग गांव में कृषि को त्याग कर शहरों में नौकरी करने हेतु बड़ी संख्या में पलायन कर रहे हैं। बढ़ती आबादी एवं घटती उपजाऊ कृषि भूमि कम होते रोजगार तथा निवेश बाजार के जोखिमों ने कृषि क्षेत्र में कार्यरत युवाओं के समक्ष कृषि को लाभकारी बनाने के लिए बड़ी चुनौतियां खड़ी कर दी है।

मुख्य शब्द - अर्थव्यवस्था, उत्पादन, क्रांति एवं चुनौतियां

महात्मा गांधी के अनुसार, कृषि भारत की आत्मा है। करोड़ों लोग को भोजन एवं आजीविका कृषि से ही प्राप्त होती है। भारत के आधे से अधिक जनसंख्या गांव में निवारस्त है। जिसके जीविका का मुख्य साधन खेती एवं पशुपालन हैं हमारे देश के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों का योगदान वर्तमान समय में 13 से 14 प्रतिशत है देश के आर्थिक विकास में कृषि का योगदान महत्वपूर्ण रहा है। भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 68 प्रतिशत भाग कृषि कार्य में लगा हुआ है परंतु फिर भी भारतीय कृषि में प्रगति की रफ्तार धीमी है। इसी प्रकार राज्य में कृषि अभी भी परंपरागत है तथा वर्षा पर अत्यधिक निर्भर है। फसल क्षेत्र की उक्त स्थिति देखते हुए फसल क्षेत्र में निवेश में वृद्धि करने की महती आवश्यकता रेखांकित कर रही है प्रदेश की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है तथा आर्थिक गतिविधियों उद्योग तथा सेवा क्षेत्र में निकटता से जुड़ी है वर्ष 2020-21 के दौरान फसल क्षेत्र में 3.66 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वर्ष मध्यप्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद में वित्तीय वर्ष 2019-20 की तुलना में वर्ष 2020-21 में 3.37 प्रतिशत की कमी का अनुमान है। जबकि वर्ष 2019-20 में वर्ष 2018-19 की तुलना में 9.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

• सहायक प्राध्यापक, अर्थशास्त्र, शहीद भीमा नायक, शासकीय स्महाविद्यालय, बड़वानी (म.प्र.)

प्रमुख खाद्यान्न फसलों का उत्पादन 2016 से 2020 तक की स्थिति

समुह	2016-17	2017–18	2018–19	2019-20	2020-21	वर्ष 2018–19 की तुलना 2019–20 में वृद्धि का प्रतिशत
अनाज	36269	34165	38243	53818	15063	40.73
दलहन	8201	9469	6043	4784	823	-20.83
तिलहन	8225	6947	7433	5420	8159	-27.08
योग	54122	52080	53127	65603	24795	23.48

स्त्रोत– कृषि कल्याण तथा कृषि विकास मंत्रालय

तालिका क्रमांक 1 के अनुसार, वर्ष 2018–2019 कर अपेक्षा वर्ष 2019–20 में धान मक्का एवं गेंहू के क्षेत्र में क्रमशरू 10.60, 21.31 एवं 32.44 प्रतिशत वृद्धि हुई है। समग्र रूप में कुल खाद्यान्नों के क्षेत्रफल में 7.39 प्रतिशत की वृद्धि परीलक्षित हुई है। नई कृषि निर्यात नीति के जरिए सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगूना करने के लक्ष्य को पूरा कर सकती है, इस नीति के चलते अब भारतीय किसान अपने उत्पाद को वैश्विक मूल्य श्रृंखला का हिस्सा बना अच्छा लाभ अर्जित कर सकता है।

शोध के उद्देश्य-

कृषि विकास की संभावनाएं एवं चुनौतियों का अध्ययन करना।

कृषि विकास में आने वाली समस्याओं का अध्ययन करना।

शोध प्रविधि-

दिए गए शोध पत्र में हमने द्वितीयक समंक का उपयोग किया गया है जैसे ऑनलाइन डेटा का उपयोग पत्र पत्रिकाएं एवं जनरल एवं पब्लिशड बुक का उपयोग किया गया है।

कृषि आय- ग्रामीण अर्थव्यवस्था में रोजगार का प्रमुख स्त्रोत कृषि है किन्तु परिवार का बड़ा आकार, जोत का छोटा प्रकार, ऋणग्रस्तता तथा प्राकृतिक घटकों के प्रभाव से कृषि आय में अनिश्चियता बनी रहती है। उल्लेखनिय है कि कृषि विविधीकरण को अपना कर कृषि की अनिश्चियता को कम किया जा सकता है। अध्ययन क्षेत्र में कृषकों द्वारा उत्पादित फसल से आय फसल विविधीकरण के आधार पर तालिका में वर्णन किया गया है

विभिन्न प्रकार की फसल उत्पादन से आय

क्रमांक	विवरण	आवृति	औसत
1	सोयाबीन एवं कपास	41	67736.59
2	सोयाबीन, कपास एवं मक्का	75	234490.7
3	सोयाबीन, कपास, मक्का एवं ज्वार	58	341294
4	सोयाबीन, कपास, मक्का, ज्वार, एवं मूंगफली	26	547264.4

तालिका से स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र में सोयाबीन एवं कपास की कृषि करने वाले कृषकों की औसत आय 67736.59 रू है। सोयाबीन, कपास, एवं मक्का की कृषि करने वाले कृषकों की औसत आय 234490.7 रू है। सोयाबीन, कपास, मक्का एवं ज्वार की कृषि करने वाले कृषकों की औसत आय 341294 रू है। सोयाबीन, कपास, मक्का,ज्वार, एवं मूंगफली की कृषि करने वाले कृषकों की औसत आय 547264.4 रू है।

रोजगार का निम्नस्तर का होना इस तथ्य की ओर इंगित करता है। कि बढ़ी हुयी जनसंख्या में नितान्त गरीबी हैं। बैंक से ऋण लेकर उच्च उपज किस्म के फसलों का प्रयोग कर कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना तथा उसे उचित मूल्य पर बेचकर आय में वृद्धि करना है। सर्वाधिक आय प्रमुख कारण वृहत्त कृषकों द्वारा कृषि उत्पादकता बढ़ाने हेतु नई तकनीक का प्रयोग कर कम समय में अधिक उत्पादन किया गया है, जिससे समय व धन की बचत होती है, आय में धीरे-धीरे वृद्धि होती है।

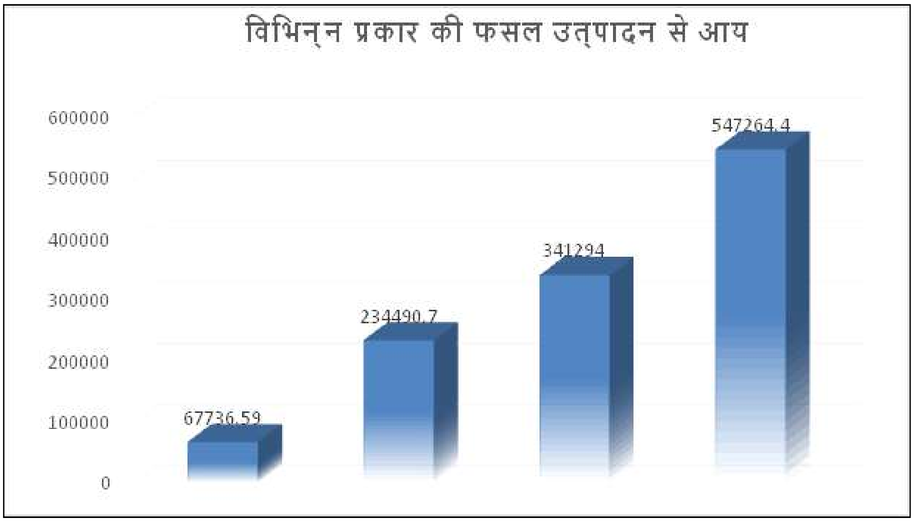

कृषि का बड़ा आकार में श्रम की पूर्ति किराये के श्रमिकों से होने लगती है। क्योंकि लघु आकार के वर्ग में रोजगार का स्तर नीचा होता है, पारिवारिक श्रम के लिये भी पर्याप्त कृषि नहीं है जिससे वे काम कर सकें। जब लघु आकार के श्रमिक वृहद आकार की और स्थानांतरित हो जाते हैं तब लघु आकार समूह में रोजगार का स्तर बढ़ जाता है। तब लघु आकार समूह में रोजगार का स्तर बढ़ जाता है। तब वृहद आकार के कृषक स्वयं को रोजगार में न लगाकर खेतों के प्रबन्ध व देख-रेख में लग जाते हैं जिसका तात्पर्य है कि वृहद कृषक अपने खेतों में किराये के श्रमिकों नियोजित कर कृषि करते है। वृहद कृषकों के पास कृषि का बड़ा आकार, सिंचाई, सुविधाओं की उपलब्धता, यंत्र तकनीक का विकास, उन्नत बीजों का प्रयोग, श्रमिक की पूर्ति तथा आय की अधिकता के साथ व्ययस्त्रोतों का कम होना आर्थिक सम्पन्नता की ओर अग्रसर होते है।

उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारक- उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारक अत्यन्त जटिल तथा अन्तर्सम्बन्धित है। क्योंकिइन्हें किसी तार्किक एवं क्रमबद्ध

क्रम में व्यवस्थित करना कठिन है। यह प्रमाणित करना कठिन है कि उत्पादन में वृद्धि अमुक कारक के परिणामस्वरूप है। अथवा अनेक कारकों के सम्मिलित प्रभाव के कारण है। उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारकों को सामान्य कारक, संगठनात्मक कारक, प्राविधिक कारक तथा मानवीय कारकों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। कृषि उत्पादन को प्रभावित करने वाले कारकों को दो विभाजित किया जा सकता है। नैतिक तथा अभौतिक भौतिक कारकों के अन्तर्गत जलवायु, वर्षा, मिट्टी, तापमान आदि कारक आते है। जलवायु, वर्षा, मिट्टी तथा तापमान मूलभूत भौतिक कारक है जो फसल प्रारूप को प्रभावित करते हैं। उक्त सभी कारक कृषि उत्पादन संरचना में व्यक्तिगत या सामूहिक भूमिका निभाते हैं तथा इनके स्थानिक बदलावों को कभी आधुनिक कृषि तकनीकों का कृषकों पर प्रभाव भी कम नहीं आका जा सकता है।

अभौतिक कारकों में सिंचाई, बीज, उर्वरक, कृषि भूमि का आकार, फसल का प्रकार, सरकार की नीतियां तथा आयात-निर्यात, उपभोग का स्तर तथा जनसंख्या का दबाव आदि कारक है। अध्ययन क्षेत्र में अभौतिक कारकों का कृषि उत्पादन के प्रभाव के सम्बन्ध में उत्तरदाताओं से प्राप्त जानकारी का वर्णन तालिका में किया गया।

कृषि को प्रभावित करने वाले कारक

क्र.	विवरण	हाँ	प्रतिशत	नहीं	प्रतिशत
1	कृषि का तकनीक का उत्पादन पर प्रभाव	138	69	62	31
2	तकनीक का उत्पादन पर प्रभाव	148	74	52	26
3	आधुनिक तकनीक उपयोग से आय पर प्रभाव	158	79	42	21
4	यंत्रों तकनीक का उत्पादन पर प्रभाव	156	78	44	22
5	भूमि की उर्वरकतता का उत्पादन पर प्रभाव	128	64	72	36
6	रासयनिक उर्वरक का उत्पादन पर प्रभाव	143	71.5	57	28.5
7	कीटनाशक का उत्पादन पर प्रभाव	133	66.5	67	33.5
8	बीज के प्रकार का उत्पादन पर प्रभाव	138	69	62	31
9	विपणन प्रणाली का कृषि लाभ पर प्रभाव	141	70.5	59	29.5
10	साधनों की उपलब्धता का उत्पादन पर प्रभाव	133	66.5	67	33.5
11	शासकीय सहयोग का उत्पादन पर प्रभाव	140	70	70	35
12	कृषि प्रशिक्षण का उत्पादन पर प्रभाव	137	68.5	63	31.5

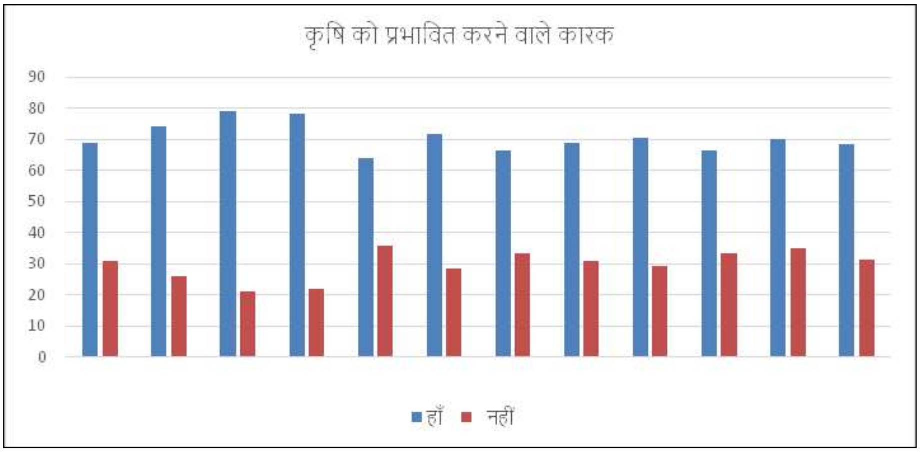

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि कृषि उत्पादन को प्रभावित करने वाले गैर-भौतिक कारकों में कृषि तकनीक 69 प्रतिशत, सिंचाई तकनीक 74 प्रतिशत,

वित्त(पूंजी तथा ऋण) 79 प्रतिशत, यंत्र तकनीक का प्रयोग 78 प्रतिशत, भूमि गोबर खाद का उपयोग 64 प्रतिशत, रासयनिक उर्वरक 71.5 प्रतिशत, कीटनाशक 66.5 प्रतिशत, बीज का प्रकार 69 प्रतिशत, विपणन प्रणाली 70.5 प्रतिशत, साधनों की उपलब्धता 66.5 प्रतिशत, शासकीय सहयोग 70 प्रतिशत, कृषि प्रशिक्षण का 68.5 प्रतिशत के अनुसार उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है जबकि उत्पादन पर उक्त साधनों का कम या कोई प्रभाव नहीं मानने वाले कृषकों का प्रतिशत बहुत कम है।

ऋण का उत्पादन पर प्रभाव अधिक होता है ऋण पश्चात् कृषकों द्वारा अपनाये जाने वाले विभिन्न विनियोग तथा श्रमिकों की पूर्ति, सिंचाई साधनों में वृद्धि उपकरण के द्वारा कृषि कार्यों व फसलों की देखभाल में वृद्धि होती है। ग्रामीण कृषि भूमि प्रधान अर्थव्यवस्था में जहां कृषि में स्वयं रोजगार प्रमुख लक्षण होता है और स्वयं के कृषि भूमि में उत्पादकता बढ़ाने के लिए लोग कृषि कार्य करते हैं जिसके लिये किसी भी प्रकार की मजदूरी का प्रावधान नहीं होता, ऐसे लोगों का शुद्ध उत्पादन पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये अपर्याप्त हो सकता है तथा पारिवारिक श्रम के रोजगार का स्तर इतना छोटा हो सकता है कि उसी परिवार के लिए पर्याप्त आय अर्जित ना हो सकें। जिसका परिणाम यह होगा कि श्रमिक की सीमांत उत्पादकता या तो बहुत कम होगी अथवा शून्य हो जावेगी।

परिकल्पना

Ha2 : कृषि में आधुनिक तकनीकों के प्रयोग से कृषकों के कुल वास्तविकउत्पादन में परिवर्तन होता।

Ho2 : कृषि में आधुनिक तकनीकों के प्रयोग से कृषकों के कुल वास्तविकउत्पादन में कोई परिवर्तन नहीं होता।

उक्त परिकल्पना का परीक्षण तालिका क्रमांक 3 में क्रमांक 1 के परिणामों के आधार पर काई-वर्ग परीक्षण किया गया है। काई-वर्ग परीक्षण के प्राप्त परिणामों का विश्लेषण निम्नानुसार किया गया है-

काई-वर्ग परीक्षण

Chi-Square[a]	df	Asymp.Sig
28.880	1	.000

उपर्युक्त परिकल्पना 5 प्रतिशत सार्थकता स्तर पर एक स्वातन्त्र संख्या के लिये X^2 का सारणी मुल्य ^{X2t} = 3.841 है तथा 0.000 प्रतिशत सार्थकता स्तर का X^2 का अंकित मूल्य $\mathbf{X}^2_c$ = 28.880 प्राप्त है। अर्थात 3.3.841<28.880 या $\mathbf{X}^2_t < \mathbf{X}^2_c$ दोनों गुण स्वतन्त्र नहीं है बल्कि दोनों गुणों आपस में सम्बन्ध है अंतरू शून्यपरिकल्पनाअस्वीकार की जाती है। स्पष्ट है कि "H_{a2}: कृषि में आधुनिक तकनीकों के प्रयोग से कृषकों के कुल वास्तविकउत्पादन में परिवर्तन होता है। स्वीकृत होती है। अतः कहा जा सकता है कि विभिन्न कृषि यंत्रों के प्रयोग से मानव श्रम की बचत होती है। आधुनिक उन्नत बीजों के प्रयोग, कीटनाशकों, उर्वरकों का प्रयोग, आदि के द्वारा उत्पादन में वृद्धि संभव हो सका है।

निष्कर्ष- निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि आज भी किसानों को बदहाली से

खुशहाली की स्थिति में लाने की दिशा में सभी संभव प्रयास किए जाने की जरूरत है इसलिए भारत सरकार की 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की पहल एक महत्वपूर्ण एवं उपर्युक्त कदम है इस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु हमें विकास कार्यक्रम तकनीकी तथा नीतियों का कुशल समन्वय कर कृषि क्षेत्र में क्वेशचन विकास पर ध्यान केंद्रित करना होगा साथ ही कृषि विकास हेतु कृषि विज्ञान केंद्रों में यह कौशल विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिससे कौशल भारत का महत्वकांक्षीलक्ष्य हासिल हो सकता है कृषि क्षेत्र में कृषि में यह नवीनता विकास मध्यनजर युवाओं के लिए कई नए आयाम उभर सामने आए है।

समस्याएँ-

कृषि विकास में नवीनतम तकनीकी का अभाव।
युवाओं में कौशल विकास प्रशिक्षण का अभाव।
मृदा परीक्षण का अभाव।
उन्नत खाद बीज का अभाव।

स्माधान-

कृषि विज्ञान केंद्रों में कौशल विकास कार्यक्रम चलाया जाना चाहिए।
समय-समय पर मृदा परीक्षण केंद्र जाकर परीक्षण करवाना चाहिए।
उचित मूल्य पर उन्नत खाद बीज की व्यवस्था सरकार के द्वारा की जानी चाहिए।
शिक्षा के स्तर को बढ़ावा दें।

संदर्भ ग्रन्थ सूची-

- गिरिजेश सिंह मोहरा एवं प्रतिभा जोशी कुरूक्षेत्र फरवरी 2020
- एनुअल रिपोर्ट प्लानिंग कमिशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली 2008
- https:@@m-economictimes-com
- https:@@www-agriculturestudyy-com
- मध्यप्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 आर्थिक एवं सांख्यिकी की संचालनालय
- https:@@m-economictimes-com

UGC Journal No. (Old) 40942,
Peer- Reviewed Research Journal
Impact Factor 5.125 (IIFS) ISSN 0973-3914
Vol.- 37, Hindi Edition, Year-19, July - Dec. 2022

पर्यावरण एवं मानव स्वास्थ्य (नईगढ़ी-पिपराही के संदर्भ में)

• वंदना मिश्रा

सारांश- इस अनंत विश्व में पृथ्वी ही मात्र एक ऐसा ग्रह है, जिस पर मानव सहित सभी जीवधारियों के लिए अनुकूल दशाएं उपस्थित है अर्थात् इसी पर जीवन संभव है। इसीलिए पृथ्वी को मानव का घर कहा जाता है। वास्तव में ऐसा इलिए संभव हुआ क्योंकि पृथ्वी का वायुमण्डल है, जिसमें जीवन के लिए आवश्यक गैसें उपस्थित है। वातावरण भी इसका सूचक है। इसमें वायु का महत्वपूर्ण स्थान है। इसी प्रकार जलवायु भी वायुमण्डल से संबंधित है। कहा जा सकता है कि पृथ्वीं पर अनुकूल पर्यावरण के कारण जीवन है। पर्यावरण का शब्दिक अर्थ है- चारों ओर से घिरा हुआ। इसका शब्दकोषीय अर्थ है - आस-पास या पास-पड़ोस अर्थात् पर्यावरण एक परिवृत्त के अन्तर्गत मानव, जीव-जन्तुओं या पादपों की वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाली वाह्य दशाएं, कार्यप्रणाली या जीवन दशाएं आदि सम्मिलित हैं।

मुख्य शब्द - पर्यावरण, वायुमण्डल, जलवायु, पृथ्वीं, स्वास्थ्य, जीव-जन्तु या पादप

प्रस्तावना– किसी स्थान विशेष में मानव के आस–पास भौतिक वस्तुओं का आवरण ही पर्यावरण है। किंतु यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि मानव का अस्तित्व अन्य जीवन–रूपों को अलग संभव नहीं है। अतः इसमें सभी जैविक संख्याएं सम्मिलित होती है। पर्यावरण के लिए कई बार उपसपमन शब्द का भी प्रयोग किया जाता है।[1]

पर्यावरण का अवधारणात्मक विश्लेषण–

ओडम के अनुसार– "पर्यावरण, प्रकृति का आवृत्त समूह है, जिसके अन्तर्गत भौतिक दशाओं में किसी भी प्रकार का जीवन उपस्थित है।" पार्क के अनुसार पर्यावरण को इस प्रकार स्पष्ट है – "पर्यावरण का अर्थ उन दशाओं के योग से होता है जो मनुष्य को निश्चित स्थान पर आवृत्त करती है।[2] अतः इस संदर्भ में देश, काल तथा परिस्थितियाँ सम्मिलित रूप से पर्यावरण का निर्माण करते है।

गाउडी के अनुसार –"पर्यावरण विश्व का समग्रह दृष्टिकोण है क्योंकि यह किसी समय संदर्भ में, बहुस्थानिक त्तवीय एवं सामाजिक–आर्थिक तंत्रों, जो जैविक एवं अजैविक रूपों के व्यवहार/आचार पद्धति तथा स्थान की गुणवत्ता तथा गुणों के आधार पर एक–दूसरे से अलग होते है, के साथ कार्य करता है।"[3]

• **गीता ज्योति शिक्षा महाविद्यालय रीवा (म.प्र.)**

संक्षेप में, पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है तथा इसकी रचना भौतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों की पारस्परिक क्रियाशीलता से होती है। उपनिषदों में भी प्रकृति व उसके घटकों के विषय में इस प्रकार कहा गया है – The Universe is the creation of supreme power meant for the benefit of all his creation, Individual species must, therefore, learn to enjoy its benefits by forming a part of the system inclose relation with other species. Let not any species encroach upon the other rights."

मानव को वातावरण की उपज माना गया है। इसलिए कभी–कभी वातावरण का कार्य तात्पर्य केवल प्रकृति दशाओं एवं प्रकृति से ही होता है। इन्हीं प्राकृतिक परिस्थितियों के कारण मानव की संस्कृति प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित और निर्धारित होती है। जिस प्रकार प्राकृतिक दशाओं में समस्त भूमण्डल पर सार्वभौमिक, स्थानीय और अन्तप्रादेशिक भिन्नताएं है, उसी के अनुसार मानव संस्कृति में भी भिन्नताएं पायी जाती है। पारिस्थितिकी पर्यावरण के तत्वों का एक सुनिश्चित तंत्र है, जो पारस्परिक क्रियाओं का प्रतिफल है। कुछ प्रमुख विद्वानों ने पारिस्थितिकी को निम्नानुसार परिभाषित किया है–

राउज के अनुसार, पारिस्थितिकी एक ऐसा विज्ञान है जो जीवित जीवों की जीवन प्रक्रिया और पर्यावरण जिसमें वे निवास करते हैं तथा परस्पर क्रिया करते है, का अध्ययन करता है। ए. हैकेल के अनुसार, पारिस्थितिकी जीवों के आववास्य का विद्वान है इसके अन्तर्गत समस्त जीवों और पर्यावरण के संपूर्ण अर्न्तक्रिया का अध्ययन होता है जो अपने अस्तित्व के लिये संघर्षरत रहते है। ;ठल मबवसवहल ूम नदकमतेजंदक जीम ेबपमदबम व िमबवदवउल व िजीम कवउमेजपब ेंपिते व िदपउंस वतहंदपेउ पज पदुनपतमे पदजव जीम ूंवसम तमसंजपवद व िदपउंसे ूपजी जीम पदवतहंदपब ंदक वतहंदपब ेनततवनदकपदहे ंदक इवअम ंसस जीमपत तिपमदकसल ंदक ीवेजपसम तमसंजपवदे ूपजी ेनबी ंदपउंसे ंदक चसंदजे जीमल बवउम पदजव कपतमबज ंदक पदकपतमबज बवदजंबज ूपजी वत पदं ीवतज ूपजी ंसस जीम पदअवसअमक पदजमतकमचमदकमदज वदबम जींज क्ंतूपदश्े कपेहतंबमक जीम बवदकपजपवदे व िजीम ेजतनहहसम वित मगपेजमदबमण्द्ध एफ.अर्लिड के अनुसार, पारिस्थितिकी समस्त पर्यावरण के संदर्भ में जीवों तथा उनके अर्न्तजातीय एवं आपसी अर्न्तसंबंधों का विज्ञान है।"

सी.एम. साउथविक के अनुसार, पारिस्थितिकी जीवधारियों का परस्पर और उनके मध्य पर्यावरणीय अर्न्तविदि का अध्ययन है।" उपर्युक्त परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि पृथ्वी पर उपस्थित भौतिक पास्परिक क्रियाओं एवं जैविक अन्तर्सबंधों का स्वरूप पारिस्थितिकी है। जहॉ तक रोग पास्थितिकी का प्रश्न है वह मानव पर्यावरण अन्तरक्रियाओं एवं सहलग्नताओं का प्रतिफल है। विशेषताओं के अनुसार इन्हें भौतिक जैविक एवं सांस्कृतिक समूहों में वर्गीकृत किया जाता है। इनके पारस्परिक क्रियाओं का प्रतिफल पृथ्वी पर जीवन का होना है, जो अपने विभिन्न तंत्रों का समूह है। प्रसिद्ध निश्चयवादी भूगोलवेत्ता ने मानव को पर्यावरण की उपज के रूप में संबोधित किया है।

उपरोक्त विचारों से स्पष्ट होता है कि पृथ्वीं पर पाये जाने वाले विभिन्न तत्वों का समष्टि ही पर्यावरण के यहीं तत्व विभिन्न अनुपातों में सहसंबंधित जीव विशेष के अनुकूल तथा अन्य के प्रतिकूल होती है जिसमें रोगो का प्रस्कुटन एवं संचारण होता है, जो स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। पर्यावरण के इन तत्वों को जिसमें स्वास्थ्य परिस्थितिकी का निगमन होता है, को 2 वर्गो में विभक्त किया गया है –

1. प्राकृतिक पर्यावरण
2. सांस्कृतिक पर्यावरण

यह उस पर्यावरण का द्योतक है, जिसका निर्माण प्रकृति द्वारा होता है इसके अन्तर्गत समस्त प्राकृतिक भूदृश्य सम्मिलित है, जैसे – भूमि, जल राशियां, वनस्पति, जलवायु दशाएं, मिट्टियां जीवन–जन्तु, खनिज, भूमि की बनावट एवं स्वभाव इत्यादि। ये सभी पृथ्वी पर अनेक प्रकारों, स्वभाव तथा पदानुक्रम में पाये जाते है। प्राकृतिक पर्यावहरण का संघटन निम्नलिखित रूप से होता है –

- तथ्य – भूमि, जलवायु मिट्टी, खनिज, सूर्यताप आदि।
- शक्तियां – सूर्यपात, भूकम्प, वर्षा, बढ़ता हुआ जल, गुरूत्वाकर्षण शक्ति, पृथ्वी का परिभ्रमण आदि।
- प्रक्रियाएं – वे समस्त प्रक्रियाएं जो निरंतर प्राकृतिक वातावरण के निर्माण में संलग्न रहती है। उदाहरणार्थ, बढ़ते हुये जल द्वारा अनेक स्थलाकृतियों का निर्माण, वनस्पति तथा खनिज और जलवायु तत्वों से मिट्टों का निर्माण आदि।

अतः इस पर्यावरण का निर्माण प्राकृतिक तथ्यों, शक्तियों एवं प्रक्रियाओं के सम्मिलित योगदान से होता है तथा इसमें मानव का कोई हाथ नहीं होता है। इसे भौगोलिक पर्यावरण भी कहा जाता है। पारिस्थितिकी का संबंध पर्यावरण के भौतिक तत्वों के उन समुच्चयों से है, जो दैनिक विकास एवं उसकी कार्य क्षमता को बनाये रखने से संबंधित है। ये समुच्चय पर्यावरण के भौतिक तत्व होते है, जो निश्चित तंत्र के रूप में कार्य करते है। मानव एवं अन्य सभी जीव समुदाय को आवास्य प्रदान करते है। इस प्रकार पारिस्थितिकी एक प्रकार का तंत्र है, जिसका अभिप्राय उन अन्तःक्रियाओं से है, जो वनस्पति एवं वस्तु जगत् और उच्च पर्यावरण को एक सक्रिय इकाई से जोड़ती है। 1985 में ए.जी. टान्सले ने इसे एक ऐसा क्षेत्र बताया है, कि पर्यावरण में जैविक एवं अजैविक कारकों समन्वय के परिणाम स्थापित हो सके।[4]

स्वास्थ्य पारिस्थितिकी का संबंध पर्यावरण के भौतिक तत्वों के पारम्परिक संबंधों एवं अन्तः क्रियाओं का स्वास्थ्य पर पड़ने वाला प्रभाव है। हमारे आस–पास की सभी परिस्थितियाँ, वस्तुयें एवं भिन्न–भिन्न अवस्थायें जो हमारे आयुमान एवं जीव–यापन को प्रभावित करती है, और हमारे शारीरिक एवं मानसिक विकास पर प्रभाव डालती है, स्वास्थ्य वातावरण बनाती है, स्वास्थ्य पारिस्थितिकी है। पार्क ने मानव के स्वास्थ्य एवं अस्वस्थता में वातावरण को सुखद एवं दोषी माना है। अतः रोग अस्वस्थता का कारण है। स्वास्थ्य उपादान है। जबकि आक्सफोर्ड डिक्सनरी में शरीर के कोई भी अंग–प्रत्यंग जब अचानक कार्य करना बंद करें तो अस्वस्थता माना जाता है। इस अस्वस्थता का संबंध विभिन्न प्रकार के रोगो से है। इस प्रकार स्वास्थ्य पारिस्थितिकी का नजदीकी संबंध रोग पारिस्थितिकी से है।

अखिल विश्व यह मम उपजाया, सब पर मोहि बराबर दाया।[5]

ऋग्वेद के ऋचाओं से स्पष्ट होता है, कि पृथवी पर विभिन्न तत्वों का एकत्रीकरण अकास्मिक घटना बल्कि क्रमिक विकास के प्रक्रियाओं के प्रतिफल है। प्रत्येक तत्वों के विकास पूर्व में उपस्थित घटक तत्वों के अन्तरवर्ती क्रियाओं के प्रतिफल है, अर्थात् नवीन तत्वों का सृजन पूर्ववर्ती तत्वों की पृष्ठभूमि में हुआ। यह क्रम निरंतर चलता रहा, भौतिक तत्वों में ताप के बाद वायु, जल एवं भूमि का सृजन पूर्ण हुआ। इन भौतिक तत्वों की पारस्परिक क्रियाओं एवं आधार संबंधों का एकीकृत स्वरूप जीवों के सृजन की पृष्ठभूमि प्रस्तुत की जिसे जैव पारिस्थितिकी या जैव आवास्य के रूप में संबोधित किया जाता है। मानव अथवा पृथ्वी पर पाया जाने वाला अन्य जीव अपने पर्यावरण की उपज होता है। सभी जीवों की अपनी एक सुनिश्चित पारिस्थितिकी होती है जिसमें उनका जन्म एवं विकास सुनिश्चित होता है। ठीक इसी प्रकार रोगो की अपनी पारिस्थितिकी होती है, जहॉ इनका उद्भव एवं विकास सुनिश्चित होता है।

प्राकृतिक पर्यावरण- प्राकृतिक पर्यावरण के दो वर्ग भौतिक एवं जैविक पर्यावरण के तत्व है। ये दोनो ही तत्व मानव के स्वास्थ्य पारिस्थितिकी को नियंत्रित करते है। प्रमुख प्राकृतिक तत्वों में भू-संरचना उच्चावच, धरातल, प्रवाहप्रणाली, वनस्पति, मृदा, खनिज, पशु एवं मानव रूप में पर्यावरण तत्व जिसमें मानव स्वास्थ्य प्रभावित होता है। उदाहरणार्थ जलवायु के परिवर्तन प्रकृति के अनुसार विषाणु जीवाणु का प्रकोप ताप, वर्षा तथा मानव स्वास्थ्य पर प्र।भाव स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद होते है। इस प्रकार की संरचना जल में भारीपन लाते है, जिसे उदर विकास की संभावनायें बढ़ जाती है। उच्चावच की दृष्टि से यह भू-भाग सामान्य ऊॅचाई संवर्ग में है जिसके कारण इसके स्वास्थ्य पर विषमकारी प्रभाव नहीं पड़ते, किंतु इस क्षेत्र में पाये जाने वाली मृदा बलुही एवं दोमट युक्त है, जिसमें रोगाणु काफी समय संरक्षित रहते है। तथा अनुकूल अवसरो पर मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करते है। क्षेत्र के प्रमुख खनिजों में चूना प्रमुख है जो पेय जल को भारी कर देता है। नदियॉं अपने आकार में छोटी तथा भूमिगत जल काफी गहराई पर होने के कारण उथले कुआं झरनो का पानी पेय जल के रूप के प्रयुक्त किया जाता है, जो स्वास्थ्यप्रद नहीं है।

जलवायु की दृष्टि से अध्ययन क्षेत्र में अवशिष्ट ऋतुये होती है। वर्षा मानसून प्रकृति से युक्त वर्षा ऋतु में (75 प्रतिशत) होती है। ऋतु परिवर्तन इस भू-भाग की प्रमुख विशेषता है, ऋतुओं के संक्रमण का बार-बार होना स्वास्थ्य की पारिस्थितिकी को अत्यधिक प्रभावित करता है। विभिन्न प्रकार के संचारी रोगों की बारम्बरता वर्षा एवं ग्रीष्म ऋतु में अचानक बढ़ जाती हैं। वर्षा के दिनों में कीट-पतंगो, मच्छरों, विषाणु, जीवाणु की अभिवृद्धि उष्ण-आर्द्र मौसम के कारण अधिक अभिवृद्धि करते है और स्वास्थ्य को भी प्रभावित करते है। अक्टूबर का महीना विशेष रूप से मलेरिया के लिये इस क्षेत्र में प्रसिद्ध है। 2008 के आकड़ों के अनुसार कुल 158 व्यक्ति उपचार के लिए केन्द्रो पर पहुंचे जबकि 2015 में कुल 931 व्यक्तियों ने चिकित्सालय में अपना इलाज करवाया। वर्ष 2015 में आये सभी 2949 रोगियों के रोगों की जानकारी प्राप्त करने पर अध्ययन क्षेत्र में रोगों के प्रवृत्ति का बोध निम्नानुसार है[6] -

तालिका क्रमांक 01
वर्ष 2015 में बीमार व्यक्तियों के रोगो का विवरण

क्र.	नाम रोग	संख्या	कुल रोगी व्यक्तियों का प्रतिशत
1	मलेरिया	1612	57.83
2	पीलिया	180	2.23
3	वायरल	154	5.52
4	कान दर्द	28	1.00
5	नेत्र दर्द	42	1.50
6	पेट दर्द, ऑव, वात, गैस आदि	608	21.81
7	पेचिस	32	1.14
8	उल्टी दस्त	10	0.35
9	बुखार (टाइफाइड)	06	.21
10	खाज-खुजली फुन्सी फोड़ा	192	6.88
11	सूखा	27	0.96
12	अनिद्रा (तनाव)	04	0.14
13	अन्य	54	1.93
	योग	2949	98.41

स्त्रोत - बी.एम.ओ. कार्यालय जिला रीवा (म.प्र.)

उपर्युक्त तालिका से प्राप्त आंकड़ो के अनुसार मलेरिया सर्दी जुकाम, पेचिस, पेट दर्द, खाज- खुजली पीलिया के रोगी अधिसंख्यक मिले जिससे स्पष्ट होता है कि अध्ययन क्षेत्र में संचारी रोग का प्रभाव सर्वाधिक है।

निष्कर्ष एवं सुझाव-

- सभी जीवधारी और उनका पर्यावरण आपस में अन्तक्रिया करते है और विभिन्न रूपों में एक दूसरे को प्रभावित करते है।
- पर्यावरण, जो वास्तव में कई अन्तर्सबंधित कारको का मिश्रण है और गति'ील है, जीवों के चुनाव में छलनी की तरह कार्य करता है।
- प्रत्येक प्रजाति, संरचना कार्य, पुनरूत्थपादन, वृद्धि व विकास में जनन-पूल के संरक्षण के अनुसार समानता बनाये रखने का प्रत्येक प्रयास करती है। साथ ही ये बदलते पर्यावरण में स्वयं को समायोजित करती है।
- केवल पर्यावरण ही जीवों के जीवन को प्रभावित नहीं करता, वरन् जीव भी अपने वातावरण में परिवर्तन या सुधार करते है। यह तथ्य उनकी वृद्धि विसरण, पुनरूत्पादन, मृत्यु क्षय आदि से स्पष्ट हो जाता है। इस प्रकार ये दोनो अनुक्रमण के विकास में योगदान देते है। समूहों की अंतिम वस्था चरम कही जाती है।
- जब जैव व अजैव दोनों घटकों का संदर्भ लिया जाता है तो प्रकृति की मौलिक संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाईयों को परिस्थिति-तंत्र कहा जाता है। प्रत्येक जनसंख्या की अपनी विशिष्ट कार्यात्मक स्थिति होती है।
- आदिवासी समाज प्राय: झाड़-फूंक, टोना-टोटका पर वि'वास करते है। एक डॉक्टर व एक ओझा में से वे स्वास्थ्य लाभ के लिये ओझा का चयन करते हैं।

- स्थानिक जड़ी–बूटियों पर आदिवासी अधिक भरोसा करते हैं।
- महिलाये प्राय: चिकित्सालय नहीं जाना चाहती।
- आवागमन के साधनों के अभाव के कारण चिकित्सालय तक पहुॅचना कठिन होता है। वर्षा के दिनों में सर्वाधिक कठिनाईं होती है।
- जो लोग प्राइवेट चिकित्सालय में दवा करवाते है, शासकीय चिकित्सालयों में उनकी प्रवृष्टि नहीं की जाती।

उपर्युक्त कारणों से नईगढ़ी जिला रीवा के पिपराही राजस्व मण्डल में कुल जनसंख्या में रोगी व्यक्तियों का प्रतिशत मात्र 13.81 प्रतिशत है, जबकि क्षेत्रीय सर्वेक्षण के समय इस के विपरीत स्थितियाॅ पायी गयी थीं।

निष्कर्ष- यह कहा जा सकता है कि पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र का जीवधारियों के स्वास्थ्य को प्रभावित करते है इन्हें स्वस्थ्य रखने के लिये स्वच्छ पर्यावणीय वातावरण बनाये रखने की आवश्यकता है। साथ ही सरकार द्वारा संचालित सामुदायिक केन्द्रों में स्वास्थ्य संबंधी जांच कर जनजातीय लोगों एवं सामान्य लोगों को बीमारी से ग्रस्त लोगों को उचित एवं तात्कालिक उपचार की सुविधाओं को प्रदाय किये जाने की आवश्यकता है। यदि स्वस्थ्य समाज रहेगा तो वास्तविक रूप से लोगों के आर्थिक सामाजिक एवं राजनैतिक परिवेश पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा।

संदर्भ स्त्रोत –

संदर्भ ग्रन्थ सूची-

1. Odum, E.P. (1971) Fundamentals of Ecology, 3rd Ed. W.B. saunders, Philadelphis.
2. Park, C.C. (1950) Ecology and Environmental Management, Butterworths, London.
3. Goudie, A (1984) The Nature of the Engironment, Basil Balckwell Publication Ltd.
4. गोस्वामी तुलसी दास – रामचरिस मानस से
5. जी.सी.सिंघई– चिकित्सा भूगोल, वसुन्धरा प्रकाशन गोरखपुर, 1995 पृ.7
6. District Census 2015, Rewa (M.P.)

UGC Journal No. (Old) 40942,
Peer- Reviewed Research Journal
Impact Factor 5.125 (IIFS) ISSN 0973-3914
Vol.- 37, Hindi Edition, Year-19, July - Dec. 2022

शहडोल संभाग में पर्यटन विकास का पारिस्थितिकी पर प्रभाव

• बी. पी. सिंह
•• सविता पटेल

सारांश- मध्य प्रदेश सरकार विरासत स्थलों को विकसित करने के लिए इच्छुक है, उन्हें ऐसे होटलों में बदलना जहां पर्यटकों को राज्य सरकार या रियासत के स्वामित्व वाली संपत्तियों में स्थापित हेरिटेज होटलों में रहकर अतीत की विरासत का अनुभव करने का अवसर दिया जाएगा। राज्य सरकार संयुक्त उद्यम कंपनियों की स्थापना करने और निजी क्षेत्र द्वारा प्रबंधित की जाने वाली अपनी ओर से इक्विटी भागीदारी के रूप में इन संपत्तियों की पेशकश करने के लिए तैयार है। जहां सरकार के पास संपत्तियां हैं, वहां यह सुनिश्चित करने के लिए सभी ध्यान रखा जाएगा कि स्मारकों और उनके परिवेश के पुरातात्विक मूल्य किसी भी तरह से परेशान न हों। रियासतों को भी अपनी संपत्तियों को होटल में बदलने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इन संपत्तियों को अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय विपणन एजेंसियों और होटल श्रृंखलाओं से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। हालांकि, राज्य सरकार या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित पुरातात्विक स्मारकों को उनके संरक्षण और संरक्षण को सुनिश्चित किए बिना हेरिटेज होटलों में परिवर्तित नहीं किया जाता हैं।

मुख्य शब्द - मध्य प्रदेश,राष्ट्रीय विपणन,भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, हेरिटेज

"Walking is a virtue, tourism is a deadly sin." — **Bruce Chatwin**

विश्व संरक्षण संघ (आईयूसीएन) पारिस्थितिक पर्यटन को परिभाषित करता है कि "... Is environmentally responsible travel and visitation to relatively undisturbed natural areas, in order to enjoy and appreciate nature (and any accompanying cultural features – both past and present) that promotes conservation, has low negative visitor impact, and provides for beneficially active socio-economic involvement of local populations." [IUCN, Tourism, Ecotourism and Protected Areas, Ceballos-Lascurain, 1996]

• शोध निर्देशक, प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष (भूगोल विभाग) शासकीय ठाकुर रणमत सिंह स्वशासी महाविद्यालय, रीवा (म. प्र.)
•• शोधार्थी, भूगोल विभाग, शासकीय ठाकुर रणमत सिंह स्वशासी महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

मध्य प्रदेश में अपने उद्देश्यों और नीतियों के साथ अपना कार्य कर रहा है। इसके निम्नलिखित उद्देश्य है-

- कम प्रभाव वाले प्रकृति पर्यटन को बढ़ावा देना जो पारिस्थितिक पर्यटन स्थलों और उसके पर्यावरण की पारिस्थितिक अखंडता सुनिश्चित करता है ।
- जैव विविधता, पारंपरिक पारिस्थितिक ज्ञान और भारत के जंगल के विरासत मूल्यों को बढ़ावा देना ।
- प्रकृति पर्यटन में स्थानीय समुदायों की भागीदारी को इस तरह से बढ़ावा देना कि स्थानीय अर्थव्यवस्था समृद्ध हो और आर्थिक रूप से व्यवहार्य मूल्य श्रृंखलाओं के माध्यम से स्वदेशी सामग्रियों के सतत उपयोग को प्रोत्साहित किया जा सके जिससे ऐसे स्थानीय समुदायों को आत्मनिर्भर बनने में मदद मिल सके।
- संसाधनों को जुटाने और प्रकृति पर्यटन को विकसित करने और बढ़ावा देने के साथ-साथ लाभों के समान बंटवारे के लिए हितधारकों के बीच भागीदारी को बढ़ावा देना।
- वैश्विक पर्यावरण-पर्यटन गंतव्य के रूप में भारत की क्षमता को बढ़ाना ।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत में इकोटूरिज्म और मध्य प्रदेश में संभावित स्थल हैं-

- माधव नैटोनल पार्क
- राष्ट्रीय चंबल वन्य जीवन अभयारण्य
- पचमढ़ी वन्य जीव अभ्यारण्य

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वन और वन्यजीव क्षेत्रों में सतत पारिस्थितिकी पर्यटन 2021 पर अद्यतन दिशानिर्देश दिए गए हैं।

1. लोगों में प्रकृति के प्रति लगाव पैदा करने के लिए विशेष रूप से वन्यजीवों और संरक्षित क्षेत्रों के संरक्षण के प्रति जागरूक करने के लिए संरक्षित क्षेत्रों और उनके बाहर उपयुक्त वन क्षेत्रों में ईको-टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा।
2. पारिस्थितिकी-पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों की पर्यटन क्षमता का पूर्ण उपयोग करने के क्रम में, ऐसे क्षेत्रों के लिए दृष्टिकोण सड़कों का पर्याप्त रूप से विकास किया जाएगा।
3. ईको-पर्यटन की मूल भावना के अनुरूप, पर्यटन का स्वरूप ऐसा होगा कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक अनुकूलनशीलता के साथ-साथ पर्यटन के लाभों में वन-निर्भर समुदायों को भागीदार बनाया जा सके।
4. प्रमुख संरक्षित क्षेत्रों पर पर्यटन के दबाव को कम करने के लिए राज्य की पर्यटन नीति के अनुसार अधिक से अधिक अन्य संरक्षित क्षेत्रों और उनके बाहर के वनों में ईको-टूरिज्म का विकास किया जाएगा।
5. वन क्षेत्रों में ईको-टूरिज्म प्रबंधन योजना तैयार कर तथा उसके अनुरूप ही ईको-टूरिज्म का विकास किया जाएगा। ईको-टूरिज्म प्रबंधन योजना में जल और ऊर्जा जैसे प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और अपशिष्ट निपटान के लिए स्पष्ट प्रक्रियाएं शामिल होंगी।

6. वन क्षेत्रों में धार्मिक, पुरातात्विक या ऐतिहासिक महत्व की विरासत, जैसे देवी-देवताओं की मूर्तियां, प्राचीन मूर्तियां, र,क पेंटिंग, जीवाश्म, ऐतिहासिक किले आदि को सूचीबद्ध और प्रलेखित किया जाएगा और उनकी बहाली और संरक्षण सुनिश्चित किया जाएगा।
7. ईको-टूरिज्म को अधिक आकर्षक और प्रभावी बनाने के लिए सभी इको-टूरिज्म क्षेत्रों में इंटरप्रिटेशन सेंटर स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा, स्थानीय शिक्षित ग्रामीणों को इस क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान करके व्यक्तिगत व्याख्या को प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे न केवल पर्यटकों को लाभ होगा, बल्कि ऐसे ग्रामीणों को रोजगार भी मिलेगा।
8. संरक्षित क्षेत्रों से सटे वन क्षेत्रों पर जैविक दबाव और प्रदूषण को कम करने के लिए संरक्षित क्षेत्रों की सीमाओं पर व्यावसायिक गतिविधियों को योजनाबद्ध तरीके से विकसित किया जाएगा।
9. ईको-टूरिज्म से होने वाली आय को पर्यटन प्रबंधन, व्याख्या एवं पर्यावरण विकास कार्यों पर खर्च करने को प्राथमिकता दी जाएगी।
10. संरक्षित क्षेत्रों में पर्यटन प्रबंधन के लिए अनुबंध के आधार पर विशेष स्टाफ लगाया जाएगा, ताकि नियमित कर्मचारियों को यह कार्य सौंपे जाने से संरक्षित क्षेत्रों की सुरक्षा प्रभावित न हो।
11. वनों, वन्यजीवों और पर्यावरण पर पारिस्थितिकी पर्यटन के प्रतिकूल प्रभावों की निरंतर निगरानी के लिए निर्धारित प्रक्रिया के साथ एक उपयुक्त प्रणाली विकसित की जाएगी ताकि प्रतिकूल प्रभावों को नियंत्रित और कम किया जा सके।

इस संदर्भ में मध्य प्रदेश सरकार की पहल-

अनुभूति पत्रिका
इको जंगल कैंप देवरी ग्वालियर
गांधी सागर अभियान इको जंगल कैंप
हिनोटा इको जंगल कैंप
कठौतिया इको जंगल कैंप
केरवा इको जंगल कैंप भोपाल
खियोनी इको जंगल कैंप देवास
कुकरू इको जंगल कैंप
मटकुली इको जंगल कैंप
परसापानी (सतपुड़ा टाइगर रिजर्व) – इको जंगल कैंप
रानेह फॉल्स इको जंगल कैंप
समरधा इको जंगल कैंप
पयली इको जंगल कैंप

पारिस्थितिकी पर प्रभाव- इको-टूरिज्म पर्यटन का वह रूप है जिसमें पर्यटक प्रकृति

का आनंद लेने और वन्य जीवन को उसके प्राकृतिक आवास में शांत और शांत वातावरण में देखने में सक्षम होता है। साहसिक पर्यटन पर्यटकों को नदियों, जल निकायों और पहाड़ियों और पहाड़ों में खेल गतिविधियों में भाग लेने के दौरान एक विशेष रोमांच और रोमांच की भावना प्रदान करता है। अपने समृद्ध प्राकृतिक वातावरण के साथ मध्य प्रदेश, जिसका अब तक दोहन नहीं किया गया है, में इस तरह के खेलों की अपार संभावनाएं हैं। राज्य सरकार ने अपने सीमित संसाधनों पर निर्भर रहने के बजाय इन प्राकृतिक संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए इस क्षेत्र को निजी भागीदारी के लिए खोलने का निर्णय लिया है। जहां एक ओर इन प्रयासों से सरकार को बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करने की उम्मीद है, वहीं दूसरी ओर यह उम्मीद की जा रही है कि इससे स्थानीय उत्पादों की अधिक मांग पैदा करने और स्थानीय समुदायों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करने में मदद मिलेगी। निजी भागीदारी को आकर्षित करने के लिए, राज्य सरकार ने सरल दिशानिर्देशों के एक सेट को अंतिम रूप दिया है, जो परेशानी मुक्त हैं और एक उद्यमी के लिए अनुपालन करना आसान बना देगा।

मुख्य विशेषताएं

1. इको और एडवेंचर टूरिज्म से जुड़ी मुख्य गतिविधियां जिन्हें निजी भागीदारी के साथ बढ़ावा दिया जाना है, अनुबंध–5 में सूचीबद्ध हैं।
2. पारिस्थितिक और साहसिक पर्यटन गतिविधियों को शुरू में परीक्षण के आधार पर शुरू करने के लिए पहचाने गए स्थानों को अनुबंध–6 में सूचीबद्ध किया गया है। इन स्थानों के अलावा, उद्यमी सरकार की मंजूरी के अधीन अपनी खुद की साइटों के साथ आने के लिए स्वतंत्र है।
3. पारिस्थितिक और साहसिक पर्यटन गतिविधियों के लिए शुरू में निर्धारित स्थानों को उनकी पहुंच और संभावित व्यवहार्यता के आधार पर तीन श्रेणियों ए, बी और सी में वर्गीकृत किया गया है, और अनुबंध –7 में दिए गए हैं।
4. आशय पत्र जारी करने की प्रक्रिया और निजी क्षेत्र की भागीदारी की प्रक्रिया देखी जाती है

निष्कर्ष एवं सुझाव- एक बहुत ही कठोर अवलोकन जो उभर कर आता है वह यह है कि पारिस्थितिक पर्यटन गतिविधियों की प्रकृति सभी में समान है स्पष्ट रूप से गतिविधियाँ सांस्कृतिक और सामाजिक विशिष्टताओं को ध्यान में नहीं रखती हैं । न ही वे उस विशेष कौशल को ध्यान में रखते हैं जो उनमें से प्रत्येक समुदायों के पास संरक्षण के मामले में है।

संरक्षित क्षेत्रों से आदिवासियों का विस्थापन, जिन्हें बाद में पारिस्थितिक पर्यटन स्थलों के रूप में बढ़ावा दिया जाता है। बहुत बार पारिस्थितिक पर्यटन गतिविधियाँ उन संसाधनों पर प्रभाव डालती हैं जो अन्यथा आदिवासियों द्वारा आजीविका के लिए उपयोग किए जाते हैं,स्वास्थ्य और अन्य उद्देश्य उन्हें आत्मनिर्भर बनाते हैं।पर्यटन के बुनियादी ढांचे जैसे सड़कों, रहने वाले ढांचे जैसे स्थायी टेंट, कॉटेज आदि का निर्माण आगेपर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं और आदिवासियों के लिए भी खतरा हैं।

एसी टेंट और अन्य निर्माण सामग्री के उपयोग से ऊर्जा की खपत में वृद्धि होती है,

जहांरिस,ट्र्स में बिजली का कैप्टिव उत्पादन होता है, योजना बनाते समय वहन क्षमता/स्वीकार्य परिवर्तन की सीमा को अक्सर ध्यान में नहीं रखा जाता है । पर्यटन पहलों के कारण उत्पन्न होने वाले ठोस कचरे का उचित प्रबंधन नहीं किया जाता है, जिससे पर्यावरण दोनों पर प्रभाव पड़ता है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची-

1. मुरलीधर एमके, "भारत में पर्यटन प्रबंधन", प्रिंटवेल पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, जयपुर, 1999
2. शिजी, ओ। (2016), भारत में पर्यटन का आर्थिक प्रभाव। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ सोशल साइंसेज, 5(1), 35. doi: 10.5958/2321-5771.2016.00013.2
3. श्रीदेवी, वी., और गीता, एस। (2014)। कन्याकुमारी जिले में पर्यटन के आर्थिक प्रभाव के लिए प्रेडिक्टर समीकरण। एशियन जर्नल ऑफ रिसर्च इन बिजनेस इकोन, मिक्स एंड मैनेजमेंट, 4(11), 140. doi: 10.5958/2249-7307.2014.00980. 3https://niti.gov.in/planningcommission. gov.in/docs/plans /stateplan/ sdr/sdr_mp1909.pdf
4. दामोदर प्रसाद नंदकुमार, और जैकब के. मैथ्यू, "जियोम, फोॅल, जिकली इंटीग्रेटेड इको-फ्रेंडली टूरिज्म पोटेंशियल अ, फ केरल", द जर्नल ऑफ बिजनेस स्टडीज, व, ल्यूम 2 नंबर 1, पृष्ठ 91, दिसंबर 2004।
5. दीपांशु, और नितिन गुप्ता, "भारतीय पर्यटन उद्योग का वर्तमान और भविष्य: अंडमान द्वीप समूह का एक SWOT विश्लेषण", मास्टर्स इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मैनेजमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट (MIJMRD), 2347-9043, व, ल्यूम। मैं, अंक ए, पीपी.39-50, नवंबर, 2013
6. गेब्रियल साइमन थाटिल, और आर. निमी देव, "केरल पर्सपेक्टिव ऑन एन ऑल-इन-वन टूरिस्ट डेस्टिनेशन", सारंगधरन में। एम और जी। राजू (एड्स), टूरिज्म एंड सस्टेनेबल इकोन, मिक डेवलपमेंट, न्यू सेंट, री पब्लिकेशन, नई दिल्ली, पी . 235-236, 2005
7. गणेशन जी., और के. चंद्रशेखर राव, "तमिलनाडु पर्यटन उद्योग का प्रदर्शन", इंडियन जर्नल ऑफ मार्केटिंग, वॉल्यूम, नंबर 5, पीजी 3-9, मई 2006
8. गंगोपाध्याय, नंदिनी और चक्रवर्ती, प्रेमांगशु, "दीघा में पर्यटन: एक आशीर्वाद या एक तुषार", क्षेत्रीय विज्ञान के भारतीय जर्नल, वॉल्यूम। नंबर 1, पीपी 91-98, 2003। आईएसएसएन (ऑनलाइन) : 2319-8753 आईएसएसएन (प्रिंट) : 2347-6710 विज्ञान, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी में अभिनव अनुसंधान के अंतर्राष्ट्रीय जर्नल (एक आईएसओ 3297: 2007 प्रमाणित संगठन) वॉल्यूम . 5, अंक 12, दिसंबर 2016 IJIRSET DOI
9. ज, र्ज। पी.ओ., "स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इन टूरिज्म", साउथ एशियन जर्नल ऑफ सोशल पॉलिटिकल साइंसेज, वॉल्यूम 4, नंबर 1, पीपी.86-88, दिसंबर 2003
10. ह, ल, एम.सी और वीलर, बी. विशेष रुचि पर्यटन के बारे में क्या खास है? इन: वीलर, बी. और ह, ल, एम. सी (एड्स) विशेष रुचि पर्यटन, लंदन: बेथवेन प्रेस. 1992
11. जयराज। वी. "केरल में पारिस्थितिकी पर्यटन की क्षमता पर एक अध्ययन", अप्रकाशित थीसिस, केरल विश्वविद्यालय 2005
12. कबिता कुमारी साहू, "ओडिशा में पर्यटन की वृद्धि और संभावनाएं", मानविकी और सामाजिक विज्ञान आविष्कार के अंतर्राष्ट्रीय जर्नल, आईएसएसएन (ऑनलाइन): 2319 - 7722, आईएसएसएन (प्रिंट): 2319 - 7714 www-ijhssi-org 2 अंक 5, पीपी.22-28, मई 2013

13. कंदारी.ओपी और चंद्र आशीष, ''पर्यटन विकास सिद्धांत और व्यवहार'', श्री प्रकाशक, पृष्ठ 124, नई दिल्ली। 2004

14. माधवी चोकलिंगम और अरबिंदो गणेश, ''पर्यटकों द्वारा सामना की जाने वाली समस्याएं'', बीईएच-बिजनेस एंड इकोन,मिक होराइजन्स, आईएसएसएन: 1804- 1205 वॉल्यूम 3, अंक 3, पीपी.68-72, अक्टूबर 2010।

UGC Journal No. (Old) 40942,
Peer- Reviewed Research Journal
Impact Factor 5.125 (IIFS) ISSN 0973-3914
Vol.- 37, Hindi Edition, Year-19, July - Dec. 2022

समाज और संस्कृति की विकास यात्रा (भारतीय संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में)

• दिव्या मिश्रा

सारांश- मनुष्य की उत्पत्ति का सिद्धांत हर धर्म में अलग-अलग है। मनुष्य की उत्पत्ति कब हुई, कैसे हुई और क्या मनुष्य बंदरों का विकसित रूप है? ऐसे कई सवाल मन में उठते हैं जिसका जवाब विज्ञान अपने तरीके से देता है और धर्म अपने तरीके से। कल तक मानव जाति के इतिहास की खोजबीन प्राचीन दस्तावेज़ों, इमारतों, कलाकृतियों, औजारों, कब्रों, हड्डियों, बोलियों आदि की मदद से हुआ करती थी। आज हमें एक और टूल मिल गया है। मनुष्य शरीरों में पाए जाने वाले डीएनए के परीक्षण से मानव जाति के हजारों-लाखों साल पुराने इतिहास में हम झांक पा रहे हैं। मानव जाति के आदिम पुरखे कहां रहते थे, कब और कैसे वे वहां से निकल कर बाकी दुनिया में फैले और बसे, यह रोमांचक कहानी अब कल्पना का विषय नहीं रही। आदिम अथम कबीलाई समूहों से समाज निर्माण के मूल में संबंधो और श्रम का विशेष महत्व है। प्रकृति का, द्वंद्ववाद नामक पुस्तक में एंगेल्स ने इस पर विस्तृत चर्चा की है। उन्होंने लिखा है, पशु जगत से निकलकर मनुष्य बनने में सबसे अधिक महत्व श्रम का है। एक अर्थ में मनुष्य को लाखों वर्ष हो चुके और उस अवस्था से निकले हुए मनुष्य को लाखों वर्ष हो चुके और उस अवस्था का ठीक काल-निर्णय करना संभव नहीं है, लेकिन पशु सभ्यता का इतिहास उसके पशु जीवन के इतिहास के समय को देखते हुए बहुत छोटा है।

मुख्य शब्द - उत्पत्ति, मनुष्य, संस्कृति, समाज, इतिहास

फ्रेडरिक एंगेल्स (1876)ने अपने शोध पत्र ''वानर के नर बनने में श्रम की भूमिका''' में लिखा है कि मनुष्य के हाथ श्रम की उपज हैं। अर्थशास्त्रियों का दावा है कि श्रम समस्त संपदा का स्रोत है। वास्तव में वह स्रोत है, लेकिन प्रकृति के बाद। वही इसे वह सामग्री प्रदान करती है जिसे श्रम संपदा में परिवर्तित करता है। पर वह इस से भी कहीं बड़ी चीज है। वह समूचे मानव-अस्तित्व की प्रथम मौलिक शर्त है, और इस हद तक प्रथम मौलिक शर्त है कि एक अर्थ में हमें यह कहना होगा कि स्वयं मानव का सृजन भी श्रम ने ही किया। लाखों वर्ष पूर्व, पृथ्वी के इतिहास के भू-विज्ञानियों द्वारा तृतीय कहे जाने वाले महाकल्प की एक अवधि में, जिसे अभी ठीक निश्चित नहीं किया जा सकता है, पर जो संभवत: इस तृतीय महाकल्प का युगांत रहा होगा, कहीं ऊष्ण कटिबंध के किसी प्रदेश में

• अतिथि विद्धान, हिन्दी विभाग, शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

संभवत एक विशाल महाद्वीप में जो अब हिंद महासागर में समा गया है। मानव वानरों की विशेष रूप से अतिविकसित जाति रहा करती थी। डार्विन ने हमारे इन पूर्वजों का लगभग यथार्थ वर्णन किया है। उन का समूचा शरीर बालों से ढका रहता था, उन के दाढ़ी और नुकीले कान थे, और वे समूहों में पेड़ों पर रहा करते थे। संभवतः उन की जीवन-विधि, जिस में पेड़ों पर चढ़ते समय हाथों और पावों की क्रिया भिन्न होती है, का ही यह तात्कालिक परिणाम था कि समतल भूमि पर चलते समय वे हाथों का सहारा कम लेने लगे और अधिकाधिक सीधे खड़े हो कर चलने लगे। वानर से नर में संक्रमण का यह निर्णायक पग था। विकास की अवस्थाओं का उल्लेख नीचे किया जा रहा है-

- श्रम की अवस्था।
- जीवः जीवस्य भोजनम् अर्थात् मांसाहार की अवस्था।
- आखेटक, अनुसंधान और निर्माण की अवस्था।
- संबंध की संरचना की अवस्था।

श्रम की अवस्था के अंतर्गत पेड़ों पर चढ़ने के लिए मनुष्य ने अपने हाथों का सहारा लिया। इस तरह चौपाये से वह दोपाया बना। उसके हाथों और पैरों में भेद हुआ जिससे उसे चलना आया। एंगेल्स के अनुसार यह कार्य उसके मानव बनने में निर्णायक कदम था। श्रमकी इसी स्थिति ने मनुष्य को समूह में रहने की ओर प्रेरित किया। फलस्वरूप मानव यूथ एवं वाग्यंत्रों का विकास हुआ। वाग्यंत्रों के विकास के साथ-साथ मनुष्य ने अपने जीवन में सबसे क्रांतिकारी कार्य भाषा के आविष्कार के रूप में संपादित किया। भाषा के विकास ने मनुष्य की इन्द्रियों यथा, आँख, कान, नाक आदि की उपयोगिता को समझाने का काम किया।

जीव वैज्ञानिकों की यह मान्यता है कि शाकाहारियों के प्रति पूर्ण श्रद्धा प्रकट करते हुए भी यह स्वीकार करना होगा कि मांस-भक्षण के बिना मानव अस्तित्व में नहीं आया। मनुष्य के जो सबसे पुराने औजार मिलते हैं वे शिकार और मछली मारने के अस्त्र हैं। इस ही एंगेल्स ने वन्य जीवन की दूसरी मंजिल कहा है। इसी अवस्था में मनुष्य द्वारा अग्नि के महत्व को समझा गया। प्रस्तर युग में वन्य मानव पर्यटन करते हुए जंगल के विभिन्न जीवों का आखेट करता था और उसी से अपना पेट भरता था। खाद्य-सामग्री बराबर न मिलने के कारण उसने नर मांस भक्षण भी प्रारंभ किया। आस्ट्रेलिया और पोलीनीसिया के आदिवासियों में इसका चलन आधुनिक काल तक रहा है।

वन्य मानव की तीसरी मंजिल वह है जब मनुष्य तीर कमानों का आविष्कार करता है। इस तरह आखेट द्वारा वह अधिक भोजन प्राप्त करने लगा। इसी दौरान मनुख्य ने गांवों में बसना सीख लिया। लकड़ी के बर्तन-भाड़े करघे को उंगुलियों से बुनना, डलिया बनाना, पत्थर के औजारों पर पॉलिश आदि करना भी उसने समझ लिया। पत्थर की कुल्हाड़ी की सहायता से उसने नाव बनाने की कला भी प्राप्त कर ली थी।

पुरातत्ववेत्ता गॉर्डन चाइल्ड ने मनुष्य के इस विकासक्रम को प्रस्तर युग, कॉसे का युग और लौह-युग के रूप में चित्रित किया है, मार्गन का कहना है कि मिट्टी के बर्तन बनाना बर्बर अवस्था की विशेषता है। उस समय तक मनुष्य अपनी वन्य अवस्था से बाहर आव चुका था। पूर्व में पशुपालन से प्राप्त मांस और दूध ने खाघ सामग्री की पूर्ति की

और मानव विकास तेजी से होने लगा। खेती का काम काफी बाद शुरू हुआ। नदियों के किनारे चारागाहों में पशुओं के बड़े-बड़े झुंड पाए गये इस स्थिति तक आते-आते नर मांस भक्षण समाप्त हो गया। बर्बर समाज व्यवस्था की तीसरी मंजिल में लोहे के हल द्वारा खेतों में अन्न पैदा किये जाने लगे और जंगल साफ करके चारागाह और खेत बनाये गये। लोगे की कुल्हाड़ी और फावड़े द्वारा यह संभव हुआ।

मार्गन ने अमरीकी आदिवासियों का अध्ययन करके विवाह-प्रथा और पारिवारिक संबंधो के विकास का पता लगाया था। मार्गन ने कई वर्षो तक इरोकोवा आदिवासियों के बीच रहकर मनुष्य जीवन में संबंधों की शुरूआत पर महत्वपूर्ण अनुसंधान किये हैं।

मार्गन ने लिखा है कि शुरू-शुरू में एक पुरूष और एक नारी के बीच विवाह-प्रथा का चलन था। स्त्री-पुरूष कुछ महीने साथ रहकर दूसरे पुरूष-स्त्री से संबंध जोड़ लेते थे। इरोकोवा पुरूष अपनी संतान को ही बेटा -बेटी नहीं कहता था बल्कि भाई व अन्य कुटुम्बियों की संतान को भी बेटा-बेटी ही कहता था। वन्य और बर्बर अवस्था में मनु'य का रक्त संबंध और नाते-रिश्ते बहुत महत्वपूर्ण हो गए। अमरीकी आदिवासियों में यह भी अध्ययन किया गया कि उनमें बहुपति और बहुपत्नि प्रथा का प्रचलन था।

डॉ. मजूमदार ने लिखा है, परिवर्तित सामाजिक दृष्टिकोण के अनुकूल जहां कबीलों के रिवाजों में कुछ तब्दीली हो गई है, वहाँ उत्सवों और त्यौहारों के अवसर पर यौन संबंधी छूट दे दी जाती है, लेकिन त्यौहार और उत्सव के समाप्त होते ही यह छूट भी समाप्त हो जाती है। नाते-रिश्तों के बारे में मार्गन ने कुछ लक्षणों की तरफ संकेत किया है। 'अजा' का अर्थ -माँ चाची और मौसी तीनों है। 'अपू' का अर्थ पिता, चाचा, और मौसा है। 'अनी' का अर्थ हुआ बूआ और सास (पति-पत्नी) दोनों की माताएं और जेठानी होता है।

सच पूछिये तो यही से मानवीय संबधों की संरचना प्रारंभ होती है। जैसा कि यह सभी जानते हैं कि समाज मानवीय संबंधो का समुच्चय है। मानव यूथ की चेतना ने जब से मनुष्य-मनुष्य की बीच संबंध निर्धारित हो जाने पर परस्पर एकता एवं सौहार्द का वातावरण निर्मित किया तभी से समाज अस्तित्व में आया। समाज एक विकासमान संस्था है। इसका विकास सूक्ष्य चेतनागत संरचनाओं के बरक्स होता रहता है। समाज में विभिन्न कोटियों, वर्गो, वर्णो, जातियों, प्रजातियों व नस्लों का निर्धारण भी उसकी विकासशील परंपराओं का सूचक है।

समाज की अवधारणा विकसित होने के काफी पश्चात संस्कृति का स्वरूप निश्चित किया गया। 'संस्कृति' वास्तव में एक ऐसी अंतर्वर्ती धारा है, जिसमें किसी भी जाति की संपूर्ण प्रवृत्तियाँ परिलक्षित होती है। संस्कृति के विषय में विद्वानों में मतभेद होते हुए भी प्रायः सभी इस बात से सहमत है कि उसके दो रूप होते हैं-एक बाह्य संस्कृति अथवा भौतिक संस्कृति जिसे सभ्यता भी कहा जा सकता है और दूसरी आभ्यंतर संस्कृति जिसे सूक्ष्म परंपरा की चेतना के नाम से जाना जाता है।

समाज और संस्कृति के संबंध में यह अवधारणा भले ही वैश्विक प्रतिमानों पर निर्भर हो लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय समाज प्रारंभ से ही उपर्युक्त

मानकों में खरा उतरता रहा है। वैदिक संस्कृति प्रकारांतर से तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था का ही अंतर्वर्ती प्रत्याख्यान है। उसी प्रकार पुराण अथवा महाकाव्य काल में ऐतिहासिक एवं धार्मिक चेतना के तौर पर भारतीय समाज ने सांस्कृतिक तत्वों का उद्घाटन किया है। मध्यकालीन समाज अनेक अंतर्बाह्य विसंगतियों का समाज माना जाता है। यहाँ जिस संस्कृति (सभ्यता) का विकासित रूप हमें देखने को मिलता है उसमें अनेक विजातीय तत्वों के सम्मिश्रण भाषा विशेषज्ञों, संतो, फकीरों व सभ्याताओं के फलस्वरूप भारतीय संस्कृति जो रूप धारत करती है उसमें प्राचीन एवं अर्वाचीन परंपरा एवं अर्वाचीन परंपरा एवं भौतिकता, यथार्थ और कल्पना, ऐहिक एवं पारलौकिक तथा भौतिक अध्यात्मिक तथ्यों का मिला जुला रूप है। इन्हीं तत्वों का क्रमशः विकास होते हुए आधुनिक काल में पुनर्जारण अथवा पुनरूत्थान के तौर पर भारतीय संस्कृति ने अपना एक नवीन कलेवर सृजित किया।

निष्कर्ष- उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर यह आसानी से कहा जा सकता है कि भारतीय समाज और संस्कृति के उत्थान-पतन की गाथा वैश्विक उत्थान-पतन की गाथा से बहुत भिन्न नहीं है। जिस प्रकार कोई भी समाज विकासोन्मुख होता है उसी प्रकार संस्कृति भी क्रमशः अपना विस्तार करती जाती है। भारतीय परंपराओं के परिप्रेक्ष्य में इस तथ्य को सहजता से समझा जा सकता है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची-

1. सभ्यता और ऐतिहासिक प्रक्रिया (संपादन), हिंदी अनुवादक नरेन्द्र तोमर, लोक साहित्य प्रकाशन, कैसर बाग लखनऊ, प्रथम संस्करण 1987
2. मार्क्सवाद और प्रगतिशील साहित्य, डॉ. रामविलास शर्मा, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, प्रथम, द्वितीय संस्करण 1984, 2002
3. साहित्य और इतिहास दृष्टि, मैनेजर पाण्डेय, वाणी प्रकाशन नई दिल्ली, प्रथम, द्वितीय, तृतीय संस्करण 1981, 2000, 2008
4. साहित्य संस्कृति और समाज परिवर्तन की प्रक्रिया अज्ञेय, सस्ता साहित्य मंडल प्रकाशन कनॉन प्लेस नई दिल्ली, प्रथम संस्करण 2010
5. **https://www.marxists.org/hindi/marx-engels/1876/part-labour-ape-to-man.htm**

UGC Journal No. (Old) 40942,
Peer- Reviewed Research Journal
Impact Factor 5.125 (IIFS) ISSN 0973-3914
Vol.- 37, Hindi Edition, Year-19, July - Dec. 2022

शिव ब्रात है?

•अशुतोष शुक्ल

सारांश- शिव आदि अनन्त अगोचर अजन्मा है। वे ही अपनी लीला के प्रकटीकरण के लिए माया का आश्रय लेकर विभिन्न रूप धारण करते है। जिसमें यह नही कहा जा सकता है कि वे किस रूप में किसके नही, सभी उनका रूप है। ब्रात नही ब्रातों के द्वारा उपास्य होने से उन्हे ब्रात भी कहा जाता है। यर्जुवेद में तो उन्हे जहा सन्तानोपत्ति कहा गया है वही इशान, महेश, महादेव आदि भी कहा गया है यही उनकी व्यापकता है किसी एक रूप निर्धारित करने पर व्यापकता व असीमता बाधित होगी। व्यक्ति की सोच साकारात्मक व नकारात्मक होती है पर किसी की सोच से किसी की महतीयता का रूप निर्धारित नहीं किया जा सकता। वह हर स्थिति में एक रूप व कल्याण करता है। हम अपनी दृष्टि से उसका रूप निर्धारित करते है। जैसे चन्द्रमा का एक रंग रूप है पर हमारी दृष्टि पर चढ़े चस्मे के रूप में वह दिखता है।

मुख्य शब्द - अगोचर, अजन्मा, लीला, माया, ब्रात

गुणों का वैशम्य ही सृष्टि का कारण है। इसलिए संसार ही गुण दोषमय है। अतः यहॉ का प्रत्येक प्राणी भी गुण-दोष-युक्त है और अपने सृष्टयाधायक तत्वों के आधार पर ही स्वयं अवतरित होने वाले सभी प्राणियों एवं वस्तुओं को उसी कसौटी पर परखता है। इसी आधार पर मानव अपनी वृत्ति के अनुसार ईश्वर में भी उन्ही अपने गुण दोषों का ही साक्षात्कार करता है। किसी वस्तु या व्यक्ति के रूप रंग के आधार पर उसकी आलोचना-प्रत्यालोचना करना मावन का सहज स्वभाव है। यह कार्य वह अपनी बुद्धि और रूची के अनुसार करता है। यदि यह कहे कि तत्वज्ञान के अभाव में किसी वस्तु, व्यक्ति या जीवादि के विषय में उसके वाह्य रूप आदि क्रियादि को देखकर व्यक्ति उसका निर्धारण करता है, या उसके गुण दोष का विवेचन करता है या यो कहे कि अपने ही गुण दोष का दर्शन करता है तो कोई अत्युक्ति न होगी। खासकर भारतीय धर्म एवं देवाधि के विषय में उनके तत्व को न जान सकने के कारण अधिकतर लोगों को भ्रन्ति होती है जो स्वाभाविक है। पर इसे ही सत्य मान लिया जाय यह सत्य नही है। इस विषय में पाश्चात्य विद्वान अपनी गवेषणापरक बुद्धि एवं अपने को अभिजात्य व अधिक संस्कृत तथा भारतीय संस्कृत को निम्न एवं अपर कालिक सिद्ध करने के लिए अधिक भ्रान्ति दिखते है। भगवान शिव की इस आलोचना से परे नही है। ऐसे लोगों की, जो शिव

• सहायक प्राध्यापक, सेठ रघुनाथ प्रसाद कॉलेज हनुमना रीवा

के तत्व को नही जानते, दृष्टि में शिव, ब्रात, अनार्य, कपाली आदि है।

शिव के प्रति इन भ्रांतधारणाओं के मुख्यकारण उनका अलौकि रूप, उनके असाधारण क्रियाकलाप व विभिन्न नामादि है। परन्तु किसी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश के साथ दृष्टि की आवश्यकता है। ये दृष्टि दूषित है, या देख नही सकती है तो किसी वस्तु का विषयगत निर्णय सही न होगा। उसका कथन या निर्णय एकांगी व व्यक्तिगत ज्ञान तक ही सिमित होगा न कि वस्तु के वास्तविक रूप का द्योतक। भगवान शिव के रूप आदि के विषय में कुछ कहने से पूर्व उनके वैदिक रूप से लेकर अद्यतन स्थिति एवं रूप क्रियाकलाप व नामादि के विषय में विचार करना होगा, तभी उनके तात्विक रूप का ज्ञान एवं भ्रमात्मक धारणाओं का निराकरण हो सकेगा।

वेद हमारी समस्त मान्यताओं एवं विचारधाओं की उद्गम है। किसी पौराणिक उपाख्यान या देवादि के के विषय कुछ निश्चय करने एवं उनके रूपादि का निर्धारण करने के लिए वेदों की ओर देखना पड़ता है। वेदों के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि पौराणिक शिव का आदि रूप वैदिक रूद्र ही है। ऋग्वेद में रूद्र की स्तुति केवल तीन पूर्ण सूक्त कहे गये है। इसके अतिरिक्त दो सूक्तों में होम के साथ रूद्र की स्तुति की गई है। रूद्र नाम ही भयंकरता का व्योतक प्रतीत होता है। इसी आधार विद्वान उन्हे ''झंझावात'' के रूप में तो कोई विनाशकारी विद्युत के रूप में तो कोई प्रकृति के विनाशकारी शक्ति के रूप का प्रतीक मानते है। अंग्रेज विद्वान विल्सन रूद्र को अग्नि या इन्द्र का ही एक रूप मानते है। परन्तु इन विद्वानों के मत से रूद्र के सम्पूर्ण स्वरूप का सही एवं संतोष जनक समाधान नही होता। क्योकि रूद्र के स्वरूप के विषय में कई ऐसी बाते है जो परस्पर विरोधी है, परिणामस्वरूप उनके एक ही रूप पर विशेष जो दिया गया है तथा अन्य की उपेक्षा की गई है। रूद्र का रूप यदि भयावह है तो सौम्य भी है। विरूद्ध धार्माश्रयिता ही उसके ईश्वत्व का परिचायक है। उसमें संतान आदि के लिए प्रार्थना की जाती है। अथर्ववेद में रूद्र महादेव हो जाते है। तथा उनकी औषधिया ठण्डी व रोगनाशक है। रूद्र का स्वयं व्याधि नाश के लिए आह्वान किया जाता है। अथर्ववेद के पन्द्रहवे मण्डल में रूद्र का ब्रात के साथ उल्लेख होने से हो सकता है कि लोंग उन्हे ब्रात्यों एवं अनारियों का देवता मानते है पर वही ब्रात्य को ''महादेव'' एवं ''ईशान'' बनाने की भी बात कही गई है जो रूद्र की उपाधिया है। इससे सिद्ध होता है कि रूद्र के प्रभाव को देखकर अनार्य लोंग अपने देवों को उनमें सम्मिलित कर उनकी उपासना करने लगे। पर किसी की उपासना से किसी देव विशेष का महत्व कम नही होता बल्कि बढ़ता ही है। चोर, साहु, डाकू, या अन्य प्रकृति के लोंग भी देव विशेष की उपासना करते देखे जाते है तो क्या उनकी उपासना से वह देव भी दूषित हो गया। रूद्र की महानता को उनके ''महादेव'' व ''ईशान'' रूप से ही स्पष्ट होती है।

यजुर्वेद में जहा रूद्र को भयंकर ध्वंशक आदि कहा गया है वही उनके धनुष व तर्कस को शिव कहा गया है। इससे स्पष्ट होता है कि सृष्टि के नियन्मण में जहा कही विध्वंशक रूप की आवश्यकता होती है तो कही मंगल व कल्याणकारी रूप की भी। शिव में ये दोनों रूप उनके महान देवत्व के प्रतीक है। लोक में एक डॉक्टर के हाथ में छूरा-चाकू देखकर उनके रूप का निर्धारण नही कर सकते उसका वह छूरा-चाकू व्याधि से कराहते व्यक्ति की शान्ति सुख व मंगल का द्योतक है। यद्यपि वह भी उसमें काटने का

ही काम करता है। पर उसके काटने व एक हत्यारे के काटनें में बिल्कुल अन्तर है। एक का कर्तन सर्जक है दूसरे का विध्वंशक है। यही शिव का शिवत्व है। ब्राह्मण ग्रंथो अनुसार देवताओं ने प्राणी मात्र के कर्मो का अवलोकन करने और धर्म के आचरण करने वाले का विनाश करने के उद्येश्य से रूद्र की सृष्टि की। इस कार्य से उनका पद ऊचा हुआ और वे परमेश्वर माने जाने लगे।

शिव की लिंग रूप में उपासना होने से भी लोग उनका जननेन्द्रिय से सम्बन्ध मानकर उनके विषय में भ्रम फैलाते है तथा उन्हे भोगादियो व अनार्यो का देवता मानते है पर वैदिककाल से जननेन्द्रिय उपासना का कोई उल्लेख नही मिलता न तो अपरकाल में लिंग का जननेन्द्रिय से कोई सम्बन्ध था। जननेन्द्रिय से सम्बन्ध करने वाले का तर्क उर्वरता सम्बन्धि विधियों को ध्यान में रखकर होगा पर पौराणिक कथाओं से स्पष्ट होता है कि ब्रह्म-विष्णु के विवाद को शान्त करने के लिए शिव ज्योतिर्मय लिंग के रूप में प्रकट हुए है, जो रूद्र-शिव के निराकार रूप का द्योतक एवं शिव के बहु प्रचलित लिंगोपासना का कारण है। इसप्रकार शिव का लिंग रूप एक प्रतीक है। जो उनके निर्गुण रूप का परिचायक है। पुराणकाल में जो लिंग भगवान शिव का एक पुनीत प्रतीक बन गया था और इसको बड़े आदर से देखा जाता था। समस्त देवतागण यहातक कि ब्रह्म विष्णु भी शिव की लिंग रूप में उपासना करते है जिस तरह तरंगमाला का उदय स्थान, निलय स्थान और विलय स्थान जल है उसी प्रकार स्थावर जंगात्मक जगत के उदय स्थान, निलय स्थान व विलय स्थान भगवान शिव है। यही कारण है कि शिव स्वयं लिंग है। इसलिए इसमें स्लीलता के विचार का भ्रम पालना उचित नही है। भगवान शिव का वह्नि धूमवत गमक (अनुमापक) होने से स्थावर, जंगात्मक जगत भी लिंग है। भगवान के कपाली व दीगम्बर होने व दानवों द्वारा उपास्य होने में भी आपत्ति है। पर जैसा ऊपर कहा गया है कि सृष्टि में गुणदोष दोनों समान रूप से विद्यमान है। परात्पर ब्रह्म के द्वारा ही दोनों की सृष्टि हुई है और वह विश्वरूप है। अतः उसके रूप में भी भिन्नता जगत का वैभिन्न प्रदर्शन ही है। किन्तु गुणदोष दोनों दिग्दर्शन कराकर शिव लोगों को दोष से दूर रहने का संकेत देते है। प्रभु सर्वज्ञ है। सर्वज्ञता परीक्षा या मानव के निराकरण का विषय नही है। विशेषज्ञता परीक्षा या संदेह का विषय हो सकती है, सर्वाज्ञता नहीं। शिव की नग्नता में उन्हे मर्यादा का भाव दिखाई देता है। वे वही लोंग है जो अपनी वास्तविकता को लोक दृष्टि से छिपाये रहना चाहते है। अपनी वासनावृत्ति को मिटाने में असमर्थ केवल आवरण द्वारा उसे ढके रहना चाहते है। कामारि शंकर के जीवन में ऐसी कोई जुगुप्सावृत्ति शेष नही जिसे छिपाने के लिए उन्हे किसी आवरण की आवश्यकता हो। उनका अन्तर और वाह्य सर्वथा एक है। वे विश्व के रूप है। उनके हर रूप का दर्शन ही वास्तविक समग्रता है। मर्यादा के नाम पर वह समाज दम्भ की पूजा करने लगता है तब शिव अपने इस रूप से उसका उपहास करते हुए दिखाई देते है।

भगवान शिव का स्वरूप स्वतंत्रता का द्योतक है। पूर्ण स्वतंत्र्य की आकाक्षा व्यक्ति का सहज स्वभाव है। असुर व राक्षसों का भगवान शिव के प्रति आकर्षण उनके वास्तविक रूप को न समझ पाने के कारण है। प्रत्येक भोगवादी व्यक्ति यथोच्छाचार की छूट चाहता है। शिव के स्वातंत्रमय को वह स्वेच्छाचार का पर्यायवाची मान बैठता है। ऐसी

स्थिति में शंकर के प्रति उसकी भक्ति स्वाभाविक है। भले ही वह सर्वथा भ्रान्तिधारणाओ पर आधारित हो। भगवान शिव की नग्नता से लेकर उनके साथ जुड़े हुए अनेक मादक पदार्थो में उसके अपनी उच्छृंखलता के दर्शन पाया जाना स्वाभाविक है। इसीप्रकार की प्रवृत्तिवाला समाज का व्यक्ति अपने को शिव का भक्त और मादक पदार्थो को शिव की बूटी कह उनका यथेष्ट प्रयोग कर अपनी भोगवादी वृत्ति का भक्ति बहाने यथेष्ट प्रयोग करता है। पर ऐसा करने वाले व्यक्ति शिव के वास्तविक रूप को नही जान पाते। उनके वाह्य रूप में ही भ्रमित रहकर शिव के सम्बन्ध में भ्रामक धारण के कारण बनते है। शिव के प्रति भ्रान्ति धारण के लोग अशिवता के दर्शन करते है। जबकि शिव अशिवता में शिवत्व का दर्शन कराते है। इसलिए तो नगद पार्वती का हाथ देकर उन्हे अमांगलिक पति मिलने की बात कहते है। किन्तु सभी अमंगलों को आश्रय देने वाले शिव ही पति हो जाय तो दोष को भी गुण होने की बात मानस में कहते है। शिव गले में सर्प लगाते है, तो विष्णु भी अहिसेज पर शयन करते है। अहि काल का द्योतक है तो विष्णु उसके ऊपर है तो महाकाल शिव काल के भी काल है। अतः सर्प को भी गले में स्थान देकर गरल धारण कर यह घोषित कर रहे है कि मै काल से परे हूँ। जो सामान्य व्यक्ति का भक्षक है वह मेरा भूषण है।

इस प्रकार हम देखते है कि शिव अपने उपासक का हित साधन करते है। चाहे उसका परिणाम जो और वह भी जो हो। पर इसका अर्थ यह नही है कि दानों द्वारा उपस्थित होकर वे देव हित साधक नही है। अन्ततोगत्वा वे देव कार्य करते है इसलिए किन्ही संकटों की स्थिति में देवता ब्रह्म के साथ विष्णु या शिव की शरण में ही, विभिन्न पुराणों व धर्मग्रंथों में, जाते पाये जाते है। इसप्रकार विष्णु में जहा देव पक्षपाती होने की बात आती है वहा शिव पक्षपात रहित सिद्ध होते है। इसतरह उनका लोक प्रिय स्वरूप स्पष्ट होता है। इसप्रकार शिव सुरो, मनुष्यों भर के ही देवता नही है अपितु दानवों व असुरो के भी उपास्य है। इसी अद्वतीय महत्ता के कारण शिव का पदोत्कर्ष हुआ और वही एक ऐसे देवता थे जिन्हे सारी सृष्टि देव और दानव पूजते थे पूजते है। इसलिए वे देवाधिदेव, महादेव व परमेश्वर हुए।

शिव का साधारण क्रियाकलाप, स्मसानवास, भूतप्रेतों का साथ, यज्ञ-विध्वंश, कामदहन, संहार आदि कार्य उनके प्रति भ्रमात्मक धारणाओं के कारण में से है। पर जैसा ऊपर कहा जा चुका है कि शिव के प्रति भ्रमात्मक धारण उनके रूप व तत्व को न समझने के कारण ही है। अथर्ववेद में भूत-पिशाचादि के निवारणार्थ रूद्र का आह्वान किये जाने के कारण बाद में यह भूत-पिशाचादि रूद्र के अनुयायी है। अथर्ववेद में एक मंत्र (11.2.31) रूद्रगणों के घोष का उल्लेख किया गया है। सम्भवतः इन्ही गणों को भूत-पिशाचादि मान लिया गया हो पर शिव के गण तो समष्टि-सृष्टि के सभी प्राणधारी है। समस्त प्राणीमात्र भूत है और शिव भूतपति है भूतेश्वर है। ईश्वर स्वयं सबकी सृष्टि करता है या यो कहे स्वयं विभिन्न रूप धारण करता है।

यह यज्ञ-विधासक होकर भी यज्ञ को पूर्ण करता है। यज्ञ समष्टि के कल्याण के लिए होता है, किन्तु जहा वह व्यष्टि के हित साधन व अहंकार प्रदर्शन तथा दूसरे के अहित के लिए होता है तो उसका विनाश स्वाभाविक है। यज्ञ रावण व मेघनाद भी करते है तो पर उनका यज्ञ समष्टि के विनाश का द्योतक तथा भक्तिपद को दूषित करने वाला होने के कारण नष्ट किया जाता है। विश्वामित्र व जनक का यज्ञ समष्टि के कल्याण व

भक्ति-भगवान के योग का द्योतक है अतः पूर्ण होता है। ऐसे ही यज्ञकर्ता, जो यज्ञ के माध्यम से अपने स्वार्थ की पूर्ति व अहं प्रदर्शन करना चाहते है, शिव को यज्ञ-विध्वंशक कह सकते है। पर दक्ष की तरह अपनी भूल का मान होने पर अंत में उनका भी यज्ञ पूर्ण होता है।

काम को जलाने के कारण भी लोग शिव के ऊपर आक्षेप करते है। काम का रूप प्रिय लगने वाला है अर्थात काम प्रेम है। व्यक्ति के अंतःकरण में जो प्रियता की वृत्ति है वह काम के प्रति है। और इसी प्रेरणा से व्यक्ति विवाह करता है, पर शिव ने काम को जलाकर संसार में प्रियता की वृत्ति को समाप्त कर दिया पर ऐसा आक्षेप करने वाले यह भूल जाते है कि शिव कामपत्नी रती को काम के मिलन का वरदान देते है, इतना ही नही उसे कृष्ण पुत्र होने का सौभाग्य प्रदान करते है। यह सत्य है कि काम शारीरिक उर्जा है। सृष्टि का आधायक है, प्रेम का रूप है पर यदि यही उर्जा अनियमित हो जाय तो सृष्टि के विनाश एवं अव्यवस्था, अमर्यादा का कारण भी बनती है। भगवान शिव अन्तरमुख है, कल्याणकारी श्रेय में लीन है। उस वृत्ति को नष्ट कर काम उनके मन में क्षोभ पैदा कर कल्याण स्वरूप राम से दूर करना चाहता है। अतः उसे नियन्मित करना था। काम दहन का यही रूप है। इसलिए कृष्ण ने भी गीता में धर्म विरूद्ध काम को अपना रूप बताया है। न कि धर्मविरोधी काम को।

इसी प्रकार शिव द्वारा जो संहार परक कार्य है वे देखने में भले ही विध्वंशक हो पर परिणाम में लोक कल्याणकारी है। शिव के विभिन्न नामों के आधार पर लोक उनके शिवत्व के प्रति भ्रमित हो जाते है। जैसे ब्रात, कृतिवास,स्तेनानपति, वंचक, स्तायूनापति, तस्कराणां पति आदि जहा ये उनके नाम और उपाधिया है वही उनके प्रशंसा सूचक उपाधिया व नाम भी दिये गये है। इन सबसे यह सिद्ध होता है कि शिव का रूप विराट था, उनकी उपासना करने वाली अनेक जातिया व विभिन्न प्रवृत्ति के लोग थे और अपनी वृत्ति के अनुसार उनके रूप एवं नाम की कल्पना कर उपासना करते थे जो शिव के विराट व महादेव रूप का ही द्योतक है। जैसे रामायण में सप्तर्षि पार्वती को शिव से अलग करने के लिए या परीक्षा लेने के लिए शिव को उदास, निर्गुण, निर्लज्ज बुरे वेष वाले नरकपाल धारी, कुलहीन, दीगम्बर, व सापों को लटकाने वाला कहते है पर पार्वती को सभी दोष नारद के वचनानुसार गुण रूप में दिख रहे थे। पर्वती की दृष्टि में शिव में दोष देखने वाले उनके वास्तविक रूप को न जानने वाले ही है। अगुण में गुण दोष में मंगल दर्शन ही तो शिवत्व है।

भ्रम मिथ्या होने पर भी कुछ काल के लिए सत्य सा प्रतीत होने के कारण बुद्धि का विषय है जिसकी बुद्धि, जैसी कल्पना करती है, वह वैसा ही रूप देखता है एवं उसी प्रकार की अपनी मांसिक सृष्टि भी करता है। भ्रम पूर्ण मिथ्या होने पर भी हटाया नही जा सकता। जैसे तुलसीदास ने कहा है।

"रजतसीप यह मास जिमि यथा भानुकर वारि।
यद्यपि मृषा तिहु काल मह भ्रम न सकै को उतारि।।" मानस 1/117

इस प्रकार शिव के नाम अध्ययन करने से स्पष्ट हो जाता है कि वे ऐसा विवेक, ऐसा रूप व कार्य नही चाहते जिससे अपनी कृति के प्रति आसक्ति हो ऐसा भी विवेक वे

नही चाहते जो अहंकार का सृजन करे और ऐसा भी नही जो विश्वास का विरोधी है। विवेक के इन दोषों का निराकरण करना ही साक्षात शिव का स्वरूप है। यह शिववृत्ति को मानने वालों के लिए शिव–महादेव, महेश्वर शंकर है। पर अशक्त, अहंकारी एवं अविवेकी के लिए ब्रात्य, कपाली, निर्गुण, अगेह, अकुल सबकुछ है। वे सर्व है, सर्वग है, सबकुछ के ही है अतः उनके परे कुछ नही है। जिनकी जैसी रूचि है उनके उस रूप की उपासना व प्रशंसा, निंदा करता है पर शिव उन सबसे परे सबके कल्याणकर्ता ''शिव'' ही है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची-

1. यजुर्वेद
2. शैवदर्शन
3. शिवपुराण महाभारत
4. पुराण अनुशीलन
5. रामायण बाल्मिककृत
6. रामचरित मानस

UGC Journal No. (Old) 40942,
Peer- Reviewed Research Journal
Impact Factor 5.125 (IIFS) ISSN 0973-3914
Vol.- 37, Hindi Edition, Year-19, July - Dec. 2022

श्रीमद्भगवद्गीता में मोक्ष योग

• प्रत्यूष वत्सला द्विवेदी

सारांश- भारतीय दर्शन में पुरुषार्थ चतुष्ट्य को विशेष महत्व दिया गया है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष रूप पुरुषार्थ चतुष्ट्य मानव जीवन की परिपूर्णता के साधक है। वस्तुत: यह मानव जीवन के अमृत जीवन की संकल्पना को चरितार्थ करने में सक्षम है। भारतीय संस्कृति के संवाहक होने के कारण इनका महत्त्व और बढ़ जाता है। इनकी समष्टि को आधार बनाकर मानव जीवन की परिपूर्णता सहज में सिद्ध हो जाती है। सामाजिक अभ्युदय और कल्याण के लिये यह परमावश्यक है। व्यष्टि एवं समष्टि दोनों समवित्तियों के लिये गीता का ज्ञान सर्वथा प्रासंगिक है। इस ज्ञान की छाया में मानव जीवन की सार्थकता स्वत: सिद्ध हो जाती है।

मुख्य शब्द - सम्बोधन, समबुद्धि, अनित्य, पराकाष्ठा, अनन्यचिन्त , नराधमकों

भारतीय दर्शन में मोक्ष का विशेष महत्व दिया है। वस्तुत: दर्शन जगत का अन्तिम लक्ष्य है क्लेशों से निवृत्ति। इस निवृत्ति का दार्शनिक सम्बोधन मोक्ष है। सांख्यदर्शन का अभिमत है कि अज्ञान या अविद्या के द्वारा बन्धन की प्राप्ति होती है और जब तत्व ज्ञान हो जाता है तो अज्ञान अविद्या नष्ट हो जाती है और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। श्रीमद्भगवद्गीता में इस प्रकार कहा गया है -

"देहिनो स्मिन्यथा देहे कौमारं यौवनं जरा।
तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्रति।।"[1]

किन्तु जैसे जीवात्मा की इस देह में कुमार, युवा और वृद्धावस्था होती है वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है, इस विषय में धीर मोहित नहीं होता है। विद्वानों ने बन्धन को तीन प्रकार का बताया है - 1. प्राकृतिक बन्ध, 2. विकासात्मक बन्ध और 3. व्यक्तिगत बन्ध। प्रकृति को परमतत्व समझकर जो इसकी उपासना में लगे रहते हैं उन्हें प्राकृतिक बन्धन प्राप्त होता है। इसके विपरीत जो इन्द्रियों, मन आदि प्रकृति के विकारों में लीन रहते हैं, उन्हें विकासात्मक बन्धन प्राप्त होता है। अन्त में जो आत्मचिंतन को छोड़कर ईश्वर की सत्त में वि''वास करते हैं उन्हें व्यक्तिगत बन्धन प्राप्त होता है।

श्रीमद्भगवद्गीता में मोक्षयोग का सम्यक् वर्णन हुआ है। मोक्ष का तात्पर्य है कि मनुष्य आवागमन अर्थात् जन्म-मृत्यु से छुटकारा पा जाये। शीत-उष्ण, सुख-दु:ख देने वाले इन्द्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति, विनाशशील और अनित्य है, इसलिये मनुष्य को उन्हें सहन करना चाहिए। सुख-दु:ख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष

• **असिस्टेंट प्रोफेसर, संस्कृत विभाग, डी.बी.एस. कालेज, कानपुर**

को ये इन्द्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मनुष्य मोक्ष के योग्य होता है। समबुद्धि पुरुष पाप और पुण्य दोनों को इसी लोक में त्याग देता है अर्थात् वह उनसे मुक्त हो जाता है। गीता में कहा गया है –

"कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः।
जन्मबन्धविनिर्मुक्ता पदं गच्छन्त्यनामयम्।।"[2]

अर्थात् समबुद्धि से युक्त ज्ञानीजन कर्मों से उत्पन्न होने निर्विकार परमपद को प्राप्त हो जाते हैं। इसके बाद भगवान श्रीकृष्ण कर्मसन्यास और कर्मयोग के विषय में बताते हैं – कर्म सन्यास और कर्मयोग ये दोनों ही परम कल्याण करने वाले हैं परन्तु उन दोनों में भी कर्म सन्यास से कर्मयोग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है और न किसी से आकांक्षा करता है वह कर्म योगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है, क्योंकि राग-द्वेशादि द्वन्द्वों से रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार के बन्धन से मुक्त हो जाता है। गीता में कहा गया है –

"तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निशठास्तत्परायणाः।
गच्छन्त्यपुनरावृत्तिं ज्ञाननिधूर्तकल्मशाः।।"[3]

जिनका मन तद्रूप हो रहा है, जिनकी बुद्धि तद्रूप हो रही है और सच्चिदानन्द घन परमात्मा में ही जिनकी निरन्तर एकीभाव से स्थिति है ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वार पापरहित होकर अपुनरावृत्ति को अर्थात् परमगति को प्राप्त होते हैं। जो काम, क्रोध से रहित है जीते हुए चित्त वाले परमब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किये हुए ज्ञानी पुरुषों के लिये सब ओर से शान्त परब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है। बाहर के विषय भोगों का न चिंतन करता हुआ उनको बाहर ही निकाल कर और नेत्रों की दृष्टि को भृकुटि के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और अपानवायु को सम करके जिसकी इन्द्रियों, मन, बुद्धि जीती हुई है ऐसा जो मोक्ष परायण मुनि इच्छा, भय क्रोध से रहित हो गया है वह सदा ही मुक्त है अर्थात् वह जन्म-मृत्यु से परे है। वश में किये हुए मन वाला योगी इस प्रकार आत्मा को निरन्तर मुझ परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ मुझमें रहने वाली परमानन्द पराकाष्ठा रूप शान्ति को प्राप्त होता है। प्रयत्नपूर्वक अभ्यास करने वाला योगी तो पिछले अनेक जन्मों के संस्कार बल से इसी जन्म में संसिद्ध होकर सम्पूर्ण पापों से रहित होकर फिर तत्काल ही परमगति को प्राप्त हो जाता है। गीता में भगवान माया के विषय में बताते हैं –

"दैवी ह्येषा गुणमयी मम् माया दुरत्यया।
मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते।।"[4]

यह अलौकिक अर्थात् अति अद्‌भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी ही दुस्तर है, परन्तु जो पुरुष केवल मुझको ही निरन्तर भजते हैं वे इस माया का अतिक्रमण कर जाते हैं, अर्थात् संसार से तर जाते हैं। जो शरण में होकर जन्म-मरण से छूटने के लिये यत्न करते हैं वे पुरुष ब्रह्म को, सम्पूर्ण अध्याय और अधिदेव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित (सबका आत्मरूप) मुझे अनन्तकाल में भी जानते हैं, वे युक्तचित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं अर्थात् मुझे ही प्राप्त होते हैं। जो पुरुष अन्तकाल में भी मुझको स्मरण करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है, वह पुरुष साक्षात मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संशय

नहीं है। वेद के जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानन्द घनस्वरूप परमपद को अविनाशी कहते हैं, आसक्ति रहित यत्नशील सन्यासी महात्माजन जिसमें प्रवेश करते हैं और जिस परमपद को चाहने वाले ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परमपद को संक्षेप में कहता हूँ –

"सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुध्य च।
मूर्ध्न्याधायात्मनः प्राणमास्थितो योगधारणम्।।
ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरन्।
यः प्रयति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम्।।"[5]

अर्थात् सब इन्द्रियों के द्वारा को रोककर तथा मन को हृदयदेश में स्थिर करके, फिर उस जीते हुए मन के द्वारा प्राण को मस्तष्क में स्थापित करके, परमात्मसम्बन्धी योग धारणा में स्थित होकर जो पुरुष (ॐ) इस एक अक्षररूप ब्रह्म का उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थस्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परमगति को प्राप्त होता है। जो पुरुष मुझमें अनन्यचित्त हो जाता है, वह पुरुष परमगति को प्राप्त होता है। जो पुरुष मुझमें अनन्यचित्त होकर सदा ही निरन्तर मुझ पुरुषोत्तम को स्मरण करता है, उस नित्य निरन्तर मुझमें युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात् मुझे सहज ही प्राप्त होकर दुःखों के घर एवं क्षणभङ्गर पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते। योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर वेदों के पढ़ने में तथा, यज्ञ, तप दानादि कके करने में जो पुण्य फल कहा है, उन सबका अतिक्रमण कर जाता है और सनातन परमपद को प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं कि जिसको पूजा जाता है वह उसी को प्राप्त होता है –

"यान्ति देवव्रता देवान्पितृन्यान्ति पितृव्रताः।
भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनो पि माम्।"[6]

गीता में भगवान कहते हैं कि जिनका मान और मोह नष्ट हो गया है, जिन्होंने आसक्तिरूप दोष जीत लिया है। जिनकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति है और जिनकी कामनायें पूर्णरूप से नष्ट हो गई है, वे सुख-दुःख नामक द्वन्द्वों से विमुक्त ज्ञानीजन उस अविनाशी परमपद को प्राप्त होते हैं जिस परमपद को प्राप्त होकर मनुष्य लौट कर संसार में नहीं आते। उस स्वयं प्रकाशरूप परमपद को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है न चन्द्रमा और न अग्नि ही, वही मेरा परमधाम है। श्रीमद्‌भगवद्‌गीता में भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन ! मैं द्वेष करने वाले पापाचारी और क्रूरकर्मी नराधमकों को संसार में बार-बार आसुरी योनियों में ही डालता हूँ। वे मूढ़ मुझको न प्राप्त होकर जन्म-जन्म में आसुरी योनियों को प्राप्त होते हैं और फिर उनसे भी नीच गति को प्राप्त होते हैं अर्थात् घोर नरक में पड़ते हैं।

काम, क्रोध तथा लोभ ये तीन प्रकार के नरक के द्वारा आत्मा को नाश करने वाले अर्थात् उसको अधोगति में ले जाने वाले हैं। अतएव इन तीनों को त्याग देना चाहिए। भगवान श्रीकृष्ण कहते हैं –

"एर्तर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः।
आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्।।"[7]

हे अर्जुन! इन तीनों नरक के द्वारों से मुक्त पुरुष अपने कल्याण का आचरण करता है। (अपने उद्धार के लिये भगवद्ज्ञानुसार बरतना ही अपने कल्याण का आचरण करना है) इससे यह परमगति को प्राप्त हो जाता है अर्थात् मुझको प्राप्त हो जाता है।

गीता में भगवान् कहते हैं कि हे अर्जुन! तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही कृपा से तू परम शान्ति को तथा सनातन परमधाम को प्राप्त होगा। भगवान कहते हैं- जो पुरुष मुझमें परम प्रेम करके इस परम रहस्ययुक्त गीताशास्त्र को मेरे भक्तों से कहेगा, वह मुझको ही प्राप्त होगा इसमें कोई संदेह नहीं है।

गीता में भगवान कहते हैं, जो मुझको भजेगा वह मुझको ही प्राप्त होगा अर्थात् उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी। वस्तुतः मोक्ष एक अनुभूति है जिस अवस्था में आत्मा को अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, वही अवस्था मोक्ष कहलाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि गीता में मोक्षयोग का सम्यक् निरूपण हुआ है।

अस्ति गीता महत्त्वं परं भूतले।
प्राप्य गीता प्रसादं नरो मोदते।।
मोक्ष योगा नरै सर्वथा तन्यते।
ज्ञानयोगेन चित्तं प्रमोदायते।।

संदर्भ ग्रन्थ सूची-

1. श्रीमद्भगवद्गीता – 2/13
2. श्रीमद्भगवद्गीता – 2/31
3. श्रीमद्भगवद्गीता – 5/17
4. श्रीमद्भगवद्गीता – 7/14
5. श्रीमद्भगवद्गीता – 8/12-13
6. श्रीमद्भगवद्गीता – 9/25
7. श्रीमद्भगवद्गीता – 16/22

UGC Journal No. (Old) 40942,
Peer- Reviewed Research Journal
Impact Factor 5.125 (IIFS) ISSN 0973-3914
Vol.- 37, Hindi Edition, Year-19, July - Dec. 2022

जैवविविधता और मानवीय क्रियाकलाप (पश्चिमी घाट के विशेष संदर्भ में)

● सुनील बाबू विश्वकर्मा
●● आकृति खरे

सारांश- जैवविविधता किसी भी विस्तृत क्षेत्र की पर्यावरणीय दशाओं में पौधों एवं जंतुओं के समुदायों के जीवों की प्रजातियों की विविधता है। जैवविविधता किसी भी देश के (पारिस्थितिकीय) स्वास्थ्य तथा समृद्धि के महत्वपूर्ण संकेतक है। यह पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवधारियो की परिवर्तनशीलता, एक ही प्रजाति तथा विभिन्न प्रजातियो में परिवर्तनशीलता तथा विभिन्न पारितंत्रों में विविधता से संबंधित है। जैवविविधता सजीव संपदा है। पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला विश्व के जैवविविधता क्षेत्रों में से एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। समृद्ध जैवविविधता के कारण उसका महत्व भारत के साथ विश्वपटल पर है। जैवविविधता एक प्राकृतिक संसाधन है ,जिसमें मानव जीवन की संपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। परंतु वर्तमान में बढ़ती जनसंख्या और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बढ़ते मानवीय क्रियाकलाप जैवविविधता को क्षति पहुँचा रहे है। अतः प्रस्तुत शोध में भारत के प्रमुख जैवविविधता के हॉटस्पॉटो में से पश्चिमी घाट के विशेष संदर्भ में जैवविविधता और मानवीय क्रियाकलापों में पश्चिमी घाट का महत्व चुनौतियां और सरकार द्वारा संरक्षण हेतु किये गये प्रयासों का विभिन्न पक्षों में सूक्ष्म प्रभावों का वर्णन कर आम जनमानस को संरक्षण के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया गया है।

मुख्य शब्द - जैवविविधता, पारिस्थितिकि तंत्र, प्राकृतिक संसाधन, जलवायु परिवर्तन, हॉटस्पॉट, वन्यजीव

प्रस्तावना- पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला को विश्व में जैवविविधता के आठ क्षेत्रो में से एक माना जाता हैं। यह घाट भारत के कुल भूमि क्षेत्र का केवल 6 प्रतिशत कवर करता है, लेकिन पौधो, मछलियों, पक्षियों और स्तन प्रजातियों का 30 प्रतिशत से अधिक हिस्सा पश्चिमी घाट में शामिल हैं। यह क्षेत्र लगभग 5000 प्रजातियों के पुष्पी पादप, 139 स्तनधारी प्रजाति, 508 पक्षी प्रजाति और 179 उभयचरों का आवास स्थल है साथ ही यहां कि पर्वत श्रृंखलाएं लगभग 325 संकटग्रस्त प्रजातियों का भी आश्रयस्थल

● विभागाध्यक्ष, भूगोल विभाग,शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गढ़ाकोटा, सागर (म.प्र)
●● सहायक प्राध्यापक भूगोल, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गढ़ाकोटा, सागर (म.प्र.)

है। इसलिए पश्चिमी घाट की गिनती विश्व के जैवविविधता के उन प्रमुख केंद्रों में होती हैं, जिन्हें हॉटस्पॉट के रूप में जाना जाता है। इस क्षेत्र में कई प्रजातियां स्थानिक है WWF के अनुसार, नीलगिरी ताहर नामक बकरी, शेर की पूंछ वाले मकाक यहां की स्थानिक प्रजातियां हैं। यहां पर कई राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य अवस्थित है। इसलिए पश्चिमी घाट को पारिस्थितिकीय दृष्टि से काफी संवेदनशील माना जाता है। यह घाट भारत में वनस्पति और जीवों के मामले में सबसे समृद्ध मे से एक हैं। सन् 2012 में पश्चिमी घाट को यूनेस्को की विश्व धरोहर के रूप में मान्यता दी गई।

अध्ययन क्षेत्र- पश्चिमी घाट महाराष्ट्र और गुजरात की सीमा पर ताप्ती नदी से शुरू होकर दक्षिण में तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक फैला हैं। 1600 कि.मी. क्षेत्र में फैले पश्चिमी घाट का विस्तार छह राज्यों महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्य तक हैं। इसका कुल क्षेत्रफल तकरीवन 1.60 लाख वर्ग किलोमीटर हैं। यह 8^0 0' उत्तरी अंक्षाश से 22^0 26' उत्तरी अंक्षाश तक 72^0 55' पूवी देशांतर से 78^0 11' पूर्वी देशांतर तक विस्तृत है। इसकी औसत उंचाई 1000-3000 मीटर के बीच है। इसकी पश्चिमी ढाल तीखी और पूर्वी ढाल मंद है। यह भारत के पश्चिमी तट के समांतर हैं। प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियों का उद्गम पश्चिमी घाट से होता हैं, जिसमें गोदावरी , कावेरी , कृष्णा और पेरियार नदी प्रमुख हैं। इस क्षेत्र का 32 प्रतिशत भाग वनाच्छादित हैं। पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग में पाए जाने वाले शोला नामक घास के प्राकृतिक मैदान इस क्षेत्र की सबसे बड़ी विशेषता हैं। इसे सह्याद्री हिल्स के नाम से भी जाना जाता हैं।

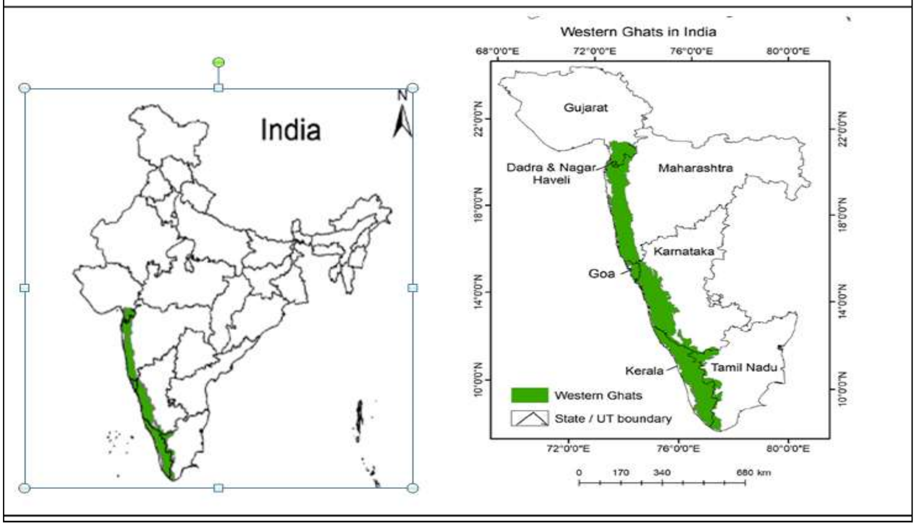

मानवीय क्रियाकलाप द्वारा उत्पन्न समस्याऐं -

- विकासात्मक दबाव – इस क्षेत्र में लगातार कृषि क्षेत्र का विस्तार हो रहा है साथ ही शहरीकरण बढ़ने के कारण पारिस्थितिकी तंत्र पर दबाव पड़ रहा है लगभग 50 मिलियन लोग इस क्षेत्र में निवास करते है और यह संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। जिससे क्षेत्र में विकास का अधिक दबाव पड़ रहा है।

- जनसंख्या में लगातार वृद्धि के कारण निर्वनीकरण की समस्या भी उत्पन्न हो गई है जिससे वन्यजीव गलियारों और आवासों में कमी हो गई है जो मानव वन्य जीव संघर्ष को बढ़ा रहा हैं।
- इस क्षेत्र में लगातार जलवायु संबंधी समस्याएं देखने को मिल रही हैं। आंकड़ो के मुताबिक सन् 2018 से 2021 के बीच इस क्षेत्र में केरल में तीन बार बाढ़ की घटनाएं देखने को मिली जिसमें मानव के साथ-साथ पर्यावरण को भी भारी नुकसान झेलना पड़ा। साथ ही कोंकण क्षेत्र में सन् 2021 में कई भूस्खलन की घटनाएं हुई। जलवायु परिवर्तन के कारण अरब सागर के तापमान में वृद्धि होने से चक्रवात आने की दर भी बढ़ रही हैं।
- इस क्षेत्र में औद्योगिकीकरण का खतरा भी बढ़ रहा है, व्यवस्थित नीति के अभाव में, प्रदूषणकारी उद्योगों और खदानों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है।
- पर्यटन गतिविधियों से क्षेत्र और वनस्तपति पर दबाव बढ़ रहा है।

पश्चिमी घाट की जैवविविधता संरक्षण में सरकार के प्रयास- सन् 2010 में गाडगिल समिति का गठन किया गया, इस समिति को पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल के नाम से जाना गया, इस समिति के द्वारा जो रिपोर्ट पेश की गई-

- समग्र पश्चिमी घाट को पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र ESZ (Ecological sensitive area / zone) घोषित किया जाए।
- इस क्षेत्र के भीतर छोटे क्षेत्रों को उनकी मौजूदा स्थिति और खतरे की प्रकृति के आधार पर ESZ & I, II या III के रूप में पहचाना जाए।
- पश्चिमी घाट में गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए पारिस्थितिकी प्राधिकरण बनाए जाने का भी प्रस्ताव दिया गया।
- कृषि क्षेत्रों में कीटनाशकों और जीन संवर्द्धित बीजों के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई जाए।
- वृक्षारोपण के वजाय प्राकृतिक वानिकी को प्रोत्साहन दिया जाए।

सन् 2012 में कस्तूरीरंगन समिति का गठन किया गया और 2013 में इन समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश की।

- इस क्षेत्र में विकास और पर्यावरण संरक्षण को संतुलित करने का प्रयास किया जाए।
- गाडगिल समिति द्वारा सुझाए गए पश्चिमी घाट के 64 प्रतिशत क्षेत्र को ईको सेंसिटिव जोन में लाने के बजाए सिर्फ 37 प्रतिशत क्षेत्र को इसके अंतर्गत लाने की बात कहीं गई।
- खनन, उत्खनन और बालू खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए।
- इस क्षेत्र में विकास परियोजनाओं को मंजूरी देने के पूर्व, जंगलों और वन्यजीवों पर प्रभाव का अध्ययन करना चाहिए।
- नए प्रदूषणकारी उद्योगों पर प्रतिबंध की बात कहीं गई।
- कस्तूरीरंगन समिति के बाद भी चार बार मसौदा अधिसूचना जारी की गई, लेकिन किसी को लागू नहीं किया गया।

हाल ही में सरकार ने पांचवीं अधिसूचना जारी की है इसमें पांच राज्यों गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, गोवा को शामिल किया गया और पूरे पश्चिमी घाट के 46832 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को ESZ (Ecological sensitive area/zone) घोषित किया गया। इस अधिसूचना में केरल को शामिल नहीं किया गया, क्योंकि केरल पहले ही ESA (Ecological sensitive area / zone) सीमांकन की प्रक्रिया पूरी कर चुका है।

इस अधिसूचना के तहत ESA (Ecological sensitive area / zone) क्षेत्र में खनन, रेत, उत्खनन, पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है साथ ही मौजूदा खानों को अधिसूचना लागू होने के 5 वर्ष के भीतर चरणबद्ध तरीके से बंद करना होगा और नई थर्मल पावर परियोजनाओं की स्थापना, एवं मौजूदा संयंत्रों के विस्तार पर प्रतिबंध लगाना होगा। साथ ही सभी नए रेड श्रेणी उद्योगों पर प्रतिबंध लगाना होगा। रेड श्रेणी उद्योग, जैसे पेट्रो केमिकल विनिर्माण और कोयला द्रवीकरण उघोग जिनमें गतिविधियों का प्रदूषण सूचकांक स्कोर 60 से अधिक हो।

निष्कर्ष- देश में संवेदनशील पारिस्थितिक तंत्र का संरक्षण बेहद जरूरी है क्योंकि जितनी देर होगी नुकसान उतना ही ज्यादा होगा। ऐसे में जरूरी है पर्यावरण और विकास के बीच संतुलन स्थापित किया जाए, क्योंकि बिना पर्यावरण की रक्षा, विकास का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए किसी भी नीति का निर्माण सभी हितधारकों की सहभागिता से हो। सभी की समस्याओं को जानने का प्रयास किया जाए। साथ ही स्थानीय समुदाय को जागरूक और सशक्त बनाना बेहद जरूरी है क्योंकि स्थानीय स्तर पर पर्यावरण की रक्षा की जा सकती है। खनन की क्रिया को वैज्ञानिक तरीके से करने पर जैवविविधता को बचाया जा सकता है ।

सुझाव-

- गाडगिल समिति की कुछ अहम सिफारिसों को लागू करने के लिए पहले राज्यों के साथ विवाद के मुद्दे को सार्थक बातचीत के जरिये सुलझाना चाहिए।
- जन-जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है।
- शोला घास के शेष मैदानों को बचाने के लिए आक्रामक प्रजातियों को हटाना जरूरी है।
- भूस्खलन और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सघन वनारोपण किया जाना चाहिए।
- पारिस्थितिकी की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में खनन को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए।
- कृषक और आदिवासी समुदाय को धारणीय कृषि के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- प्रस्तावित जल परियोजना की पुनः समीक्षा की जानी चाहिए।

संदर्भ ग्रन्थ सूची-

- हुसैन, माजिद और सिंह, रमेश ,भारत का भूगोल, टाटा मेग्रा हिल एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली (2012)
- NCERT, Class 11जी भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत
- सिंह, सवीन्द्र , पर्यावरण भूगोल , प्रयाग पुस्तक भवन (2011)
- www.dristiias.com
- The down to earth : writing on the wall : infrastructure project are destroying
- Livemint; conservation outlook of western ghat grim, says report.
- www.cowseration outlook of weslein glargrin , sagar report
- lekpkj i= % vktrd] Dainik Bhaskar
- Chronicle Magzine .
- Google (Internet)

UGC Journal No. (Old) 40942,
Peer- Reviewed Research Journal
Impact Factor 5.125 (IIFS) ISSN 0973-3914
Vol.- 37, Hindi Edition, Year-19, July - Dec. 2022

पराबैंगनी किरणें
ओजोन परत को किस तरह प्रभावित करती हैं

• मंजरी अवस्थी

सारांश- जब पराबैंगनी किरणें ऑक्सीजन के एक अणु पर प्रहार करती हैं तो फोटोन उस अणु को दो अत्यधिक क्रियाशील भागों में विभक्त कर देता है। ये भाग जल्दी से ऑक्सीजन के एक सम्पूर्ण अणु से क्रिया करके ओजोन की रचना करते हैं। ओजोन परत पृथ्वी के वायुमंडल की एक परत है जिसमें ओजोन गैस की सघनता अपेक्षाकृत अधिक होती है। ओज़ोन परत के कारण ही धरती पर जीवन संभव है। यह परत सूर्य के उच्च आवृत्ति के पराबैंगनी प्रकाश की 90-99 प्रतिशत मात्रा अवशोषित कर लेती है, जो पृथ्वी पर जीवन के लिये हानिकारक है। पृथ्वी के वायुमंडल का 91 प्रतिशत से अधिक ओज़ोन यहां मौजूद है। यह मुख्यतः स्ट्रैटोस्फियर(समताप मंडल) के निचले भाग में पृथ्वी की सतह के ऊपर लगभग 10 किमी से अधिक तथा पृथ्वी से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी तक स्थित है, यद्यपि इसकी मोटाई मौसम और भौगोलिक दृष्टि से बदलती रहती है।

मुख्य शब्द - पराबैंगनी किरणें, ऑक्सीजन, फोटोन, अवशोषित, समताप मंडल

प्रस्तावना- जब पराबैंगनी किरणें (UV light) ऑक्सीजन के एक अणु पर प्रहार करती हैं तो फोटोन उस अणु को दो अत्यधिक क्रियाशील भागों में विभक्त कर देता है। ये भाग जल्दी से ऑक्सीजन के एक सम्पूर्ण अणु से क्रिया करके ओजोन की रचना करते हैं। ओजोन परत पृथ्वी के वायुमंडल की एक परत है जिसमें ओजोन गैस की सघनता अपेक्षाकृत अधिक होती है। ओजोन परत के कारण ही धरती पर जीवन संभव है। यह परत सूर्य के उच्च आवृत्ति के पराबैंगनी प्रकाश की 90-99 : मात्रा अवशोषित कर लेती है, जो पृथ्वी पर जीवन के लिये हानिकारक है। पृथ्वी के वायुमंडल का 91: से अधिक ओज़ोन यहां मौजूद है।, यह मुख्यतः स्ट्रैटोस्फियर(समताप मंडल) के निचले भाग में पृथ्वी की सतह के ऊपर लगभग 10 किमी से अधिक तथा पृथ्वी से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी तक स्थित है, यद्यपि इसकी मोटाई मौसम और भौगोलिक दृष्टि से बदलती रहती है।

ओजोन की परत की खोज 1913 में फ्रांस के भौतिकविदों फैबरी चार्ल्स और हेनरी बुसोन ने की थी। इनसे पहले भी वैज्ञानिकों ने जब सूर्य से आने वाले प्रकाश का स्पेक्ट्रम देखा तो उन्होंने पाया कि उसमें कुछ काले रंग के क्षेत्र थे तथा 310 nm से कम

• **सहायक प्राध्यापक, अर्थशास्त्रए शासकीय कन्या महाविद्यालय, इटारसी**

वेवलेंथ का कोई भी रेडिएशन सूर्य से पृथ्वी तक नहीं आ रहा था। वैज्ञानिकों ने इससे यह निष्कर्ष निकाला कि कोई ना कोई तत्व आवश्य पराबैगनी किरणों को सोख रहा है, जिससे कि स्पेक्ट्रम में काला क्षेत्र बन रहा है तथा पराबैंगनी हिस्से में कोई भी विकिरण दिखाई नहीं दे रहे हैं। सूर्य से आने वाले प्रकाश के स्पेक्ट्रम का जो हिस्सा नहीं दिखाई दे रहा था वह ओजोन नाम के तत्व से पूरी तरह मैच कर गया, जिससे वैज्ञानिक जान गए कि पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन ही वह तत्व है जो कि पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर रहा है। इसके गुणों का विस्तार से अध्ययन ब्रिटेन के मौसम विज्ञानी जी एम बी डोबसन ने किया था। उन्होने एक सरल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर विकसित किया था जो स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन को भूतल से माप सकता था। सन 1928 से 1958 के बीच डोबसन ने दुनिया भर में ओजोन के निगरानी केन्द्रों का एक नेटवर्क स्थापित किया था, जो आज तक काम करता है (2008)। ओजोन की मात्रा मापने की सुविधाजनक इकाई का नाम डोबसन के सम्मान में डोबसन इकाई रखा गया है। ओजोन आक्सीजन के तीन अणुओं से बनी जीवन रक्षक गैस है। पृथ्वी को एक नाजुक परदे की तरह पलेटे हुये है। यह ओजोन परत पृथ्वी की तथा इसमें रहने वालों को सूर्य की घातक पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। आज हम इसी विषय पर लिखने जा रहे हैं। कि पराबैंगनी किरणें किस प्रकार ओजोन परत को प्रभावित कर रही हैं। ओजोन परत को बचाने के लिये अभी तक हमारे द्वारा क्या-क्या कदम उठाये गये हैं।

ओजोन परत- ओजोन गैस पूरे पृथ्वी के ऊपर एक परत के रूप में छाया रहता है। और क्षति कारकॉन्ट किरणों के विकिरण को धरा तल पर रहने वाले प्राणियों तक पहुंचने से रोकता है। इस परत को ओजोन परत कहते हैं। यह परत मुख्य रूप से समताप वायुमंण्डल में होती है। इसे जीवन सहायक इसलिये माना जाता है कि इसमें कम तरंग दैर्ध्य (wave Length) का प्रकाश जो कि 300 नैनोमीटर से कम हो, को अपने में अवशोषित करने की विलक्षण क्षमता है। जहॉं पर वातावरण में ओजोन उपस्थित नहीं होगा वहॉं सूर्य की हानिकारक परा बैंगनी किरणें uv lays पृथ्वी पर पहुंचने लगेंगी। ये किरणें मनुष्य के साथ-साथ जंतुओं और पेड़ पौधों के लिये खतरनाक हैं। ओजोन पृथ्वी से 60km की ऊंचाई पर पायी जाती है। वायुमंडल का यह भाग स्ट्रैटोस्फीयर कहलाता है। ध्रुवों के ऊपर इसकी मोटाई 8k.m और विषुवत रेखा मुनंजवत स्पदम के ऊपर इसकी मोटाई 17 km है।

पराबैंगनी किरण ओजोन परत- पराबैंगनी किरणें uv light ऑक्सीजन के एक अणु पर प्रहार करती है। तो फोटोन उस अणु को दो अत्यधिक क्रियाशील भागों में विभक्त कर देता है। ये भाग जल्दी से ऑक्सीजन के एक संम्पूर्ण अणु से क्रिया कर के ओजोन की रचना करते हैं। इसलिये हम कह सकते हैं कि आजोन की रचना ऑक्सीजन के प्रकाश-रसायनिक परिवर्तन से होती है। तथा यह क्रिया जितनी अधिक तीव्रता से होगी। उतनी ही अधिक मात्रा में ओजोन गैस का निर्माण होगा। परन्तु बहुत से रसायन जो हमारे उद्योगों के फलस्वरूप प्राप्त होते है ओजोन बनने की क्रिया को शिथिल कर देते हैं। इनमें क्लोरो फ्लोरो कार्बन CFC तथा नाइट्स ऑक्साइड सहित वे सभी गैसें हैं। इनमें क्लोरीन, बोमीन और फ्लोरी विद्यमान होती है। क्लोरो फ्लोरो कार्बन ओजोन परत को

क्षति पहुंचाती है। क्लोरो फ्लोरो कार्बन एक यौगिक गैस है जिसमें क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन के तत्व होते है।

ओजोन छिद्र- ओजोन परत के उस भाग को कहते हैं। जहां वर परत भीनी पड़ गई है। हम अक्सर अखबारों में न्यूज में पढ़ते हैं। वैज्ञानिक परीक्षणों से यह पता चलता है कि पिछले 20 वर्षों में आर्कटिक (उत्तरी ध्रुव प्रदेश) और अंटार्कटिक दक्षिणी ध्रुव प्रदेश से इस सुरक्षा कवच की मोटाई में कमी पाई गई है। दरअसल यही धीरे – धीरे बढ़ता भीनापन हमें आने वाले खतरे की चेतावनी दे रहा है। अगर ओजोन की यह चादर और पतली हो गई तो धरती में गर्मी बढ़ेगी और पराबैंगनी किरण समस्त प्राणियों और वनस्पतियों को मुश्किल में डाल देगी। ध्रुवों की बर्फ की पिघल जायेगी जिस के चलते समुद्र के पानी का स्तर ऊपर आयेगा और फलत: तटवर्ती क्षेत्र बाढ़ की चपेट में आ जायेंगे।

पराबैंगनी किरणों के घातक प्रभाव - पराबैंगनी किरणें घातक बीमारियों के लिये भी कसूरवार है जैसे (1) त्वचा का काला पड़ जाना (2) चर्म रोग (कैंसर) (3) आँख की रोशनी का प्रभावित होना (4) शरीर में झुर्रियों का पड़ना (5) समय से पहले बुढ़ापा आ जाना। पराबैंगनी किरणें पौधों की वृद्धि पर भी नकारात्मक प्रभाव डालती है जैसे प्रकाश संश्लेषण photosyn thesis की क्रिया को कम कर देती है। इन किरणों के चलते पौधों और फसलों में बीजों का अंकुरण seed germination देर से होता है। लोग ऐसा अनुमान लगाते है कि ओजोन की परत को होने वाली क्षति से जलीय परिस्थितिकी विशेष रूप से मछलियां प्रभावित होंगी।

चुनौती- CFC यौगिकों का घरेलू और आधुनिक क्षेत्रों में इतना ज्यादा प्रयोग हो रहा है कि उन की जगह दूसरे रसायन को इस्तेमाल करना हमारे सामने एक चुनौती बन गया है। अभी तक इन का कोई विकल्प नहीं खोजा जा सका है। इन यौगिकों का प्रयोग वातानुकूलन उपकरणों में पैकेजिंग उद्योगो में इलेक्ट्रानिक उद्योग में बिजली पैदा करने में, आग बुझाने के उपकरणों में है। CFC विकल्प खोजते समय हमें यह बात दिमाग में रखनी होगी कि जिस तरह CFC यौगिकों में आग नहीं लग सकती। कोइ विष नहीं फैल सकता और किसी दूसरे रसायन से वे क्रिया भी नहीं करते। ये खूबिंया उसके वैकल्पिक यौगिकों में होनी चाहिये। इस के साथ ही वैकल्पिक यौगिकों में ओजोन में कमी लाने का दुर्गण या तो बिल्कुल नहीं या न के बराबर होना चाहिये।

CFC का विकल्प –अनुसंधानों से पता चला है कि ओजोन की परत नष्ट करने में दो बातें मुख्य रूप से असर डालती है–

- यौगिक में मौजूद क्लोरीन का अनुपात
- वायुमंडल में तरल यौगिक के सक्रिय बने रहने का समय

इस आधार पर जो मूल CFC खोजे गये थे। उनका ओजोन विनाशक अंक एक था और आग बुझाने वाले उपकरणों में विद्यमान CFC में 3 से 10 था। इस आधार पर ऐसे यौगिक खोजे जा रहे हैं। जो वायुमंडल में बहुत तेजी से फैल जायें और ज्यादा देर तक टिके रहें। ऐसे यौगिकों की खोज करते हुये वैज्ञानिक हाइड्रोक्लोरो कार्बन HFC यौगिकों तक पहुंचे ये टिकाऊ हैं। और वायुमंडल की ऊपरी सतह तक पहुचते–पहुचते

इनका विनाश हो जाता है। पर्यावरण की दृष्टि से यदि देखें तो CFC यौगिकों की अपेक्षा HFC यौगिक अधिक स्वीकार्य हैं इनका औजोन विनाशक अंक शून्य से 0.05 तक है जो CFC की तुलना में बहुत कम है लेकिन अभी नये HFC यौगिकों पर ज्यादा खोज नहीं हुई है। इस विषय में बहुत कम आंकड़े उपलब्ध हैं। और इन की सत्यता के बारे में शंकायें उठाई गई है। परन्तु जब तक हम सुरक्षित रसायनों और नई तकनीकों को पूरी तरह से विकसित न कर ले तब तक हमारा कर्तव्य है कि हम पृथ्वी के जीव जंतुओं और वनस्पतियों की सुरक्षा के लिये ऐसे रसायनों का प्रयोग कम करें जो ओजोन के सुरक्षा कवच को कमजोर बना रहे हैं।

वायुमंडल में ओजोन को कैसे मापा जाता है। वायुमंडल में ओजोन की प्रचुरता को निम्न प्रकार की तकनीकों के द्वारा मापा जाता है तकनीकें ओजोन के अनूठे ऑप्टिकल और रसायनिक गुणों का उपयोग करती हैं। माप तकनीकों की दो प्रमुख श्रेणियां है 1 स्थानीय 2 दूरस्थ । क्या मानव गतिविधियों से उत्पन्न उत्सर्जन घटनाओं के लिये जिम्मेदार है ? कुछ औद्योगिक प्रक्रियाओं और उपभोक्ता उत्पदों के परिणाम स्वरूप वातावरण में ओजोन घटने वाले पदार्थो ODC का उत्सर्जन होता है। ओ.डी.एस. हैलोजन गैसों से निर्मित है जो मांट्रियल प्रोटोकाल द्वारा दुनिया भर में नियंत्रित की जाती है। हम हमेशा यह सुनते है कि ओजोन परत में छेद हो रहा है। और इसके हानिकारक विकिरण वातावरण में प्रवेश कर रहे है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि ओजोन परत में एक सुधार देखा गया है। और उम्मीद है कि पर्यावरण को बचाया जा सके।

संदर्भ ग्रन्थ सूची-

- जानिए क्या है धरती के लिए ओज़ोन परत का महत्व, आज तक, मूल से 22 सितंबर 2019 को पुरालेखित
- नासा, मूल से 5 जुलाई 2015 को पुरालेखित.
- "World Ozone Day 2021: Theme Impact Quotes History Ozone Depletion"- SA News Channel (अंग्रेजी में), 2021-09-16, अभिगमन तिथि 2021-09-16
- ओजोन परत को बचाने के लिए हमें अपनी जीवन शैली में आमूल-चूल परिवर्तन लाना होगा, Dainik Jagran, अभिगमन तिथि 2021-09-16.
- इंटरनेट और समाचार - पत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार
- https://www.sansarlochan.in/ultraviolet-rays-ozone-layer-impact"

UGC Journal No. (Old) 40942,
Peer- Reviewed Research Journal
Impact Factor 5.125 (IIFS) ISSN 0973-3914
Vol.- 37, Hindi Edition, Year-19, July - Dec. 2022

भारतीय संस्कृति में स्वदेशी खेलो की प्रासंगिकता का महत्व

• ममता

सारांश- भारतीय संस्कृति जिसमें जीवन, भाषा मौखिक और लिखित साहित्य संगीत और नृत्य गैर मौखिक संचार धर्म या विश्वास प्रणाली संस्कार और समारोह, खेल और मनोरंजन उत्पादन के तरीके, प्रगति के तरीके, मानव निर्मित वातावरण भोजन, वस्त्र और कला रीति रिवाज और परम्पराएं जिसके माध्यम से व्यक्ति व व्यक्तियों के समुदयों के समुदयों मे अपनी मानवता और अर्थ को व्यक्त करता है, वह संस्कृति है। क्रीड़ा और खेल हमेशा से भारतवर्ष की समद्ध संस्कृति और इतहास का अभिन्न अंग रहे है। दुख इस बात का है कि आज की पीढी या वर्तमान युग में बच्चे वीडियों गेम खेलने में इतने तल्लीन है कि उन्हें पल्लनगुजी, लिप्पा, कबडडी, गिल्ली डंडा जैसे पारम्परिक खेल पूरी तरह से भुला दिये है। वो दिन भूल गए जब बच्चे बाहर जाने और अपने दोस्तों, आस पड़ोस के बच्चो के साथ पिढू या किथ-किथ के कुछ चक्कर खेलने के लिए बेताबी से इन्तजार नही कर सकते थे। शारिरिक गतिविधियों की कमी से इन्तजार नही कर सकते थे। शारिरिक गतिविधियों की कमी से बच्चों में स्वास्थ संबंधी कई समस्याओं का जन्म दिया है। इसलिए पारंपरिक खेलो को पुनर्जीवित करने से कई स्वास्थ लाभ मिलेगें। सम्पूर्ण इतिहास में स्वदेशी लोगो के पास कई पारम्परिक खेल और नृत्य हैं यह इतिहास के माध्यम से उन्हे प्रतिस्पर्धा खेलो मे बदल दिया है और विश्व के देशो में लोगो पर हमारी संस्कृति पर प्रभावशाली अमिट छाप छोड़ी हैं। खेल में प्रतिभागिता हमेशा से ही हमारे बड़े होने तक एक रोमांचक और अहम हिस्सा रहा है। हम खुशी के साथ अपने बाल्यावस्था के खेलों और आज के गैजेट (यन्त्र)से मुक्त दिनों की याद दिलाते है। खेल सामाजीकरण का अहम हिस्सा है और स्वस्थ रहने का अनोखा तरीका है।

मुख्य शब्द - क्रीडा और खेल, स्वदेशी खेल, अदिवासी खेलना, संस्कृति

प्रस्तावना- एक समय की बात है वीडियो गेम और प्लेस्टेशनों द्वारा प्रभावशाली मस्तिष्क को भ्रष्ट करने से पहले, बच्चों ने उनके लिए उपलबध सभी चीजों से खेल बनाए जैसे पासा के लिए लकडी की छड़े, अपनी अगली कूटनीतिज्ञ चाल बनाने के लिए गोले और पत्थर बनाए। यह परम्परा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को अथक

• असिस्टेंट प्रोफेसर शारीरिक शिक्षा, इस्माईल नेशनल महिला पी.जी. कॉलेज, मेरठ

रूप हस्तांतरित की जाती थी लेकिन फिर एक समय ऐसा आया जब लकड़ी और खेल की जगह प्लस्टिक ने ले लिया । टेलीविजन और कम्प्यूटर के हस्तक्षेप ने विनाश की ओर अधिक स्पष्ट पुष्टि की है कि और अतीत के बारें में जो कुछ भी अच्छा और मजेदार था वह सब गुम हो गया। किसी देश में स्वाभाविक रूप से विद्यमान प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने वाली वस्तुए मूल निवासी उस देश से सम्बधिंत होते है ना कि दूसरे देशो से खरीदे जाते है।

स्वदेशी खेलों का महत्व-

पर्यावरण के अनूकूल- क्रीड़ा ने इन खेलों को पर्यावरण के अनूकूल बनाने पर विशेष ध्यान दिया है । पल्लुगुझी के लिए हमने 16 कप के साथ लकड़ी के बोर्ड का उपयोग किया हैं। जैव -विधिता को संरक्षित करने के लिए हमने खेल खेलने के शेलस के स्थान पर पेपर पाउडर का उपयोग किया है। सभी बोर्ड गेम केनवास शीट पर स्क्रीन प्रिंट किया गया हैं। वहां लकड़ी प्लास्टिक का उपयोग नही किया गया है। पासे लकड़ी और कागज का पाउडर से बने होते है।

सहकर्मी समूह की भागीदारी- वर्तमान युग में मोबाइल फोन पर वीडियो गेम में सहकर्मी समूह की भागीदारी शामिल नही है और बच्चों के विकास में बहुत कम योगदान निभार रहे हैं। उन दिनो खेल न केवल समय व्यतीत करने के लिए खेले जाते थे बल्कि सीखने की प्रक्रिया का एक अनिवार्य हिस्सा भी बनते थे, जिससे सामाजीकरण के साथ मानवीय मूल्य पनपते थे। पल्लगुझीओ ज्यादातर शिवरात्रि की रात महिलाओं द्वारा खेला जाता था जो हाथ-आंख के समन्वय में बढ़ोत्तरी करने और एकाग्रता में वृद्धि करने में मदद करता था।

इन पारंपरिक खेलो के अलावा क्रीडा में रामायण का एक खेल संस्करण बनाया है जिसे तीन भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग राम-सीता और लक्ष्मण की वन यात्रा से सम्बधित है, दूसरा भाग सीता का अपहरण और खोज के बारें में है और तीसरे भाग में लंका की लड़ाई कहा जाता है। जबकि पहले दो भाग केन्वास गेम है तीसरा एक कार्ड गेम है।

पारम्परिक स्वदेशी खेलो के उददेश्य तथा लाभ-

- स्वदेशी और गैर स्वदेशी लोगो को एक साथ एक मंच पर लाना।
- शहरी स्वदेशी युवाओ को उनकी संस्कृति से फिर से जोड़ने में मदद करना और संस्कृति को जीवित रखना।
- शारिरिक शिक्षा एवं खेलो को बढ़ावा देना।
- आपसी भाईचारा बंधुत्व एवं एकता को बढ़ाना।
- सामाजीकरण के दरम्यान प्रशिक्षण प्रदान करना।
- शारीरिक स्वास्थ में वृद्धि करना और शिक्षा संस्थाओं मे इसकी वृद्धि करना।
- समाज मे भावनात्मक सम्बंधो में सुधार करना।
- जीवन में कौशलों का निमार्ण करना।

स्वदेशी लोग अपने पारंपरिक खेलो को एक मजबूत सार्केतिक रूप में देखते हैं, जो हमारी संस्कृति को जीवित रखते है और पारम्परिक खेल ना केवल स्देशी युवाओं को

शारीरिक रूप से स्वस्थ होने में मदद कर रहे है बल्कि स्वदेशी समुदाय के वृद्ध सदस्यों को भी प्रेरित कर रहे है।

इनडोर गेम (अंतः कक्ष खेल / आभ्यन्तर खेल)- भारत में आभ्यन्तर खेल ने भारत की संस्कृति सभ्यता और धरोहर को गौरवशाली समृद्ध अभिन्न रहे है। वर्तमान में बच्चे वीडियो गेम में इतने व्यस्त है कि पल्लनगुंजी लिप्पा , कबडडी , गिल्ली डण्डा पूरी तरह से भुला दिए हैं । वो दिन बीत गए जब बच्चे बाहर जाने पर अपने साथी खिलड़ियों के साथ पिढू या किथ -किथ को कुछ राउण्ड खेलने के लिए बेइन्तहा इन्तजार करते थे। शारीरक गतिविधियों की कमी से स्वास्थ्य सम्बंधी कई बीमारियाँ पनप रही हैं पारम्परिक खेलों को पुनजीर्वित करने से कई जाभ मिलेगे जो आज भारत सरकार कबडडी खो-खो प्री लीग करा रही है जिसमें पूरक खेलों को इसमें शामिल किया जा रहा है।

(1) चौपड़/पचीसी- पच्चीसी एक बोर्ड गेम है जो प्राचीन भारत में अत्याधिक लोकप्रिय था। महाभारत में इस खेल का उल्लेख मिलता है। अकबर और उसके वंशजो ने जो भी यह खेल खेला था। इसमें से दो से चार खिलाड़ी शामिल होते है, जो खेल को जीतने के लिए एक क्रॉस के आकार में डिजाइन किए गउ कपड़े के टुकड़ों पर अपने मोहरे की चाल की रणनीति बनाते है।

चौपार भी एक बोर्ड गेम है जिसका आविष्कार 4 शताब्दी के आस पास हुआ था। इसमें दो से चार खिलाड़ी शामिल है जो अपने युद्धाभ्यास की योजना बनाने और खेल जोतने के लिए कौड़ी के गोले और लकड़ी के मोहरे का उपयोग करते थे। पच्चीसी चौपड़ का समकालीन संस्करण लूडो है जिसे हमने बचपन में खेला है।

(2) पल्लकुझी- यह उन प्रसिद्ध खेलों में से एक है जो प्राचीन दक्षिण भारत में खेला जाता था। यह माना जाता है कि पल्लकुझी की उत्पत्ति तमिलनाडु में हुई थी और बाद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और यहां तक की मलेशिया और श्रीलंका जैसे अन्य स्थानो मे फैल गई। इस खेल में एक आयताकार बोर्ड शामिल होता है, जिसमें दो क्षैतिज

पंक्तियों और सात उर्ध्वाधर स्तम्भों में विभाजित किया गया है इस प्रकार बोर्ड पर 14 कप और 146 काउंटर होते है।

(3) पाँच पत्थर (गुटटें)- गुटटे एक मजेदार खेल है जिसे वयस्क और बच्चे दोनों खेल सकते है। इसके लिए आम तौर पर पाँच कंकड या छोटे पत्थरों की आवश्यकता होती है। खिलाड़ी को एक पत्थर को हवा में उपर घुमाना होता है और एक हाथ से फर्श पर पड़े शेष पत्थरों को इक्टठा करने होता है। न्यूनतम प्रयासों में आठ चरणों को पूरा करने वाला खिलाड़ी विजेता होता है।

(4) लटटू - लटटू आज भी भारतीय गाँवो में एक लोकप्रिय खेल है। यह साधारण खेल 3500 ईसा पूर्व से अस्तित्व में है । प्रारम्भ में लटटू मिटटी के बने होते थे बाद में जिकडी के लटटू का उपयोग किया जाने लगा। सभी खिलाड़ी अपने लटटू को रस्सी से लपेटते है और फिर रस्सी को खींचकर खेल देते है, जिससे लटटू जमीन पर घूमने लगता हैं। जिस खिलाड़ी का लटटू सबसे लम्बे समय तक घूमता है उसे विजेता घोषित किया जाता है।

(5) अंताक्षरी- अंताक्षरी एक मनोरंजक भारतीय देसी खेल है, जो अकसर बड़े और बच्चे द्वारा समान रूप से खेला जाता है। यह भारत में इस खेल की उत्पत्ति हुई है। इस खेल को खेलने के लिए दो टीम बनायी जाती है यह खेल गाना (फिल्मी)श्लोक चौपाई दोहो की प्रतियोगिता भी करायी जाती है। एक टीम के द्वारा दिए गए अंतिम व्यंजन से शुरू होने वाला गाना कविता (चार लाइन) दोहा चौपाई छंद या गाना होता है। दोनों टीम तब तक बारी -बारी से खेलती है जब तक की कोई अपनी टीम के बारे में सोच ही पाता तो वह टीम हार जाती है।

भारतीय पारम्परिक आउटडोर खेल

(1) कंचा- भारत में खेले जाने वाले रोमांचक बचपन के खेलो में से एक कंचा होता है। इस खेल के खेलों में सें जैसे गोली मार्बल्स गोटी शामिल है। यह हड़प्पा युग के दौरान शुरू हुआ । इसका उददेश्य चुने हुए कंचे को दुसरे से मारकर अधिक से अधिक संख्या में कंचे एकत्र करना है । विजेता को अन्य खिलाड़ियो के सभी कंचे घर ले जाने को मिलते है।

(2) नोडी /हॉप्स कॉच - यह हॉपिंग गेम हे जिसे स्टॉप भी कहा जाता है यह एक लोकप्रिय आउटडोर गेम है। इस खेल में जमीन पर जाल बनाया जाता है और उसमें नम्बर लिखते है। खिलाड़ी बारी -बारी से आमतौर पर एक छोटा पत्थर उन ब्लॉक पर फेकता है

उन लेप को खत्म करने के लेने के लिए ब्लॉकों में कूदना पड़ता है। इसमें सीमा रेखा पर कदम न रखने का ध्यान रखना होता है।

(3) गिल्ली डंडा - गिल्ली डंडा आधुनिक बेसबाल और क्रिकेट का एक पुराना संस्करण है। इसके लिए केवल दो असमान आकार की छड़ियो की आवश्यकता होती है छोटी छड़ी गिल्ली कहलाती है और लंबी जो गिल्ली पर प्रहार करती है उसे डंडा कहा जाता है यह एक ही समय में कई लोगों द्वारा खेला जा सकता है।

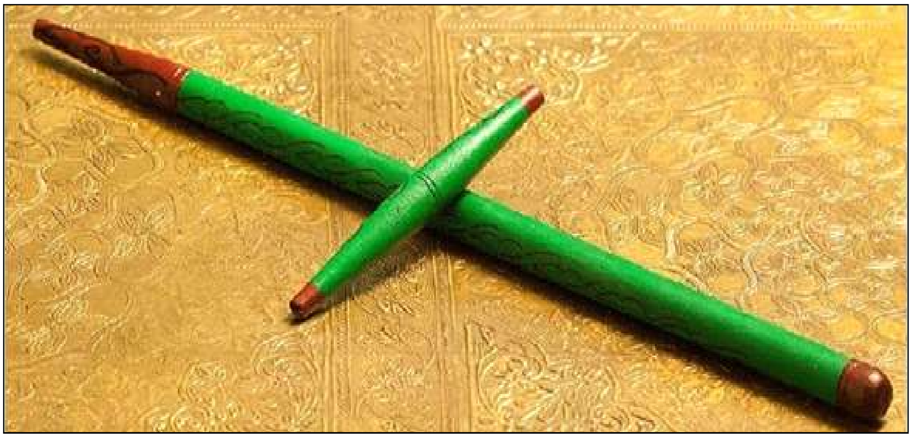

(4) कबडडी - कबडडी एक टीम खेल है जिसमें किसी उपकरण की आवश्यकता नही होती है केवल चुस्ती और ताकत की आवश्यकता होती है । कबडी का हिन्दी में मतलब होता है सांस रोककर रखना खिलाडी 7 से 12 सदस्यों वाली दो टीमें बनती है। उन्हे ऐसा करते समय अधिक से अधिक विरोधी खिलाडियो को छूने की कोशिश करनी चाहिए टच खिलाडी को आउट घोषित कर दिया जाता है। खेल के अंत में सबसे कम खिलाड़ियो की अंक पाने वाली टीम को पराजित घोषित होती है।

(5)पिटठू/लगोरी - पिटठू/लगोरी मूल रूप से सात पत्थर है। इसमें एक गेंद और पत्थरो का ढेर शामिल होता है आमतौर पर सात खिलाडियो की दो टीम होती है । आक्रमण करने वाली टीम की एक खिलाड़ी को गेंद से पत्थर के ढेर पर प्रहार करने की आवश्यकता होती है ताकि वह तीन शॉट में उन्हें नॉक आउट कर सके। फिर पूरी टीम को गेद से मारने और आउट घोषित करने से पहले ढेर का पुर्नस्थापित करने का प्रयास करना होगा।

(6) चेन- चेन एक और आन्नदमय बच्चो का खेल है। यह गेम खेलने में तब और आनंद आता है जब ज्यादा खिलाडी हो । डेन्नर को अन्य सदस्यो को पकडना होता है। जब डेन्नर किसी को पकड़ता है तो वह एक चैन बनाने के लिए डेन्नर से हाथ मिलाता है साथ में वे अन्य शेष सदस्यो को पकडने की तब तक एक श्रृख्ंला बनाने कि जुड़ते रहते है जब तक सभी खिलाडी न पकड़े जाए।

(7) खो खो- खो खो एक टीम खेल हे जिसकी उत्पति भारत में हुई है। इसमें दो टीम शामिल होती है जिनमें से प्रत्येक में 12 खिलाड़ी होती है पीछा करने वाली टीम के सदस्य विपरीत दशाओ में एक सीधी पंक्ति में जमीन पर बैठते है। निर्धारित समय समाप्त होने से पहले पकड़ने वाले को विरोधी टीम के सदस्यो को पकड़ना होता है।

(8) छुपम-छुपाई - इस की उत्पत्ति अज्ञात हे यह आमतौर पर पूरी दुनिया में अलग अलग नामो से खेला जाता है । खिलाडी पहले से चिन्हित क्षेत्र में छुपते है। डेन्नर को अपनी आंखे बंद करनी पड़ती है और जोर से संख्याओ की घोषणा करनी पड़ती है जबकि अन्य खिलड़ियो को छिपने का समय मिलता है। फिर डेनर पकड़ने वाले को छिपे हुये खिलाडियो को दूढना होता है। इस खेल को असंख्य खिलाड़ी खेल सकते हैं।

(9) डॉग और हड्डी - डॉग एण्ड द बोन एक बच्चो का खेल है, जिसमें प्रत्येक 6 या अधिक खिलाड़ियो कि दो टीमे होती है। रूमाल या छड़ी जैसी कोई वस्तु हड्डी के रूप में नामित कि जाती है प्रत्येक टीम का एक सदस्य खेल के मैदान के बीच में रखी हड्डी को घेरने के लिए आगे बढ़ता हैं। इसका उददेश्य अन्य खिलाड़ियो द्वारा पकडे बिना हड्डी को पुन: प्राप्त करना या लाना है।

(10) मारम पिटटी- इसमें दो टीमे होती है जिनमें कितने भी खिलाडी हो सकते है। इस खेल को खेलने के लिए खिलाडी एक गोला बनाते है ओर विरोधी टीम के सदस्यो को हिट करते है जो गेंद के साथ गोले में प्रवेश करता है विरोधी टीम के खिलाडी को गेंद की चपेट में आने से बचने की कोशिश करनी होती है और गेंद से टकराते है उन्हे आउट घोषित कर दिया जाता है।

निष्कर्ष- पारम्परिक खेल खेलना बच्चों के लिए लाभदायक और सर्वश्रेष्ठ है भारतीय पारंपरिक खेल जैसे खो-खो , कबडडी, लगंडी, स्किपिग, पॉच पत्थर ऐसे खेल है जिनमे खेलने के लिए उपकरणो न ही किसी वर्दी (फिट)या विशिष्ट जूते और सहायक उपकरणों की आवश्यकता नही होती है, केवल लोगो को खेलने के लिए मैदान की आवश्यकता होती है। पारम्परिक भारतीय खेल व्यावहारिक रूप में योग का विस्तार है। योग में 8 खण्ड है इसमें 3 शारिरिक कल्याण, इन्द्रियों को परिष्कृत करने और शरीर को मजबूत बनाने और शारीरिक संतुलन को बनाने में महत्वपूर्ण हैं। सभी भारतीय खेल आमतौर पर इन तीनो में से एक या एक से अधिक खेलों का प्रोत्साहित करते है। किसी भी खेल या खेल को बच्चो की दिनचर्या और पाठयक्रम में महत्वपूर्ण स्थान देना चाहिए। खेल खिलाड़ियों की शारीरिक और मानसिक शांति बनाने में मदद करते है। पारम्परिक खेलो के साथ सबसे बड़ा फायदा है। इसका तदर्थ अस्तित्व है। इसके लिए मंहगे उपकरणो

की आवश्यकता नही होती है। लोकप्रिय खेल जैसे कबडडी और खो-खो में अन्तराष्ट्रीय टूर्नामेंट होते है। इन खेलो का अस्तित्व उनकी पहुच और खेलने में निहित है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची-

1. Sharma Sushant,https://sportskeeda.com/cricket/sports-fanaticism-in-india-history-and-where-are-we-today Archived 25 march 2017 at the wayback Machine
2. ^Chisholm,hugh(1911)"battledore and shuttlecock", Encyclopedia,p,534
3. ^ jain, Niklesh kumar (5 march 2014) "hindi and the origins of chess" , chessbase, Archived from the original an 8 march 2014, Retrieved 17 August 2019
4. ^Singh , shiv sahay (13 April 2018),"From board to phone , India 's ancient games are being reinvented as apps", The Hindu, Retrieved 17 August 2019

UGC Journal No. (Old) 40942,
Peer- Reviewed Research Journal
Impact Factor 5.125 (IIFS) ISSN 0973-3914
Vol.- 37, Hindi Edition, Year-19, July - Dec. 2022

भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निहित भावों का विश्लेषणात्मक अध्ययन

• पुरूषोत्तम कुमार साहू
•• अविनाश कुमार लाल

सारांश- प्रस्तावना हमारे संविधान का वह भाग है जिसमें पूरे संविधान का सार निकालकर लिख दिया गया है। हमारे संविधान सभा के जो सदस्य थे, वे बहुत ही बुद्धजीवी थे, ये हम सब जानते है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण है, हमारी प्रस्तावना मे, संविधान के 22 भागों का निचोड़ या सार निकालकर सिर्फ 10 से 12 लाइनों लिख दिया है। यदि भारत के बारे में कोई जानना चाहे और वे कभी भारत नही आया हो, कभी संविधान न पढ़ा हो, लेकिन वह हमारे प्रस्तावना को ही पढ़ ले तो उसे बहुत सारी जानकारी हमारे भारत के संबंध में मिल जायेगी। इतनी खूबसूरत है हमारी प्रस्तवना। संविधान भी हमारा खूबसूरत है, लेकिन प्रस्तावना की बात ही अलग है सिर्फ 15 से 20 शब्द है 10 से 12 लाइन है और इसी के माध्यम से हमारे भारत का मोटे तौर से पता लग जाता है कि किस तरह से कार्य करता है, कैसी शासन प्रणाली है, कौन से मूल अधिकार दिये है, इस सब बातों का अंदाजा लग जाता है प्रस्तावना को पढ़ने से। प्रस्तावना या उद्देशिका को भारत के संविधान की आत्मा कहा जाता है, क्योकि इसमें संविधान के बारे में सब कुछ संक्षेप में मौजूद है।

मुख्य शब्द - प्रस्तावना, संविधान, सार, प्रमाण, बुद्धजीवी, निचोड़, आत्मा, शासन प्रणाली

भारतीय संविधान की प्रस्तावना- भारतीय संविधान की प्रस्तावना (उद्देश्य)- सन् 1976 के 42 वें संवैधानिक संशोधन के बाद ''हम भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिको को सामाजिक, आर्थिक, राजनीति न्याय, विचार-अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखण्डता सुनिश्चित करने वाली बन्धुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर, सन् 1949 (मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी, संवत 2006 विक्रमी) को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते है।''

• शोधार्थी, राजनीति विज्ञान, बद्री प्रसाद लोधी स्नातकोत्तर, शासकीय महाविद्यालय आरंग जिला रायपुर (छ.ग.)
•• शोध निर्देशक, सहायक प्राध्यापक, राजनीति विज्ञान, बद्री प्रसाद लोधी स्नातकोत्तर शासकीय महाविद्यालय आरंग, जिला रायपुर (छ.ग.)

विशेष - प्रस्तावना में नीहित भाव हम भारत के लोग संयुक्त राज्य अमेंरिका के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना में प्रयुक्त भाषा को आस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना में भारत शब्द का प्रयोग दो बार किया गया है। प्रस्तावना में तीन प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है जिसे रूस की क्रांति से लिया गया है। स्वतंत्रता, समता और बन्धुता को फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। मूल कर्तव्य को रूस से लिया गया है। ठाकुरदास भार्गव दास ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। एन.ए.पालखीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का पहचान पत्र कहा है। के.एम.मुंशी ने प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक जन्म कुंडली कहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान निर्माताओं के उद्देश्य को प्रकट करने वाली कुंजी कहा हैं।

प्रस्तावना की उद्‌भव या उत्पति- प्रस्तावना की उद्‌भव या उत्पति 13 दिसंबर, 1946 को पं. जवाहर नेहरू ने संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है, और उसी उद्देश्य प्रस्ताव से निकली है हमारी प्रस्तावना। इसलिए प्रस्तावना को उद्देशिका को भी कहते है। संविधान सभा ने यह उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी, 1947 को अपनाया।

प्रस्तावना के स्त्रोत - प्रस्तावना के चार प्रकार के स्त्रोत या तत्व होते है

1. संविधान को अधिकार देने का स्त्रोत - हम भारत के लोग, संविधान को अधिकार देने वाले प्रथम स्त्रोत है। भारत 200 वर्षो की गुलामी के जंजीरों में जकड़ा हुआ था। उससे पहले भारत में राजतंत्र व्यवस्था चल रहा था ऐसी विडम्बना से इतना रोष भारतीय जनता के मन था जिसे दूर करने के लिए सबसे पहला शब्द लिखा हम भारत के लोग अर्थात लोगो को सबसे ज्यादा महत्व लोगो को देना था, यही हमारी संविधान की सबसे बड़ी विशेषता है, जिसमें सबसे ज्यादा महत्व लोगों को दिया गया है।

2. भारतीय राज्य की प्रकृति - प्रस्तावना के दूसरे स्त्रोत में भारत के राज्यों की प्रकृति है जिसके अंतर्गत भारत को सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए अर्थात भारतीय राज्यों की प्रकृति को इन पांच शब्दों के अर्थ से समझने का प्रयास करेगे।

1. सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न- सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न से आशय राजतंत्र और गुलामी से आजादी मिलने के बाद संविधान निर्माता किन शब्दों का चयन करेंगे। अत: उन्होनें सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न शब्द जोड़ा जिसके अनुसार भारत अपने आंतरिक और बाहरी निर्णय लेने में अब किसी ताकत का दबाव होगा और न हम किसी के अधीन है। हम स्वतंत्र है अपने निर्णय लेने में, भारत देश सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न वाला देश है, अपना निर्णय स्वंय ले सकता है और खुद पर ही वि'वास है, न हम किसी के दबाव में है और न ही किसी के नियंत्रण में है। सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न का आ'ाय यही की भारत अपने आंतरिक और बाहरी निर्णय लेने में स्वतंत्र है।

2. समाजवादी- हमने संविधान में समाजवाद को अपनाया है। समाजवादी शब्द हमारे मूल संविधान में नही था। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। यह शब्द और विचारधारा कार्ल मार्क्स की देन है । कार्लमार्क्स का समाजवाद वर्ग संघर्ष पर आधारित है, जिसमें एक सर्वहारा वर्ग एक बुर्जुवा वर्ग अर्थात एक अमीर वर्ग और एक गरीब वर्ग के संघर्ष को बताया गया है, लेकिन हमारे देश में समाजवादी शब्द हमने लिया है

उसमें कही भी वर्ग संघर्ष नही है, हमारे आपसी भाईचारे से समाज के हित में किया गया काम है हमारा जो समाजवाद है भाईचारे के साथ है न कि वर्ग संघर्ष वाला है।

3. पंथनिरपेक्ष- इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। पंथनिरपेक्षता की परिकल्पना जिस प्रकार की गई है उसका अर्थ है कि राज्य का उसका कोई धर्म नही होगा और सभी व्यक्ति समान रूप से अपने विवेक के स्वतंत्रता के हकदार होगें और वें अपनी पंसद के धर्म को अपना सकते है अर्थात हमारा राज्य हमारा देश किसी एक धर्म को बढ़ावा नही देता है, किसी एक धर्म को नही मानता, बल्कि सभी धर्मो का पालन करता है, सभी धर्मो का आदर करता है।

4. लोकतंत्रात्मक- भारत एक लोकतंत्रात्मक राष्ट्र है, जिसके अंतर्गत अब्राहम लिंकन विचार आता है जिसके अंतर्गत जनता का जनता के द्वारा लिए जनता के लिए किया गया शासन है। संविधान ने सरकार का एक ऐसा रूप स्थापित किया है जो लोगो की इच्छा से अपना अधिकार प्राप्त करता। सत्ता चलाने वाले शासक लोगो के द्वारा चुने जाते है और उनके प्रति जिम्मेदार होते है।

5. गणराज्य- भारत में लोकतंत्र को अपनाया गया है। लोकतंत्र में दो प्रकार के प्रमुख होते है जिसमें वंशानुगत (सम्राट ब्रिटेन में) निर्वाचित (भारत में राष्ट्रपति) लोकतंत्रात्मक गणराज्य एक ऐसी इकाई है, जिसमें राज्य का प्रमुख प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित कार्यकाल के लिए निर्वाचित किया जाता है। जिसके अंतर्गत हमारा कोई भी पद वंशानुगत नही होगा

3. उद्देश्यों का विवरण- भारत की प्रस्तावना में उद्देश्यों का विवरण तीन प्रकार से किया गया है। हमारे भारत में संविधान को बनाने, लागू करने के पीछे उद्देश्य भारत के राज्यों की प्रकृति, भारत की संस्कृति की विविधता और भारतीय जनता में नीहित उम्मीदों की किरण थी, जिसके अनुसार सविधान निर्माताओं के मन में सबसे पहले उद्देश्य के रूप में न्याय देने बात रखी जिसमे समस्त नागरिको को सामाजिक, आर्थिक, राजनीति न्याय, अर्थात प्रस्तावना में तीन प्रकार की न्याय नीहित है जिसका वर्णन भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 38 राज्य के नीति निदेशक तत्व में सामाजिक न्याय का वर्णन किया गया है, जिसका तात्पर्य है, समाज में व्यक्ति को व्यक्ति के नाते महत्व दिया जाना चाहिए और जाति, धर्म, वर्ण, लिंग, नस्ल, सम्पत्ति या अन्य किसी आधार पर भेदभाव नही किया जाना चाहिए। न्याय की स्थिति के अंतर्गत अस्पृश्यता या छूआछूत जैसी कृत्रिम सामाजिक बुराईयों के लिए कोई स्थान नही हो सकता। सामाजिक न्याय से तात्पर्य सभी नागरिको को स्वतंत्रता के साथ समानता प्रदान करना है।

आर्थिक न्याय भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 39 राज्य के नीति निदेशक तत्व में कहा गया है कि राज्य संसाधनो के उचित वितरण, समान कार्य एवं समान वेतन की व्यवस्था करेगा साथ ही राज्य आर्थिक व्यवस्था का केन्द्रीकरण नही होने देगा। आर्थिक न्याय सामाजिक न्याय का पूरक है।

राजनीतिक न्याय का तात्पर्य है कि सभी व्यक्तियों को राजनीतिक क्षेत्र में स्वतंत्र और समान रूप से भाग लेने का अवसर प्राप्त होना चाहिए। राजनीतिक न्याय अर्थात प्रत्येंक व्यक्ति को वोट देने का अधिकार, 18 वर्ष के ऊपर के हर वर्ग हर व्यक्ति

को वोट देने का अधिकार है। न्याय का अर्थ है कि कोई वर्ग या जाति पिछ्ड गया है तो उसे इस रेस दौड़ में लाने के लिए आरक्षण का भी प्रावधान दिया जाना चाहिए।

दूसरा उद्देश्य स्वतंत्रता से संबंधित है जिसमें विचार-अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखण्डता सुनिश्चित करने वाली अर्थात मूल अधिकार, जिसमें भारतीय संविधान के भाग 3 मूल अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 19 नीहित स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपसना की स्वंतत्रता। चार प्रकार की स्वतंत्रताओ का वर्णन प्रस्तावना में किया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (अनु. 25 से 28) एवं समता/समानता का अधिकार के अंतर्गत प्रतिष्ठा (उपाधियो का अंत अनु. 18), अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए (अवसर की समता अनु. 16) उन सब में व्यक्ति की गरिमा (प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता संरक्षण अनु. 21) आदि मूल अधिकारो का वर्णन भारतीय संविधान तथा प्रस्तावना दोनों में किया गया है। 42वें संविधान सं'ाोधन 1976 के द्वारा मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया जिसमें से राष्ट्र की एकता तथा अखण्डता (मूल कर्तव्य 3) का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 (क) और प्रस्तावना में किया गया है।

तीसरे उद्देश्य के रूप में समता और बन्धुत्व अर्थात बन्धुता बढ़ाने के लिए, जिसका उल्लेख (5वें मूल कर्तव्य) में किया गया है।

4. संविधान को लागू करने की तिथि - प्रस्तावना के चौथे स्त्रोत के रूप में संविधान का लागू करने की तिथि से है जिसके अंतर्गत दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर, सन् 1949 (मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी, संवत 2006 विक्रमी) को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते है।" अर्थात संविधान लागू हो गया या संविधान के द्वारा शासन है, इस बात का प्रमाण हमें संविधान को लागू करने की तिथि से मिलता है, जिसके अंतर्गत भारतीय जनता ने इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया है।

अंगीकृत का अर्थ है- अपनाना अर्थात हम भारत के लोग इस संविधान को अपनाते है।

अधिनियमित का अर्थ है- अधीन होना अर्थात इन सभी नियमों या विधियों के अधीन हम भारतीय भारत के शासन का संचालन करेंगे।

आत्मार्पित का अर्थ है- अर्पण करना अर्थात संविधान को आत्मा से अर्पित करना या संविधान के पालन हेतु हम भारत के लोग आत्मा को अर्पित करते है, आत्मा अजर है अमर है उसी तरह संविधान भी आत्मा की तरह अजर है अमर जिसका अंत कभी नही हो सकता।

प्रस्तावना के संबंध सर्वोच्च न्यायालय - प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग माना जाए या नही इस मामले में बेरूबरी युनियन केस ।प्त 1960ैब845 के मामलें में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि प्रस्तावना, संविधान का हिस्सा नही है, बल्कि इसे संविधान के प्रावधानों के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत माना जाना चाहिए।

केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य AIR 1973 SC 1461 के मामलें में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पीछले फैसले (बेरूबरी) को बदल दिया और यह कहा कि

प्रस्तावना, संविधान का हिस्सा है, जिसका अर्थ यह है कि इसे संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधित किया जा सकता है। हालाँकि ऐसे संशोधन से संविधान का मूलभूत ढांचा बदला नही जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नयें आयाम आया जिसके अंतर्गत प्रस्तावना में पहली बार 1976 में 42 वें संशोधन द्वारा समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखण्डता शब्द को जोड़ा गया है साथ ही संविधान में भी संशोधन किया गया।

मूल्यांकन - प्रस्तावना या उद्देशिका को भारत के संविधान की आत्मा इसलिए कहा जाता है क्योकि इसमें संविधान के बारे में सब कुछ बहुत संक्षेप में मौजूद है। भारत के संविधान की उद्देशिका, अपने आप में मनोहर है, क्योंकि यह कुछ हद तक अन्य देशों के संविधान की उद्देशिका से अलग है, क्योंकि इसमें ईश्वर, इतिहास या पहचान का भार नही डाला गया है। इसके द्वारा भारत के लोगो से स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और न्याय का वादा किया गया है। हमारी उद्देंिका हमें यह स्वतंत्रता देती है कि हम अपने कृत्यों, अपनी आस्था, अपने विचारो इत्यादि के संबंध में उचित निर्धारण कर सकते है। संविधान की उद्देशिका हमें यह भी बताती है कि एक राष्ट्र की एकता, केवल समूहों की एकजुटता भर नही है। यह बताती है कि एक वास्ताविक एकता तभी संभव है जब प्रत्येंक व्यक्ति की गरिमा का आस्वासन दिया जाए। उद्देशिका यह बताती है कि यदि व्यक्तिगत गरिमा का सम्मान किया जायेगा तो राष्ट्र को डरने की कोई जरूरत नही है। इसकी मूलभूत संरचना प्रगतिशील है जो इसे सबसे अलग बनाती है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची-

- **https://hindi.livelaw.in**
- **vasuconcept Ankita dhaka**
- डॉ. जैन पुखराज, राजनीति विज्ञान, साहित्य भवन पब्लिकेशन 2017
- सिंह सुनील कुमार, सामान्य ज्ञान, लूसेन्ट पब्लिकेशन
- डॉ. फड़िया बी. एल, भारतीय शासन एवं राजनीति साहित्य भवन पब्लिकेशन, 2016
- डॉ. जौहरी जे.सी., भारतीय शासन एवं राजनीति, साहित्य भवन पब्लिकेशन, 2015
- कुमार अरूण, विश्व के प्रमुख संविधान, साहित्य भवन पब्लिकेशन, 2015

UGC Journal No. (Old) 40942,
Peer- Reviewed Research Journal
Impact Factor 5.125 (IIFS) ISSN 0973-3914
Vol.- 37, Hindi Edition, Year-19, July - Dec. 2022

लिंग भेदभाव का महिलाओं के विकास के अवसरों पर पड़ने वाले प्रभाव का समाजशास्त्रीय अध्ययन (सतना जिले के विशेष संदर्भ में)

• राधा मिश्रा
•• अमर जीत सिंह
••• अजय आर. चौर

सारांश- भारतीय समाज में लिंग भेदभाव का मूल कारण पितृसत्तात्मक व्यवस्था में निहित है। महिलाओं का सशक्तीकरण समावेशी सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु महत्वपूर्ण है। महिलाओं के साथ भेदभाव पीढ़यों से होता आ रहा है। सदृढ़ अर्थव्यवस्था हेतु महिलाओं की समान भागीदारी एवं महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा को रोकने का जरूरत है। शिक्षा जीवन जीने का एक अनिवार्य हिस्सा है। शिक्षा महिलाओं को जीवन के मार्ग को चुनने का अधिकार देने का पहला कदम है जिस पर वह आगे बढ़ती है। एक शिक्षित महिला में कौशल, सूचना, प्रतिभा और आत्मविश्वास होता है जो उसे एक बेहतर माँ, कर्मचारी और देश का निवासी बनाती है। महिलाएं हमारे देश की आबादी का लगभग आधा हिस्सा हैं। पुरुष और महिलाएं सिक्के के दो पहलूओं की तरह हैं और उन्हें देश के विकास में योगदान करने के समान अवसर की आवश्यकता होती है।

मुख्य शब्द - लिंग भेदभाव, लैंगिक असमानता, महिला सशक्तीकरण, विकास के अवसर

भारत की आर्थिक संवृद्धि की संभावनाएं युवाओं में कौशल, ऊर्जा, सफलता की इच्छाशक्ति, नेतृत्व, भागीदारी, सशक्तीकरण एवं जनकल्याण पर केंद्रित हैं। उचित अवसर प्राप्त होने पर युवा वर्ग देश के सामाजिक और आर्थिक परिवेश में आशातीत परिवर्तन ला सकता है। परन्तु इसके लिए लैंगिक समानता एवं सतत भागीदारी आवश्यक है। साथ ही महिलाओं के लिये हिंसा मुक्त वातावरण एवं उनका सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक सशक्तीकरण भी आवश्यक है। महिलाओं का शोषण भारतीय समाज की सदियों पुरानी सांस्कृतिक घटना है। लैंगिक भेदभाव महिलाओं के विकास हेतु बाधक है, साथ ही भारत के लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। महिलाओं के साथ घरेलू

• शोध छात्रा, समाजशास्त्र, म.गाँ.चि.ग्रा.वि.वि.,चित्रकूट, सतना, (म.प्र.)
•• प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान, अधिष्ठाता,ग्रा.वि.एवं व्या.प्रबन्धन संकाय म.गाँ.चि.ग्रा.वि.वि. चित्रकूट, सतना, (म.प्र.)
••• एसोसिएट प्रोफेसर, समाजकार्य, कला संकाय, म.गाँ.चि.ग्रा.वि.वि.,चित्रकूट, सतना, (म.प्र.)

हिंसा की घटनाएं प्रायः देखने को मिलती है। 2020 में भारत में कुल जनसंख्या का लिंगानुपात प्रति 100 महिलाओं पर 108.18 पुरूष हैं। महिला एवं पुरूष अनुपात के मामलें में भारत 201 देशों में 189वें स्थान पर तथा 51 एशियाई देशों में भारत का स्थान 42वाँ है।[1] इससे साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमारे देश में लैंगिक भेदभाव की जड़ें कितनी मजबूत और गहरी हैं।

प्रसिद्ध समाजशास्त्री सिल्विया वाल्बे के अनुसार, "पितृसत्तात्मकता सामाजिक संरचना की ऐसी प्रक्रिया और व्यवस्था हैं, जिसमें आदमी औरत पर अपना प्रभुत्व जमाता हैं, उसका दमन करता हैं और उसका शोषण करता हैं।" लैंगिक असमानता का आशय लैंगिक आधार पर महिलाओं के साथ भेदभाव से है। लैंगिक आधार पर महिलाओं को कमजोर वर्ग के रुप में माना जाता हैं। महिलाओं को बाल्यावस्था में पिता के अधीन, विवाह के पश्चात पति के अधीन और अपनी वृद्धावस्था या विधवा होने के बाद अपने पुत्र के अधीन रहना सामाजिक परम्परा माना गया है। समाज में उसे खुद को स्वतंत्र रहने की अनुमति नहीं दी जाती है।

साहित्य का पुनरावलोकन -

Nanhi Kumari (2019)[2] ने अपने अध्ययन में स्पष्ट किया कि महिलाओं को पुरुषों की तरह शिक्षा में बराबर मौका दिया जाना चाहिए और उन्हें किसी भी विकास के अवसरों से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। पूरे देश में विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, लड़कियों की शिक्षा स्तर को बढ़ाने और प्रगति के लिए, उचित जागरूकता कार्यक्रम आवश्यक हैं। जनसँख्या के मामले में भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्र है और भारत में लड़कियों की शिक्षा की दर बहुत कम है। कुछ उत्साहजनक परिवर्तन करने के लिए पुरुषों की तरह भारत में महिलाओं की शिक्षा को बहुत प्राथमिकता दी गई है। इससे पहले महिलाओं को अपने घरों के द्वार से बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। वे केवल घरेलू कार्यों तक ही सीमित थी।

Raju, Nagaraju Kilari & S.Vinay Kumar, (2020)[3], लैंगिक असमानता को कम करने के लिए भारत को ठोस कदम उठाने चाहिए। जैसा कि लगातार लैंगिक असमानताएँ जारी हैं। महिलाओं की गरिमा और अधिकारों को बचाने के लिए अवधारणाओं और रणनीतियों पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। महिलाओं और पुरुषों के बीच परिवार के सम्मान करने वाले नए मानदंडों और विनियमों को शामिल करते हुए नए प्रकार के संस्थानों की आवश्यकता है। लैंगिक असमानता को रोकने का सबसे आसान तरीका, विचारों में बदलाव लाना है। इस समस्या को कुछ लोगों के माध्यम से हल नहीं किया जा सकता है लेकिन निश्चित रूप से इस असमानता को खत्म करने के लिए सभी को हाथ मिलाना चाहिए।

Bhattacharyya, Antara (2022)[4], ने अपने अध्ययन में पाया कि पिछले दो दशकों में भारत में महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ते पाए गए हैं। उच्च महिला निरक्षरता वाले राज्य बलात्कार और छेड़छाड़ की घटनाओं को बढ़ाते हैं और ऐसा ही बढ़ती और उच्च महिला साक्षरता के साथ होता है, हालांकि, कारण भिन्न हो सकते हैं। यह माना जाता है कि अधिक साक्षरता महिलाओं को उनके खिलाफ अपराध की रिपोर्ट

करने के लिए अधिक मुखर बनाती है।

शोध प्रविधि- प्रस्तुत अध्ययन हेतु सतना जिले के सोहावल ब्लाक को उद्देश्यपूर्ण विधि से चुना गया है। तथ्यों के संकलन हेतु चयनित ब्लाक के 8 गॉवों का चयन दैवनिदर्शन विधि से किया गया है। शोध के लिये चयनित प्रत्येक गाँव से 40 व्यक्तियों को (20 महिला एवं 20 पुरूष) चयन किया गया। इस प्रकार कुल 160 महिला एवं 160 पुरूषों कुल 320 उत्तरदाताओं का चयन यादृच्छिक पद्धति से अध्ययन हेतु अंतिम रूप से किया गया।

सांख्यिकीय विधियाँ-

मध्यमान- प्रस्तुत अध्ययन में उत्तरदाताओं से प्रश्नावली के माध्यम से प्राप्त आंकड़ों की सहायता से लिंग भेदभाव का महिलाओं के विकास के अवसरों पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करने के लिये मध्यमान की गणना के लिए निम्नलिखित सूत्रों का प्रयोग किया गया है।

सूत्र- $M = AM + \left(\frac{\Sigma Fd}{N}\right) x\, i$

यहाँ

M	=	मध्यमान
AM	=	कल्पित माध्य
ΣFd	=	कोडर विचलन(d)का आवृत्तियों के गुणनफलों का योग
i	=	वर्गान्तर
N	=	इकाइयों की संख्या

- प्रतिशत
- प्रस्तुत शोध में प्रदत्तों की गणना हेतु प्रतिशत का प्रयोग किया गया है। जिसका सूत्र इस प्रकार है –

$$\text{प्रतिशत} = \frac{\text{प्राप्तांक संख्या}}{\text{पूर्णांक संख्या}} \times 100$$

लीकर्ट स्केलिंग तकनीक- आँकड़े एवं उनके अभिमत का वर्गीकरण लीकर्ट टेक्निक के प्रयोग से किया गया है। इस तकनीकी में पंच स्तरीय मापनी विधा का प्रयोग कर उत्तरदाताओं के समक्ष उठाये गये प्रश्नों के संदर्भ में उनके मानसिक द्वंदता के अंतिम रूप से निर्धारण करने के लिये इस विधा का प्रयोग किया गया है।

भारतीय समाज में लैंगिक भेदभाव- युगों से हम नारी के त्याग एवं बलिदान की गाथा सुनते आ रहे हैं। संसार की रचना नारी के बिना अधूरी है। नारी हर प्रकार से सर्वश्रेष्ठ है। वैदिक काल में नारी को पुरुषों के समान आदर, सत्कार व अधिकार प्राप्त था। महाभारत काल में पुत्रों को उनके माता के नाम से जाना जाता था। मिसाल के तौर पर देवकीनंदन, कुन्तीपुत्र। महिलाओं को सिर्फ भोग की चीज नहीं समझा जाता था। धार्मिक कर्मकांड में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। महिलाएं घर, गृहस्थी, चूल्हा–चौका तक ही स्त्री सीमित नहीं थी।

ऋग्वेद काल के शुरूआत में महिलाओं को विशेष सम्मान का वर्णन प्राप्त होता है। वेदकालीन युग में पिता को ज्यादा महत्व दिया गया। यहां पुत्र प्राप्ति के विशेष अनुष्ठान व यज्ञ कराए जाते थे। स्वतंत्र होने के बाद भारत देश के संविधान में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए संवैधानिक व प्रभावशाली कानून की व्यवस्था बनाई गई।

संविधान में महिला सुरक्षा अधिकारों का विशेष उल्लेख किया गया और विधिक

का प्रावधान भी रखा गया है, परन्तु महिलाओं पर हो रहे अत्याचार तथा शोषण में कोई खास कमी नहीं आई है। महिलाओं को अपने मौलिक अधिकारों का पता न होने से वो अपने अधिकारों का उपयोग नहीं कर पा रहीं हैं। 21वीं शताब्दी में एक भारतीय उस वक्त गर्व महसूस करता है जब उसके घर में पुत्ररत्न की प्राप्ति हो जाती है, और जब बेटी का जन्म हो जाता है तो यही स्थिति विपरीत हो जाती हैं, कोई भी जश्न नहीं मनाया जाता है। हम प्राचीन काल से ही लड़कियों को जन्म के समय या जन्म से पहले ही मारते आ रहे हैं। यदि वह किसी कारणवश कोख में दम न तोड़ सकी तो रूढ़िवादी समाज जीवन भर उनके साथ भेदभाव के अनेक तरीके ढूंढ़ लेता है।[5]

तालिका 01

लिंग भेदभाव का महिलाओं के विकास के अवसरों पर पड़ने वाले प्रभाव संबंधी उत्तरदाताओं का अभिमत

क.	लिंग के आधार पर भेदभाव	पूर्णतः सहमत		सहमत		निरपेक्ष		पूर्णतः असहमत		असहमत		कुल सहमत		माध्य स्कोर	
		महिला	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला	पुरूष
1	लिंग और वर्ग के कारण भेदभाव	82 (51.25)	78 (48.75)	36 (22.50)	32 (20.00)	9 (5.63)	10 (6.25)	21 (13.13)	22 (13.75)	12 (7.50)	18 (11.25)	**118 (73.75)**	**110 (68.75)**	**3.97**	**3.81**
2	शिक्षा में हो रहे भेदभाव	75 (46.88)	73 (45.63)	42 (26.25)	38 (23.75)	10 (6.25)	9 (5.63)	18 (11.25)	26 (16.25)	15 (9.38)	14 (8.75)	**117 (73.13)**	**111 (69.37)**	**3.90**	**3.81**
3	नौकरी व व्यवसाय के अवसरों पर भेदभाव	66 (41.25)	61 (38.13)	48 (30.00)	45 (28.13)	7 (4.38)	9 (5.63)	28 (17.50)	32 (20.00)	11 (6.88)	13 (8.13)	**114 (71.25)**	**106 (66.25)**	**3.81**	**3.68**
4	शारीरिक बनावट के कारण भेदभाव	97 (60.63)	98 (61.25)	27 (16.88)	24 (15.00)	4 (2.50)	9 (5.63)	19 (11.88)	18 (11.25)	13 (8.13)	11 (6.88)	**124 (77.5)**	**122 (76.25)**	**4.10**	**4.13**
5	बालिकाओं की सुरक्षा को लेकर अभिभावकों द्वारा भेदभाव	62 (38.75)	68 (42.50)	36 (22.50)	42 (26.25)	8 (5.00)	6 (3.75)	28 (17.50)	24 (15.00)	26 (16.25)	20 (12.50)	**98 (61.25)**	**110 (68.75)**	**3.50**	**3.71**
6	घरेलू कार्यों में भेदभाव	85 (53.13)	80 (50.00)	34 (21.25)	44 (27.50)	9 (5.63)	6 (3.75)	18 (11.25)	18 (11.25)	14 (8.75)	12 (7.50)	**119 (74.37)**	**124 (77.5)**	**3.99**	**4.01**
7	आर्थिक भेदभाव	91 (56.88)	78 (48.75)	28 (17.50)	29 (18.13)	13 (8.13)	14 (8.75)	16 (10.00)	26 (16.25)	12 (7.50)	13 (8.13)	**119 (74.37)**	**107 (66.87)**	**4.06**	**3.83**
8	खेल में भेदभाव	46 (28.75)	49 (30.63)	49 (30.63)	40 (25.00)	14 (8.75)	10 (6.25)	26 (16.25)	33 (20.63)	25 (15.63)	28 (17.50)	**95 (59.37)**	**89 (55.62)**	**3.41**	**3.31**
9	राजनीति में भेदभाव	80 (50.00)	76 (47.50)	33 (20.63)	29 (18.13)	17 (10.63)	15 (9.38)	18 (11.25)	23 (14.38)	12 (7.50)	17 (10.63)	**113 (70.62)**	**105 (65.62)**	**3.94**	**3.78**
10	विज्ञान के क्षेत्र में भेदभाव	49 (30.63)	51 (31.88)	50 (31.25)	28 (17.50)	14 (8.75)	12 (7.50)	22 (13.75)	32 (20.00)	25 (15.63)	37 (23.13)	**99 (61.87)**	**79 (49.37)**	**3.48**	**3.15**
11	मनोरंजन के क्षेत्र में	58 (36.25)	44 (27.50)	59 (36.88)	56 (35.00)	12 (7.50)	11 (6.88)	19 (11.88)	27 (16.88)	12 (7.50)	22 (13.75)	**117 (73.12)**	**100 (62.5)**	**3.83**	**3.46**
12	पैतृक सम्पत्ति में भेदभाव	70 (43.75)	67 (41.88)	50 (31.25)	44 (27.50)	13 (8.13)	11 (6.88)	16 (10.00)	22 (13.75)	11 (6.88)	16 (10.00)	**120 (75.00)**	**111 (69.37)**	**3.95**	**3.78**
13	स्वास्थ्य की देखभाल एवं पोषण संबंधी भेदभाव	60 (37.50)	63 (39.38)	41 (25.63)	39 (24.38)	8 (5.00)	7 (4.38)	21 (13.13)	22 (13.75)	30 (18.75)	29 (18.13)	**101 (63.12)**	**102 (63.75)**	**3.50**	**3.53**

नोट– कोष्टक के अन्तर प्रदर्शित अंक प्रतिशत में दर्शाये गये हैं।

चित्र 01

लिंग भेदभाव का महिलाओं के विकास के अवसरों पर पड़ने वाले प्रभाव का अभिमत

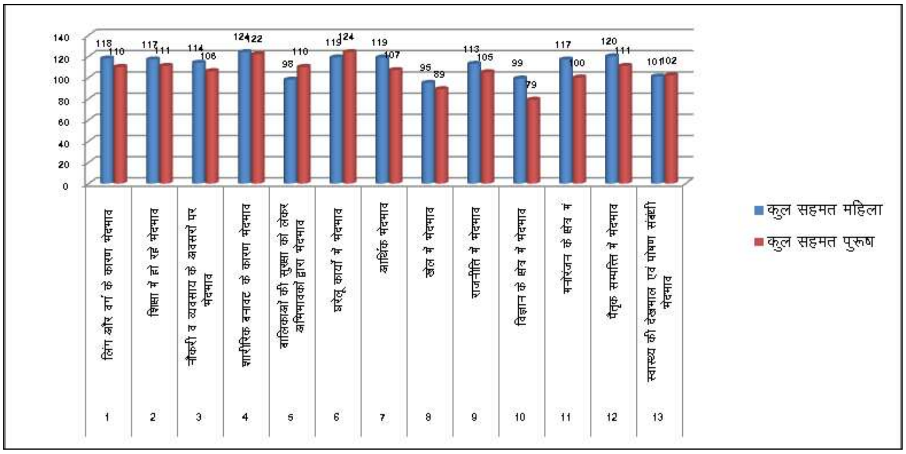

प्रस्तुत तालिका कमांक 01 लिंग भेदभाव का महिलाओं के विकास के अवसरों पर पड़ने वाले प्रभाव संबंधी अभिमत को पुरूष तथा महिला उत्तरदाताओं से 13 प्रमुख आयामों को केन्द्र में रखकर प्राप्त किया गया है।

लिंग और वर्ग के कारण भेदभाव- तालिका के अनुसार महिला एवं पुरूष का प्राप्त माध्य स्कोर कमशः 3.97 एवं 3.81 तालिका के बिन्दु एक के कथन लिंग और वर्ग के कारण भेदभाव के पक्ष में प्राप्त किया गया है। जिसमें पूर्णतः सहमत एवं सहमत महिला उत्तरदाता कमशः 51.25 प्रतिशत एवं 22.50 प्रतिशत दर्ज किये गये। कथन से कुल सहमत महिला उत्तरदाता 73.75 प्रतिशत पाई गईं जबकि 68.75 प्रतिशत पुरूष उत्तरदाताओं ने अपनी सहमति व्यक्त किया। दूसरी ओर ऐसे उत्तरदाता जिन्होंने कथन से पूर्णतः असहमत हैं उनमें महिला का प्रतिशत 13.13 एवं पुरूषों का 13.75 है।

स्पष्ट है कि महिलाओं को समाज में लिंग और वर्ग के कारण हो रहे भेदभाव सहना पड़ता है। वह किस वर्ग से है, इसका भी प्रभाव इसके जीवन में पड़ता है। उन्हें महिला होने के कारण कई क्षेत्रों में भेदभाव का सामना करना पड़ता है।

शिक्षा में हो रहे भेदभाव- उत्तरदाताओं से शिक्षा में हो रहे भेदभाव संबंधी कथन के उत्तर में कुल 73.13 प्रतिशत महिला उत्तरदाता एवं 69.37 प्रतिशत पुरूष उत्तरदाता सहमत पाये गये। जिसमें महिला एवं पुरूष उत्तरदाताओं का मध्यस्कोर कमशः 3.90 एवं 3.81 दर्ज किया गया। कमशः महिला 11.25 प्रतिशत एवं 16.25 प्रतिशत पुरूष कथ्य को स्वीकार नहीं करते हैं तथा उन्होंने अपना अभिमत पूर्णतः असहमत में व्यक्त किया है।

तथ्यों से ज्ञात होता है कि भारत में साक्षर पुरूषों की संख्या पुरूषों के मुकाबले बहुत कम है। आंकड़े बताते हैं कि शिक्षा में महिलाओं के साथ भेदभाव हो रहे हैं। बालकों के शिक्षा पर परिवार ज्यादा ध्यान देता है और उन पर ज्यादा खर्च भी करता है। दूसरी ओर बालिकाएं शिक्षा पाने से वंचित हो रहीं हैं। स्कूल गांव से दूर होने पर बालिकाओं को दूसरे गांव पढ़ने के लिये जाने की अनुमति नहीं होती है। अच्छी शिक्षा के अभाव में वर्तमान में नौकरियों कौशल माँग की शर्तों को पूरा करने में असक्षम हो जाती हैं।

नौकरी व व्यवसाय के अवसरों पर भेदभाव- 71.25 प्रतिशत महिला उत्तरदाता एवं 66.25 प्रतिशत पुरूष उत्तरदाता यह मानते हैं कि नौकरी व व्यवसाय के अवसरों पर भेदभाव किया जाता है। जिसमें 41.25 प्रतिशत पूर्णतः सहमत एवं 30 प्रतिशत सहमत के पक्ष में अभिमत प्रदान करने वाली महिला पाई गई हैं।

उत्तरदाताओं के अभिमत से स्पष्ट होता है कि महिला-पुरूष में भेदभाव कर नौकरियां दी जाती हैं। कुछ नौकरियां या व्यवसाय केवल पुरूषों के लिए ही बने हैं। पुरूषों के मुकाबले महिलाओं को समान कार्य का वेतन कम मिलता है। पुरूषों के अनुसार महिलाएं कठिन कामों को नहीं कर सकती हैं। उदाहरण बढ़ई, लोहार, मठाधीश आदि हैं। इस प्रकार नौकरी और व्यवसाय में उनके साथ भेदभाव हो रहा है।

शारीरिक बनावट के कारण भेदभाव- शारीरिक बनावट के कारण भेदभाव संबंधी कथन के उत्तर में माध्य स्कोर महिला एवं पुरूष का कमश 4.10 एवं 4.13 दर्ज किया गया। ऐसे उत्तरदाता जो कथन की पुष्टि करते हैं तथा कथन से सहमत हैं उनमें महिला वर्ग के 77.5 प्रतिशत एवं पुरूष वर्ग के 76.25 प्रतिशत ऑकलित किये गये।

ऐसी मान्यता है कि लड़कियां या महिलाएं जन्म से ही नाजुक होती हैं। वह पुरूषों की बराबरी का कठोर कार्य नहीं कर सकतीं हैं। पूर्व में महिलाओं को सेना में स्थान नहीं दिया जाता था, वे युद्ध में शामिल नहीं होती थीं पर वर्तमान में ये स्थितियां बदल रहीं हैं पर आज भी उनके साथ कई जगह यह भेदभाव हो रहा है।

बालिकाओं की सुरक्षा को लेकर अभिभावकों द्वारा भेदभाव- 61.25 प्रतिशत महिला उत्तरदाता जिनका मध्य स्कोर 3.50 है, उन्होंने यह माना कि बालिकाओं की सुरक्षा को लेकर अभिभावकों द्वारा भेदभाव किया जाता है। जबकि कथन से सहमत पुरूष उत्तरदाता 68.7प्रतिशत दर्ज किये गये।

अध्ययन में पाया गया कि कई अभिभावक अपनी बालिकाओं को आए दिन हो रहे अपराधों के कारण बाहर या दूसरे गांव अथवा शहर भेजने में डरते हैं, जिस कारण वो बालिकाओं को उच्च शिक्षा या हाई स्कूल की पढ़ाई व नौकरी के लिए आगे नहीं जाने देते हैं। रास्ते में या अन्यत्र उनके साथ कोई अपराध घटित न हो जाए इस बात की चिंता उन्हें हमेशा सताती है।

घर में अवैतनिक कार्य- कुल 77.05 प्रतिशत महिला उत्तरदाता कहती है कि घरेलू कार्यों में भेदभाव का सामना महिलाओं को करना पड़ता है। कथन से 53.13 प्रतिशत पूर्णतः सहमत एवं 21.25 प्रतिशत महिला सहमत हैं। जबकि पुरूष उत्तरदाता 77.5 प्रतिशत ने अपना मत सहमत में व्यक्त किया है। ऐसे पुरूष उत्तरदाता जो पूर्णतः सहमत हैं वे 50 प्रतिशत एवं सहमत वाले 27.50 प्रतिशत पाये गये हैं। महिला एवं पुरूष दोनों का मध्य स्कोर क्रमश 3.99 एवं 4.01 ऑकलित किया गया है। जबकि 11.25 प्रतिशत महिला एवं पुरूष समान रूप से इस कथन से पूर्णतः असमत हैं।

सकल घरेलू उत्पाद में महिलाओं के कार्यों को जोड़ा नहीं जाता है। महिलाओं द्वारा पशु पालन, खेती एवं अन्य घरेलू उद्योगों में किए गए कार्यों का कोई परिश्रमिक नहीं मिलता है जबकि वह यह सहयोग घर के कामों के साथ करती हैं। उसमें परिश्रम का कोई मूल्यांकन नहीं होता है।

आर्थिक भेदभाव- तालिका से स्पष्ट है कि 74.37 प्रतिशत महिला एवं 66.87 प्रतिशत पुरूष उत्तरदाता यह स्वीकार करते है कि महिलाओं से साथ आर्थिक भेदभाव किया जाता है। महिलाओं की अपेक्षा पुरूषों पर अधिक व्यय किया जाता है।

आर्थिक क्षेत्र में महिला-पुरूष के पारिश्रमिक में भी अंतर रहता है। उद्योग क्षेत्र में प्रायः महिलाओं को पुरूषों की अपेक्षा कम वेतन दिया जाता है। रोजगार के अवसरों में पुरूषों को पहले प्राथमिकता दी जाती है।

खेल में भेदभाव- खेल में भेदभाव को 59.37 प्रतिशत कुल महिला उत्तरदाता स्वीकार करती हैं जबकि कथन से सहमत पुरूषों का प्रतिशत 55.62 पाया गया है।

पुरूषों के मुकाबले महिलाओं को खेल के क्षेत्र में वह जगह नहीं मिलती, जो पुरूषों को प्राप्त होती है। चाहे कुश्ती हो या क्रिकेट हर खेल में भेदभाव हो रहा है। भारत में पुरूष क्रिकेट मैच को देखने वाले प्रशंसक ज्यादा हैं। जबकि महिला क्रिकेट को देखने में रूचि कम दिखाती हैं। उनको मिलने वाली पुरस्कार राशि भी पुरूषों के मुकाबले कम मिलती है।

राजनीति में भेदभाव- राजनीति में भेदभाव को 50 प्रतिशत महिला पूर्ण सहमत में अपने विचार व्यक्त किया है, जबकि 20.63 प्रतिशत सहमत में, 11.25 प्रतिशत कथन से पूर्णतः असहमत हैं। जबकि 7.50 प्रतिशत महिलायें असहमत हैं। 65.62 प्रतिशत पुरूष यह स्वीकार करते हैं कि राजनीति में महिलाओं के साथ भेदभाव होता है।

सभी राजनीतिक पार्टियां लोकतांत्रिक पद्धति के कारण पुरूष और महिला में समानता का दावा करते हैं, पर आज तक संसद में महिला बिल पास नहीं हो पाया क्योंकि सदन में उनकी संख्या कम है। नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में महिला आरक्षण 33 प्रतिशत है, लेकिन अन्य चुनाव में आरक्षण न होने के कारण उनको स्थान नहीं मिल पा रहा है।

विज्ञान के क्षेत्र में भेदभाव- विज्ञान के क्षेत्र में भेदभाव को स्वीकार करने वाली महिलाओं का कुल प्रतिशत 61.87 पाया गया जबकि 49.37 प्रतिशत पुरूष इस बात से सहमत है कि विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं को भेदभावपूर्ण व्यवहार का सामना करना पड़ता है।

अगर हम वैज्ञानिक समुदाय को देखते हैं तो वहां महिलाओं की संख्या कम हैं। वहां महिलाओं का प्रवेश भी मुश्किल से हो पाता है। उन्हें पुरूषों के मुकाबले कम महत्व के प्रोजेक्ट दिए जाते हैं।

मनोरंजन के क्षेत्र में- मनोरंजन के क्षेत्र में महिलाओं के साथ भेदभाव पूर्ण व्यवहार को अधिकांश लोगों ने माना। कथन पर महिला एवं पुरूष का माध्य स्कोर 3.83 एवं 3.46 पाया गया।

मनोरंजन के क्षेत्र में अभिनेत्रियों को भी भेदभाव का शिकार होना पड़ता है, उनको भी अभिनेताओं की तुलना में कम पारिश्रमिक मिलता है और मुख्य किरदार अक्सर अभिनेताओं का ही माना जाता है। कई बार उनको शोषण का शिकार भी होना पड़ता है।

पैतृक सम्पत्ति में भेदभाव- अधिकांश महिला एवं पुरूष उत्तरदाता इस बात से सहमत हैं कि महिलाओं को पैतृक सम्पत्ति में समान अधिकार प्राप्त नहीं होता है। इस बात से महिला वर्ग के कुल सहमत उत्तरदाता 75.00 प्रतिशत एवं पुरूष 69.37 प्रतिशत सहमत पाये गये। अध्ययन से स्प/ट है कि लड़कियों को पराई सम्पत्ति समझा जाता है। लड़कियों को दूसरे के घर की माना जाता है। इस प्रकार लड़कियों को पैतृक सम्पत्ति से पृथक रखने की परम्परा समाज में व्याप्त है।

स्वास्थ्य की देखभाल एवं पोषण संबंधी भेदभाव- स्वास्थ्य की देखभाल एवं पोषण संबंधी भेदभाव को अभिकांश लोग स्वीकार करते हैं। लड़कों को जन्म से ही लड़कियों की तुलना में स्वास्थ्य की देखभाल एवं पालन पोषण में अधिक ध्यान दिया जाता है। लड़कियों की तुलना में लड़कों के स्वास्थ्य एवं देखभाल पर अधिक खर्च किया जाता है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर कहा जा सकता हैं कि लिंग और वर्ग के कारण भेदभाव, शिक्षा, नौकरी व व्यवसाय, शारीरिक बनावट के कारण भेदभाव, बालिकाओं की सुरक्षा, घरेलू कार्यों में भेदभाव, आर्थिक भेदभाव खेल, राजनीति, विज्ञान, मनोरंजन एवं पैतृक सम्पत्ति स्वास्थ्य की देखभाल एवं पोषण संबंधी भेदभाव महिलाओं के विकास

के अवसरों में रूकावट बनता है। महिलाओं के साथ असमानता और भेदभाव का व्यवहार घर, समाज और घर के बाहर विभिन्न स्तरों पर किया जाता हैं। भारत में महिलाओं के लिये बहुत से संवैधानिक सुरक्षात्मक उपाय बनाये हैं पर जमीनी हकीकत इससे बहुत अलग हैं। इन सभी प्रावधानों के बावजूद देश में महिलाएं के साथ आज भी द्वितीय श्रेणी के नागरिक के रुप में व्यवहार किया जाता हैं। पुरुष उन्हें अपनी कामुक इच्छाओं की पूर्ति करने का माध्यम मानते हैं, महिलाओं के साथ अत्याचार अपने खतरनाक स्तर पर हैं। दहेज प्रथा आज भी प्रचलन में हैं। कन्या भ्रूण हत्या हमारे समाज में कलंक के रूप में विद्यमान है।

निष्कर्ष- समाज में महिलाओं का स्तर निचला होने के उपरोक्त वर्णित कारणों के साथ अत्यधिक गरीबी और शिक्षा की कमी भी हैं। गरीबी और शिक्षा की कमी के कारण बहुत महिलाएं कम वेतन पर घरेलू कार्य करने, संगठित वैश्यावृति का कार्य करने या प्रवासी मजदूरों के रुप में कार्य करने के लिये मजबूर होती हैं। लड़की को बचपन से शिक्षित करना अभी भी एक बुरा निवेश माना जाता हैं क्योंकि एक दिन उसकी शादी होगी और उसे पिता के घर को छोड़कर दूसरे घर जाना पड़ेगा। इसलिए लड़कों की तरह लड़कियों को भी विभिन्न प्रकार की शिक्षा देना जरूरी है। उनकी शिक्षा इस तरह से होनी चाहिए कि वे अपने कर्तव्यों को उचित तरीके से पूरा करने में सक्षम हो सके। वह देश के विकास के लिए पुरुषों के समान अपना योगदान दे सकती हैं।

सुझाव- लैंगिक भेदभाव पर वास्तिविक बदलाव के लिए स्वयं महिला एवं पुरुषों की सोच को बदलाव आवश्यक है। लैंगिक समानता हेतु समाज के प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पुरानी रुढ़िवादी सोच बदलनी होगी। महिला के अधिकारों की रक्षा में शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एक सुशिक्षित और सुशोभित लड़की देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। एक शिक्षित लड़की विभिन्न क्षेत्रों में पुरुषों के काम और बोझ को साझा कर सकती है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची-

1. **World Population Prospects-Population Division- United Nations**, 2021Gender ratio in India
2. Nanhi Kumari (2019) **Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education (JASRAE] (Vol:16/ Issue: 6)**
3. Raju, Nagaraju Kilari & S.Vinay Kumar, (2020), Gender Inequality In India, Palarch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology 17(9) (2020). ISSN 1567-214X.
4. Bhattacharyya, Antara (2022) Differential gender development outcomes in India A socio_spatial and economic analysis, Thesis, Pg 119-120
5. डॉ. नीलम चौरे, प्रो. अमरजीत सिंह एवं श्रीमती राधा मिश्रा (2022), लैंगिक समानता एवं महिलाओं के विरूद्ध अपराध,मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम, मॉड्यूल-4, मुद्रक एवं प्रका'ाक : कुलसचिव, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट

UGC Journal No. (Old) 40942,
Peer- Reviewed Research Journal
Impact Factor 5.125 (IIFS) ISSN 0973-3914
Vol.- 37, Hindi Edition, Year-19, July - Dec. 2022

महिला एवं बाल विकास योजनाओं का ग्रामीण महिलाओं की पारिवारिक स्थिति पर प्रभाव (जिला सतना के विशेष संदर्भ में)

• विमलेश द्विवेदी
•• अखिलेश शुक्ल

सारांश- इस अध्ययन का मुख्य पक्ष महिला विकास है। अतः महिला विकास का तात्पर्य जानना अत्यन्त आवश्यक है। महिला विकास से यहां तात्पर्य केवल महिलाओं पर किये जाने वाले सरकारी व्ययों की राशि में वृद्धि से ही नहीं है। अपितु उसके माध्यम से महिला वर्ग के जीवन पर पड़ने वाले वास्तविक दृश्य तथा अदृश्य प्रभावों के लिये गया है। महिला विकास के प्रमुख मापक है। महिला के प्रति समाज के दृष्टिकोण में परिवर्तन, महिलाए स्वयं की स्थिति में सुधार व विकास हेतु चेतना जागृत होना, उनका स्वयं के जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण, उनकी साक्षरता, स्वास्थ्य, पोषण, रोजगार शिक्षण प्रशिक्षण विवाह के प्रति दृष्टिकोण उनकी विचारधारा विभिन्न अंधविश्वासों परम्पराओ व रूढ़ियों के प्रति उनकी भावनाओं मे परिवर्तन, राजनीतिक व आर्थिक क्षेत्रों में उनकी रूचि का प्रादुर्भाव, स्वयं को अबला के स्थान परसबला समझ पाने तथा शोषण के विरूद्ध आवाज उठाने की प्रकृत्ति का बीजारोपण, जीवन के हर क्षेत्र व एक पहलू के प्रति उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण की उत्पत्ति तथा उनकी जागरूकता के कारण समाज की अनेक विकारपूर्ण स्थितियों का विघटन से है।

मुख्य शब्द - महिला विकास, वर्ग, पारिवारिक स्थिति, जागरूकता

किसी भी सभ्य समाज की वास्तविक स्थिति जानने का एक तरीका यह भी है कि हम यह जाने कि एक समाज में महिलाओं की स्थिति कैसी है? उनको क्या-क्या अधिकार प्राप्त हुए है और उनकी शैक्षणिक दशा क्या है? उन्होने आधा आसमान सिर पर उठा रखा है। उनकी मूलभूत संसाधनों तक कितनी पड़ती है और राजनीतिक या सामाजिक निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में उनकी कितनी सहभागिता है। देखा जाये तो महिलाओं के विकास का एक प्रकार का संकेतन इस संदर्भ में हम पाते है। आज स्त्रियों में काफी समाजिक जागरूकता आ चुकी है। अब वे परदे में सिमटी हुई अपने आप को घर की चारदीवारी में बंद नही रखती है। आधुनिक शिक्षित स्त्रियों में जाति नियमों के

• शोध छात्रा, समाजशास्त्र, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा मध्य प्रदेश
•• प्राध्यापक, समाजशास्त्र, शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय रीवा मध्य प्रदेश

प्रति उदासीनता पाई जाती है। वे ऐसे प्रतिबंधों की अधिक चिन्ता नही करती है। आजकल अन्तर्जातीय विवाह होने लगे है। प्रेम विवाह और विलम्ब विवाह की संख्या भी बढ़ी। आज महिलाए सामाजिक क्षेत्र में आगे बंद की। अब वे समाज कल्याण कार्यक्रमों में भी भाग लेती है। महिला मण्डल का निर्माण व क्लबों की सदस्यता भी ग्रहण करती है। आजकल की महिलाए रूढ़ियों से मुक्त होने का प्रयास कर रही है और स्वतंत्रता के वातावरण मे सांस ले रही है। के.एम. पाणिक्कर ने स्त्रियों की बदलती, हुई सामाजिक प्रस्थिति के संबंध मे लिखा है ''भारत के लिए कुछ मेधावी स्त्रियों के द्वारा प्राप्त की गई उल्लेखनीय सफलता उतनी महत्वपूर्ण नही है। जितना की वह परिवर्तन जो ग्रामों, ग्रामीण क्षेत्रों वर्गो और जातियों में जिन्हे आज तक रूढ़िवादी और पिछड़ा हुआ माना जाता था। ये हुआ है। वहां प्रथा और रूढ़िवादी द्वारा लादे गये सामाजिक संबंधेां से भी स्त्रियों को मुक्त किया जा सकता है।

अध्ययन क्षेत्र एवं अध्ययन पद्धति- शोध पत्र का अध्ययन क्षेत्र सतना जिला है और सतना जिले की 300 ग्रामीण महिला उत्तरदाताओं से साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से तथ्यों को एकत्रित किया गया है। तथ्यों को एकत्रित करने के लिए अवलोकन प्रणाली का क्षेत्र में प्रयोग किया गया दैव निदर्शन प्रणाली के माध्यम से उत्तर दाताओं का चयन करके साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से तथ्यों का एकत्रीकरण किया गया है।

क्रमांक	ग्रामीण महिला उत्तरदाताओं का विवरण	उत्तरदाताओं की संख्या
1	सामान्य वर्ग	75
2	अनुसूचित जाति	75
3	अनुसूचित जनजाति	75
4	पिछड़ा वर्ग	75
	योग	300

तथ्यों का सारणीयन और विश्लेषण

पारिवारिक स्थिति- महिला एवं बाल विकास योजनाओं का सतना जिले की ग्रामीण महिलाओं पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है। महिलाओं की पारिवारिक स्थिति पर काफी हद तक विकास हुआ है। ग्रामीण महिलायें अपने तथा पारिवारिक दायित्वों का पालन बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकती हैं। परिवार में रहकर वह अपने बच्चों व पति के साथ-साथ अन्य महिलाओं को सशक्त बनाने तथा उन्हें परिवार व समाज में अधिकार प्राप्त करवाने में सफलता प्राप्त कर रही हैं। एक परिवार का निर्माण तभी होता है जब उसमें पति-पत्नी एवं उसके अविवाहित बच्चे अन्य सदस्यों के साथ रहते हैं जिनकी देखभाल इन दाम्पति द्वारा सुविधा पूर्वक की जा सकती है। वास्तविक अर्थ में परिवार रक्त सम्बन्धों को छोटे से छोटा समूह माना जाता है। हमारे द्वारा परिवार की परिभाषा दो प्रकार से प्रकट करना अत्यंत आवश्यक माना जाता है। पहला यह विभिन्न सभाओं और सांस्कृतियों में परिवार के विभिन्न स्वरूप पाये जाते हैं। दूसरा यह भी बृहद रक्त सबंधी समूहों जैसे संयुक्त परिवार का गोत्र है विभिन्न रक्त का लख पाया जाता है। लेकिन यहाँ परिवार से हमारा अभिप्राय केवल मूल परिवार अर्थात् पति-पत्नि और उनके अविवाहित बच्चों से लगाया जाता है। तथा इन योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं में पारिवारिक संबंधों में अच्छी घनिष्टता पाई जाती है और पारिवारिक झगड़ों में काफी कमी

देखने को मिलती है और इन योजनाओं के द्वारा ग्रामीण महिलाओं के परिवार में परम्परागत संस्कृति की मात्रा का विस्तार हुआ है और ग्रामीण महिलाओं में परिवार द्वारा किये जाने वाले हिंसा और मारपीट में काफी हद तक सुधार देखने को मिला है। अब उन्हें परिवार में सम्मान दिया जाता है।

सारणी 01

ग्रामीण महिला उत्तरदाताओं का पारिवारिक स्वरूप

क्रमांक	ग्रामीण महिला उत्तरदाताओं का विवरण	उत्तरदाताओं की संख्या	पारिवारिक स्वरूप		
			संयुक्त परिवार	एकांकी परिवार	टूटे परिवार
1	सामान्य वर्ग	75	60	12	03
2	अनुसूचित जाति	75	62	11	02
3	अनुसूचित जनजाति	75	55	17	03
4	पिछड़ा वर्ग	75	56	16	03
	योग	300	233	56	11
	प्रतिशत	100	78	18	04

उपरोक्त तथ्यों को नीचे पाई डायग्राम में प्रस्तुत किया जा रहा है।

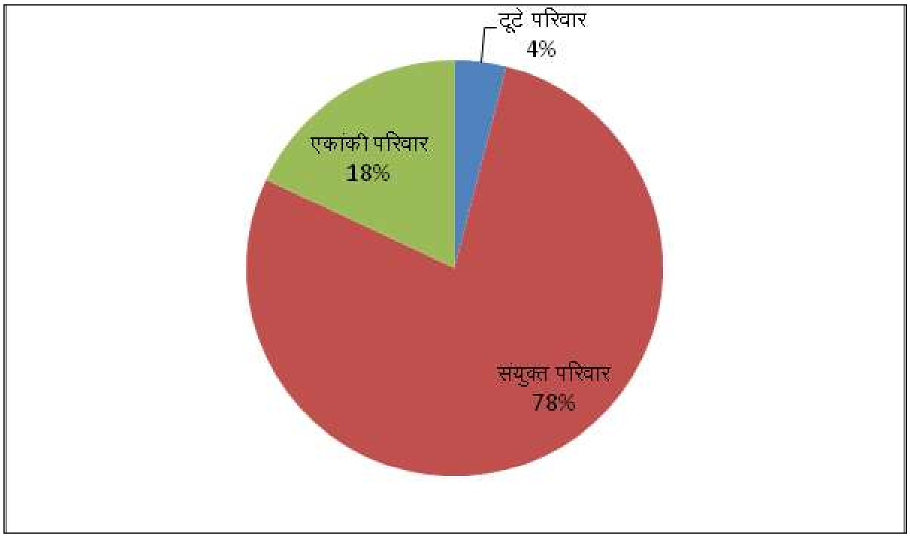

उपरोक्त तालिका से निम्नलिखित तथ्य दृष्टिगोचर होते हैं–

1. 78 प्रतिशत ग्रामीण महिला उत्तरदाता संयुक्त परिवार में निवास करती हुई पाई गई हैं। सतना का अधिकांश जनमानस भारतीय संस्कृति की विशेषताओं को अपना रहा है। इसलिए महिलाओं का अधिकांश भाग संयुक्त परिवार में निवास करता हुआ पया गया है।
2. 18 प्रतिशत महिला उत्तरदाता एकांकी परिवार में निवास कर रही हैं।
3. 04 प्रतिशत महिला उत्तरदाता टूटे परिवारों में निवास करती हुई पाई गई हैं। टूटे परिवार का तात्पर्य परिवार में पति–पत्नि का अलग–अलग रहना है। आधुनिक समाज की विशेषताओं का आंशिक प्रमाण सतना जिले में भी परिलक्षित होता है।

4. सामान्य वर्ग की 80 प्रतिशत महिला संयुक्त परिवार में, 16 प्रतिशत एकांकी परिवार में तथा 04 प्रतिशत टूटे हुए परिवारो में निवास करती हुई पाई गयी हैं।
5. अनुसूचित जाति की 83 प्रतिशत महिला संयुक्त परिवार में 15 प्रतिशत एकांकी परिवार में तथा 02 प्रतिशत टूटे परिवार में निवास करती हुई पाई गयी हैं।
6. अनुसूचित जाति की 73 प्रतिशत महिला संयुक्त परिवार में 23 प्रतिशत एकांकी परिवार तथा 04 प्रतिशत टूटे परिवार में जीवन यापन करती हुई पाई गयी हैं।
7. पिछड़ा वर्ग की 75 प्रतिशत महिला संयुक्त परिवार में, 21 प्रतिशत एकांकी परिवार में तथा 04 प्रतिशत टूटे परिवार में जीवन यापन करती हुई पाई गयी हैं।

सारणी 02

उत्तरदाता महिलाओं के परिवार में सदस्यों की बीच संबंध

क्रमांक	ग्रामीण महिला उत्तरदाताओं का विवरण	उत्तरदाताओं की संख्या	परिवार में सदस्यों की बीच संबंध		
			घनिष्ट संबंध	सामान्य संबंध	तनावपूर्ण संबंध
1	सामान्य वर्ग	75	12	60	03
2	अनुसूचित जाति	75	13	58	04
3	अनुसूचित जनजाति	75	15	55	05
4	पिछड़ा वर्ग	75	13	59	03
	योग	300	53	232	15
	प्रतिशत	100	18	77	05

उपरोक्त तथ्यों को नीचे पाई डायग्राम में प्रस्तुत किया जा रहा है।

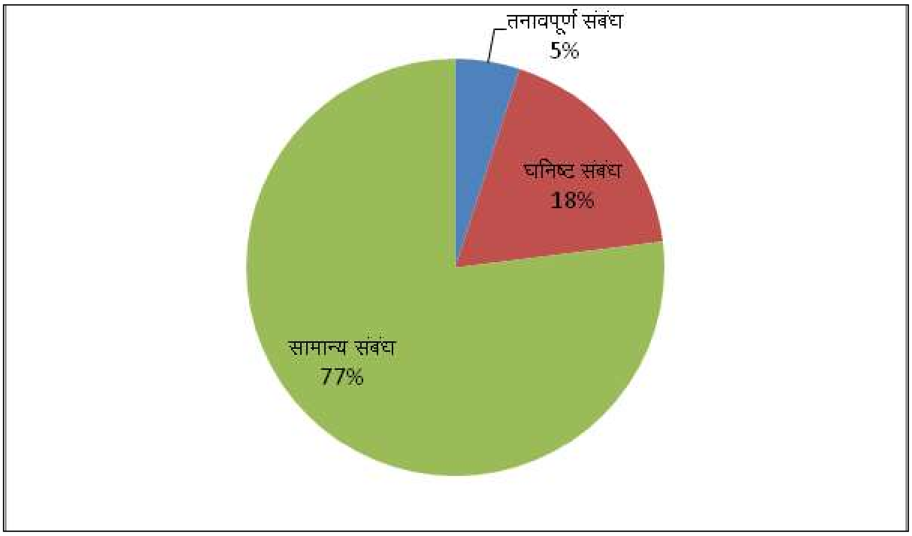

उपरोक्त तालिका से निम्नलिखित तथ्य दृष्टिगोचर होते हैं-

1. 18 प्रतिशत ग्रामीण महिला उत्तरदाता के परिवारों में सदस्यों की बीच घनिष्ट संबंध पाये गये हैं।
2. 77 प्रतिशत ग्रामीण महिला उत्तरदाता में सदस्यों की बीच सामान्य संबंध पाये गये हैं।

3. 05 प्रतिशत ग्रामीण महिला उत्तरदाता में सदस्यों के बीच तनावपूर्ण संबंध पाये गये हैं। अध्ययन करने पर शोधार्थी ने पाया कि तनाव पूर्ण संबंध का मुख्य कारण नशाखोरी है। ज्यादातर पुरुष नशाग्रस्त होकर अपने परिवार में कलह तथा क्लेश उत्पन्न करते हैं। जिससे परिवार के सदस्य तनाव पूर्ण जीवन जीने में विवश हो जाते हैं।
4. सामान्य वर्ग 16 प्रतिशत ग्रामीण महिलाओं में घनिष्ठ संबंध पाये गये, 80 प्रतिशत सामान्य संबंध तथा 04 प्रतिशत तनावपूर्ण संबंध पाये गये हैं।
5. अनुसूचित जाति की 17 प्रतिशत ग्रामीण महिलाओं में सदस्यों के बीच घनिष्ठ संबंध पाये गये है। 77 प्रतिशत सामान्य संबंध तथा 05 प्रतिशत तनावपूर्ण संबंध पाये गये है।
6. अनुसूचित जनजाति की 20 प्रतिशत ग्रामीण महिलाओं में सदस्यों के बीच घनिष्ठ संबंध पाये गये, 73 प्रतिशत सामान्य संबंध तथा 07 प्रतिशत तनावपूर्ण संबंध पाये गये हैं।
7. पिछड़ा वर्ग की 17 प्रतिशत ग्रामीण महिलाओं में घनिष्ट संबंध पाये गये हैं, 79 प्रतिशत सामान्य संबंध तथा 04 प्रतिशत तनावपूर्ण संबंध पाये गये हैं।

सारणी 03

अध्ययन क्षेत्र की महिलाओं में पारिवारिक झगड़े की स्थिति

क्रमांक	ग्रामीण महिला उत्तरदाताओं का विवरण	उत्तरदाताओं की संख्या	पारिवारिक झगड़े की स्थिति		
			पारिवारिक झगड़े होते हैं	पारिवारिक झगड़े नहीं होते हैं	उपरोक्त में से दोनो स्थिति
1	सामान्य वर्ग	75	60	09	06
2	अनुसूचित जाति	75	58	10	07
3	अनुसूचित जनजाति	75	55	11	09
4	पिछड़ा वर्ग	75	56	09	10
	योग	300	229	39	32
	प्रतिशत	100	76	13	11

उपरोक्त तथ्यों को नीचे पाई डायग्राम में प्रस्तुत किया जा रहा है।

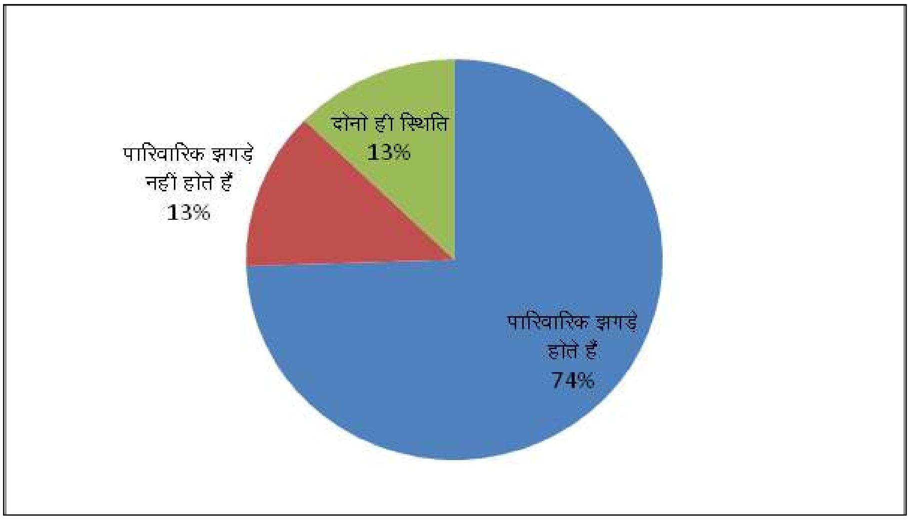

उपरोक्त तालिका से निम्नलिखित तथ्य दृष्टिगोचर होते हैं-

1. 76 प्रतिशत ग्रामीण महिला उत्तरदाताओं में पारिवारिक झगड़े होते हैं, 13 प्रतिशत ग्रामीण महिला उत्तरदाताओं का कहना है कि पारिवारिक झगड़े नहीं होते हैं और 11 प्रतिशत ग्रामीण महिला उत्तरदाताओं में दोनों प्रकार की स्थिति पाई गई है। अध्ययन करने पर शोधार्थी ने पाया कि पारिवाकिर झगड़े होने का मुख्य कारण अशिक्षा और नशाखोरी है। ज्यादातर पुरुष नशाग्रस्त होकर अपने परिवार में झगड़े, क्लेश तथा मारपीट की स्थिति पैदा करते हैं। जिससे परिवार में रहने वाले सदस्यों की शांति भंग होती है।
2. सामान्य वर्ग की 30 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं में पारिवारिक झगड़े होते हैं; 12 प्रतिशत ग्रामीण महिला उत्तरदाता का कहना है कि पारिवारिक झगड़े नहीं होते हैं और 08 प्रतिशत लोगों में दोनों प्रकार की स्थिति पाई गई है।
3. अनुसूचित जाति की 77 प्रतिशत महिलाओं में पारिवारिक झगड़े होते हैं, 13 प्रतिशत उत्तरदाता का कहना है पारिवारिक झगड़े नहीं होते हैं; तथा 10 प्रतिशत महिला उत्तरदाता में दोनों ही प्रकार की स्थिति पाई गई है।
4. अनुसूचित जनजाति की 73 प्रतिशत महिलाओं में पारिवारिक ण्गड़े होते हैं, 15 प्रतिशत ग्रामीण महिला उत्तरदाताओं का कहना है पारिवारिक झगड़े नहीं होते हैं, तथा 12 प्रतिशत महिलाओं में दोनों ही स्थिति पाई गई है। उनका कहना है कि पारिवारिक झगड़ होते हैं और नहीं भी।
5. पिछड़ा वर्ग की 75 प्रतिशत महिलाओं में पारिवारिक झगड़े होते हैं, 12 प्रतिशत महिलाओं में पारिवारिक झगड़े नहीं होते हैं और 13 प्रतिशत महिला उत्तरदाताओं में दोनों प्रकार की सिथति पाई गई है उनका कहना है कि पारिवारिक झगड़े होते हैं और नहीं भी।

सारणी 04

अध्ययनरत महिलाओं में पारिवारिक सांस्कृति विवरण

क्रमांक	ग्रामीण महिला उत्तरदाताओं का विवरण	उत्तरदाताओं की संख्या	पारिवारिक संस्कृति		
			परम्परागत संस्कृति	आधुनिक संस्कृति	सामान्य संस्कृति
1	सामान्य वर्ग	75	61	05	09
2	अनुसूचित जाति	75	60	04	11
3	अनुसूचित जनजाति	75	59	06	10
4	पिछड़ा वर्ग	75	58	05	12
	योग	300	238	20	42
	प्रतिशत	100	79	7	14

उपरोक्त तथ्यों को नीचे पाई डायग्राम में प्रस्तुत किया जा रहा है।

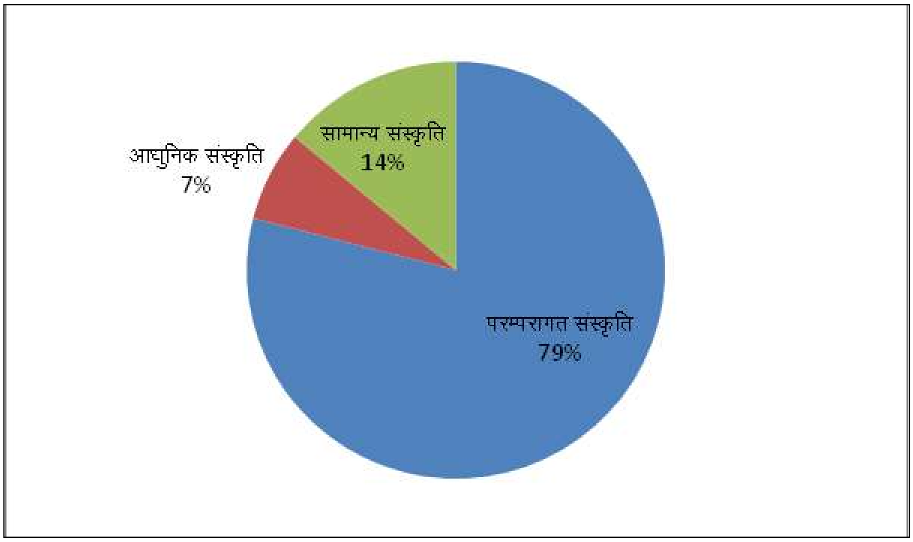

उपरोक्त तालिका से निम्नलिखित तथ्य दृष्टिगोचर होते हैं–

1. 79 प्रतिशत ग्रामीण महिला उत्तरदाता परम्परागत संस्कृति को अपना रहा है इसलिए महिलाओं का अधिकांश भाग परम्परागत संस्कृति से जुड़ा हुआ है।
2. 07 प्रतिशत महिला उत्तरदाता आधुनिक संस्कृति को अपनाती हुई पाई गयी है।
3. 14 प्रतिशत महिला उत्तरदाता सामान्य संस्कृति को अपनाती हुई पाई गयी है।
4. सामान्य वर्ग की 31 प्रतिशत महिला परम्परागत संस्कृति में, 07 प्रतिशत आधुनिक संस्कृति में तथा 12 प्रतिशत सामान्य संस्कृति को अपनाती हुई पाई गयी है।
5. अनुसूचित जाति की 80 प्रतिशत महिला परम्परागत संस्कृति को, 05 प्रतिशत आधुनिक संस्कृति तथा 15 प्रतिशत सामान्य संस्कृति को अपनाती हुई पाई गयी हैं।
6. अनुसूचित जनजाति की 79 प्रतिशत महिला परम्परागत संस्कृति, 08 प्रतिशत आधुनिक संस्कृति तथा 13 प्रतिशत सामान्य संस्कृति को अपनाती हुई पायी गई है।
7. पिछड़ावर्ग की 77 प्रतिशत महिला परम्परागत संस्कृति, 07 प्रतिशत आधुनिक संस्कृति तथा 16 प्रतिशत सामान्य संस्कृति को अपनाई हुई पाई गयी हैं।

सारणी 05

उत्तरदाता महिलाओं के परिवार में मुखिया की स्थिति

क्रमांक	ग्रामीण महिला उत्तरदाताओं का विवरण	उत्तरदाताओं की संख्या	परिवार में मुखिया की स्थिति		
			महिला	पुरुष	उपरोक्त में से दोनों
1	सामान्य वर्ग	75	10	60	05
2	अनुसूचित जाति	75	09	59	07
3	अनुसूचित जनजाति	75	11	58	06
4	पिछड़ा वर्ग	75	12	61	02
	योग	300	42	238	20
	प्रतिशत	100	14	79	07

उपरोक्त तथ्यों को नीचे पाई डायग्राम में प्रस्तुत किया जा रहा है।

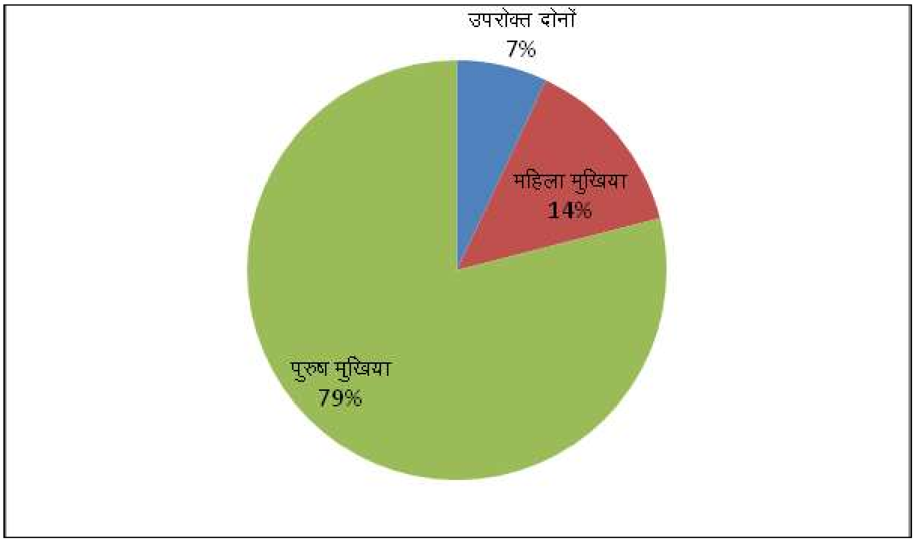

उपरोक्त तालिका से निम्नलिखित तथ्य दृष्टिगोचर होते हैं–

1. 14 प्रतिशत ग्रामीण महिला उत्तरदाता मुखिया के रूप में कार्यरत पाई गयी हैं।
2. 79 प्रतिशत ग्रामीण महिला उत्तरदाता का कहना है कि पुरुषों का ही वर्चस्व है। पुरुष ही मुखिया के रूप में कार्यरत पाये गये हैं।
3. 07 प्रतिशत ग्रामीण महिला उत्तरदाताओं में मुखिया के रूप में कार्य करते दोनों ही पाये गये तथा शोधार्थी ने अध्ययन करने पर पाया कि परिवार में मुखिया का वर्चस्व महिला तथा पुरुष दोनों ही कार्यभार सम्हालते हुए पाये गये हैं।
4. सामान्य वर्ग की 13 प्रतिशत महिलाए मुखिया के रूप में कार्यरत हैं। 80 प्रतिशत पुरुष तथा 07 प्रतिशत महिला और पुरुष दोनों ही मुखिया के रूप में कार्यरत पाये गये हैं।
5. अनुसूचित जाति की 12 प्रतिशत महिला मुखिया के रूप में, 79 प्रतिशत पुरुष तथा 09 प्रतिशत महिला तथा पुरुष दोनों ही मुखिया के वर्चस्व निभाते हुए पाये गये हैं।
6. अनुसूचित जनजाति की 15 प्रतिशत महिला मुखिया के रूप में कार्यरत हैं, 77 प्रतिशत पुरुष तथा 08 प्रतिशत महिला और पुरुष दोनों ही मुखिया कि रूप में कार्यरत पाये गये हैं।
7. पिछड़ावर्ग की 16 प्रतिशत महिला मुखिया के रूप में कार्यरत हैं, 81 प्रतिशत पुरुष तथा 03 प्रतिशत महिला और पुरुष दोनों ही कार्यरत पाये गये हैं।

संदर्भ ग्रन्थ सूची-

1. महिला सशक्तिकरण – अभी बाकी है जंग जीतना – दैनिक जागरण, जनवरी 2018
2. सामाजिक परिवर्तन में महिलाओं की भूमिका – क्रानिकल दिल्ली – जून 2021
3. स्त्री मुक्ति से हुंकार – राजस्थान पत्रिका – 29 मार्च 2022
4. योजना – नई दिल्ली – मार्च 2022
5. महिला सशक्तिकरण की क्रान्तिकारी पहल, प्रतियोगिता दर्पण, मार्च 2021

6. भारत का संविधान –एक परिचय – डी.डी.बसु
7. Ahlawat, Neerja (2005), 'Domestic Violence against women: Emerging concerns in Rural Haryana'. ***Social Action***. Vol. 55.
8. Ahlawat, Neerja (2008), 'Violence against women: Voices from the Field'. (ed.)in Manjit Singh and D. P. Singh, ***Violence Impact and Intervention***, Atlantic, New Delhi.
9. Bhattacharya, Rinki (2004), ***'Behind Closed Doors : Domestic Violence in India'***, Sage Publication, New Delhi.

UGC Journal No. (Old) 40942,
Peer- Reviewed Research Journal
Impact Factor 5.125 (IIFS) ISSN 0973-3914
Vol.- 37, Hindi Edition, Year-19, July - Dec. 2022

लैंगिक असमानता के कारण एवं समाधान का समाजशास्त्रीय अध्ययन

• राधा मिश्रा
•• अमर जीत सिंह
••अजय आर. चौर

सारांश- आजादी के बाद हमारे देश के जनप्रतिनिधियों एवं बुद्धजीवियों ने लैंगिक समानता लाने एवं महिलाओं को प्रत्येक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारतीय संविधान में अनेक प्रावधान किये गये हैं, जिसके आधार पर महिलाओं से सम्बन्धित अनेक कानून एवं योजनाओं का निर्माण किया गया। इन कानून एवं योजनाओं से महिलाओं की सामाजिक प्रस्थिति में सुधार तो जरूर हुए हैं, लेकिन वह अपेक्षित सुधार नही हो पाया, जिसकी कल्पना की गयी थी। इसका प्रमुख कारण हमारी सामाजिक पितृसत्तात्मक व्यवस्था, धर्म, संस्कृति आदि ही हैं। इनकी जड़े समाज में इतनी गहरी हैं कि इन प्रावधानों, कानूनों एवं योजनाओं के बावजूद भी महिलाओं का आशातीत सर्वांगीण विकास नहीं हो सका। हमारे निष्कर्ष बताते हैं कि लैंगिक असमानता वास्तविक आर्थिक एवं सामाजिक विकास को प्रभावित करती है।

मुख्य शब्द - लैंगिक असमानता, महिला भेदभाव, महिला अधिकार, पितृसत्ता, सामाजिक विकास

प्रस्तावना- लैंगिक समानता मौलिक मानव अधिकार है तथा लिंग आधारित भेदभाव मौलिक मानव अधिकार का उल्लंघन होता है। लैंगिक असमानता लड़कियों को असमान रूप से प्रभावित कर रही है। लैंगिक असमानताएँ जीवन के हर चरण में, जन्म से पहले एवं बचन से वृद्धावस्था तक प्राय हर जगह देखी जाती है। 'सेव द चिल्ड्रेन' के केंद्र में लैंगिक समानता है। हमारी दृष्टि एक ऐसी दुनिया है जिसमें सभी व्यक्तियों- लड़कियों, लड़कों, महिलाओं और पुरुषों के पास समान अधिकार, जिम्मेदारियां और अवसर हैं, भले ही लैंगिक मानदंड, पहचान या अभिव्यक्ति कुछ भी हो। एक ऐसी दुनिया जहां सभी को समान रूप से पहचाना जाता है, सम्मान और महत्व दिया जाता है। भारतीय समाज में लैंगिक असमानता एक ज्वलंत मुद्दा है। एक संविधान जो पुरुषों और

• शोध छात्रा, समाजशास्त्र, म.गाँ.चि.ग्रा.वि.वि.,चित्रकूट, सतना, (म.प्र.)
•• प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान, अधिष्ठाता,ग्रा.वि.एवं व्या.प्रबन्धन संकाय म.गाँ.चि.ग्रा.वि.वि. चित्रकूट, सतना, (म.प्र.)
••• एसोसिएट प्रोफेसर, समाजकार्य, कला संकाय, म.गाँ.चि.ग्रा.वि.वि.,चित्रकूट, सतना (म.प्र.)

महिलाओं के लिए समान अधिकारों की गारंटी देता है और दशकों के कानून के बावजूद, भारत में कुछ गहरे लैंगिक भेदभाव महिलाओं के जीवन पर क्रूर प्रभाव डालते हैं। तेजी से आर्थिक विकास के बाद भी, लैंगिक असमानताएं बहुत परिचित हैं। उपेक्षा के कारण हर दिन 1000लड़कियां पांच साल की उम्र तक पहुंचने से पहले ही मर जाती हैं।

पिछले कुछ वर्षों में, दुनिया लैंगिक समानता की ओर बढ़ रहीं है। दुनिया के कई स्थानों पर महिलाओं को अधिक आर्थिक अवसर, राजनीति में प्रतिनिधित्व के अच्छे अवसर और बेहतर स्वास्थ्य सेवा है के अवसर प्राप्त हुये हैं। हालाँकि, विश्व आर्थिक मंच का अनुमान है कि सच्ची लैंगिक समानता को वास्तविकता बनने में एक और शताब्दी लगेगी।

लैंगिक असमानता के कारण- लैंगिक असमानता का आशय लैंगिक आधार पर महिलाओं के साथ भेदभाव से है। लैंगिक आधार पर महिलाओं को कमजोर वर्ग के रुप में माना जाता है। समाज में उसे खुद को स्वतंत्र रहने की अनुमति नहीं दी जाती है। लैंगिक असमानता के प्रमुख कारण निम्नानुसार हैं-

1. शिक्षा में समानता का अभाव- सम्पूर्ण दुनिया में आज भी महिलाओं की शिक्षा तक पहुंच पुरुषों की तुलना में कम है। भारत में पुरुषों और महिलाओं की साक्षरता दर के बीच असमानता एक अहम मुद्दा है। दुनिया में जितने भी अनपढ़ लोग हैं, उनमें दो तिहाई महिलाएं हैं। कुछ क्षेत्रीय राज्यों में पुरूषों एवं महिलाओं में उच्च असमानता है। समस्या यह नहीं है कि भारत में साक्षर महिलाओं की संख्या कम है। लड़कियों को लड़कों के समान शिक्षा के अवसर प्राप्त न होने के कारण उनके भविष्य और उन्हें मिलने वाले अवसरों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। समस्या यह है कि महिलाओं में अपने अधिकारों का उपयोग करने के लिए जागरूकता की कमी है। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की उपलब्धता के बावजूद, परिवार के मुखिया, लड़कियों के बजाय अपने लड़कों को स्कूल भेजना पसंद करते हैं, जो कि लड़कियों के शिक्षा स्तर में कमी का सबसे बड़ा कारण है। महिलाओं को शिक्षा की अपेक्षा धरेलू दायित्वों में निभाने की प्राथमिकता है। परिवार में शिक्षा का समान अधिकार प्रदान नहीं किया जाता है।

2. रोजगार एवं नौकरी में समानता का अभाव- रोजगार के भीतर लैंगिक असमानता के कारणों में से एक नौकरियों का विभाजन है। वास्तव में, अधिकांश अर्थव्यवस्थाएं महिलाओं को पुरुषों के बराबर केवल तीन चौथाई अधिकार देती हैं। अध्ययनों से पता चलता है कि यदि रोजगार एक समान खेल का मैदान बन जाता है, तो लिंग असमानता के अन्य क्षेत्रों पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अधिकांश समाजों में, एक धारणा है कि पुरुष कुछ कार्यों को संभालने के लिए सक्षम होते हैं। इस भेदभाव के परिणामस्वरूप महिलाओं की आय अपेक्षाकृत कम होती है।

3. गुणवत्ता विहीन चिकित्सा देखभाल- महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम गुणवत्ता वाली चिकित्सा देखभाल प्राप्त होती है। शिक्षा और नौकरी के अवसरों की कमी के परिणामस्वरूप अधिक महिलाएं गरीबी में हैं। उनकी अच्छे स्वास्थ्य देखभाल का खर्च उठाने में सक्षम नहीं होती हैं। ऐसे रोगों पर भी कम शोध किया गया है जो पुरुषों की तुलना में महिलाओं को अधिक प्रभावित करते हैं। कई महिलाएं भी अपने डॉक्टरों से भेदभाव

का अनुभव करती हैं, जिससे स्वास्थ्य देखभाल की गुणवत्ता में लैंगिक अंतर बढ़ जाता है।

4. शारीरिक स्वायत्तता का अभाव- दुनिया भर में कई महिलाओं का अपने शरीर पर या माता बनने पर अधिकार नहीं होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, 200 मिलियन से अधिक महिलाएं जो गर्भवती नहीं होना चाहती हैं। वे गर्भनिरोधक का उपयोग नहीं कर रही हैं। इसके मुख्य कारण हैं- विकल्पों की कमी, सीमित पहुंच और सांस्कृतिक, धार्मिक विरोध। वैश्विक स्तर पर, लगभग 40 प्रतिशत गर्भधारण की योजना नहीं बनाई जाती है जबकि उनमें से 50 प्रतिशत गर्भपात में समाप्त हो जाते हैं, 38 प्रतिशत का जन्म होता है। ये माताएं अक्सर अपनी आजादी खोते हुए आर्थिक रूप से किसी दूसरे व्यक्ति पर निर्भर हो जाती हैं।

5. कानूनी सुरक्षा का अभाव- विश्व बैंक के शोध के अनुसार, एक अरब से अधिक महिलाओं को घरेलू यौन हिंसा या घरेलू आर्थिक हिंसा के खिलाफ कानूनी सुरक्षा नहीं है। इसका महिलाओं के आजादी से जीने और उनकी क्षमता पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। कई देशों में, कार्यस्थल पर, स्कूल में, और सार्वजनिक रूप से उत्पीड़न के खिलाफ कानूनी सुरक्षा का भी अभाव है। ये स्थान सुरक्षा के बिना असुरक्षित हो जाते हैं और महिलाओं को अक्सर ऐसे निर्णय लेने पड़ते है जो उनके लक्ष्यों को सीमित करते हैं। जैसा कि लगातार लैंगिक असमानताएँ जारी हैं, महिलाओं की गरिमा और अधिकारों को बचाने के लिए अवधारणाओं और रणनीतियों पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। पुरुष एवं महिला दोनों के प्रति समान दृष्टिकोण प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए।

6. राजनीतिक प्रतिनिधित्व का अभाव- वर्षों से इस क्षेत्र में प्रगति के बावजूद, महिलाओं का अभी भी सरकार और राजनीतिक प्रक्रिया में काफी कम प्रतिनिधित्व है। स्त्रियों को राजनीतिक क्रियाओं में भाग लेने अपने मताधिकार का उपयोग करने तथा कोई राजनीतिक पद प्राप्त करने की दिशा में निर्णय लेने स्वतंत्रता और आजादी प्राप्त नहीं है। बहुत कम महिलाएं ऐसी होती हैं जिन्हें विभिन्न राजनीतिक दलों के बारे में कोई जानकारी होती है। राजनीतिक दलों में स्त्रियों की भागीदारी बहुत कम है क्योंकि साधारणतया परिवार के पुरुष सदस्यों द्वारा इसे पसंद नहीं किया जाता। राजनीतिक भागीदारी, चुनाव में महिलाओं की लिंगानुपात महिलाओं के प्रतिकूल है और समय के साथ इसमें गिरावट आई है।

7. सामाजिक मानसिकता- समग्र समाज की मानसिकता का लैंगिक असमानता पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। समाज पुरुषों बनाम महिलाओं के मतभेदों और मूल्यों को निर्धारित करता है, हर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, चाहे वह रोजगार हो या कानूनी व्यवस्था या स्वास्थ्य सेवा। प्रगति होने पर लैंगिक असमानता के अन्य क्षेत्रों की उपेक्षा करना सभी (पुरुषों और महिलाओं) के लिए भी सामान्य है, जैसे कि नेतृत्व में महिलाओं के लिए बेहतर प्रतिनिधित्व। इस प्रकार की मानसिकता लैंगिक असमानता को बढ़ावा देती है और महत्वपूर्ण परिवर्तन में देरी करती है। मनु ने महिलाओं के बारे में कहा है-"पिता रक्षतु कौमारे, भर्ता रक्षतु यौवने, पुत्रो रक्षति वार्धक्ये, न स्त्री स्वातंत्र्यमर्हति।।" अर्थात् बचपन में माता-पिता के संरक्षण में नारी पालित-पोषित होती

है, यौवन-काल में पति और वृद्धावस्था में पुत्र इस दायित्व को संभालता है। इसलिए नारी को निराश्रित नहीं छोड़ना चाहिए। इसी निराश्रित के लिए मनु ने "स्वातंत्र्यम" शब्द का प्रयोग किया है, जिसकी कालांतर में गलत व्याख्या की गई और कहा गया कि नारी को स्वतंत्रता नहीं देनी चाहिए, परिबंधन में रखना चाहिए।

8. पुरुष प्रधान समाज- प्राचीन काल से ही भारत एक अत्यंत पितृसत्तात्मक समाज रहा है। भारतीय समाज में पितृसत्तात्मक व्यवस्था ने पुरुषों और महिलाओं के बीच मूलभूत असमानता में योगदान दिया। पितृसत्तात्मक व्यवस्था में स्त्रियाँ अपने साथ होने वाले दुर्व्यवहार एवं शोषण को अपना भाग्य समझकर सहन करती है। समाज के विचार, रीति-रिवाज और सांस्कृतिक प्रथाएं महिलाओं को समाज में निचले स्थान पर रखने में एक बड़ी भूमिका निभाती हैं।खरीदे गए घरों के संबंध में निर्णय लेने में अधिकांश महिलाओं की कोई भूमिका नहीं थी। पितृसत्तात्मक मानदंडों की स्वीकृति न केवल निर्णय लेने में बल्कि भौतिक गतिशीलता की स्वतंत्रता में भी परिलक्षित होती है। चूँकि किसी भी सामाजिक व्यवस्था को चलाने के लिए किसी नियम या आधार की आवश्यकता होती है। उस समय भारतीय समाज का संचालन धार्मिक नियमों, परम्पराओं तथा सामजिक (पितृसत्तात्मक व्यवस्था) एवं सांस्कृतिक व्यवस्था के आधार पर ही होता था। जिसके परिणामस्वरूप महिलाओं पर अनेक प्रकार के प्रतिबन्ध एवं कुरीतियों को लाद दिया गया। बहुपत्नी विवाह, पर्दाप्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा विवाह पर प्रतिबन्ध, देवदासी प्रथा, दहेज प्रथा आदि। जिसके परिणामस्वरूप महिलाओं की स्थिति दिन-प्रतिदिन दयनीय होती गयी और वे मात्र भोग की वस्तु बनकर रह गयी। स्त्रियों पर पुरुषों का वर्चस्व रहा है जनजातीय समुदायों के अलावा सभी समाजों में सामाजिक व्यवस्था पुरुष प्रधान ही रही है सामाजिक व्यवस्था का उन्नयन पुरुषों द्वारा ही होता है। स्त्रियों को पुरुषों के समान दर्जा प्राप्त नहीं हो सका।

9. महिलाओं में जागरूकता की कमी- लैंगिक असमानता के प्रमुख कारणों में से एक महिलाओं में उनके अधिकारों और समानता प्राप्त करने की उनकी क्षमता के बारे में जागरूकता की कमी है। जागरूकता की यह कमी अक्सर प्रचलित सांस्कृतिक और सामाजिक मानदंडों के कारण होती है, जो यह तय करती हैं कि महिलाओं को पुरुषों के अधीन होना चाहिए। इन बाधाओं को तोड़ना और महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में अधिक जागरूक होने में मदद करना महत्वपूर्ण है ताकि वे समानता की मांग कर सकें। बालिकाओं की सामाजिक आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए समाज और परिवार के दृष्टिकोंण के साथ स्वयं महिलाओं को भी अपना दृष्टिकोंण परिवर्तित करना होगा।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों से ज्ञात होता है कि भारत में महिलाओं के साथ दोयम दर्जे का नागरिक जैसा व्यवहार किया जाता है और स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। लैंगिक समानता पर देश का रिकॉर्ड निराशाजनक है। निस्संदेह, हम सभी को हाथ मिलाना होगा और महिलाओं को भेदभाव के इन संकटों से उबरने में आवश्यक पहल करने की आवश्यकता है। लैंगिक असमानता को दूर करने के प्रमुख सुझाव निम्नलिखित है -

सुझाव-

- हमें भारतीय महिलाओं में उनके कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करने की जरूरत है।
- हमें ऐसे संगठनों का समर्थन करने की आवश्यकता है जो महिलाओं को समान अवसर और अधिकार प्रदान करने के लिए दृढ़ता से काम कर रहे हैं।
- पुरुषों की मानसिकता में बदलाव लाने की जरूरत है, जो अभी भी मानते हैं कि महिलाएं उनसे कमतर हैं।
- महिलाओं को पुरुषों की तरह ही शिक्षा तक पहुंच प्रदान करना चाहिये।
- महिलाओं को सत्ता में रहने और आर्थिक सफलता प्राप्त करने के अवसर दें।
- महिलाओं के खिलाफ हिंसा और यौन उत्पीड़न बंद हो।
- बाल विवाह पर रोक एवं व्यावहायरिक रूप से पालन हो।
- भारत में महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करें।

उपसंहार- समाज में वास्तविक परिवर्तन तभी आएगा जब पुरुषों की मानसिकता बदलेगी। जब मनुष्य की नर प्रजाति महिलाओं के साथ समान व्यवहार करना शुरू कर देगी। वास्तव में केवल पुरुषों को ही नहीं बल्कि महिलाओं को भी अपनी मानसिकता बदलने की जरूरत है। क्योंकि महिलायें पितृसत्ता की उसी शोषणकारी व्यवस्था का हिस्सा बन गई हैं। इसलिए महिला सशक्तिकरण के लिए आंदोलन की जरूरत है जहां महिलाएं आर्थिक रूप से स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बन सकें। जहां वे अपने डर से लड़ सकें और दुनिया में निडर होकर निकल सकें। जहां वे पुरुषों के चंगुल से अपने अधिकार छीन सकें और उन्हें मांगना न पड़े। जहां महिलाओं के पास अच्छी शिक्षा, अच्छे अवसर, संपत्ति का स्वामित्व और अपने फैसले लेने की आजादी है। आशा करते हैं कि आने वाले समय में हम महिलाओं और पुरुषों दोनों के प्रयासों से, लैंगिक असमानता की समस्या का समाधान खोजने में सक्षम होगे।

संदर्भ ग्रन्थ सूची-

1. तेज संगीता, पाण्डे तेजस्कर (2011) "समाज कार्य" प्रकाशक : जुबली 'एच' फाउन्डेशन लखनऊ पृष्ठ सं. बी.-70
2. महरोत्रा ममता (2011) "महिला अधिकार और मानवधिकार" ज्ञान गंगा दिल्ली पृष्ठ सं. 9-10
3. ममता कुमार 2017 समाज में बालिकाओं के प्रति भेदभाव एवं समस्याएँ : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन (मुजफ्फरपुर जिला के संदर्भ में) शोध प्रबन्ध
4. रमा श्रीवास्तव (2014) ग्रामीण परिवारों में बालिकाओं के साथ लैंगिक भेदभाव एक समाजशास्त्रीय अध्ययन, शोध प्रबन्ध, पृ.सं. 333-335
5. सिंह सीमा (2010) "पंचायती राज और महिला सशक्तिकरण" प्रकाशक विद्या विहारनई दिल्ली पृष्ठ सं. 146-147
6. Nanhi Kumari(2019) Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education (JASRAE) (Vol:16/ Issue: 1) Pages: 2516 - 2520 (5)
7. Raju, Nagaraju Kilari & S.Vinay Kumar,(2020),Gender Inequality In India, Palarch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology 17(9) (2020). ISSN 1567-214X.

8. Nazrul Md. & Pearce K. E. Kauh, 2013, 'The Promotion of Masculinity and Feminity through Ayurveda in Morern India', Indian Journal of Gender Studies Vol. 28 No. 3.
9. Scaria, Suma (2014) 'A Dictated Space Women and Their Wellbeing in a Kerala Village', Indian Journal of Gender Studies, Vol. 21, No. 3.
10. M.V. Jaya Praksham, Dr.P sai babu, Dr. M. Subba Rao, GENDER INEQUALITY IN INDIA, Volume :3, Volume-6, Issue-9, Special Issue, ISSN No 2277- 8160, September-2017

UGC Journal No. (Old) 40942,
Peer- Reviewed Research Journal
Impact Factor 5.125 (IIFS) ISSN 0973-3914
Vol.- 37, Hindi Edition, Year-19, July - Dec. 2022

महिला नेतृत्व एवं ग्रामीण विकास (सीधी जिले की त्रिस्तरीय पंचायतों के विशेष संदर्भ में)

• शिखा पाण्डेय
•• अखिलेश शुक्ल

सारांश- भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन में पंचायतीराज व्यवस्था के तहत प्रारंभ की गयी महिला आरक्षण प्रक्रिया ने महिला समुदाय में एक नयी संभावना को जागृत किया है। महिलाओं में नेतृत्व की भावना में प्रतिस्पर्धात्मक वृद्धि हुई जिस कारण कुछ ही मात्रा में सही महिलाओं का सामाजिक दायरा ऊपर उठा है। महिलाओं में ग्रामीण समस्याओं की जानकारी के साथ ही अधिकार बोध की भावना में भी इजाफा हो रहा है जिसके चलते नीतिगत निर्णयों में भी महिलाओं की भूमिका प्रभावी होने लगी है, जिसका आंकलन पंचायत चुनावों से किया जा सकता है। निः संदेह यह एक ऐसा आयाम है जिसके चलते आने वाले समय में महिलाएँ प्रभावी रूप से सार्वजनिक मंचों पर अच्छे आत्मविश्वास के साथ दिखने लगी हैं।

मुख्य शब्द -नेतृत्व, विकास, पंचायतीराज व्यवस्था, नीतिगत निर्णय

प्रस्तावना- भारत में स्वतंत्रता के बाद ग्रामीण शक्ति-संरचना तथा नेतृत्व के निर्धारण में भूमिका निभाने वाले प्रमुख आधारों में व्यापक परिवर्तन हो रहे है। स्वाधीनता आन्दोलन के दौरान यह अनुभव किया गया कि सामाजिक तथा आर्थिक संबंधों को रूढ़िवादी तथा शोषण आधारित बनाने के लिये शक्ति-संरचना के परम्परागत आधार उत्तरदायी है। परिणामतः स्वतंत्रता प्राप्त होते ही नवगठित सरकार ने परम्परागत आधारों में परिवर्तन के लिये प्रयास किये। प्रथम प्रयास जनतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की दिशा में किया गया और गॉवों में पंचायतों का पुनगर्ठन किया गया। उसके बाद जमीदारी प्रथा को समाप्त करके, मध्यस्थों को हटाकर, कृषकों को सीधे राज्य के अधिकार में ला दिया गया। ग्राम पंचायतों के माध्यम से पहली बार गॉवों में शक्ति-संरचना का सूत्रपात हुआ। वयस्क मताधिकार, ग्रामीण व्यवस्था में स्त्रियों की सहभागिता, ग्राम पंचायत की कार्यवाही को लिखित आकार प्रदान करना तथा पंचायतों की राज्य प्रशासन एवं न्याय व्यवस्था से संबद्ध ऐसे अनेक महत्वपूर्ण कदम थे जिन्होंने ग्रामीण जीवन को नई दिशा प्रदान की। ग्राम पंचायतों का पुर्नगठन, जमींदारी व्यवस्था का समापन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने से लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण को बल मिला जिससे परम्परागत ग्रामीण

• शोध छात्रा, समाजशास्त्र, अ.प्र.सिंह विश्वविद्यालय रीवा (म.प्र.)
•• प्राध्यापक,समाजशास्त्र विभाग, शासकीय टी.आर.एस. महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

शक्ति-संरचना तथा नेतृत्व में मूल परिवर्तनों का प्रादुर्भाव हुआ। परिवर्तित परिस्थितियों में यह देखा गया कि नेतृत्व के नये प्रतिमान बदलते हुये सामने आये है। नेतृत्व के दृष्टिकोण से यह मिला कि ग्रामीण जीवन में शक्ति के दो ही स्त्रोत प्रमुख रहे हैं - जन्म और कर्मकाण्ड आधारित श्रेष्ठता तथा समूह विशेष का संख्या-बल। आज जन्मजात श्रेष्ठता की अपेक्षा संख्या-बल का महत्व शक्ति-संरचना में तेजी से बढ़ा है। परिणामस्वरूप यह देखा गया है कि गॉवों में नेतृत्व का परम्परागत स्वरूप शिथिल पड़ने लगा है, लेकिन उच्च जातियों के प्रभाव को भी नकारा नही जा सकता, चाहे वे उच्च जातियाँ परोक्ष रूप में ही क्यों न हों। अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि नवीन ग्रामीण नेतृत्व एवं शक्ति-संरचना में राजनीतिक दलों की भूमिका प्रभावी होती जा रही है। महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता को संस्थागत स्वरूप प्रदान करने का श्रेय 73वें संविधान संशोधन विधेयक को जाता है। देश के इतिहास में पहली बार पंचायत व्यवस्था के प्रत्येक स्तर पर महिलाओं के लिये 33 प्रतिशत स्थान आरक्षित किये गये हैं। यही नहीं, महिलाओं के लिये यह आरक्षण पंचायत के पदाधिकारियों के पदों पर भी लागू हुआ है जिसके परिणामस्वरूप संपूर्ण देश की पंचायती राज व्यवस्था के विभिन्न पदों यथा सरपंच, प्रधान एवं जिला प्रमुख इत्यादि पर महिलायें पदासीन हुई हैं। संपूर्ण विश्व में भारत ही ऐसा देश है जहॉ शासन के निम्नतम स्तर पर महिलाओं के लिये आरक्षण का प्रावधान रखा गया है। भारत की केन्द्रीय सरकार ने 73वॉ संविधान संशोधन अधिनियम पारित कर 24 अप्रैल, 1993 से लागू कर दिया था। मध्यप्रदेश सरकार ने इस संविधान संशोधन अधिनियम के मुख्य-मुख्य प्रावधानों के परिपेक्ष्य में राज्य का नवीन पंचायती राज अधिनियम, 24 जनवरी 1994 से राज्य में लागू कर दिया।राज्य के पंचायती राज इतिहास में पहली बार समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों यथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिये सभी स्तर पर पर्याप्त आरक्षण किया गया। पंचायती राज संस्थाओं में विकास सम्बंधी लिये जाने वाले निर्णयों में विशेषकर इन वर्गों के लोगों की सहभागिता सुनिश्चित की गई।लगातार पच्चीस बरस के पंचायती राज ने महिलाओं के मामले में प्रारंभ में लड़खड़ाते हुए अब अपनी धार तेज भी कर ली है। पहले-पहल के पॉच वर्षों में जहॉ कुछेक महिलाएॅ उभर कर सामने आई थीं जिन्होंने पुरूष सत्ता को पूर्णतः नकारते हुए दबंगता से अपनी सत्ता संभाली थी और राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित भी हुई थी। उन्हीं आदर्शों को अपनाते हुए आज की पंचायतों में सैकड़ों महिलाएॅ सार्थक कार्य ही नहीं कर रही हैं वरन् वे अब विकास को बराबरी से समझ कर आगे बढ़ रही है।

शोध कार्य के उद्देश्य-पंचायतीराज अधिनियम के लागू होने के बाद ग्रामीण जन समस्याओं को सुलझाने में महिला जनप्रतिनिधियों की भूमिका की वास्तविक जानकारी प्राप्त करना।

शोध परिकल्पना -पंचायतीराज अधिनियम के फलस्वरूप शोध क्षेत्र की समस्याओं को सुलझाने में महिला नेतृत्व की भूमिका महत्वपूर्ण है।

अध्ययन पद्धति- शोधार्थी ने अपने शोध विषय ''महिला नेतृत्व एवं ग्रामीण विकास'' के अध्ययन के अंतर्गत सीधी जिले को शोध क्षेत्र के रूप में चयन किया जिसके अंतर्गत सीधी जिले के सभी पांचों विकासखण्डों कुसमी, मझौली, रामपुर नैकिन, सीधी एवं सिहावल में से प्रत्येक विकासखण्ड से महिला जनप्रतिनिधियों जिनमें से 50-50 महिला पंचों कुल 250

महिला पंचों, 20-20 महिला सरपंचों कुल 100 महिला सरपंचों, 08-08 महिला जनपद सदस्यों कुल 40 महिला जनपद सदस्यो तथा 02-02 महिला जिला पंचायत सदस्यों कुल 10 महिला जिला पंचायत सदस्यो को अपने शोध अध्ययन हेतु न्यादर्श में चयनित किया एवं सभी न्यादर्शों का चयन दैव निदर्शन विधि से किया।

प्रस्तुत शोध में महिला नेतृत्व एवं ग्रामीण विकास से संबंधित जानकारी का पता लगाने के लिए शोधार्थी ने शोध उपकरण के रूप में साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग किया और इसके द्वारा एकत्रित जानकारी का सारणीयन कर विश्लेषण एवं व्याख्या द्वारा वस्तुस्थिति की जानकारी प्राप्त की। शोधार्थी ने चयनित महिला जनप्रतिनिधियों से ग्रामीण विकास में उनकी सहभागिता जानने के लिए प्रश्न पूछा "ग्रामीण जन समस्याओं के समाधान आपकी रुचि कितनी है। प्राप्त उत्तरों को तालिका क्रमांक-1 में दर्शाया गया है।

तालिका-01

ग्रामीण जन समस्याओं के समाधान में महिला जनप्रतिनिधियों की रुचि की जानकारी

महिला जनप्रतिनिधि	संख्या	ग्रामीण जन समस्याओं के समाधान में महिला जनप्रतिनिधियों की रुचि					
		अत्यधिक रुचि		सामान्य रुचि		उदासीन	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
पंच	250	150	60.00	45	18.00	55	22.00
सरपंच	100	65	65.00	22	22.00	13	13.00
जनपद सदस्य	40	25	62.50	12	30.00	03	07.50
जिला पंचायत सदस्य	10	07	70.00	02	20.00	01	10.00
योग	400	247	61.75	81	20.25	72	18.00

प्राप्त उत्तरों से स्पष्ट है, कि अधिकांश महिला जनप्रतिनिधियों लगभग 61.75 के अनुसार उनके क्षेत्र में ग्रामीण जन समस्याओं के समाधान में उनकी अत्यधिक रुचि है। तथा 20.25 प्रतिशत महिला जनप्रतिनिधियों के अनुसार उनके क्षेत्र में ग्रामीण जन समस्याओं के समाधान में उनकी सामान्य रुचि है, जबकि 18.00 प्रतिशत महिला जनप्रतिनिधियों के उत्तरों से स्पष्ट है कि ग्रामीण जन समस्याओं के समाधान के प्रति वो उदासीन है। ज्यादातर पंचायतों में मूलभूत सुविधाओं की कमी है, और यही कमियाँ अधिकांश महिला जनप्रतिनिधियों ने गिनवाई भी है। इसके लिए उन्होंने अपने अपने स्तर पर प्रयास भी किए हैं।

पंचायतों में उनके क्षेत्र की समस्याओं की जानकारी के लिए महिला जनप्रतिनिधियों से मैने प्रश्न पूछा कि क्या आपको अपने क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं की जानकारी है? इसके उत्तर में प्राप्त आंकड़ों को तालिका क्रमांक-2 में दर्शाया गया है।

तालिका-02

महिला जनप्रतिनिधियों को अपने क्षेत्र की समस्याओं की जानकारी

महिला जनप्रतिनिधि	संख्या	महिला जनप्रतिनिधियों को अपने क्षेत्र की समस्याओं का ज्ञान					
		पूर्ण ज्ञान है		आंशिक ज्ञान है		बिल्कुल नही है	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
पंच	250	158	63.20	73	29.20	19	07.60
सरपंच	100	67	67.00	28	28.00	05	05.00
जनपद सदस्य	40	29	72.50	10	25.00	01	02.50
जिला पंचायत सदस्य	10	07	70.00	03	30.00	00	00.00
योग	400	261	65.25	114	28.50	25	06.25

प्राप्त उत्तरों से स्पष्ट है, कि अधिकांश महिला जनप्रतिनिधि लगभग 65.25 प्रतिशत ने कहा कि उन्हे अपने क्षेत्र की समस्याओं का पूर्ण ज्ञान है । 28.50 प्रतिशत महिला जनप्रतिनिधियों ने कहा कि उन्हे अपने क्षेत्र की समस्याओं का आंशिक ज्ञान है तथा 06.25 प्रतिशत महिला जनप्रतिनिधियों ने स्वीकारा कि उन्हे अपने क्षेत्र की समस्याओं का बिल्कुल ज्ञान नही है। इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा कि वो धीरे-धीरे आम लोगों से मिलकर अपने क्षेत्र की समस्याओं को समझने का प्रयास कर रही हैं क्योंकि हमसे जरूरत से ज्यादा उम्मीदें की जाती हैं।

निष्कर्ष- पंचायतीराज अधिनियम के लागू होने के बाद आज की पंचायतों में सैकड़ों महिलाएँ अपने क्षेत्र की समस्याओं की जानकारी ही नही रखती वरन् वे अब विकास को बराबरी से समझ कर आगे बढ़ रही हैं और सामुदायिक विकास के कार्यक्रमों को सक्रियता से करवा पाने के लिए तत्पर रहती है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची-

1. परमार, संदीप (1998) -ग्राम्य विकास एवं ग्रामीण नेतृत्व के उभरते प्रतिमान,: राधा प्रकाशन, नई दिल्ली।
2. द्विवेदी राधेश्याम (1999), मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम-1994, सुविधा लॉ हाऊस।
3. भसीन, अनीस (2009), विश्व में महिला अधिकारों की स्थिति, प्रतियोगिता दर्पण, मासिक पत्रिका, मुद्रक एवं प्रकाशक महेन्द्र जैन, आगरा, पृ.-701-719
4. राय पारसनाथ (2004), अनुसंधान परिचय लक्ष्मीनारायण अग्रवाल, आगरा।
5. कपिल, एच.के. (1986-87), अनुसंधान विधियाँ, हर प्रसाद भार्गव, आगरा।

UGC Journal No. (Old) 40942,
Peer- Reviewed Research Journal
Impact Factor 5.125 (IIFS) ISSN 0973-3914
Vol.- 37, Hindi Edition, Year-19, July - Dec. 2022

बाल मानवाधिकार एवं भारत के समक्ष चुनौतियां

• जगदीश प्रसाद
•• सर्वोत्तम कुमार

सारांश- आधुनिक युग में बाल मानवाधिकार को सर्वाधिक महत्वपूर्ण अधिकार माना जाता है। क्योंकि बच्चे देश के भविष्य व धरोहर होते हैं। सार्वलौकिक मानवाधिकार की घोषणा के अन्तर्गत बच्चों को विभिन्न मानवाधिकार प्रदान किये गये हैं। इस घोषणा से प्रेरित होकर हमारे संविधान निर्माताओं ने भी भारतीय संविधान के भाग-3 एवं भाग-4 के अन्तर्गत बच्चों के कल्याण के लिए विभिन्न अधिकारों व प्रावधानों का समावेश किया। वर्ष 1989 में 20 नवम्बर को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा बच्चों पर अंतर्राष्ट्रीय बाल मानवाधिकार की घोषणा को उनके अधिकारों के सम्बंध में मील का पत्थर समझा जाता है। इन समस्त प्रावधानों के वावजूद भारत सहित दुनियाँ के समस्त देशों में बच्चों के अधिकारों का क्रियान्वयन पूरी तरह नहीं हो पा रहा है। भारत के समक्ष इसे लागू करने में विभिन्न चुनौतियाँ व बाधाएं हैं। इस शोध लेख का उद्देश्य भारत में मानवाधिकार के प्रावधानों की विवेचना करना तथा इसके क्रियान्वयन के संदर्भ में विभिन्न चुनैतियों व बाधाओं का विश्लेषण करना है।

मुख्य शब्द- बाल अधिकार, सार्वलौकिक मानवाधिकार की घोषणा, संविधान, मानवाधिकार का अंतर्राष्ट्रीय बिल

प्रस्तावना- बच्चे भविष्य की धरोहर है। हमारा कल बच्चों के संरक्षण, उचित पोषण और गरिमा पूर्ण जिंदगी की तमाम संभावनाओं द्वारा ही निर्धारित होगी। अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस (World Children's Day) प्रत्येक वर्ष 20 नवंबर को मनाया जाता है। यह दिवस अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता, बच्चों के प्रति जागरूकता और बच्चों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। गौरतलब है कि भारत में भी इस दिन को बाल अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस (International Children's Day) सबसे पहले सन 1954 में 20 नवंबर को मनाया गया था। इस दिवस की परिकल्पना एक भारतीय नागरिक वी-के कृष्ण मेनन ने की थी।[1] 20 नवंबर का बाल दिवस के रूप में महत्त्व इसलिए और बढ़ जाता है क्योंकि आज ही के दिन 1959 में

• एसोशिएट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, टी.एम. भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर
•• शोध छात्र, राजनीति विज्ञान विभाग, टी.एम. भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर

संयुक्त राष्ट्र की आम सभा (General Assembly) ने बाल अधिकारों की घोषणा की थी। वर्ष 1989 में 20 नवंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बाल अभिसमय (Convention) को अपनाया। यह अभिसमय सितम्बर, 1990 में प्रभाव में आया। इस समझौते पर विश्व के 196 राष्ट्रों ने हस्ताक्षर करते हुए अपने देश में सभी बच्चों को जाति, धर्म, रंग, लिंग, भाषा, संपत्ति, योग्यता आदि के आधार पर बिना किसी भेदभाव के संरक्षण देने का वचन दिया है। केवल अमेरिका ने अब तक इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं।

इस बाल अधिकार समझौता पर भारत ने 1992 में हस्ताक्षर कर अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की थी। बाल विकास और कल्याण के लिए मार्च 2007 में भारत सरकार ने एक संवैधानिक संस्था या कमीशन बनाया, जिसका नाम राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग रखा गया। आयोग की स्थापना संसद के एक अधिनियम, 2005 के अंतर्गत हुई थी।[2] प्रतिवर्ष की तरह 2022 में भी 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस के तौर पर मनाया गया। इस दिन व्यस्कों के समान ही बच्चों को भी अधिकार दिए जाने का फैसला लिया गया। तब से बाल दिवस, बाल अधिकारों की वर्षगांठ के तौर पर मनाया जाता है। इस वर्ष 14 नवंबर से 20 नवंबर तक बाल अधिकार सप्ताह मनाया गया। इस दौरान कई तरह के कार्यक्रमों, बच्चों के लिए ओलंपिक, भारत की सभी प्रतिष्ठित इमारतों को नीले लाइट्स से सजाया गया।

इस अंतरराष्ट्रीय संधि के तहत पहली बार सरकारों ने वयस्कों की तरह बच्चों के लिए मानवाधिकार तय किए। इस अभिसमय में 54 अनुच्छेद हैं। इन 54 अनुच्छेदों में बच्चों को 41 विशिष्ट अधिकार दिये गये हैं। इस अनुच्छेद में पहली बार आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक अधिकार एक साथ दिए गए। बाल अधिकार के अंतर्गत बच्चों को जीवन का अधिकार, भोजन पोषण, स्वास्थ्य, विकास, शिक्षा, पहचान, नाम, राष्ट्रीयता, परिवार, मनोरंजन, सुरक्षा और बच्चों का गैर कानूनी व्यापार से संरक्षण का अधिकार शामिल है। इस अभिसमय के अंतर्गत सदस्य देशों को बच्चों की सभी प्रकार की शारीरिक और मानसिक यातनाओं तथा आर्थिक शोषण और मादक द्रव्यों के अवैध प्रयोग से रक्षा करने के लिये सभी उपयुक्त कदम उठाने पड़ते हैं। सदस्य देशों से सशस्त्र विद्रोहों में बच्चों से संबंधित सभी अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानूनों का आदर करने की भी अपेक्षा की जाती है। शरणार्थो और दिव्यांग बच्चों के संबंध में विशिष्ट प्रावधानों की भी व्यवस्था की गई है।

इस अभिसमय में दस स्वतंत्र सदस्यों वाली एक बाल अधिकार समिति के गठन का भी प्रावधान है। यह समिति अभिसमय में निर्दिष्ट बाल अधिकारों को प्रभावशाली बनाने की दिशा में उठाये गये कदमों और उन अधिकारों का उपयोग करने की दिशा में हुई प्रगति के संबंध में तथा सदस्य देशों द्वारा जारी की गयी रिपोर्टों की समीक्षा करने के लिये अधिकृत है। समिति पर यह समीक्षा करने की जिम्मेदारी है कि सरकारें संधि में तय मानकों का किस तरह पालन कर रही हैं। इस प्रक्रिया के तहत संधि को स्वीकृति मिलने के दो साल के भीतर और उसके बाद हर पाँच साल पर प्रत्येक सदस्य देश एक रिपोर्ट साझा करता है जिसके बाद चिह्नित देश को बेहतरी के लिए अनुशंसाओं के बारे में बताया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 74वें सत्र के दौरान आयोजित इस उच्च स्तरीय बैठक

में संधि के जरिए स्वस्थ जीवन और टिकाऊ आजीविका की दिशा में हुई प्रगति को रेखांकित किया गया। लेकिन 26 करोड़ से ज्यादा बच्चे और युवा अब भी स्कूलों में पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, 65 करोड़ से ज्यादा लड़कियों और महिलाओं की शादी 18 वर्ष की उम्र से पहले ही कर दी जाती है और हर चार में से एक बच्चा ऐसे इलाकों में रहने को मजबूर हैं जहाँ वर्ष 2040 तक सीमित जल संसाधन होंगे।[3] ऐसे में सदस्य देशों से अपील की गई है कि नई चुनौतियों को देखते हुए सदस्य देशों को अपने संकल्पों और मजबूत बनाने होंगे। अमेरिका को छोड़कर अब तक 196 देश इस संधि पर मुहर लगा चुके हैं हालांकि उसने भी इसे स्वीकृति देने की मंशा जाहिर की है। बाल अधिकार संधि के पारित होने के बाद, पहले से कहीं ज्यादा बच्चों को जरूरी संरक्षण और सहारा मिल रहा है और पाँच से कम उम्र के बच्चों की मौतों के मामले में पचास फीसदी की कमी आई है। साथ ही कुपोषण से पीड़ित बच्चों की संख्या में भी गिरावट दर्ज की गई है। आधुनिक दुनिया में बच्चों और युवाओं को पेश आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए उनके अनुरूप कार्रवाई में बदलाव के प्रयास किये जा रहे हैं।

भारत में बाल अधिकार- भारत प्रारम्भिक समय से ही बच्चों के अधिकारों, समानता और उनके विकास के लिए प्रतिबद्ध रहा है। बच्चों को किसी भी प्रकार के खतरे व जोखिम की स्थिति में सुरक्षा का अधिकार है। भारत में भी पूरी दुनिया के साथ बाल अधिकारों के प्रति निष्ठावान है। अन्तर्राष्ट्रीय नियम के मुताबिक बच्चा का मतलब है वो व्यक्ति जिसकी उम्र 18 साल से कम है। यह वैश्विक स्तर पर बालक की परिभाषा है, जिसे बाल अधिकार पर संयुक्त राष्ट्रीय कन्वेंशन में स्वीकार किया गया है। इसे दुनिया के अधिकांश देशों ने मान्यता दी है जहाँ तक भारत का सवाल है तो भारत में भी 18 साल की उम्र के बाद ही कोई व्यक्ति मतदान कर सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त कर सकता है या किसी अन्य कानूनी समझौते में शामिल हो सकता है। साल 1992 में यूएनसीआरसी (United Nations Convention on the rights of the Child) को स्वीकार करने के बाद भारत ने अपने बाल कानून में काफी फेरबदल किया। इसके तहत यह व्यवस्था की गई कि वो व्यक्ति जो 18 वर्ष से कम उम्र का है उसे देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता है और वह राज्य से ऐसी सुविधा प्राप्त करने का अधिकारी है। इसके लिए भारतीय संविधान में सभी बच्चों के लिए कुछ खास अधिकार सुनिश्चित किये गये हैं।[4]

अनुच्छेद 21(क)- 6 से 14 साल की आयु वाले सभी बच्चों की अनिवार्य और निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा।

अनुच्छेद 24-14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम वाले कार्य करने से सुरक्षा।

अनुच्छेद 39(घ)- आर्थिक जरूरतों की वजह से जबरन ऐसे कामों में भेजना जो बच्चों की आयु या समता के उपयुक्त नहीं है, से सुरक्षा।

अनुच्छेद 39(च)- बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय माहौल में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएँ मुहैया कराना और शोषण से बचाना।

इसके अलावा भारतीय संविधान में बच्चों को वयस्क पुरुष और महिला के बराबर समान अधिकार भी प्राप्त है। अनुच्छेद 14 के तहत समानता का अधिकार, अनुच्छेद 15 के तहत भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 21 के तहत

व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 46 के तहत जबरन बंधुआ मजदूरी और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से कमजोर तबकों के बचाव का अधिकार आदि शामिल है।

भारत में बाल अधिकार एवं चिंताएँ- नीति आयोग के अनुसार, भारत में शिशु मृत्यु दर प्रति हजार पर 34 के करीब है। जबकि पाँच साल से कम उम्र के बच्चों में यह आंकड़ा देखा जाए तो यह प्रति हजार पर 39 है। इनमें से अधिकांश बच्चों की मृत्यु डायरिया और न्यूमोनिया जैसी बीमारियों के चलते होती है। 2016 में केवल डायरिया और न्यूमोनिया से करीब तीन लाख बच्चों की मौत हो गई थी। ये वे बीमारियाँ हैं जिनका इलाज आराम से हो सकता है। भारत में हर साल अकेले कुपोषण से ही 10 लाख से ज्यादा बच्चों की मौत हो जाती है। बिहार, मेघालय और मध्य प्रदेश झारखंड, उड़ीसा उन भारतीय राज्यों में शुमार हैं, जहां हर 10 में से चार बच्चे कुपोषित हैं। देश में छः साल तक के 2.3 करोड़ बच्चे कुपोषण और कम वजन के शिकार हैं। शिक्षा की बात करें तो लगभग 10 करोड़ बच्चों को स्कूल नसीब नहीं है। डिस्ट्रिक्ट इन्फ, मेंशन सिस्टम फॉर एजुकेशन (डाइस) की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि हर सौ बच्चों में से महज 32 बच्चे ही स्कूली शिक्षा पूरी कर पा रहे हैं। इनमें करीब एक करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो घर की खराब आर्थिक हालत के चलते पढ़ाई के साथ काम करने को भी मजबूर हैं।[5] विश्व बैंक की मानव विकास रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 10 से 14 करोड़ के बीच बाल मजदूर हैं। बाल अधिकारों के हनन के सर्वाधिक मामले भी भारत में ही होते हैं। इसके साथ ही स्कूली बच्चों में आत्महत्या की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ रही है। एकल परिवारों में बच्चे साइबर बुलिंग का भी शिकार हो रहे हैं। बच्चों के बारे में उचित एवं विश्वसनीय आंकड़ों का भी अभाव है। भारत में बच्चे आबादी का लगभग 40 प्रतिशत हैं। बच्चे अपनी सामाजिक, आर्थिक और भूराजनीतिक परिस्थितियों की वजह से असहाय हैं। बालश्रम, बच्चों से दुर्व्यवहार, विस्थापन और असुरक्षित प्रवासन की चिंताएँ। पेशेवर यौन शोषण के लिए गैर कानूनी खरीद-फरोख्त एक गंभीर चुनौती है। घरेलू कार्य, भिक्षावृत्ति, मानव अंगों का कारोबार और पोर्नोग्राफी की समस्या भी बनी हुई है।[6] हाल के वर्षों में बच्चों के समक्ष एक नई चुनौती उभर के सामने आ रही है, आमतौर पर भारतीय समाज परंपरावादी रहा है यहां समाज के हर वर्ग और समूहों का सम्मान होता रहा है, बच्चों के संरक्षण के लिए सबसे मुफीद जगह परिवार को समझा जाता रहा है परंतु आंकड़े चौंकाने वाले हैं, हाल के वर्षों में बच्चों की सुरक्षा, यौन शोषण जैसी समस्याएं परिवार के अंदर से भी उभर कर सामने आ रही है। आजकल लगातार अखबारों की सुर्खियां बन रही है कि बच्चों का शोषण यहां तक कि यौन शोषण पारिवारिक सदस्यों और जानकारों के द्वारा हो रहा है। बच्चे को जहां सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस किया जा रहा है, बदलते समाजों में अब असुरक्षा की वजह परिवार ही बन रहा है। स्वभाविक है यह चुनौतियां बड़ी हैं, पारिवारिक मूल्यों के इस बिखराव की कड़ी में समाज और सरकार दोनों को सोचने की जरूरत है।

निष्कर्ष- उपर्युक्त तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि एक और जहाँ बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय विधि के अन्तर्गत तथा भारत सहित विभिन्न राज्यों के संविधानों के अन्तर्गत बच्चों के व्यक्तित्व, मानसिक व शारीरिक विकास के लिए विभिन्न अधिकारों को सुनिश्चित किया

गया है, वहीं व्यापक स्तर पर विश्व के सभी राज्यों में बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है। आज बच्चे अशिक्षा, कुपोषण आदि के शिकार हैं। बाल श्रमिकों की संख्या लाखों – करोड़ों में है। भारत में भी बाल अधिकारों का व्यापक स्तर पर उल्लंघन हो रहा है। भारत के समक्ष बाल अधिकारों के क्रियान्वयन में कई चुनैयातियाँ व बाधाएं है। बच्चों का यौन शोषण व्यापक स्तर पर हो रहा है। ऐसी स्थिति में बच्चों के अधिकारों को सुनिश्चित करने में एक ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है और यह तभी संभव है जबकि सिविल सोसाइटी इस संदर्भ में अहम भूमिका निभा सकती है और सरकार को और अधिक उत्तरदायी बनने की आवश्यकता है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची-

1. तनेजा, डॉ. पुष्प लता, मानवाधिकार और बाल शोषण, प्रभात प्रकाशन, आगरा 2019, पृ.सं. 127
2. सिंघल, एससी, मानवाधिकार अध्ययन, लर्न बुक्स प्रकाशन, आगरा, 2020, पृ.सं. 39
3. सावंत, सत्यनारायण, भारत में मानवाधिकार, पेंगुइन प्रकाशन, नई दिल्ली, 2016, पृ.सं. 84
4. चौधरी, डॉ. महेंद्र, मानवाधिकार और सामाजिक न्याय, चित्रा प्रकाशन, इंदौर, 2020, पृ.सं. 146
5. पारेख, डॉ. प्रियांशी, मानवाधिकार शिक्षा एवं समाज, कल्पास प्रकाशन, नई दिल्ली, 2019, पृ. सं. 18
6. मीणा, डॉ. जनक सिंह, मानवाधिकार संकल्पना एवं यथार्थ, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, जयपुर।

UGC Journal No. (Old) 40942,
Peer- Reviewed Research Journal
Impact Factor 5.125 (IIFS) ISSN 0973-3914
Vol.- 37, Hindi Edition, Year-19, July - Dec. 2022

भारत में रोजगार की प्रवृत्तियाँ : महिलाओं के विशेष संदर्भ में

• कुमुद श्रीवास्तव

सारांश- वर्ष 2017-18 से 2019-20 में भारत में रोजगार के विभिन्न आयामों का अध्ययन करने से जो प्रवृत्तियाँ है वे बताती है कि महिलाओं ने रोजगार के क्षेत्र में भी अपनी भागीदारी को बढ़ाया है। घरेलू कर्तव्यों में महिलाओं की उच्च भागीदारी है। महिलाओं द्वारा किये जा रहे अवैतनिक कार्यो को पर्याप्त मूल्यांकन की आवश्यकता है। महिलाओं के सभी क्षेत्र में रोजगार को बढ़ाने के लिये एक स्वच्छ वातावरण बनाना भी जरूरी है। आधी आबादी के लिये समुचित नीतियां निर्धारित करने से ही देश विकास की ओर अग्रसर होगा। पर्याप्त वेतन और स्वरोजगार पैदा करना समावेशी विकास की दिशा में सरकार का प्रमुख उद्देश्य रहा है चूंकि रोजगार बाजार में उम्मीद के मुताबिक चीजें नहीं मिल रही है, इसलिये हाल के दिनों में ''बेरोजगारी विकास'' के मुद्दे पर बढ़ती बहस को देखा जाता है कि रोजगार की स्थिति और बेरोजगारी के संबंध में गुणवत्ता के आंकड़ों की कमी के कारण यह स्थिति देश में बदतर हो गयी है। इसीलिये सरकार ने 2017-18 में आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण Periodic Labour Force Survey (PLFS) नामक एक नया नियमित रोजगार सर्वेक्षण शुरू किया। PLFS आंकलनों के आधार पर 2017-18 और 2018-19 के लिये ग्रामीण शहरी क्षेत्रों के लिये सभी आयु वर्ग के लिये पुरूष महिला के संबंध में कुल श्रम बल, रोजगार और बेरोजगारी के 'आंकड़े' विभिन्न पहलुओं को स्पष्ट करते है।

मुख्य शब्द -के लैंगिक आयाम, रोजगार की स्थिति, कौशल विकास, उद्योगवार रोजगार

शोध के उद्देश्य -

1. भारत रोजगार के क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति का अध्ययन।
2. भारत में रोजगार की स्थिति।
3. कौशल विकास के द्वारा किये गये कार्यो का अध्ययन।
4. उद्योगवार महिलाओं का रोजगार की स्थिति।

शोध प्रविधि- प्रस्तुत शोध पत्र में शोध क्षेत्र भारत देश में रोजगार के क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति का अध्ययन किया गया है। शोध समयावधि 1991 से 2021 तक की अवधि है। विश्लेषण हेतु द्वितीयक समंकों का प्रयोग किया गया है।

• प्राध्यापक अर्थशास्त्र विभाग, शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

रोजगार के लैंगिक आयाम- तेजी से आर्थिक विकास और धन सृजन, श्रम बाजार में लैंगिक समानता की उपस्थिति को प्राप्त करने के लिये, स्मार्ट अर्थशास्त्र माना जाता है, लैंगिक समानता घरेलू आय में वृद्धि, बच्चों के स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर खर्च, बचत, निवेश और उपभोग वृद्धि में सुधार के माध्यम से देश की गरीबी, असमानता और आर्थिक कल्याण पर प्रभाव डालने की क्षमता रखता है। विश्व विकास रिपोर्ट 2011 (विश्व बैंक) के अनुसार वैश्वीकरण के युग में कोई भी देश अपनी पूर्ण क्षमता विकसित नहीं कर सकता है, जबकि उसकी आधी आबादी (यानी महिलाएं) गैर-पराश्रमिक कम उत्पादकता, और आर्थिक गतिविधियों से परे हो। देश में इस पहलू से संबंधित नवीनतम तथ्य (2018-19) स्पष्ट करते हैं कि -

- 2018-19 में उत्पादक आयु (15-59 वर्ष) में महिलाओं की LFPR (श्रम बल भागीदारी दर) पुरूषों (शहरी एवं ग्रामीण) की 80.3 प्रतिशत की तुलना में 26.5 प्रतिशत थी।
- जबकि 54.7 प्रतिरूप शहरी महिलाओं को नियमित वेतन एवं वेतन भोगी श्रेणी में नियुक्त किया गया था, लगभग 59.6 प्रतिशत ग्रामीण महिलाएं न केवल स्वरोजगार थी बल्कि उनमें से 37.9 प्रतिशत घरेलू उद्यमों में सहायक थी।
- कम महिला LFPR, घरेलू कर्तव्यों में महिलाओं (15 वर्ष और अधिक आयु वाली) की उच्च भागेदारी थी (ग्रामीण क्षेत्र में 55.7 प्रतिशत और शहरी क्षेत्र में 59.1 प्रतिशत)

NSO के टाइम यूज सर्वे (TUS) के अनुसार 2019 के दौरान (जनवरी-दिसम्बर), हम उस समय का पालन करते हैं जो एक महिला द्वारा अवैतनिक सेवाओं पर खर्च किया जाता है और घर के सदस्यों के लिये अवैतनिक देखभाल करने वाली सेवाएं 24 घंटे की समयावधि में पुरूष समकक्षों की तुलना में प्रमुख और उच्चतर होती है और इसकी प्रमुख विशेषतायें थी-

- महिलाओं द्वारा प्रदान की जाने वाली अवैतनिक घरेलू और देखभाल करने वाली सेवाएं, उनके शिक्षा के स्तर से प्रभावित नहीं है यहां तक कि माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा के साथ महिलाओं ने अवैतनिक घरेलू सेवाओं में 295 मिनट बिताए और अवैतनिक सेवाओं में 146 मिनट।
- अर्थव्यवस्था में एक सहयोग के संबंध में उत्पादक आयु वर्ग की महिलाओं ने अवैतनिक और SNA गतिविधि में 337 मिनट बिताए, जबकि पुरूषों में यह केवल 41 मिनट ही था। इसी प्रकार, वैतनिक गतिविधियों मेकं 305 मिनट बिताए जबकि यह महिलाओं में केवल 68 मिनट ही था।

रोजगार की स्थिति- संगठित तथा असंगठित क्षेत्र मे औपचारिक-अनौपचारिक रोजगार वर्ष 2019-20 में शामिल हुये अतिरिक्त श्रमिकों में से करीब 90 प्रतिशत रोजगार की अनौपचारिक प्रकृति में थे और 98 प्रतिशत से अधिक असंगठित क्षेत्र में थे। लगभग 91 प्रतिशत अतिरिक्त कर्मचारी असंगठित-अनौपचारिक क्षेत्र में थे।

संगठित तथा असंगठित क्षेत्र में औपचारिक-अनौपचारिक रोजगार (पी.एस./एस.एस.) (करोड़ में)

रोजगार की प्रकार	संगठित	असंगठित	कुल योग
2017-18			
औपचारिक	4.43	0.28	4.70
अनौपचारिक	4.62	37.79	42.43
योग	0.95	38.07	47.13
2018-19			
औपचारिक	4.91	0.45	5.35
अनौपचारिक	4.55	38.87	43.43
योग	9.46	39.32	48.78
2019-20			
औपचारिक	5.09	0.80	5.89
अनौपचारिक	4.46	43.19	47.64
योग	9.55	43.99	53.53

स्रोत - पी.एल.एफ.एस. वर्ष 2017-18, 2018-19 तथा 2019-20 सर्वेक्षण का उपयोग करके अनुमानित।

कौशल विकास- जनसांख्यिकीय लाभांश को खोलने के लिये जनसंख्या में कौशल स्तर को बढ़ाने के लिये कई कदम उठाए गए। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पी.एल.एफ.एस.) 2019-20 से पता चलता है कि युवाओं (उम्र 15-29 वर्ष) तथा कामकाजी जनसंख्या (आयु 15-59 वर्ष) के बीच औपचारिक व्यावसायिक/तकनीकी प्रशिक्षण में वर्ष 2018-19 की तुलना में 2019-20 में सुधार हुआ है। कौशल में सुधार ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों में पुरूषों के साथ साथ महिलाओं के लिये हुआ है। हालांकि पुरूषों और महिलाओं के लिये औपचारिक प्रशिक्षण शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में कम है।

औपचारिक व्यावसायिक/तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्तियों का वितरण (प्रतिशत में)

आयु वर्ग	ग्रामीण			शहरी			सम्पूर्ण भारत		
	पुरूष	महिला	कुल	पुरूष	महिला	कुल	पुरूष	महिला	कुल
2017-18									
15-29 वर्ष	2.0	1.3	1.7	4.6	4.2	4.4	2.8	2.2	2.5
15-59 वर्ष	1.5	0.9	1.2	4.0	3.3	3.7	2.3	1.7	2.0
2018-19									
15-29 वर्ष	2.4	1.5	2.0	4.8	4.6	4.7	3.2	2.5	2.8
15-59 वर्ष	1.8	1.1	1.5	4.9	3.9	4.4	2.8	2.0	2.4
2910-20									
15-29 वर्ष	3.1	2.7	2.0	7.0	6.5	6.8	4.3	3.8	4.1
15-59 वर्ष	2.2	1.7	2.0	6.3	5.4	5.8	3.5	2.9	3.2

स्रोत - वार्षिक पी.एल.एफ.एस. रिपोर्ट वर्ष 2017-18 से 2019-20

तिमाही रोजगार सर्वेक्षण की पहली तिमाही (अप्रैल-जून 2021) की रिपोर्ट के अनुसार, प्रमुख नौ क्षेत्रों में न्यूनतम 10 श्रमिकों को रोजगार देने वाले प्रतिष्ठानों के संबंध में, अनुमानित प्रतिष्ठानों में से 17.9 प्रतिशत औपचारिक कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। आई.टी./बी.पी.ओ. जैसे क्षेत्रों ने 29.8 प्रतिशत अनुमानित प्रतिष्ठानों में कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया, इसके बाद 22.6 प्रतिशत वित्तीय सेवाएं तथा 21.1 प्रतिशत शिक्षा क्षेत्र के प्रतिष्ठान है। इसके अतिरिक्त, लगभग 24.3 प्रतिशत अनुमानित प्रतिष्ठान 'ऑन-द-जॉब'

प्रशिक्षण प्रदान करते हैं, जो आई.टी./बी.पी.ओ. क्षेत्र (प्रतिष्ठानों का 36.1 प्रतिशत) तथा वित्तीय सेवा क्षेत्र (34.8 प्रतिशत) में अधिक है।

औपचारिक कौशल विकास प्रशिक्षण तथा रोजगार प्रशिक्षण प्रदान करने वाले अनुमानित प्रतिष्ठानों का क्षेत्रवार प्रतिशत विवरण (प्रतिशत में)

क्षेत्र	कौशल प्रशिक्षण	'ऑन-द-जॉब' प्रशिक्षण
आई.टी./बी.पी.ओ.	29.8	36.1
वित्तीय सेवाएं	22.6	34.8
शिक्षा	21.1	22.1
स्वास्थ्य	20.2	24.0
उत्पादन	17.4	28.3
निर्माण	15.5	26.0
परिवहन	13.0	20.6
व्यापार	11.2	17.4

उद्योगवार रोजगार- भारत में उद्योग वार रोजगार (पी.एस./एस.एस.) से स्पष्ट है कि जोड़े गये श्रमिकों से पता चलता हे कि 71 प्रतिशत से अधिक कृषि क्षेत्र में थे। कृषि क्षेत्र में नए कामगारों में महिलाओं की संख्या लगभग 65 प्रतिशत है। व्यापार, होटल तथा रेस्तरां क्षेत्र में नए श्रमिकों का 22 प्रतिशत से थोड़ा अधिक हिस्सा था, जो पिछले वर्ष की प्रवृत्ति के अनुरूप था, जहां यह क्षेत्र 28 प्रतिशत से अधिक नए श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करता था। निर्माण की हिस्सेदारी वर्ष 2018-19 में जोड़े गये नये श्रमिकों के 5.65 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2019-20 में जोड़े गये नये श्रमिकों के लगभग 2.41 प्रतिशत हो गई, और इसी तरह निर्माण का हिस्सा 26.26 प्रतिशत से 7.36 प्रतिशत हो गया।

भारत में उद्योग-वार रोजगार (पी.एस.+एस.एस.) (करोड़ में)

वर्ष/क्षेत्र	ग्रामीण			शहर			योग		
	पुरूष	महिला	कुल	पुरूष	महिला	कुल	पुरूष	महिला	कुल
2018-19									
कृषि	12.97	6.01	18.98	0.62	0.26	0.88	13.58	6.27	19.86
खनन और उत्खनन	0.10	0.02	0.11	0.08	0.01	0.08	0.17	0.02	0.20
उत्पादन	1.78	0.76	2.54	2.77	0.81	3.58	4.55	1.57	6.12
बिजली, पानी आदि	0.10	0.02	0.11	0.15	0.02	0.17	0.25	0.03	0.28
निर्माण	3.75	0.51	4.26	1.47	0.14	1.60	5.22	0.64	5.86
व्यापार, होटल और रेस्तरां	2.39	0.36	2.75	3.19	0.46	3.64	5.57	0.82	6.39
परिवहन, भंडारण और संचार	1.32	0.02	1.33	1.54	0.12	1.66	2.86	0.14	2.99
अन्य सेवाएं	1.95	0.77	2.72	2.82	1.51	4.33	4.77	2.28	7.05
कुल							36.97	11.78	48.76
2019-20									
कृषि	14.10	8.18	22.28	0.67	0.32	0.99	14.77	8.51	23.27
खनन और उत्खनन	0.08	0.00	0.08	0.07	0.00	0.07	0.14	0.01	0.15
उत्पादन	1.86	0.79	2.65	2.70	0.88	3.59	4.56	1.67	6.24
बिजली, पानी आदि	0.13	0.01	0.14	0.19	0.02	0.21	0.31	0.03	0.35
निर्माण	3.82	0.61	4.42	1.60	0.19	1.79	5.42	0.80	6.22
व्यापार, होटल और रेस्तरां	2.34	0.40	2.74	3.85	0.88	4.73	6.19	1.28	7.47
परिवहन, भंडारण और संचार	1.37	0.02	1.40	1.61	0.14	1.75	2.99	0.16	3.15
अन्य सेवाएं	1.78	0.79	2.57	2.64	1.50	4.13	4.42	2.29	6.71
कुल							38.80	14.75	53.55

स्रोत - पी.एल.एफ.एस. वर्ष 2018-19 तथा 2019-20 सर्वेक्षण का उपयोग करके अनुमानित

वार्षिक पी.एल.एफ.एस. आंकड़ा का उपयोग करके रोजगार में दीर्घकालिक प्रवृत्ति- आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पी.एल.एफ.एस.) 2019-20 (जुलाई 2019 से जून 2020 तक की सर्वेक्षण अवधि) के दौरान, सामान्य स्थिति में रोजगार का विस्तार जारी रहा। वर्ष 2018-19 तथा 2019-20 के बीच, लगभग 4.75 करोड़ अतिरिक्त व्यक्ति कार्यबल में शामिल हुए। यह वर्ष 2017-18 तथा 2018-19 के बीच सृजित रोजगार से लगभग तीन गुना अधिक है। शहरी क्षेत्र की तुलना में ग्रामीण क्षेत्र ने इस विस्तार में बहुत अधिक योगदान दिया। (ग्रामीण क्षेत्र में 3.45 करोड़ तथा शहरी क्षेत्र में 1.30 करोड़)। इसके अलावा, अतिरिक्त कामगारों में 2.99 करोड़ महिलाएं (63 प्रतिशत) थी। वर्ष 2019-20 में शामिल हुए अतिरिक्त श्रमिकों में से लगभग 65 प्रतिशत स्वरोजगार वाले थे। स्व-रोजगार के रूप में शामिल होने वाली लगभग 75 प्रतिशत महिला 'अवैतनिक पारिवारिक श्रमिक' थी। अतिरिक्त श्रमिकों में से लगभग 18 प्रतिशत अनियमित मजदूर थे तथा 17 प्रतिशत 'नियमित वेतन/वेतन भोगी कर्मचारी' थे। वर्ष 2019-20 में बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या में भी 23 लाख की कमी आई, जिसका गठन मुख्यत: ग्रामीण क्षेत्र के पुरूषों द्वारा किया गया।

वर्ष 2017-18 से 2019-20 के लिये श्रम बल, रोजगार तथा बेरोजगारी का अनुमान (सभी आयु, पी.एस.+एस.एस., करोड़ में)

वर्ष/क्षेत्र	ग्रामीण			शहर			योग		
	पुरूष	महिला	कुल	पुरूष	महिला	कुल	पुरूष	महिला	कुल
2017-18									
श्रम बल	25.48	8.67	34.15	13.25	3.57	16.82	38.73	12.24	50.97
रोजगार	23.91	7.70	31.61	12.39	3.15	15.53	36.29	10.85	47.14
बेरोजगारी	1.57	0.97	2.54	0.86	0.42	1.29	2.44	1.39	3.83
2018-19									
श्रम बल	25.77	8.77	34.54	13.60	3.68	17.28	39.37	12.45	51.82
रोजगार	24.37	8.46	32.83	12.64	3.31	15.96	37.01	11.77	48.78
बेरोजगारी	1.40	0.31	1.71	0.96	0.37	1.33	2.36	0.68	3.04
2019-20									
श्रम बल	26.64	11.12	37.76	14.23	4.35	18.58	40.87	15.47	56.34
रोजगार	25.45	10.81	36.26	13.32	3.95	17.27	38.77	14.76	53.53
बेरोजगारी	1.18	0.32	1.50	0.91	0.40	1.31	2.09	0.72	2.81

स्रोत-पी.एल.एफ.एस. वर्ष 2017-18, 2018-19 तथा 2019-20 सर्वेक्षण का उपयोग करते हुये सर्वेक्षण अनुमान।अनुमान लगभग में है।

देश के वर्तमान रोजगार के लैंगिक आयाम, रोजगार की स्थिति, कौशल विकास, उद्योगवार रोजगार तथा सरकार द्वारा इसके विकास के लिये हाल ही में उठाए गए कदमों को इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है। ग्रामीण, शहरी और लिंग आधारित वर्गीकरण में आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) के वार्षिक चक्र में कुशल लोगों के अनुपात में सुधार हुआ है। हालांकि, कौशल अर्जन का स्तर कम रहा है क्योंकि 15-59 वर्ष आयु वर्ग के 2.4 प्रतिशत कार्यबल ने औपचारिक व्यवसायिक/ तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त किया है और इसके अलावा अन्य 8.9 प्रतिशत कार्यबल ने अनौपचारिक स्रोतों से प्रशिक्षण प्राप्त किया है।

अनौपचारिक प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले 8.9 प्रतिशत कार्यबल में सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की है जिन्होंने काम करते हुये प्रशिक्षण (3.3 प्रतिशत) प्राप्त किया है, उसके बाद अपने प्रयासों से सीखने वाले लोग (2.5 प्रतिशत) तथा वंशानुगत स्रोतों (2.1

प्रतिशत) और अन्य स्रोतों से सीखने वाले लोग 1 प्रतिशत हैं। उन लोगों में से जिन्होंने औपचारिक प्रशिक्षण प्राप्त किया, पुरूष एवं महिला दोनों ने अधिकांशतः IT-ITeS का प्रशिक्षण कोर्स का चयन किया है। इलेक्ट्रिकल पावर और इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, पूंजीगत माल सामरिक विनिर्माण ओटोमेटिव आदि। 2018-19 में लगभग 51.8 करोड़ श्रमिक थे (48.8 करोड़ नियोजित और 3 करोड़ रोजगार थे) 2017-19 के बीच लगभग 0.85 करोड़ बढ़े (0.46 करोड़ शहरी क्षेत्र से और ग्रामीण क्षेत्र से 0.39 करोड़) लिंग संरचना में कार्यबल बढ़ा है - 0.64 करोड़ पुरूष और 0.21 करोड़ महिलाएं। 2017 से 19 के बीच अनियोजित व्यक्तियों की संख्या में कमी लगभग 0.79 करोड़ थी, महिलाओं की अधिकतर संख्या ग्रामीण क्षेत्र से थी। महिला श्रमिक बल सहभागिता दर 2017-18 में 17.5 प्रतिशत से बढ़कर 2018-19 में 18.6 प्रतिशत हो गया।

कार्यरत कर्मचारियों का उद्योगवार अनुमान -

- 21.5 करोड़ व्यक्ति कृषि में कार्यरत (42.5 प्रतिशत कार्यबल वाले सबसे बड़े नियोक्ता)
- अन्य सेवाओं में लगभग 6.4 करोड़ व्यक्ति लगे हैं। (13.8 प्रतिशत)
- विनिर्माण और व्यापार, होटल, रेस्टरा में लगभग 5.9 करोड़ लोग नियोजित (क्रमशः 12.1 प्रतिशत और 12.5 प्रतिशत की हिस्सेदारी)
- निर्माण उद्योग में लगभग 5.7 करोड़ लोग नियोजित (12.1 प्रतिशत हिस्सेदारी
- कुल नियोजित व्यक्तियों में लगभग 25 करोड़ अनियोजित (52 प्रतिशत श्रम बल), 12.2 करोड़ नियमित मजदूरी/वेतन पाने वाले कर्मचारी तथा 11.5 करोड़ अनियमित कामगार।

स्वरोजगारी अभी भी स्वरोजगार के साथ रोजगार का प्रमुख स्रोत है। नियमित मजदूरी वेतन पाने वाले कर्मचारियों के अनुपात में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र दोनों में पुरूष एवं महिलाएं दोनों में वृद्धि देखी गयी। शहरी महिलाओं में यह वृद्धि अधिक थी जो 2017-18 में 52.1 प्रतिशत की तुलना में 2018-19 में 54.7 बढ़ गयी। यह नियोजन की गुणवत्ता के सुधार को इंगित करता है। इसके साथ ही अनियमित मजदूरी के अनुपात में गिरावट देखी गयी जो शहरी महिलाओं के मामले में अधिक थी, 2017-18 में शहरी महिलाओं का प्रतिशत 13.1 प्रतिशत था जबकि 2018-19 में यह दर 10.7 प्रतिशत था, इसकी तुलना में 2017-18 में पुरूषों के लिये 15.1 प्रतिशत था जो वर्ष 2018-19 में 14.2 प्रतिशत हो गया। महिलाओं की रोजगार की प्रवृत्ति का विश्लेषण करने से यह बात स्पष्ट रूप से दिखलायी देती है कि महिलाओं के द्वारा घर में किये कार्यों का मूल्यांकन करने के लिये अभी भी किसी उचित प्रणाली को विकसित नहीं किया गया है। विश्लेषण के आधार पर सरकार की नीति निर्धारण हेतु कुछ प्रमुख उपायों को शामिल किया जाना चाहिए -

- महिलाओं के द्वारा घरेलू स्तर पर किये जा रहे कार्यों का पर्याप्त मूल्यांकन होना चाहिए।
- कौशल विकास हेतु मोहल्लों के बीच में विभिन्न कार्यों से संबंधित कौशल विकास केन्द्रों की स्थापना की जानी चाहिए। जिससे महिलायें आसानी से खाली समय में प्रशिक्षण प्राप्त कर स्वरोजगार की ओर अग्रसर हो सके।
- उद्योगवार महिलाओं को रोजगार हेतु प्रेरित करने के लिये देश में ऐसे वातावरण का

निर्माण किया जाना चाहिये जिससे महिलाओं को किसी क्षेत्र में रोजगार करने में असुरक्षा न महसूस हो।

संदर्भ ग्रन्थ सूची -

- Economic Survey, 2016-17, Mof, Gol, N. Delhi Vol. 01 P-162
- Economic Survey 2020-21. Vol.2, P. 335-41, Ministry of Finance, Gol. N. Delhi.
- Ministry of Labour and Employment, Gol. N. Delhi March 2017

UGC Journal No. (Old) 40942,
Peer- Reviewed Research Journal
Impact Factor 5.125 (IIFS) ISSN 0973-3914
Vol.- 37, Hindi Edition, Year-19, July - Dec. 2022

पंचायतीराज अधिनियम का प्रभाव महिला नेतृत्व एवं सामाजिक जागरुकता (सीधी जिले की त्रिस्तरीय पंचायतों के विशेष संदर्भ में)

• शिखा पाण्डेय
•• अखिलेश शुक्ल

सारांश- देश में महिलाओं की स्थिति, खासकर ग्रामीण समाज के पिछड़े तबके से आती हैं, दयनीय है। बच्ची अपने जन्म के पहले से ही भेदभाव का शिकार होती हैं और जन्म के बाद भी उनके साथ खान-पान, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं आदि के मामलों में भेदभाव किया जाता है और किशोरावस्था आते-आते उनकी शादी कर दी जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों की ज्यादातर महिलाओं को खाना पकाने, पानी लाने, बच्चों को स्कूल भेजने, जानवरों को चारा देने, गाय दुहने जैसे कम दृष्टिगोचर काम करने पड़ते हैं। जबकि, पुरुषों के हिस्से ऐसे काम होते हैं जो अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं, जैसे- दूध की बिक्री, खेती करना और खेती के उत्पाद बेचकर धन कमाना। अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं की स्थिति भी ठीक नहीं। वे केवल अल्पसंख्यक ही नहीं होतीं बल्कि वे हासिए पर पड़े बहुसंख्यक समुदाय के भी अंग होती हैं। परिवार के अहम फैसलों में उनकी कोई इच्छा नहीं पूछी जाती और सामाजिक कामों में भी उन्हें भाग लेने के अवसर नहीं दिए जाते और इस प्रकार समाज से मिलने वाले लाभों में उनकी भागीदारी बराबर की नहीं होती।

मुख्य शब्द - नेतृत्व, सामाजिक जागरुकता, शासन तंत्र, पंचायत

प्रस्तावना- भारतीय संदर्भ में जहां हर प्रकार के शासन तंत्र में आरंभ से ही पंचायत का महत्व सर्वोपरि रहा है तथा उसके निर्णयों को सर्वमान्य मानते हुए किसी ने भी उनका विरोध किसी स्तर पर नहीं किया है, इस बात का द्योतक है कि पंचायत व्यवस्था एक ठोस और परिपक्व सामाजिक व्यवस्था के रूप में भारतीय जनमानस में व्याप्त रही है। विदेशी कुशासन के कुछ अन्तराल के पश्चात् इस व्यवस्था का पुनरुत्थान लोकतांत्रिक भारत में पंचायतीराज व्यवस्था की स्थापना एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम रहा है। इस प्रकार स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज्य की महती अवधारणा को मूर्त रूप देने की ओर अग्रसर होने के लिए भी इस कदम को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए। इसी अवधारणा को कार्यान्वित करने एवं ग्रामीण समाज को स्वावलम्बी बनाने के उद्देश्य से 1950 के दशक में सामुदायिक विकास योजनाओं को लागू किया गया। किन्तु इन

• शोध छात्रा, समाजशास्त्र, अ.प्र.सिंह विश्वविद्यालय रीवा (म.प्र.)
•• प्राध्यापक,समाजशास्त्र विभाग, शासकीय टी.आर.एस. महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

योजनाओं की असफलता के कारण भारत सरकार ने बलवंतराय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। इस समिति ने यह ठोस सुझाव दिया कि जब तक सत्ता का विक्रेन्दीकरण नहीं किया जाएगा और जनता की सक्रिय एवं सकारात्मक सहभागिता नहीं ली जाएगी तब तक ग्रामीण विकास में अपेक्षित सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती। समिति की इन्हीं अनुशंसाओं के तहत 1994 में म.प्र. में त्रिस्तरीय लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण किया गया। अर्थात् जिला स्तर पर जिला पंचायत तथा तहसील स्तर पर जनपद पंचायत एवं ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायतों का गठन किया गया। अध्ययन का मूल उद्देश्य इस त्रिस्तरीय व्यवस्था में महिला नेतृत्व की सामाजिक कल्याण में भूमिका का अन्वेषण करना है। इस हेतु सीधी जिले का चयन किया गया है। पुरुष और स्त्री सामाजिक जीवन रूपी गाड़ी के दो पहिए होते हैं। उनमें किसी एक के अभाव में यह गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती। राष्ट्र की नारियाँ पत्नी के रूप में पुरुष को साहस प्रदान करती हैं। माता के रूप में भावी सन्तति को उस प्रकार शिक्षित करती हैं जिससे कि वे आत्म सम्मान, स्वतंत्रता और श्रेष्ठ आचरण का अनुगमन कर आदर्श नागरिक बन सकें। इन्हीं कारणों से हमारे समाज में नारियों को दुर्गा, सरस्वती व लक्ष्मी मानकर आराधना की जाती रही है। यह सब स्थिति बैदिक काल तक रही, कालान्तर में मध्ययुग के प्रारम्भ से स्त्रियों की स्थिति काफी गिरती गई। ब्रिटिश काल में कुछ समाज सुधारकों द्वारा स्त्रियों की निम्न स्थिति में सुधार लाने का प्रयास किया गया। राष्ट्रीय आन्दोलन में शामिल होने के फलस्वरूप बढ़ी हुई चेतना ने स्त्रियों को समाज में आगे बढ़ाने का मौका दिया जिससे स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् नारियों को सभी प्रकार के अधिकार प्रदान किये गये। धीरे-धीरे वह अपनी पूर्ववत स्थिति की ओर तीव्रता से बढ़ रही हैं। डॉ0 कार्लेकर ने स्पष्ट लिखा है कि- ''कानून स्त्री को समानता का अधिकार दे चुका है। समान कार्य समान वेतन की व्यवस्था हमारे यहाँ है। आवश्यकता है कि योग्य कर्मठ स्त्रियों की जो आगे बढ़कर अपनी जगह पहचान लें उसे हासिल करें।'' गॉव भारत की आत्मा है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या का 72.2 प्रतिशत भाग गॉवों में निवास करता है। अत: भारत के विकास की कल्पना तब तक नहीं की जा सकती है जब तक गॉवों का विकास न हो। आजादी के बाद भारत में गॉवों के विकास को लिया गया। मध्यप्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से गॉवों के सर्वांगीण विकास का प्रयास किया गया है। इस विकास में संविधान का 73 वॉ संशोधन मील का पत्थर है जिसके द्वारा पंचायती राज में महिलाओं को सहभागिता मिली है। महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण किया गया है। यही कारण है कि आज महिलायें पंचायती राज में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रही हैं। प्रस्तुत अध्ययन के माध्यम से जहाँ एक ओर ग्रामीण महिलाओं की उभरती प्रतिभाओं को रेखांकित किया जायेगा, वहीं दूसरी ओर यह जानने का प्रयास भी किया जायेगा कि सामाजिक कल्याण में महिला जनप्रतिनिधियों की क्या भूमिका है? शिक्षा का विकास तथा प्रजातांत्रीकरण की प्रक्रिया के कारण आज महिलायें केवल घर की चहर दीवारी तक सीमित नहीं है। आज उनका योगदान जीवन के विविध क्षेत्रों में है मध्यप्रदेश में पंचायती राज के द्वारा गॉव के सारे अधिकार पंचायतों को दे दिये गये हैं। इन पंचायतों के द्वारा गॉव का विकास कितना हुआ है यह जानना इस अध्ययन का उद्देश्य है तथा इसकें ग्रामीण महिलाओं की क्या भूमिका है? इस अध्ययन के माध्यम से यह जानना भी है कि ग्रामीण महिलाओं के द्वारा ग्रामीण विकास के नेतृत्व प्रदान करने में कौन-कौन

सी बाधायें हैं तथा इन बाधाओं को किस प्रकार से दूर किया जा सकता है।

सीधी जिले का परिचय- सीधी मध्य प्रदेश के उत्तर-पूर्व छोर पर स्थित जिला है। इसका मध्य प्रदेश में एक ऐतिहासिक स्थान है। सीधी जिले का प्राकृतिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व है। सोन इस जिले की महत्वपूर्ण नदी है। यह नदी प्राकृतिक संपदा से भरपूर है। सिंगरौली (24 मई 2008 को सीधी जिला से अलग हुआ) बहुत बड़ा कोयला उत्पादन क्षेत्र है। इससे देश भर के कई उद्योग को कोयले की आपूर्ति की जाती है। यहीं पर विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्थित है, जिससे बहुत बड़े क्षेत्र में विद्युत की आपूर्ति होती है। सीधी जिला राज्य के उत्तर-पूर्वी सीमा पर 22'', 47''5' और 24.42''10'' उत्तर अक्षांश और 81:18''40 और 82''48''30 पूर्व देशांतर के मध्य स्थित है। सीधी जिला रीवा संभाग के 4 जिलों में से एक है।

Literature Review- पंचायती राज से सम्बंधित पूर्व में अनेक शोध हुए हैं। परन्तु पंचायती राज में महिला नेतृत्व की सामाजिक कल्याण में भूमिका से सम्बंधित अध्ययन सीमित रूप से किए गए हैं। इनमें से भी अधिकतर शोध केवल एक ही क्षेत्र में हुए हैं। इस शोध से सम्बंधित महत्वपूर्ण पूर्व के शोध साहित्य की कुछ समीक्षाएँ निम्नलिखित हैं- कौशिक, सुशीला (1993), वुमैन एण्ड पंचायतीराज, पुस्तक मे लेखिका ने पचांयती राज मे महिलाओ की भागीदारी संबंधी अध्ययन प्रस्तुत किया है। सुशीला कौशिक ने पचांयत राज तथा महिला सम्बन्धी अपनी पुस्तक में पंचायतीराज की पृष्ठभूमि तथा विभिन्न राज्यों की पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया है। भनौट, शिवकुमार (2000), ने ''राजस्थान में पंचायत व्यवस्था'' का अध्ययन किया है। यादव, सुभद्रा (2002) ने हरियाणा की पचांयतीराज संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी को विश्लेषित किया है। सिन्हा, अनिल किशोर (2004), पंचायती राज एण्ड एम्पावरमेंट ऑफ वुमैन, पुस्तक में लेखक ने महिला सहभागिता, विशेषकर लोकतन्त्र की तीसरी सरकार में, स्पष्ट करने का प्रयास किया है। जायसवाल, गुरूदयाल सिंह (2006), हरियाणा पंचायती राज एक्ट 1994, इस पुस्तक में लेखक ने हरियाणा राज्य की पंचायती राज व्यवस्था के तीनो स्तरों का सूक्ष्म दृष्टि से विश्लेषण किया है। सिंह, के. के. (2008), रोल ऑफ पंचायती राज इन्स्टीट्यूशन्स् इन रूरल डवलपमेन्ट, में लेखक द्वारा ग्रामीण विकास में पंचायती राज व्यवस्था के योगदान को स्पष्ट किया गया प्रभु आर. के. (2012), ने अपनी पुस्तक पंचायती राज में एम. के. गाँधी द्वारा अपने जीवनकाल में प्रकट किए गए ग्राम पंचायत एवं ग्राम स्वराज सबंधी विचारों का वर्णन किया है।

भारत ग्रामों का देश है। यहॉ की जनसंख्या का लगभग 65 प्रतिशत भाग ग्रामों में रहता है। महात्मा गांधी का विचार था कि असली भारत या भारत की आत्मा गॉवों में रहती है। महात्मा गांधी के समूचे चिंतन एवं दर्शन का केन्द्र गॉव ही रहे हैं। आज भी भारतीय गॉव एक ओर अशिक्षा, बेरोजगारी, भुखमरी रूढ़िवादिता से ग्रस्त हैं तो दूसरी ओर इन गॉवों में मूलभूत आवश्यक सुविधाएँ तथा चिकित्सा, संचार, विद्युत, पेयजल एवं शिक्षा का अभाव है। आज भी महती आवश्यकता है, कि विकास की समूची संरचना गॉव को केन्द्र मानकर की जानी चाहिए। दूसरे शब्दों में ''विकास की समस्त योजनाएँ ग्रामों से केन्द्र की ओर बनना अति आवश्यक है। पंचायत राज प्रजातंत्र और विकास में गॉवों की सहभागिता और सक्रियता को सर्वाधिक ताकतवर माना गया है। एकदम गांव से जुड़े जनप्रतिनिधि अपने

क्षेत्र की विकास योजनाओं और कार्यक्रमों में प्रभावशाली भूमिका निभा सकेंगें। इसी को अमली जामा पहनाने के लिए पंचायतीराज व्यवस्था की स्थापना की गई जिसमें नए खून का संचार हुआ 73वें संविधान संशोधन के बाद जिससे पंचायती संस्थाओं का स्वरूप और कार्यप्रणाली ही नहीं बदली उनकी, संरचना और कार्यकुशलता में क्रांतिकारी परिवर्तन आ गया। इसके पूर्व स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने संविधान कानून में कई नए और साहसिक प्रावधान जोड़कर पंचायती संस्थाओं को अधिकार संपन्न और सक्रिय बनाया। यह कहना अतिशियोक्ति न होगी कि 1993 में इस कानून के लागू हो जाने के बाद देश में सत्ता के विक्रेन्द्रीकरण की दिशा में एक नए युग का सूत्रपात हो गया। इससे जहॉ लोगों में सत्ता समीकरण में सदियों से चली आ रही जड़ता को तोड़ने में मदद मिली, वहीं नियमों में लचीलापन भी रखा गया ताकि स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप इनमें थोड़ा बहुत फेर-बदल करके कारगर ढंग से लागू किये जा सकें। इस संशोधन के लागू होने से पहले कई राज्यों में दशकों से पंचायतों के चुनाव नहीं हो रहे थे, लेकिन इसमें पॉच वर्ष बाद चुनाव प्रत्यक्ष चुनाव पद्धति से कराने की व्यवस्था की गई। यही नहीं पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव की देखरेख करने और मतदाता सूचियॉ बनाने के लिए स्वतंत्र चुनाव आयोग बनाया गया है। जिससे चुनावों पर राज्य सरकारों और सत्ताधारी वर्गों के प्रभाव को कम करने में मदद मिली है, किन्तु इस कानून की सबसे बड़ी विशेषता थी सभी पंचायतीराज संस्थाओं में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुरूप सीटों का आरक्षण। इससे भी बड़ा क्रांतिकारी प्रावधान था कुल सीटों की एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करना। सच तो यह है कि जब महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटों का प्रावधान किया गया था तो किसी ने नहीं सोचा था कि यही एक कदम ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण और गॉवों की स्थिति सुधारने के लिए इतना महत्वपूर्ण बन जाएगा। पिछले 30 वर्षों का अनुभव बताता है कि राजीव गांधी ने गॉवो के परम्परागत ढॉचे में उपेक्षित और वंचित वर्गों को सत्ता का भागीदारी बनाने का जो सपना देखा था वो सामाजिक दृष्टि से अत्यंत क्रांतिकारी सिद्ध हुआ है। निर्णय लेने की प्रक्रिया और सत्ता संचालन में भागीदारी मिलने से स्वयं महिलाओं का ही नहीं समूचे ग्रामीण क्षेत्र की काया पलट करने में मदद मिल रही है।

अध्ययन का उद्देश्य- पंचायतीराज व्यवस्था से समाज में क्या परिवर्तन आया है और महिलाओं की क्या भूमिका रही है यह प्रस्तुत शोध का उद्देश्य है।

अध्ययन की उपकल्पना- पंचायतीराज अधिनियम के परिणामस्वरुप शोध क्षेत्र की महिलाओं में सामाजिक जागरुकता बढ़ी है।

अध्ययन पद्धति- शोधार्थी ने अपने शोध विषय " पंचायतीराज अधिनियम का प्रभाव महिला नेतृत्व एवं सामाजिक जागरुकता" के अध्ययन के लिए सीधी जिले को शोध क्षेत्र के रूप में चयन किया जिसके अंतर्गत सीधी जिले के सभी पांचों विकासखण्डों कुसमी, मझौली, रामपुर नैकिन, सीधी एवं सिहावल में से प्रत्येक विकासखण्ड से महिला जनप्रतिनिधियों जिनमें से 50-50 महिला पंचों कुल 250 महिला पंचों, 20-20 महिला सरपंचों कुल 100 महिला सरपंचों, 08-08 महिला जनपद सदस्यों कुल 40 महिला जनपद सदस्यो तथा 02-02 महिला जिला पंचायत सदस्यों कुल 10 महिला जिला पंचायत सदस्यो को अपने शोध अध्ययन हेतु न्यादर्श में चयनित किया एवं सभी न्यादर्शों का चयन दैव

निदर्शन विधि से किया। इस प्रकार संपूर्ण शोध क्षेत्र से 400 उत्तरदाताओं से शोध अध्ययन की विषयवस्तु से संबंधित विभिन्न जानकारी साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से संकलित की तथा सारणीयन द्वारा वस्तुस्थिति की जानकारी प्राप्त की। शोधार्थी ने चयनित महिला जनप्रतिनिधियों से उनके जीवन व्यवहार और सामाजिक सम्बन्धों मे आए परिवर्तनों को जानने के लिए प्रश्न पूंछा क्या बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा जैसी सामाजिक समस्याओं मे कमी आयी है? प्राप्त उत्तरों को तालिका क्रमांक-01 मे दर्शाया गया है।

तालिका-01

बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा की जानकारी

महिला जनप्रतिनिधि	संख्या	बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा की समस्याएँ					
		कम हुई हैं		कम नहीं हुई है		नहीं पता	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
पंच	250	132	52.80	81	13.78	37	14.80
सरपंच	100	59	59.00	28	28.00	13	13.00
जनपद सदस्य	40	25	62.50	19	25.00	16	12.50
जिला पंचायत सदस्य	10	07	70.00	02	20.00	01	10.00
योग	400	223	55.75	121	30.25	56	14.00

प्राप्त उत्तरों से स्पष्ट होता है, कि महिला जनप्रतिनिधियों में से 52.80 प्रतिशत पंचों के अनुसार शोध क्षेत्र में बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा जैसी सामाजिक समस्याएँ कम हुई हैं, जबकि 32.40 प्रतिशत के अनुसार बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा जैसी सामाजिक समस्याएँ कम नहीं हुई है। तथा 14.80 प्रतिशत महिला पंचों ने इस सम्बंध में कोई जवाब नहीं दिया। इसी प्रकार 59.00 प्रतिशत सरपंच मानते हैं, कि शोध क्षेत्र में बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा जैसी सामाजिक समस्याएँ कम हुई हैं तथा 28.00 प्रतिशत सरपंचों ने माना कि अभी भी बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा की समस्याएँ बनी हुई हैं, तथा 13.00 प्रतिशत सरपंचों ने इस सम्बंध में स्पष्ट अभिमत नहीं दिया। इसी प्रकार 62.50 प्रतिशत जनपद सदस्यों ने कहा कि बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा जैसी सामाजिक समस्याओं में कमी आई हैं। कमी नहीं आयी है, कहने वाले जनपद सदस्य 25.00 प्रतिशत थीं, जबकि 12.50 प्रतिशत जनपद सदस्यों ने कहा कि इस सम्बंध में वह कुछ नहीं कह सकती। इसी प्रकार 70.00 प्रतिशत जिला पंचायत सदस्यों ने भी माना कि शोध क्षेत्र में बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा जैसी सामाजिक समस्याएँ कम हुई हैं तथा 20.00 प्रतिशत जिला पंचायत सदस्य मानती हैं, कि अभी भी शोध क्षेत्र मे बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा की समस्याएँ है, जबकि 10.00 प्रतिशत जिला पंचायत सदस्यों ने कहा कि इस सम्बंध मे वह कुछ नहीं कह सकती। इन आंकड़ों से स्पष्ट होता है, कि अधिकांश उत्तरदाताओं के अुनसार शोध क्षेत्र में बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा की समस्याएँ कम हुई हैं।

शोध क्षेत्र में रुढ़िवादिता एवं धर्मान्धता जैसी सामाजिक समस्याओं की वर्तमान स्थिति को जानने के लिए मैने प्रश्न पूंछा कि पंचायतीराज अधिनियम लागू होने के बाद क्या इस प्रकार की समस्याओं में कोई कमी आयी है? इसके उत्तर में प्राप्त आकड़ों को तालिका क्रमांक-2 में दर्शाया गया है।

तालिका- 02
रुढ़िवादिता एवं धर्मान्धता की जानकारी

महिला जनप्रतिनिधि	संख्या	रुढ़िवादिता एवं धर्मान्धता की समस्याएँ					
		कमी आई है		कमी नहीं आई है		नहीं पता	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
पंच	250	175	70.00	60	24.00	15	06.00
सरपंच	100	68	68.00	25	25.00	07	07.00
जनपद सदस्य	40	30	75.50	08	20.00	02	05.00
जिला पंचायत सदस्य	10	08	80.00	01	10.00	01	10.00
योग	400	281	70.25	94	23.50	25	06.25

प्राप्त उत्तरों से स्पष्ट होता है, कि महिला जनप्रतिनिधियों में से 70.00 प्रतिशत पंचों के अनुसार शोध क्षेत्र में रुढ़िवादिता एवं धर्मान्धता जैसी सामाजिक समस्याएँ कम हुई हैं, जबकि 24.00 प्रतिशत के अनुसार रुढ़िवादिता एवं धर्मान्धता जैसी सामाजिक समस्याएँ कम नहीं हुई है। तथा 06.00 प्रतिशत महिला पंचों ने इस सम्बंध में कोई जवाब नहीं दिया। इसी प्रकार 68.00 प्रतिशत सरपंच मानते हैं, कि शोध क्षेत्र में रुढ़िवादिता एवं धर्मान्धता जैसी सामाजिक समस्याएँ कम हुई हैं तथा 25.00 प्रतिशत सरपंचों ने माना कि अभी भी रुढ़िवादिता एवं धर्मान्धता की समस्याएँ बनी हुई हैं, तथा 07.00 प्रतिशत सरपंचों ने इस सम्बंध में स्पष्ट अभिमत नहीं दिया। इसी प्रकार 75.00 प्रतिशत जनपद सदस्यों ने कहा कि रुढ़िवादिता एवं धर्मान्धता जैसी सामाजिक समस्याओं में कमी आई हैं। कमी नहीं आयी है, कहने वाले जनपद सदस्य 20.00 प्रतिशत थीं, जबकि 05.00 प्रतिशत जनपद सदस्यों ने कहा कि इस सम्बंध में वह कुछ नहीं कह सकती। इसी प्रकार 80.00 प्रतिशत जिला पंचायत सदस्यों ने भी माना कि शोध क्षेत्र में रुढ़िवादिता एवं धर्मान्धता जैसी सामाजिक समस्याएँ कम हुई हैं तथा 10.00 प्रतिशत जिला पंचायत सदस्य मानती हैं, कि अभी भी शोध क्षेत्र मे रुढ़िवादिता एवं धर्मान्धता की समस्याएँ है, जबकि 10.00 प्रतिशत जिला पंचायत सदस्यों ने कहा कि इस सम्बंध मे वह कुछ नहीं कह सकती। इन आंकड़ों से स्पष्ट होता है, कि अधिकांश उत्तरदाताओं लगभग 70 प्रतिशत के अुनसार शोध क्षेत्र में रुढ़िवादिता एवं धर्मान्धता की समस्याएँ कम हुई है।

अपने अध्ययन के दौरान मुझे शोध क्षेत्र में हर वर्ग की महिला जनप्रतिनिधियों के साथ साक्षात्कार का अवसर प्राप्त हुआ इनमें से अधिकांश सामान्य वर्ग की जनप्रतिनिधियों ने कहा कि हम लोग विवाह आदि सामाजिक समारोह में शामिल होते हैं जहां अधिकांशतः युगल पूर्ण वयस्क ही रहते है साथ ही हम लोग कई प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भी जाते हैं, और सभी वर्ग की महिलाओं के साथ बैठकर खाना पीना एवं बात चीत करते हैं, कोई छुआ-छूत एवं पर्दा प्रथा की समस्या नहीं आती उनके अनुसार यह मस्याएं पहले से बनायी हुई है, और समय के साथ मिटती जाएंगी। साथ ही इनके अनुसार दलित बस्तियों में धार्मिक रुढ़िवादिता भी कम ही देखने को मिलती है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची-

1. अन्नू मेमन मजूमदार, सोशल वेलफेयर इन इण्डिया, बाम्बे एशिया, 1964
2. कौशिक, सुशीला, वुमैन एण्ड पंचायती राज, हर आनन्द पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 1993
3. कपूर, प्रमिला: कामकाजी भारतीय नारी बदलते जीवन मूल्य और सामाजिक स्थिति, अनुवादक-रमेश

नारायण तिवारी, राज पाल एण्ड संस, दिल्ली, 1976

4. गांधी, एम. के., ग्राम स्वराज, नवजीवन पब्लिशिंग हाऊस अहमदाबाद, 2014,पृ
5. ए.एस. अल्तेकर, प्राचीन भारतीय शासन पद्धतियां, भारतीय भण्डार, इलाहाबाद 1948
6. एम.एन. श्रीवास्तव इण्डियाज विलेज एशिया पब्लिशिंग हाउस, बाम्बे 1961
7. ओमन, टी.के.: पोलिटिकल लीडरशिप इन रुरल इण्डियन-इमेज एण्ड रियलिटि, एशियन सर्वे, वाल्यूम 9 (7), 1969
8. एस.एन.राना डे और पी.रामचन्द्रनः विमन एण्ड इम्प्लायमेन्ट, बॉम्बे टाटा इंस्टिटयूट ऑफ साइन्सेज, 1970
9. उषा मेहता : ''द इण्डियन विमेन एण्ड देयर पार्टीसीपेशन इन पालिटिक्स शोसल चेन्ज, वाल्यूम-8, नं.3, सितम्बर 1978.
10. महिपाल, पंचायतों में महिलाएँ: सीमाएं और सम्भावनाएं, सारांश प्रकाशन, नई दिल्ली, 1996।
11. भारत 2016 प्रकाशन केन्द्र भारत सरकार नई दिल्ली
12. श्रीवास्तव, अरूण कुमार, भारत मे पंचायती राज, आर.बी.एस.ए. पब्लिशर्स, जयपर, 1994, पृ. 7

UGC Journal No. (Old) 40942,
Peer- Reviewed Research Journal
Impact Factor 5.125 (IIFS) ISSN 0973-3914
Vol.- 37, Hindi Edition, Year-19, July - Dec. 2022

अंतर्राष्ट्रीय विधि के अन्तर्गत बच्चों के शिक्षा के अधिकारः भारत के संदर्भ में

•जगदीश प्रसाद
•• सर्वोत्तम कुमार

सारांश- देश में महिलाओं की स्थिति, खासकर ग्रामीण समाज के पिछड़े तबके से आती हैं, दयनीय है। बच्ची अपने जन्म के पहले से ही भेदभाव का शिकार होती हैं और जन्म के बाद भी उनके साथ खान-पान, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं आदि के मामलों में भेदभाव किया जाता है और किशोरावस्था आते-आते उनकी शादी कर दी जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों की ज्यादातर महिलाओं को खाना पकाने, पानी लाने, बच्चों को स्कूल भेजने, जानवरों को चारा देने, गाय दुहने जैसे कम दृष्टिगोचर काम करने पड़ते हैं। जबकि, पुरुषों के हिस्से ऐसे काम होते हैं जो अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं, जैसे- दूध की बिक्री, खेती करना और खेती के उत्पाद बेचकर धन कमाना। अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं की स्थिति भी ठीक नहीं। वे केवल अल्पसंख्यक ही नहीं होतीं बल्कि वे हासिए पर पड़े बहुसंख्यक समुदाय के भी अंग होती हैं। परिवार के अहम फैसलों में उनकी कोई इच्छा नहीं पूछी जाती और सामाजिक कामों में भी उन्हें भाग लेने के अवसर नहीं दिए जाते और इस प्रकार समाज से मिलने वाले लाभों में उनकी भागीदारी बराबर की नहीं होती।

मुख्य शब्द - मानवाधिकार, शिक्षा का अधिकार, सार्वलौकिक मानवाधिकार की घोषणा, भारतीय संविधान, अंतर्राष्ट्रीय बिल ऑफ राइट्स

प्रस्तावना- किसी भी सभ्य समाज में बच्चों का अधिकार समस्त मानवाधिकारों में सर्वप्रथम आता है। बच्चे अंतर्राष्ट्रीय समाज अथवा किसी राष्ट्र की प्रगति व उन्नति के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण सम्पत्ति होते हैं। बच्चों में निवेश न केवल बच्चों के परिवार के लिए भविष्य के सर्वोत्तम निवेश है, बल्कि सम्पूर्ण समाज व सभ्यता के उज्जवल भविष्य के लिए सर्वोत्तम निवेश है, और यह तभी संभव है जबकि बिना किसी भेदभाव के भारत सहित सभी विकाशसील व विकसित देशों के बच्चों को शिक्षा का अधिकार मिले। कल का विश्व कैसा होगा, इस बात पर निर्भर करता है कि बच्चों को किस प्रकार की शिक्षा मुहैया करायी जा रही है । शिक्षा ही एक ऐसा उपकरण है जो बच्चों को शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक तथा नैतिक रूप से विकास करने में मदद करता है,

• एसोशिएट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, टी.एम. भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर
•• शोध छात्र, राजनीति विज्ञान विभाग, टी.एम. भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर

साथ ही बच्चों में सर्वोत्तम गुणों के विकास में सहायता करता है, जो किसी भी सभ्य समाज के लिए वरदान साबित हो सकता है। यही कारण है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपने कई अभिकरणों व सार्वलौकिक मानवाधिकार की घोषणा (1948) के द्वारा बच्चों के अधिकारों की अभिवृद्धि व रक्षा के लिए, विशेष कर अनुच्छेद 26-29 के अन्तर्गत बच्चों के शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित किया ताकि पक्षकार राज्य अपने-अपने देश में बच्चों के शिक्षा के अधिकार की व्यवस्था कर सके। भारत एक ऐसा विकाशसील देश है जिसने अपने प्रगतिशील संविधान (1950) के अन्तर्गत राज्य के नीति-निदेशक तत्वों में बच्चों के शिक्षा के अधिकार का प्रावधान किया और 2002 में 86 वें संवैधानिक संशोधन के अन्तर्गत अनुच्छेद 21-। को समाविष्ट करते हुए तथा शिक्षा के अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 के द्वारा मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दिया गया जो कि बच्चों के शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम माना जा सकता है।

संयुक्त राष्ट्र संघ और बच्चों के मानवाधिकार- संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के साथ ही इसके संस्थापक सदस्य जिसमें भारत भी एक सदस्य था, ने यह समझ लिया था कि बच्चों के अधिकारों को अगर कोई समाज अवहेलना करता है तो इसका तात्पर्य है सामाजिक न्याय मानवीय मूल्यों का अभाव की विद्यमानता बच्चों का सर्वांगीण विकास व उनके सम्पूर्ण व्यक्तित्व का विकास शिक्षा के अधिकार के प्रावधान के बिना संभव नहीं है । इसलिए सार्वलौकिक मानवाधिकार घोषणा (1948) के अन्तर्गत अन्य अधिकारों सहित बच्चों के शिक्षा के अधिकार पर अनुच्छेद 26 में विशेष प्रावधान का उल्लेख है, जो निम्न रूप से है[1] -

1. प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा पाने का अधिकार है। शिक्षा कम से कम प्रारंभिक और मौलिक स्तर पर नि:शुल्क होगी और प्रारंभिक शिक्षा अनिवार्य होगी।
2. शिक्षा का लक्ष्य मानव व्यक्तित्व का पूर्ण विकास और मानव अधिकारों एवं मौलिक स्वंतत्रताओं की अभिवृद्धि व सुदृढ़ीकरण होगा।
3. माता-पिता को अपने बच्चों के लिए शिक्षा के प्रकार चुनने का अधिकार होगा।

उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु ही संयुक्त राष्ट्र संघ ने शिक्षा मानवाधिकार दशक (1995 से 2004) के रूप में घोषणा किया जिसमें विश्व के सभी बच्चों को शिक्षा देने की प्राथमिकता पर विशेष बल दिया गया। इसी प्रकार आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार पर प्रसंविदा (1966) के अनुच्छेद 10, 13 व 14 में बच्चों के शिक्षा के प्राथमिक शिक्षा व अधिकार पर बल दिया गया है और 14 साल के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य व नि:शुल्क प्रदान करने की बात कही गई है तथा माता-पिता को शिक्षा के प्रकार को चुनने की स्वतंत्रता की बात कही गई है। संयुक्त राष्ट्र की आम सभा ने 1989 में बच्चों के मानवाधिकार पर एक अभिसमय पारित किया जिसमें उनके विस्तृत अधिकारों की चर्चा है तथा अनुच्छेद 28 एवं अनुच्छेद 29 में बच्चों के शिक्षा के अधिकार पर विस्तृत उल्लेख है, जो संक्षेप में निम्न है-

अनुच्छेद (28)- इस अनुच्छेद में राज्य पक्षकार को अपने देश में बच्चों के शिक्षा को समान अवसर के आधार सुनिश्चित करने के लिए बाध्यकर ठहराया गया है तथा सभी के

लिए प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य व निःशुल्क उपलब्ध कराने की बात कही गई है । इस अनुच्छेद में राज्य पक्षकार को वैसे कदम उठाने की बात कही गई है जिससे स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति नियमित हो तथा स्कूल छोड़ने के दर में कमी आये । विकाशसील देशों में स्कूलों में बच्चों का ड्रॉप-आउट रेट अधिक देखने को मिलती है, खासकर शोषित, गरीब व आदिवासी परिवार के बच्चों में। उच्च शिक्षा तक सभी की पहुँच हो सके इस दिशा में राज्य पक्षकार को कदम उठाने की बात कही गई है । राज्य पक्षकार को निर्देश दिया गया है कि वे शिक्षा के मामलों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देंगे तथा प्रोत्साहित करेंगे, विशेष रूप से दुनिया भर में अज्ञानता और निरक्षरता के अन्मूलन में योगदान देंगे और वैज्ञानिक और (तकनीकी) ज्ञान की अभिवृद्धि में योगदान देंगे।

अनुच्छेद (29)- इस अनुच्छेद में भी राज्य पक्षकार को बच्चों के बेहतर शिक्षा के संबंध में दिशा-निर्देश दिया गया है। इस अनुच्छेद में निहित समस्त प्रावधानों का पालन करने के सम्बंध राज्य पक्षकार सहमत है। जैसे बच्चों के व्यक्तित्व, प्रतिभा, मानसिक और शारीरिक क्षमताओं का विकास उनकी पूरी क्षमता तक; मानव अधिकारों और मौलिक स्वंतत्रता के लिए सम्मान का विकास और संयुक्त राष्ट्र चार्टर में निहित सिद्धांतों के लिए; बच्चों के माता- पिता, उसकी अपनी सांस्कृतिक पहचान, भाषा और मूल्यों के लिए सम्मान का विकास, उस देश के राष्ट्रीय मूल्यों के लिए जिसमें बच्चे रह रहे हैं । इस अनुच्छेद में यह भी व्यवस्था की गई है कि वर्त्तमान अनुच्छेद या अनुच्छेद 28 के किसी भी भाग को इस तरह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह व्यक्तियों और निकायों की शैक्षिक संस्थानों को स्थापित करने और निर्देशित करने की स्वंतत्रता में हस्तक्षेप करें।[2]

उपर्युक्त तथ्य व प्रावधान समस्त विश्व के स्तर पर इन समस्त घोषणाओं का निर्विवाद क्रियान्वित करने के इरादे को प्रतिबिम्बित करता है। यह मानवाधिकार की राजनीति का विषय नहीं हो सकता है । अनुच्छेद 28 व 29 में अच्छी-अच्छी घोषणाएँ की गई है, लेकिन धरातल पर इन घोषणाओं का क्रियान्वयन व उपलब्धि अत्यंत ही सीमित व कठिन रहा है। यह चिंता का विषय है। इन घोषणाओं का लागू करने में सभी पक्षकार संवेदनशील नहीं है। इन आदर्श उद्देश्य की उपलब्धि संतोषजनक नहीं है। इस दिशा में प्रगति अत्यंत ही धीमी है। सम्पूर्ण विश्व में पचास सालों में साक्षरता दर में वृद्धि होने के बावजूद अभी भी 773 मिलियन से अधिक वयस्क अभी भी निरक्षर है, जिसमें अधिकांश महिलाएँ व बच्चे हैं। अरब और अफ्रीका राज्यों में 10 में से 8 बच्चे और एशिया में 10 में से 5 बच्चे न तो पढ़ सकते है और न लिख सकते है।[3]

जहाँ तक भारत की बात है देश की जनसँख्या का लगभग एक तिहाई जनसँख्या अशिक्षित है और स्कूल जाने वाले लगभग आधे बच्चे स्कूल से बाहर हो जाते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि सभी देश बिना किसी अपवाद के अधिक प्रयास के बावजूद निरक्षरता एवं स्कूल छोड़ने पर नियंत्रण नहीं कर पाया है । आज भी शिक्षा को लेकर लड़कों एवं लड़कियों के बीच भेदभाव विद्यमान है।

भारत में बच्चों की शिक्षा- भारत में बाल मानवाधिकार एवं बाल शिक्षा के अधिकार को लेकर हमारे संविधान निर्माता व नीति नियंता अत्यंत ही सजग थे। यही कारण है कि उन्होंने भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निदेशक तत्वों के

अन्तर्गत बाल मानवाधिकार एवं बाल शिक्षा के अधिकारों के सम्बंध में विभिन्न प्रावधान किये। हमारे संविधान पर सार्वलौकिक मानवाधिकार की घोषणा (1948) का व्यापक प्रभाव है, विशेषकर मौलिक अधिकार व शिक्षा के अधिकार के संदर्भ में। भारतीय संविधान के नीति निदेशक तत्वों के अन्तर्गत चौदह वर्ष के बच्चों की अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था से स्पष्ट होता है कि हमारे संविधान निर्माता बच्चों के भविष्य व विकास को लेकर काफी चिंतित थे।

भारतीय संविधान के भाग 4 के अन्तर्गत राज्य के नीति-निदेशक तत्व में बाल शिक्षा के सम्बन्ध में कई प्रावधान किये गए।[4] अनुच्छेद 45 के अन्तर्गत राज्य को यह निर्देश दिया गया है कि संविधान क्रियान्वयन से दस वर्ष के भीतर सभी बच्चों को चौदह साल होने तक अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करने का प्रत्यन करेगा।[5] तब से लेकर अगामी सरकार द्वारा 10 वर्ष की अवधि में वृद्धि करती रही है। अनुच्छेद 39 के अनुसार श्रमिकों, पुरुषों और महिलाओं के स्वास्थ्य और शक्ति तथा बच्चों की सुकुमार अवस्था का दुरूपयोग न हो और आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगार में न जाना पड़े जो उनकी आयु की या शक्ति के प्रतिकूल हो। बच्चों को स्वस्थ तरीके से तथा स्वतंत्र और गरिमा के साथ विकसित होने के अवसर प्राप्त हो तथा बचपन और युवा अवस्था का शोषण एवं नैतिक व भौतिक परित्याग के विरुद्ध संरक्षण प्राप्त हो।[6]

भारत राज्यों का एक संघ है और इसका स्वरूप संघीय है। संघ एवं राज्य के क्षेत्राधिकार संविधान द्वारा स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। शिक्षा के विषय आरम्भ में संघ के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत सम्मिलित था, लेकिन 1976 में शिक्षा को समवर्त्ती सूची में डाल दिया गया अर्थात इस विषय पर केन्द्र एवं राज्य दोनों सरकारों को कानून व नीति बनने का अवसर प्राप्त हो गया और भारत में केन्द्र एवं राज्य सरकारों ने अपने-अपने स्तर से बच्चों की शिक्षा की बेहतरी के लिए काफी सराहनीय कार्य किया है जिससे साक्षरता दर में आशातीत वृद्धि हुई है।[7] राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NPE) 1986 का लक्ष्य था "सभी के लिए शिक्षा" तथा 2000 तक प्राइमरी शिक्षा को सार्वलौकिक करने की प्रतिबद्धता।[8] जब 1989 में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सम्मलेन पारित हुआ तो भारत ने भी उस पर हस्ताक्षर किया तथा बच्चों के अधिकारों को इस सम्मलेन में उदघोषणा व निहित प्रावधानों के अनुकूल उनके अधिकारों को सुनिश्चित करने के प्रति विशेषकर शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करने के प्रति भारत ने अपनी प्रतिबद्धता जतायी। सरकार ने राष्ट्रीय व राज्य कानूनों की समीक्षा करने और कन्वेंशन के प्रावधानों के अनुकूल कानून बनाने की बात की तथा सम्मलेन के अन्य प्रावधानों को लागू करने के प्रति प्रतिबद्ध प्रदर्शित की ताकि बच्चों का विकास हो सके।

बच्चों के शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चितीकरण में तब क्रांतिकारी परिवर्तन आया जबकि 2009 में मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई), 2009 पारित हुआ, जो बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालता है। संविधान के अनुच्छेद 21 के अन्तर्गत भारत में 6 से 14 वर्ष के बच्चों का मौलिक अधिकार बनाने वाले 135 देशों में से एक भारत भी बन गया अर्थात् संवैधानिक संशोधन 2002 के द्वारा अनुच्छेद 21। के अन्तर्गत आज भारत में

शिक्षा एक मौलिक अधिकार का दर्जा प्राप्त कर लिया है। नई शिक्षा नीति, 2020 में बच्चों के विकास व शिक्षा से सम्बंधित व्यापक प्रावधान है जो 5 + 3 + 3 + 4 के सूत्र पर आधारित है ।9 नई शिक्षा नीति का व्यापक लक्ष्य व उद्देश्य है जो नये भारत के निर्माण के लक्ष्य को प्रदर्शित करता है।

निष्कर्ष- नि:संदेह अंतर्राष्ट्रीय विधि के अन्तर्गत तथा बच्चों के अधिकार पर अंतर्राष्ट्रीय समझौता (1989) में उनके भविष्य को संवारने तथा उनके व्यक्तित्व के विकास को गति देने के लिए तथा एक बेहतर समाज के निर्माण के लिए शिक्षा के अधिकार को जो सर्वोच्च स्थान दिया गया, वह प्रशंसनीय है। लेकिन उन प्रसंविदाओं (1966) व अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन में निहित विभिन्न प्रावधानों का धारातल पर पूरी तरह क्रियान्वित नहीं हुआ है। यह एक चिंता का विषय भी और विकाशसील देशों के समक्ष चुनौती भी है । इसका एक बड़ा कारण आर्थिक संसाधन की कमी भी है। बच्चों के शिक्षा पर भारत जैसे विभिन्न देशों में अलग से बजट बनाने की आवश्यकता है। जहाँ तक भारत में शिक्षा की व्यवस्था का प्रश्न है तो भारत सरकार तथा विभिन्न राज्य सरकारों ने अंतर्राष्ट्रीय विधि, समझौता व प्रसंविधाओं में निहित शिक्षा सम्बंधी विविध प्रावधानों को लागू करने का सराहनीय प्रयास किया है। यही कारण है कि स्वतंत्रता के बाद भारत में शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों की शिक्षा के लिए बहुत कुछ किया जा चुका है। यही कारण है कि भारत में न केवल साक्षरता दर में वृद्धि हुई है, बल्कि भारत के बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में काफी प्रगति की है और भारत के अलावे विश्व पटल पर भी अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित किया है। हाँ, यह भी सच्चाई है कि देश के छः साल तक के 2.3 करोड़ बच्चों को अभी भी स्कूल नसीब नहीं है । डिस्ट्रिक्ट इन्फोर्मेशन सिस्टम और एजुकेशन (डाइस) की एक रिपोर्ट के अनुसार हर 100 बच्चों में से महज 32 बच्चे ही स्कूली शिक्षा पा रहे हैं। इसमें करीब एक करोड़ बच्चे ऐसे है जो घर की खराब आर्थिक स्थिति के चलते पढ़ाई के साथ काम करने को भी मजबूर है । ये सभी चिंता का विषय है । बच्चों के लिए शिक्षा का कितना महत्व है राष्ट्रपति डॉ. राधाकृष्ण के इस कथन से स्पष्ट हो जाता है कि, "बच्चे समाज व राष्ट्र के भविष्य व धरोहर होते हैं जिन्हें बेहतर तरीके से संरक्षित करना आवश्यक है।" और इसके लिए सभी बच्चों की शिक्षा को न केवल सुनिश्चित करना होगा, बल्कि उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी प्रदान करना होगा ताकि उनका नैतिक, अध्यात्मिक व शारीरिक विकास हो सके, क्योंकि आज के बच्चे कल के भविष्य हैं।

संदर्भ ग्रन्थ सूची-

1. Universal Declaration of Human Rights, 1948.
2. Convention on the Rights of the Child, 1989.
3. Bani, Bargohani, Human Rights, Social Justice and Political Change, Kanishka, 1999, New Delhi, P160.
4. Premji, Azim, A Teaching Experience; A child's Right to Education; The Times of India, 9 Dec, 2000.
5. The Constitution of India

6. Ibid
7. Ibid
8. National Policy for Children, 1974.
9. New Education Policy (NEP), 2020.

UGC Journal No. (Old) 40942,
Peer- Reviewed Research Journal
Impact Factor 5.125 (IIFS) ISSN 0973-3914
Vol.- 37, Hindi Edition, Year-19, July - Dec. 2022

सल्तनकालीन महोबा

• महेन्द्र मणि द्विवेदी
•• रानू चौरसिया

सारांश- **महोबा की वैभवशाली संस्कृति ने सदैव सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। विभिन्न राजाओ-महाराजाओं एवं आक्रमणकारियों ने महोबा विजय का स्वप्न देखा। सल्तनतकालीन सुल्तान भी इसी उददे्श्य से महोबा भ्रमण पर आये थे। अलाउद्दीन खिलजी कडा-मानिकपुर का सूबेदार था और अपनी दक्षिण विजय पर महोबा मार्ग से ही निकला था, तुगलककालीन सुल्तानो ने भी महोबा पर अधिकार करने का स्वप्न देखा। तुगलकालीन विभिन्न सूफी सन्तो ने महोबा में इस्लाम का प्रचार किया, जिसका जीवन्त उदाहरण शाही मजिस्द पर लिखा तुगलककालीन शिलालेख (722 हि0/1322 ई0) है। इस शोध पत्र में महोबा पर सल्तनत कालीन विभिन्न राजवंशो के अधिकारों एवं अधिकार क्षेत्रो पर प्रकाश डाला गया है।**

मुख्य शब्द - वैभवशाली संस्कृति, अधिकार, सूफी सन्त, राजवंश्स

प्रस्तावना- कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1202 ई. में कालिंजर पर आक्रमण कर दिया, जो चन्देल शासक परमर्दिदेव का एक मजबूत सैनिक गढ़ था। कुछ समय तक घेरा चलता रहा किन्तु कोई निष्कर्ष नही निकला। अत: परिमर्दिदेव ने ऐबक से संधिवार्ता प्रारम्भ की किन्तु संधि के पूर्व ही परिमर्दिदेव की मृत्यु हो गयी, यद्यपि प्रधानमंत्री अजयदेव ने विद्रोह प्रारम्भ कर दिया, किन्तु संधि के अतिरिक्त कोई दूसरा विकल्प न था। अत: कालिंजर महोबा और खजुराहो पर तुर्को का अधिकार हो गया। डॉ. विसेण्ट स्मिथ का कथन है कि ''परिमर्दिदेव की मृत्यु के साथ ही उत्तर भारत से चन्देलो का एक शक्ति के रूप में पतन हो गया और कालिंजर तथा महोबा पर मुस्लिम आक्रान्ताओं का शासन स्थापित हो गया।''[1]

जलाउद्दीन फिरोज खिलजी (1290-1296 ई.) की हत्या कर सिंहासन पर बैठने वाला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी सिकन्दर के सामान विश्व विजय करना चाहता था, उसने अपनी मुद्रा में स्वयं को सिकन्दर द्वितीय घोषित किया।[2] राजस्थान को जीतेन के पश्चात् वह चन्देरी और मालवा पर विजय का स्वप्न देखने लगा। 1304ई. में ऐनुलमुलक द्वारा किये गये सैनिक अभियान के फलस्वरूप वह ऐसा कर सका। 1309

• **प्राध्यापक, इतिहास विभाग, शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)**
•• **शोधार्थी, इतिहास, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा (म.प्र.)**

ई. के दमोह जिला से प्राप्त सलैया सती अभिलेख में खिलजी सुल्तान का नाम अलयदीन लिखा गया है।[3] इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि पश्चिमी बुन्देलखण्ड से चन्देलो की सत्ता यदि समाप्त नही हुयी थी तो लड़खडा अवश्य रही थी और चन्देल खिलजी सत्ता से लुका छिपी का खेल अवश्य खेल रहे रहे थे क्योकि दमोह जिला से वि.स.1365 में बहमनी सती लेख से ज्ञात होता है कि वहां चन्देलो की अधीनता में बाघदेव प्रतीहार शासन कर रहा था।

चन्देरी राज्य के प्रतिहार म.प्र. में गुना से लेकर सागर, छतरपुर, पन्ना और दमोह तक फैले हुये थे, विभिन्न स्थानो में गजसिंह परिहार और वीरराज परिहार के अभिलेखो से यह तथ्य प्रमाणित होता है कि इन परिहारों का केन्द्र दमोह जिला के सिंगोरगढ दुर्ग में था और उनका राज्य पन्ना जिला की व्यारमा नदी के पार कोटरा तक विस्तृत था। 1312 ई. के अभिलेख से ज्ञात होता है कि चन्देरी के गर्वनर इक्तियारूद्दीन तीमूर सुल्तानी की अधीनता में एक उपराज्यपाल वहां नियुक्त था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में गवर्नर मलिक दुलची की अधीनता में बटियागढ (दमोह) का उपराज्यपाल बलालुउद्दीन खोजा था।

तुर्क शासनकाल से सम्बन्धित फारसी और संस्कृत के अनेक अभिलेख इस क्षेत्र से प्राप्त हुये है। दिल्ली सुल्तानो ने लगभग एक शताब्दी तक चन्देरी पर राज्य किया, इसका प्रमाण गयासुद्दीन तुगलक एवं मोहम्मद बिन तुगलक के ललितपुर से दमोह तक प्राप्त विभिन्न अभिलेखो से ज्ञात होता है। तुगलक ग्वालियर से चन्देरी जाने वाले मार्ग का इस प्रकार वर्णन किया है वह पहले नरवर पिरौन, सिन्ध नदी से अनोतदर जमौला और तत्पश्चात् कछौवा होता चन्देरी पहुंचा। पन्द्रवीं शताब्दी ई. में कछौवा मालवा सल्तनत के अधीन था, इस समय इसे सुतानपुर और कछौवा कहा जाता था, यहां मालवा के शासक सुल्तान होशंगशाह ने 1433 ई. में विश्राम किया था। ग्यारवीं-बारहवीं शताब्दी में ग्वालियर पर कच्छपघात शासक चन्देलो की अधीनता में शासन कर रहे थे।

महोबा क्षेत्र- महोबा चन्देरी और व्यारमा नदी के मध्यवर्ती क्षेत्र में स्थित है। पूर्वी बुन्देलखण्ड में महोबा एकमात्र ऐसा क्षेत्र था जो राजनीतिक एवं सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में चन्देरी राज्य का प्रतिद्वन्दी था। चन्देरी के विकास का मुख्य कारण मालवा की अधीनता थी, अतः चन्देरी ने बारहवीं शती ई. तक ग्वालियर के विद्धानो को अपने यहां बसने के लिये प्रोत्साहित किया। डॉ. जियाउद्दीन देसाई ने अरबी और फारसी के कुछ लेख प्रकाशित किये है, जिससे इस क्षेत्र के इतिहास पर नया प्रकाश पड़ा है। अभिलेखो से ज्ञात होता है कि, महोबा की प्राचीनतम इमारत हि 722/1322 ई. में बनी। महोबा दुर्ग के भैसांखाना दरवाजे के पास वह जर्जर अवस्था में विद्यमान है। अभिलेखो से तलबग्गा के पुत्र राज्यपाल ताजुद्दौला के नाम का उल्लेख है। वह ग्यासद्दीन तुगलक (1320-1325 ई0) के शासन में महोबा का राज्यपाल था।[4] महोबा में सूफियों को सबसे पुरानी दरगाह शेख मुबारक हारूनी की है जो दुर्ग के अंदर विद्यमान है। बर्नी का कथन है कि पूर्वी मालवा के अन्तर्गत महोबा में राज्यपाल का मुख्यालय था, फिरोजशाह के बजीर ने एक आदेश द्वारा बदांयू, कन्नौज, जोनपुर, बिहार, तिरहुत और महोबा से सेनाएं एकत्र की थी।

तारीख-ए-फिरोजशाही में वर्णित है कि महोबा के काजी सद्रुल मुल्क पर

दीवानी का इतना धन शेष निकला उस पर भी सुल्तान फिरोज ने उस पर कठोरता प्रदर्शित नही की वह कहता है कि जो तुझ जैसे व्यक्ति का रक्त बहायें उसके सिर पर उसका खून हो, उसने स्वयं निवेदन किया कि अपना रक्त क्षमा कर दिया कहा जाता है कि काजी सद्रुल मुल्क को एक ऐसा रोग हो गया था, जिससे वह मुक्ति असंभव समझता था। इस कारण काजी रूद्रल मुल्क ने महोबा में अनेक युद्ध किये, मौत न होने के कारण वह बच गया। जब उसके जिम्मे आक्ता का धन निकला तो उसने स्वयं निवेदन किया कि मैने अपना रक्त क्षमा कर दिया, तत्पश्चात् सुल्तान के दरबार के समक्ष उसकी हत्या कर दी गयी।''[5]

विवेच्यकाल में इतिहासकारो ने महोबा का सम्बन्ध कड़ा और अबध से जोड़ दिया है, इसका मुख्य कारण ताजुद्दीन के पुत्र मलिकजादा फिरोज का परवर्ती तुगलक काल में दिल्ली में वजीर नियुक्त होना और उसके पुत्र मलिकजादा महमूद को शिक-फिरोजपुर का पद प्रदान करना था। महोबा और राठ को इसी शिक के अन्तर्गत रखा गया था।[6] अतः अब यह पूरी तरह स्पष्ट हो गया है कि शिक फिरोजपुर की सीमा यमुना नदी नही थी किन्तु यमुना की स्थिति कालपी के इस छोटे से राज्य के मध्य में थी। इस प्रकार की स्थिति कालपी के मालिकजादा राजवंश के पूरे शासन काल तक बनी रही।[6]

मालिकजादाओं द्वारा 1389-90 ई. 1792 हि. में कालपी राज्य की स्थापना की तभी से महोबा उनके राज्य में सम्मिलित रहा है। महोबा के पूर्व की ओर केन नदी के दूसरे तट पर बहोला का एक बड़ा राज्य था, जिसे पाठा-गहोरा का राज्य कहा जाता है। राजपूतो द्वारा शासित यह राज्य जौनपुर के शर्की सुल्तानो का सहयोगी था।

संदर्भ ग्रन्थ सूची-

1. इण्डि एण्टि खण्ड 37 पृ.सं.146
2. महाजन बी.डी. मध्यकालीन भारत-एस.चन्द्र नई दिल्ली, नौवां संस्करण-1990 पृ.सं. 101
3. इन्सिक्रप्शन्स ऑफ सी.पी. एण्ड बरार पृष्ठ संख्या 58
4. देसाई जेड.ए. एपिग्रफिआ इण्डिका अरेविक एण्ड पर्सिमन सप्लीमेन्ट, 1966, नागपुर पृ.सं. 24-26
5. तुगलक कालीन भारत खण्ड-2 पृ.सं. 179 अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, 1967
6. मोहम्मद बहादुर खानी-तारीख-ए-मोहम्मदी

RNI No MP BIL 01034 / 12 / 1 / 2005 - TC
REGISTRAR OF NEWS PAPERS IN INDIA, GOVT. OF INDIA

Centre for Research Studies
Rewa-486001 (M.P.) India
Registered Under M.P. Society Registration Act,
1973, Reg. No. 1802, Year-1997
www.researchjournal.in

ISSN 0973-3914
9 770973 391009

Printed and Published by Dr. Gayatri Shukla on behalf of Gayatri Publications, Rewa-486001 and Printed at Glory Offset Nagpur